त्रयोदश माला, खंड 24, अंक 25

बुधवार, 24 अप्रैल, 2002
4 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

No. 53
Dated 12.11.02

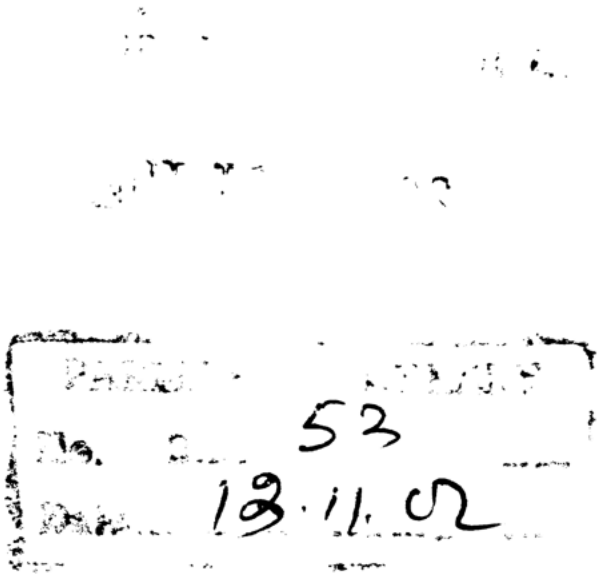

(खण्ड 24 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला खंड 24, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)

अंक 25, बुधवार, 24 अप्रैल, 2002/4 वैशाख, 1924 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
	* तारांकित प्रश्न संख्या 441 और 442	3–27
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
	तारांकित प्रश्न संख्या 443 और 460 . . .	27–54
	अतारांकित प्रश्न संख्या 4755 से 4984	54–323
सभा पटल पर रखे गए पत्र		323–332
लोक लेखा समिति		
	चौतीसवां, पैंतीसवां, छत्तीसवां और सैंतीसवां प्रतिवेदन . . .	332
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति		
	सत्ताईसवां प्रतिवेदन . .	332–333
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति		
	चौतीसवां प्रतिवेदन	333
शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति		
	बत्तीसवां, तैंतीसवां, चौतीसवां, पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन	333–334
कार्य मंत्रणा समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		334
नियम 377 के अधीन मामले		337–341
(एक)	उत्तर प्रदेश मे गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर राप्ती नदी पर पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	योगी आदित्यनाथ	337
(दो)	खपरैल पर उत्पाद शुल्क वापस लिए जाने की आवश्यकता	
	श्री विनय कुमार सोरोके	337–338
(तीन)	विदेशी मत्स्यन नौकाओं पर प्रतिबंध लगाकर स्थानीय मछुआरों के हितो की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. मोहन	338
(चार)	उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामजी लाल सुमन	338–339

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(पांच)	वित्तीय असंतुलन दूर करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए ब्याज की अदायगी स्थगित करने के सुझाव को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री त्रिलोचन कानूनगो	339
(छह)	नागपुर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विलास मुत्तेमवार	340
(सात)	मुम्बई विमानपत्तन, कुर्ला के समीप गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता	
	श्री किरीट सोमैया	340–341
सामान्य बजट, 2002-2003 - अनुदानों की मांगें		341–477
(एक)	**कृषि मंत्रालय**	341–461
	श्री शिवराज वि. पाटील	344–350
	कटौती प्रस्ताव	350–357
	श्री किशन सिंह सांगवान	357–361
	श्री महबूब जहेदी	361–368
	डा. बी.बी. रमैया	369–373
	श्री रामजी लाल सुमन	373–376
	श्री अनंत गुढे	376–381
	श्री मणि शंकर अय्यर	381–393
	श्री प्रह्लाद सिंह पटेल	393–399
	श्री पी.एच. पांडियन	399–403
	श्री ए.के.एस. विजयन	403–407
	श्री राम प्रसाद सिंह	407–411
	डा. जसवंतसिंह यादव	411–417
	श्री ए. सी. जोस	417–424
	श्री भर्तृहरि महताब	424–430
	श्री एन.एन. कृष्णदास	430–433
	डा. रामकृष्ण कुसमरिया	433–436

विषय		कॉलम
	श्री प्रबोध पण्डा	436–439
	श्रीमती कैलाशो देवी	439–442
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	442–444
	श्री ई. पोन्नुस्वामी	445–447
	चौधरी तालिब हुसैन	447–449
	श्री पी.सी. थामस	450–452
	श्री अजित सिंह	453–459
(दो)	**चर्चा और स्वीकृति के लिए शेष सभी अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत**	461–477
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक - पुरःस्थापित		473–480
	श्री यशवन्त सिन्हा	478
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	478
	खण्ड 2 से 4 और 1	479
	पारित करने के लिए प्रस्ताव	480

लोक सभा

बुधवार, 24 अप्रैल, 2002/4 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 222 के अधीन प्रधानमंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाया है...*(व्यवधान)* अखबारों में छपा है कि आसन की रूलिंग को दुर्भाग्यपूर्ण बतलाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन आवर के बाद।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, अध्यक्षपीठ द्वारा दिए गए विनिर्णय पर बाहर किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यह बहुत ही गलत मिसाल होगी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान से सदन का अपमान किया गया है...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे कुछ कहने दें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे कुछ बोलने देंगे?

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्षपीठ के विनिर्णय की अवमानना सभा की अवमानना है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बहुत गलत मिसाल कायम होगी?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैंने नियम 222 के अंतर्गत नोटिस दिया है। जो भी आसन का अपमान करेगा...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने भी इसे समाचार–पत्र में देखा है। मैंने इसके खंडन वाला समाचार भी देखा है। यह चाहें जो भी हो, सदस्यों ने इस बारे में नोटिस भी दिये हैं, फिर भी हमें नियम के अनुसार ही कार्य करना है। क्या आप एकदम कुछ भी कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : यह एक सार्वजनिक मुद्दा है, सार्वजनिक नोटिस।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

यदि ऐसा कुछ है, तो इस सभा में स्थापित परपंरा यह है कि सूचना की सत्यता की जांच की जाती है। इसके बाद यदि कुछ है, तो सभा इस पर ध्यान देती है। सभा इस पर निर्णय ले सकती है कि इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। इसलिए, इसे कृपया यहीं छोड़ दें। नोटिस पर ध्यान दिया जाएगा। कानून के अनुसार, सूचना की सत्यता की जांच की जाएगी। इसके बाद जो कुछ भी होना है, हम करेंगे?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं माननीय अध्यक्षपीठ के विनिर्णय को मानूंगा। सरकार को सूचना की सत्यता की जांच करने दें और सभा के समक्ष प्रस्तुत करने दें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरे द्वारा नियम 222 के अंतर्गत दिये गए नोटिस का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम के मुताबिक काम करूंगा।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

इंटरनेट एजेंसीज

+

***441. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :**

श्री ए. कृष्णास्वामी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की संख्या कितनी है;

(ख) उनके द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कोई नई एजेंसियां सामने आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी कितनी एजेंसियों को कारोबार शुरू करने की अनुमति दी गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार ने 428 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को लाइसेंस दिए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस समय देश में 161 इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ख) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा 31.10.2003 तक लाइसेंस शुल्क का कोई भुगतान नहीं किया जाना है। इस तारीख के बाद भी देय लाइसेंस शुल्क केवल 1/–रु. प्रति वर्ष है। चूंकि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस शुल्क अर्जित राजस्व से जुड़ा हुआ नहीं है। अतः इस बारे में सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से सूचना प्राप्त नहीं की जा रही है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2001–2002 के दौरान 60 कंपनियों से आईएसपी लाइसेंसों के लिए 72 नए आवेदन प्राप्त हुए तथा 42 कंपनियों को 49 लाइसेंस जारी किए गए।

श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में साफ्टवेयर और संचार कारोबार के विकास को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, अपने दृष्टि के हिस्से के रूप में, राज्य में इलेक्ट्रानिक शासन के लिए हमारी रूचि राज्य के गांवों और शहरों में इंटरनेट की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने में है।

हम समझते हैं कि आप्टिकल फाइबर प्रणाली पर आधारित राष्ट्रीय इंटरनेट का ढांचा, (बैंकबोन) विकसित करने की योजना है और यह लागू भी की जा रही है। इस योजना में हैदराबाद को केवल ए–2 का दर्जा दिया गया था, जिसका मतलब है कि यह बिना किसी इंटरनेट गेटवे का होगा। यह बहुत ही गंभीर चूक है।

मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है कि क्या भारत सरकार हैदराबाद का दर्जा ए–1 तक शीघ्र बढ़ाने पर विचार कर रही है और इसकी स्वयं की 'इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे' सुविधा देने पर विचार कर रही है।

श्री प्रमोद महाजन : श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक आंध्र प्रदेश की बात है, पूरा देश इस बात से अवगत है कि यह राज्य साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में देश में सर्वोच्च है। विशेषकर मुख्यमंत्री, श्री चंद्रबाबू नायडू के प्रयास से, जिनकी न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा हो रही है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इस बात को मानते हैं। यह नियम 184 के अंतर्गत उत्तर दिया गया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम भी उनकी प्रशंसा कर रहें हैं।

श्री प्रमोद महाजन : मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं जिसे सबने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा है, यदि इस प्रशंसा से माननीय सदस्य को परेशानी हो रही है, तो नियम 184 के

अंतर्गत होनी वाली चर्चा से हाथ धोने की संभावना है ...*(व्यवधान)*...इसलिए मैं जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहा हूं तो यह बाधा डालने की रणनीति बड़ी खराब है। मैं उन्हें वही सम्मान दे रहा हूं। जिसके वे हकदार हैं... *(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी उनकी प्रशंसा की है। संचार संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने प्रशंसा की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं जान–बूझकर कभी कुछ नहीं किया...*(व्यवधान)* ...लेकिन वे कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, यह क्या हो रहा है? वरिष्ठ नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां वह सीधे–आपस में बात नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, जहां तक हैदराबाद शहर का दर्जा ए–2 से बढ़ाकर ए–1 करने से संबंधित विशेष प्रश्न का संबंध है, यह आवश्यकता पर निर्भर करता है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं आश्वासन देता हूं कि हैदराबाद को ए–1 का दर्जा दे दिया जाएगा। सरकार पीछे नहीं हटेगी।

श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा हमारे मुख्य मंत्री पर की गई उनकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद देता हूं।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है उन्नयन के लिए, दर्जा बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? आंध्र प्रदेश में साफ्टवेयर और संचार कारोबार को विकसित करने के लिए वर्तमान में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आइ.एस.पी.) की कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या इसमें कोई सरकारी एजेंसी शामिल है? क्या सरकार 50 मेगा बाइट्स प्रति सेकंड की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, जो कि, हैदराबाद के लिए "50 मेगा बाइट्स प्रति सेकंड इंटरनेट बैकबोन नोड है?

श्री प्रमोद महाजन : जैसा कि मैंने कहा जहां तक आंध्र प्रदेश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.एस.पी.) का संबंध है, किसी विशेष राज्य के लिए कोई पृथक नीति नहीं है। आंध्र प्रदेश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बारे में तीन–चार पेज की लंबी सूची मेरे पास है। इसे मैं आदिलाबाद, अनंतपुर, कुड्डापह

से लेकर अन्य स्थानों पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बारे में माननीय सदस्य के पास भेज सकता हूं। हैदराबाद में करीब दो दर्जन इंटरनेट सेवा प्रदाता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता निःशुल्क चीज है। यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में प्रवेश चाहता है तो कोई लाइसेंस नहीं है। इस अवसंरचना में कोई प्रवेश कर सकता है।

जब मैंने मानदंड के बारे में कहा तो यह केवल यातायात पर निर्भर है। यदि आवश्यक यातायात (ट्रैफिक) वहां है, तो ए–1 नगर का दर्जा दिया जा सकता है, और मुझे उसमें कोई परेशानी नजर नहीं आती।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मुझे बताया गया था कि 'वायरस' है....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न में दूसरे माननीय सदस्य का नाम है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में, किसी तरह के वायरस से निजात पाने में मैं सक्षम हूं...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी : माननीय मंत्री के वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 420 लाइसेंस धारकों में से, वर्तमान में केवल 161 इंटरनेट सेवा प्रदाता ही देश में इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और इंटरनेट सेवा प्रदाता राजस्व अर्जन से जुड़े नहीं हैं, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि भारत में शेष लाइसेंस धारकों ने इंटरनेट सेवा प्रदान करना शुरू क्यों नहीं किया है। क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि भारत में इंटरनेट में इतना धीमा 'एक्सेस' क्यों है? क्या सेवा की क्षमता और प्रतियोगितात्मकता पर निगाह रखने हेतु कोई निगरानी दल गठित किया गया है? सरकार द्वारा इन एजेंसियों को प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि वे अच्छी और विश्वसनीय सुविधाएं दे सकें? मैं तमिलनाडु में इंटरनेट सेवा प्रदान की कनेक्टीविटी के बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री प्रमोद महाजन : जैसा कि मैंने कहा, सरकार ने 428 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस दिया है जिसमें से 161 कार्य कर रहे हैं। हमने पहले ही लाइसेंस दे दिया है। उनकी लाभ दायकता को देखते हुए, अवसंरचना और क्या वे व्यापार करना चाहते हैं या नहीं–यह पूरी तरह से निजी क्षेत्र का व्यापार है–वे किसी भी दिन शुरु कर सकते हैं। सरकार का काम

जितना जल्दी हो सके लाइसेंस देना है ताकि वे अपना व्यापार शुरु कर सकें। लेकिन कई व्यापार में, आप अवगत हैं कि सरकार लाइसेंस देती है, जिसे कुछ लोग शुरू करते हैं, कुछ नहीं। यह लाइसेंस से संबंधित है।

दूसरी बात, यह सही है कि हमारे पास बैंड विस्तार की समस्या है। यह राष्ट्रव्यापी समस्या है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हम कई स्रोतों से उन्नयन की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इसका ध्यान रखते हैं।

दूसरा प्रश्न तमिलनाडु से संबंधित था। पुनः, हमारे पास 50 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की लंबी सूची है जो तमिलनाडु में अपना काम कर रहे हैं। मैं इसे माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा। यदि आप अनुमति दें, तो, महोदय, मैं इसे पढ़ दूँगा। लेकिन यह लंबी सूची है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री माननीय सदस्य के पास पूर्ण ब्यौरा भेज देंगे।

श्री ए. कृष्णास्वामी : मैं इंटरनेट में धीमें 'एक्सेस' के बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री प्रमोद महाजन : मैंने कहा कि बैंड विस्तार का अभाव है। हम बैंड विस्तार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तब, हमारे पास तीव्र चलने वाला इंटरनेट होगा।

श्री संतोष मोहन देव : स्थायी समितियों में, कुछ ही अध्यक्ष है, जो सक्रिय है, एक श्री सोमनाथ चटर्जी हैं और दूसरे श्री संतोष मोहन देव।

श्री प्रमोद महाजन भी संसदीय कार्य मंत्री हैं उनका काम यह देखने का है कि स्थायी समितियों के सिफारिशों की जांच करना और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। क्या मैं उसका कारण जान सकता हूँ कि इन दो दुर्भाग्यपूर्ण स्थायी समितियों के रिपोर्टों की जांच क्यों नहीं की गई है? क्या वे इस बारे में हमें बताएंगे? क्या उनके मंत्रालय में स्थायी समितियों की सिफारिशों को देखने की कोई पद्धति है? यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनके यहां आने और प्रश्नों के उत्तर देने का बोझ कम हो जाएगा। अंततः, सब गलत चीजें होने के बावजूद, श्री सोमनाथ चटर्जी ने स्थायी समिति में बहुत अच्छा काम किया है।

श्री प्रमोद महाजन : यद्यपि श्री सोमनाथ चटर्जी नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव पर जब भी मतदान होगा उसके विरूद्ध मत देंगे, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री सोमनाथ चटर्जी के कार्य की प्रशंसा करने में मैं श्री संतोष मोहन देव के साथ हूं। उन्होंने वित्तमंत्री से मेरे मंत्रालय के लिए और 'अधिक धन मांगने में बहुत सहायता की है जो कि अभी हमें नहीं मिला है। अतः वह मेरी सहायता कर रहे हैं।

हमारे वहां स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों का अध्ययन करने के लिए एक प्रणाली है, और हम स्थायी समितियों की सिफारिशों को अपने स्तर पर लागू करने का बेहतर प्रयास करेंगे।

श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में यह बताया गया है कि देश में अनेक आईएसपी कार्य कर रहे हैं और नये लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं। लेकिन केरल, विशेषकर कन्नानौर में, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यह दावा करते हैं कि यह सेवा बहुत व्यस्त रहती है। क्या यह सेवा समय से उपलब्ध नहीं होगी?

दूसरा प्रश्न यह है। ऐसी सूचना भी मिली है कि केरल, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इंटरनेट के नये कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी कारण बताने की कृपा करेंगे?

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, इसके लिए मुझे अलग नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि वह किसी विशेष जिला या लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों के इंटरनेट कनेक्शन से संबंधित समस्या है, और उस क्षेत्र में इंटरनेट सेवा प्रदाता या तो इंटरनेट की सेवा देने में सक्षम नहीं है या उचित प्रकार से कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने शिकायत की है। मैं इस शिकायत की जांच करूंगा और उन्हें वापस लौटा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंटरनेट सेवा, और ऑप्टीकल फाइबर केबल के बारे में बिहार से संबंधित दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न है कि बिहार के कितने डिवीजनों में ऑप्टीकल केबल फाइबर की व्यवस्था की गई है। मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर में 1994 में ऑप्टीकल फाइबर केबल की व्यवस्था की गई थी और लगभग 11 करोड़

रुपए की योजना बनाई गई, लेकिन अभी तक ऑप्टीकल फाइबर केबल की व्यवस्था नहीं हो पाई है, उसके क्या कारण हैं। जैसा मंत्री जी ने अपने जवाब में अभी बताया कि लाइसेंस के लिए 60 कंपनियों ने आवेदन किया था, बाद में 60 की जगह 72 कंपनियां हो गई और उनमें से अभी तक केवल 42 कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं–मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लाइसेंस देने के क्या मापदंड हैं?

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक लाइसेंस देने के मापदंड का प्रश्न है, उसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पॉलिसी दिनांक 6 नवंबर, 1998 को घोषित हुई थी। उसके अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए हैं जिनमें आधार पर इंटरनेट सर्विस कनैक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं और उन्हें अतिशीघ्र प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है।

बिहार में लगभग 12 स्थानों पर इंटरनैट प्रोवाइडर काम कर रहे हैं, जो इंटरनेट की सेवा दे रहे हैं। जहां तक माननीय सांसद के चुनाव क्षेत्र में ऑप्टीकल फाइबर केबल का संबंध है, यह प्रश्न आज के मुख्य प्रश्न से जुडा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने यह विषय सदन में रेंज किया है कि उनके चुनाव क्षेत्र में ऑप्टीकल फाइबर केबल की क्या स्थिति है, इस बारे में मैं जानकारी लेकर उन्हें लिखित रूप में भेज दूंगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास पाटील : "बैंड विड्थ" संयोजन की योजना में जिलों को महत्व दिया जाता है। कुछ जिलों में कुछ कस्बे शैक्षाणिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक दृष्टि से भी, अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। विशेषकर सतारा जिले में मेरा गृह नगर कराड शिक्षा, उद्योग एव वाणिज्य क्षेत्रों में अधिक विकसित है। सतारा की तुलना में कराड में वैंड संयोजन अत्यंन्त कम है। क्या मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और अपने अधिकारियों के माध्यम से कराड़ में वैंड –विड्थ संयोजन पर थोड़ा और ध्यान देंगे?

श्री प्रमोद महाजन : मैं इस पर ध्यान दूंगा।

श्री रूपचन्द पाल : अब जबकि सरकार ने इंटरनेट टेलीफ़ोनी को विशेषकर तीन क्षेत्रों पीसी से पीसी, पीसी से टेलीफोन और टेलीफोन से पीसी में अनुमति दे दी गई है, क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंटरनेट टेलीफ़ोनी को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जो कि आज विश्व में संचार की सर्वाधिक सस्ती प्रणाली है?

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, हमारे देश में इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति 1 अप्रैल, 2002 को इसे शुरु करने से पहले नहीं थी। 1 अप्रैल को हमने इंटरनेट टेलीफ़ोनी खोल दी है। हमारे पास लगभग 86 कंपनियों ने आवेदन दिया है और उनमें से 19 को पहले ही लाइसेंस दे दिया गया है। उनमें से दो ने पहले इंटरनेट टेलीफ़ोनी की शुरूवात कर दी है, और सभा में इस प्रश्न को पूछने से ही लोगों को ज्ञात हो जाएगा कि हम इंटरनेट टेलीफ़ोनी की अनुमति दे रहे हैं। अतः अधिक से अधिक लोग लाइसेंस की मांग करेंगे और हम यह लाइसेंस देंगे जिससे कि लोगों को इंटरनेट टेलीफ़ोनी उपलब्ध हो सके। जैसा कि मैंने कहा, इसे लगभग दो या तीन सप्ताह पहले ही खोला गया है। अतः इस सेवा के बढ़ने में कुछ समय लगेगा। हमें दिशानिर्देशों और सिक्युरिटी क्लीयरेन्स का ध्यान रखना है। यह अत्यन्त आशाजनक है कि अगले छह माह में अनेक आपरेटर यह सेवा शुरू करेंगे; और लोगों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सस्ती सेवा उपलब्ध होगी।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास और प्रगति हो। विभिन्न प्रदेशों में आप इस योजना को लागू कर रहे हैं। लेकिन देखने में यह आया है कि सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुछ प्रदेश तो काफी आगे हो गये हैं लेकिन कुछ प्रदेश आज भी पीछे हैं। माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि कौन–कौन से प्रदेश आगे चल रहे हैं और कौन–कौन से प्रदेश सबसे पीछे चल रहे हैं? इसके अलावा जो प्रदेश इस क्षेत्र में पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए या सामांतर लाने के लिए कोई विशेष योजना आपके पास है या नहीं?

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसद सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, उससे मैं सहमत हूं। सूचना और प्रौद्योगिकी की क्रांति अपने देश में हुई है जिसे विश्व की मान्यता मिली है। फिर भी हमारी सूचना और प्रौद्योगिकी की क्रांति दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में, अंग्रेजी जानने वालों में और शहरों तक ज्यादातर सीमित है। हमारा यह प्रयास है कि सूचना और प्रौद्योगिकी की क्रांति को दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, शहर से गांव की ओर और अंग्रेजी भाषा जानने वालों की ओर से भारतीय भाषा जानने वालों की

ओर ले जायें। इसी दष्टि से सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है–जैसे पूर्वांचल में हमने 200 करोड़ रुपये का खर्चा करके वहां की 440 तहसीलों को एक कम्युनिटी इन्फार्मेशन सैंटर के प्रौजेक्ट से जोड़ने का प्रयास किया है। उसी प्रकार उत्तरांचल, झारखंड या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विशेष योजना लाने के लिए हमारी ओर से प्रयास हो रहा है। मूलतः यह सारा उद्योग निजी क्षेत्र में है। इसलिए जितनी सरकार की ताकत है उसके अनुसार हम इसे कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह अंडमान जैसे दूरदराज के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की ओर विशष ध्यान दूंगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, श्री चन्द्रशेखर अपने निर्वाचन क्षेत्र बलिया के बारे में पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : श्री चन्द्रशेखर जी, व्यक्तिगत रूप से मेरे सम्पर्क में रहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : आपने मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने इंटरनेट के बारे में पूछा है।

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, हम काफी पैसा खर्च करके भारतीय भाषाओं में इसका उपयोग हो, इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक सवाल है कि कौन से प्रांत आगे हैं और कौन से प्रांत पीछे हैं, अगर आमतौर पर जवाब देना है तो साधारणतः जो प्रदेश जनसंख्या में आगे हैं, वे सूचना और प्रौद्योगिकी में पीछे हैं और जो जनसंख्या में पीछे हैं, वे सूचना और प्रौद्योगिकी में आगे हैं। इनका एक दूसरे से कोई रिश्ता है या नहीं, इसे बारे में मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि सर्व–साधारण देश के जो प्रगतिशील प्रांत हैं, इसमें भी वे प्रगतिशील हैं और देश में जो पिछड़े प्रांत हैं, फिर भी आपने देखा होगा कि ह्यूमन रिसोर्स इन्डेक्स में मध्य प्रदेश आगे चला गया है, राजस्थान आगे चला गया है। वहां सूचना और प्रौद्योगिकी भी आगे जा रही है। मध्य प्रदेश में ज्ञान दूत का प्रकल्प है, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा है। इसे आप नियम 184 से मत जोड़िये। श्री दिग्विजय सिंह जी जो काम कर रहे हैं, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में प्रयोग हो रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सारे देश में प्रगति हो। बंगाल में भी मैं विशेष ध्यान देता हूं। वहां के नये मुख्य मंत्री और ज्यादा ध्यान दें।

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे यह साहस दिया कि मैं बलिया के बारे में माननीय मंत्री जी से पूछूं। मैं बड़े पिछड़े और गरीब इलाके से आता हूं। क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरे इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवा देने के लिए जायेगा। उनके विभाग की सिफारिशों को भी नजरअंदाज किया जाता है। बड़ा अच्छा होता अगर उस पिछड़े इलाके की ओर आपका ध्यान जाता।

श्री प्रमोद महाजन : माननीय चन्द्रशेखर जी बलिया के बारे में नित्य सम्पर्क में है। जहां तक मोबाइल फोन की सेवा है, यह मूलतः निजी क्षेत्र में है। निजी क्षेत्र अपनी सुविधानुसार चलता है लेकिन अब बी.एस.एन.एल. भी इस क्षेत्र में आ रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी शायद हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसा जिला नहीं रहेगा जिसमें आपको मोबाइल सर्विस ऐवेलेबल नहीं होगी। इसलिए सभी जिलों में मोबाइल सर्विस बहुत शीघ्र मिलने की संभावना है। बलिया में इंटरनैट या मोबाइल सेवा के बारे में जो इन्होंने विशेष कहा है, उस पर मैं जरूर ध्यान दूंगा।

[अनुवाद]

राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 'म्यूचुअल फंड'

+

***442. श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह **बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) का विचार राजमार्ग परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक म्यूचुअल फंड शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में ब्यौरे को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस योजना को कब तक आरंभ किए

जाने की संभावना है;

(ग) 'म्यूचुअल फंड' के माध्यम से कितनी धनराशि जुटाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) देश में सड़क क्षेत्र के सुधार हेतु यह किस सीमा तक लाभप्रद होगा;

(ङ) क्या चार महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्ण चतुर्भुज की कुछ परियोजनाओं के कार्य का ठेका अभी दिया जाना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस परियोजना हेतु वर्ष 2002–03 के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) संसाधन जुटाना एक सतत् प्रक्रिया है और म्यूचुअल फंड राजमार्ग परियोजनाओं के वित्त पोषण का एक स्रोत है। यह राजमार्ग वित्त पोषण में निजी भागीदारी आमंत्रित करने का भी एक तरीका है। तथापि, यह अवधारणा विकास की प्रारंभिक अवस्था में है और किसी ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) और (च) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के केवल एक खंड अर्थात् इलाहाबाद बाइपास को अभी सौंपा जाना है। इसकी लंबाई 84.7 कि.मी. है।

(छ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए वर्ष 2002–2003 के लिए 10203 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था, मंत्री महोदय ने उसका बड़ा टाल–मटोल जवाब दिया है। मैंने उनसे स्पैसीफिक प्रश्न किया था कि क्या विभाग द्वारा म्युचुअल फंड और अन्य मार्गों से फंड जुटाने की योजना है। उन्होंने जवाब दिया है कि निजी भागीदारी आमंत्रित करने का भी एक तरीका है तथापि, यह अवधारणा विकास का प्रारंभिक अवस्था में है और किसी ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उपाध्यक्ष जी, इस योजना के लिए बजट का काफी बड़ा प्रावधान किया गया है जो खर्च नहीं हो रहा है। उसके बावजूद मंत्रालय और तरीकों से पैसा जुटाने की जो कोशिश कर रहा है, जो हमारी चिन्ता का विषय है। मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूं कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। अगर यह पूरी हो जाती है तो इस देश में व्यापार, उद्योग के नए आयाम खुलेंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा और देश में एक नया वातावरण तैयार होगा। यह योजना दो साल से चालू है और इसमें 1,700 किलोमीटर सड़क ही बनाई गई है। इसकी 13,151 किलोमीटर सड़क जिस पर 54,000 करोड़ रुपये का खर्च अनुमोदित था, उसे सन् 2003 तक पूरा करना है, लेकिन दो साल में 1,780 किलोमीटर सड़क ही पूरी हुई है, 4,602 किलोमीटर सड़क अंडर इम्पलीमैंटेशन है, जिसके लिए 19,743 करोड़ रुपये के कान्ट्रैक्ट आबंटित किए गए हैं। इस साल बजट में इसके लिए 10,203 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह विषय इसलिए भी चिन्ता का है कि इस परियोजना में एक–एक किलोमीटर पर 6 से 7 करोड़ रुपये तक खर्च हो रहे हैं। हिन्दुस्तान में यह पहली बार हो रहा है कि किसी योजना में 54,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन इनके विभाग के पास अपनी कोई मशीनरी नहीं है। डायरैक्ट कान्ट्रैक्ट देने का काम ही इनका विभाग करता है। इसके लिए कोई एकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई है। इस योजना पर सारे हिन्दुस्तान का लक्ष्य है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने इसकी मौनीटरिंग करने के लिए कोई एजेंसी नियुक्त की है या ऐसे ही छोड़ दिया गया है? इसे सन् 2003 तक पूरा करने की योजना है और अभी केवल 1,780 किलोमीटर सड़क ही पूरी हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग ने क्या योजना अपने हाथ में ली है? ये लोग किसी भी राज्य सरकार की मदद इस परियोजना में नहीं ले रहे हैं। इनके पास लक्ष्य को पूरा करने के लिए संसाधन हैं, मशीनरी है लेकिन उसका दुरूपयोग न हो, क्या इसके लिए कोई मौनीटरिंग एजेंसी की व्यवस्था और एकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल के आखिर हिस्से में चार बातें पूछी गई हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें कहीं गई हैं, जिनका स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। पहले आपने कहा कि मैंने आपके प्रश्न का टाल–मटोल जवाब दिया। मेरा निवेदन है कि जवाब

सिर्फ म्यूचुअल फंड से संबंधित है। आपके प्रश्न का पहला हिस्सा था।

[अनुवाद]

"(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का विचार राजमार्ग परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक म्यूचुअल फंड शुरु करने का है।"

[हिन्दी]

उसका जवाब दूसरी लाइन में आपको दिया गया है, जिसके बारे में अभी चर्चा है। अन्य फंड जिस प्रकार व्यवस्था कर रहे हैं, वह उसके बारे में नहीं है। प्रश्न के पहले हिस्से म्यूचुअल फंड के बारे में अभी थोड़े दिन पहले हमने चर्चा की थी। उसकी लम्बी प्रक्रिया है। उस पर बात चल रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो टाल–मटोल वाली बात कही है, यह सही नहीं है।

श्री विलास मुत्तेमवार : इसकी जरूरत क्या है, इतना सारा पैसा बजट में रखा है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि एक्सपेंडिचर कुछ नहीं हो रहा है। इस प्रकार का काम जब होता है, जैसा आपने कहा, एक किलोमीटर के लिए तीन, चार या पांच करोड़ रुपया खर्च होता है। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि अगर हम निर्णय लें कि एक हिस्से पर काम शुरू करना है तो उस पर 18 महीने लगते हैं। पहला काम जो पिक एंड शावल का होता है, उसके अंदर लैंड एक्वीजिशन के लिए करीब 12 महीने लग जाते हैं। आपने जो बाकी सवाल किए हैं, मैं उनका भी जवाब दूंगा। आपने पूछा कि इतना समय क्यों लगता है, धन क्यों कम उपयोग में हो रहा है, ऐसा नहीं है। 1996–97 में इस प्रोजेक्ट से पहले 30 करोड़ रुपए एक साल में खर्च हुए थे। बीच में यह बढता गया। 2000–01 में 1405 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसके अगले साल 4190 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस साल 10300 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था है और वह खर्च होगा। यह कहना कि धन उपलब्ध है, खर्च नहीं हो रहा, यह सही नहीं है। आपने कहा कि गोल्डन क्वाड्रिलैटरल योजना पूरी हो जाएगी तो बहुत फायदा होगा। यह हम भी मानते हैं। विश्व बैंक ने भी कहा है कि इस योजना के पूरा होने पर देश को प्रति वर्ष अनेक तरीकों से करीब आठ हजार करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। यह कहना कि काम ठीक नहीं चल रहा है, मेरे ख्याल से अनुचित है। हमने अभी तय किया है, पिछले साल के शुरु में कि पहले फेज को 2004 के बदले 2003 में पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि यह काम जब शुरु हुआ, उसमें कुछ समय लगा। 2000–01 में हमने 26 ठेके दिए थे। 2001–02 में हमने 85 ठेके दिए। ठेके देने के बाद ही काम शुरू होता है। इस साल अभी एक महीने में हमने 14 ठेके दे दिए हैं। इस प्रकार 145 ठेकों पर काम चल रहा है। जैसा मैंने बताया, विश्व बैंक के अनुसार चार साल ठेके देने के बाद लगते हैं फिर भी हम ढाई साल में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जो हमने अपना लक्ष्य प्रीपोंड किया है, उसमें काफी हद तक सफलता पाई है। जैसे–जैसे आप जमीन पर देखेंगे, यह काम अच्छा नजर आएगा। इसमें किसी निराशा की जरूरत नहीं है। आपने कीमत की बात कही है। कीमत कहीं पर ढाई–तीन करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर है और कहीं पर पांच–छः करोड़ प्रति किलोमीटर भी खर्चा आता है। यह दो–तीन चीजों पर निर्भर है, सिर्फ बनाने की ही कीमत नहीं है। इसमें लैंड एक्वीजिशन का भी बहुत बडा हिस्सा है। उसकी भी एक प्रक्रिया है और उसमें एक साल लग जाता है। हम राज्य सरकार से मदद लेते हैं। आपने कहा कि राज्य सरकार से क्या मदद लेते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लैंड एक्वीजिशन के लिए राज्य सरकार की मदद ली जाती है। जितने भी धन की आवश्यकता वहां का डी.एम. बताता है, वह दिया जाता है। इसी तरह पेड़ कटाई के लिए भी राज्यों से मदद ले रहे हैं। शिफ्टिंग आफ यूटिलिटी भी है। जहां पर सड़क चौडा कर रहे हैं, वहां पर बिजली के खम्भे हैं, अंउरग्राउंड पाइप्स हैं और अनेक चीजें हैं। ये सब राज्य सरकार के माध्यम से हम कर रहे हैं। वह भी हमें मदद दे रही हैं। कई बार समस्या आती है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्रियों से बात करता हूं। आपने कहा कि कोई संगठन नहीं है। ऐसी बात नहीं है। नेशनल हाइवे अथोरिटी आफ इंडिया है, जो इस प्रोजेक्ट से पहले बनी थी। उसको सुदृढ़ किया गया है, उसका अपग्रेडेशन

किया गया है। नेशनल हाईवे अथोरिटी बोर्ड बनाया गया है। जिसको आर्थिक अधिकार दिए गए हैं। उस बोर्ड के सदस्य निर्णय लेते हैं, बड़े–बड़े ठेकों को देने का भी निर्णय लेते हैं। हर समय सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह एक अच्छा बोर्ड बना हुआ है। लेकिन जो मानेटरिंग की बात आपने कही, वह जरूरी है। इस काम को शुरू करने से पहले जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है, वह स्पेशलिस्ट–कंसलटेंट्स से बनाई जाती है। हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं और इतने विशेषज्ञ हमारे पास नहीं हैं कि उसको बना सकें और न ही मैं इसकी जरूरत समझता हूं। वहां कंसलटेंट्स की छांट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। वे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, फिर ठेका देने के बाद मानेटरिंग के लिए अलग कंसलटेंट टीम है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। क्या–क्या टैस्ट होंगे, वह लिखे हुए हैं, उसका सब रिकॉर्ड रहता है। यह जो संगठन हैं, नेशनल अथोरिटी, उसके अधिकारी मानेटरिंग की रिपोर्ट खुद चैक करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मानेटरिंग की व्यवस्था और क्वालिटी कंट्रोल शत–प्रतिशत है। उसके अंदर स्पेशलिस्ट हाइली क्वालिफाई टेक्नीकल पीपल लगाए जाते हैं। आपने कहा कि योजना पूरी होगी या नहीं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इसे पूरा करेंगे और दूसरा फेज जो 2007 में पूरा होना है, उसे तय समय से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपने कहा कि कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, मैं यह नहीं कह सकता कि दुरूपयोग कहीं नहीं हो रहा है। जिस प्रकार की देश में व्यवस्था है, थोड़ा–बहुत हो सकता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, जहां भी मैं जाता हूं, जनता से भी कहता हूं कि कोई गलती हो रही है तो हमें बताएं। मैं सांसदों से भी प्रार्थना करता हूं कि अगर आप देखें कि कहीं पर गलती हो रही है तो बताएं, हम लोग जांच–पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि जब इतनी बड़ी धनराशि दी जा रही है, एक बडी योजना प्रधान मंत्री जी ने दी है और इस प्रकार की योजना देने की हिम्मत शेरशाह सूरी के बाद पहली बार किसी ने की है जो बहुत बड़ा काम है। 8000 करोड़ रु. प्रतिवर्ष फेज–। में खर्च हो रहा है। जिससे इतने बड़े देश को फायदा होगा। इसके लिए आप सबका सहयोग हमें मिले, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। आप यदि दुरूपयोग हमें बताएंगे तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री विलास मुत्तेमवार : वह महत्वकांक्षी योजना है, ऐसा मंत्री महोदय का कहना है और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। मेरा भी कहना है कि यह महत्वाकांक्षी योजना है। इसीलिए इस योजना का निर्धारित समय से उचित कार्यान्वयन हो, इसके लिए चिंता करना जरूरी है। आपने महसूस किया कि इसके लिए किसी मोनीटरिंग एजेंसी की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हम राज्य सरकारों की मदद लेते हैं लेकिन राज्य सरकारों की मदद बहुत कैजुअल तरीके से ली जाती है। इनके पास यंत्रणा नहीं है। इन्होंने स्वयं माना कि यंत्रणा नहीं है तभी इन्होंने अपने एक्सपर्ट्स नियुक्त किये हैं और सब काम कांट्रैक्ट बेसिस पर चल रहा है। हिन्दुस्तान में पहली बार प्रयोग हो रहा है कि 54000 करोड़ रुपये इस योजना पर खर्च होने जा रहे हैं। हमारा महाराष्ट्र राज्य सड़क बनाने के मामले में नं. एक पर है। उसने मुम्बई से पूना तक जो सड़क बनाई थी, वह अपने आप में एक मिसाल है। मैं कहना चाहता हूं कि जिन राज्य सरकारों की परफॉमेंस अच्छी है, इसमें उनकी मदद ली जाये। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जहां 54000 करोड रुपया खर्च हो रहा है, केन्द्र सरकार इस योजना पर खर्च कर रही है लेकिन राज्य सरकारों से, जहां बाईपास है, वहां लैंड एक्विजीशन के लिए पैसे आपका मंत्रालय राज्य सरकारों से वसूल करता है और राज्य सरकार अगर बाईपास के लिए, लैंड–एक्विजीशन के लिए पैसे नहीं देती तो वह योजना वैसी ही पडी रहती है। उसका एक उदाहरण राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है जो इस योजना का हिस्सा है–वह नागपुर से बुट्टीबोरी तक 36 कि.मी. बनकर एक साल पहले तैयार हो गया लेकिन बुट्टीबोरी से जाम, जाम से पांथरकोड़ा और कागजनगर भाग ऐसे ही छोड़ दिया गया। नागपुर में कामठी तक का एक बाईपास जिसमें 5 करोड़ रुपये लैंड एक्विजीशन के लिए लगते हैं, यह मंत्रालय इसलिए देने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम लैंड एक्विजीशन बाईपास के लिए पैसे नहीं देंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा कि जब इतनी बड़ी योजना शुरू की जा रही है, केवल 5000 करोड़ रुपये के लिए इस तरह के अड़गे लगाए जाते हैं और अगर योजना लम्बी दूरी की चलेगी तो वह योग्य नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं और साथ ही आश्वासन चाहता हूं कि जहां–जहां राज्य सरकार की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण आधी योजना पूरी हो गई है, वहां बाईपास के लिए पैसे का आग्रह न करें बल्कि उन राज्य सरकारों की मदद करें क्योंकि राज्य सरकारों के पास धन की कमी होती है। आपको उनकी मदद करनी चाहिए, यह आश्वासन मैं आपसे चाहूगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : माननीय

सदस्य ने जैसा पहले कहा है कि हम राज्य सरकारों से मदद नहीं ले रहे हैं–ऐसा नहीं है। आप महाराष्ट्र सरकार से उनके मुख्य मंत्री से, पीडब्ल्यूडी मंत्री से, महाराष्ट्र स्टेट रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन से बात कर लें कि हमने उनसे बात की है या नहीं, फिर आपका भ्रम दूर हो जाएगा। ....*(व्यवधान)* हम उनको भी काम दे रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट रोड–कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को, जिसने मुम्बई–पूना, मार्ग बनाया है, हमने उनको काम दिया है। वह हमारा काम भी कर रहे हैं। हम उनको काम दे रहे हैं। बाहर के ठेकेदारों को ही हम काम नहीं दे रहे हैं, स्टेट कॉरपोरेशन को भी जहां भी संभव है, हम उनका पूरा उपयोग कर रहे हैं।

आपने लैंड–एक्विजीशन की बात की है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लैंड–एक्विजीशन में दो चीजें आती हैं। आप शायद मिक्स–अप कर रहे हैं कि 54000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, हम उनके लिए लैंड–एक्विजीशन कर रहे हैं। लैंड–एक्विजीशन से वह काम होगा जिसमें एलाइनमेंट बनाया है, नॉर्थ–ईस्ट, साउथ–ईस्ट–वैस्ट कौरीडोर है, जो नागपुर बाईपास की बात है। इसलिए जो पैसा है, जो नेशनल हाईवे है, हम प्रधान मंत्री योजना में करीब 13,200 कि.मी. मार्ग सिर्फ ले रहे हैं और बाकी 45000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और बचें हैं, जो इससे अलग हैं। उसके लिए पैसा अलग है। उसका पैसा 54000 करोड़ रुपये से नहीं जाता है। उसके लिए मुश्किल से हमें 1500 करोड रुपये मिलते हैं। दूसरे मार्ग बहुत है जिनके लिए मुश्किल से हमें चालीस प्रतिशत अपने बजट का मिलता है। इसलिए लैंड–एक्विजीशन दो हिस्से में करना पड़ता है। पहले तो नेशनल हाई–वे में जो बाईपास है...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार : मैंने जिसका जिक्र किया, वह इस गोल्डन प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : अगर आप दो मिनट शांति से बैठेंगे तो मैं आपके नागपुर बाईपास पर ही आ रहा हूं।

श्री विलास मुत्तेमवार : मुझे बाईपास मत करिए।*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष जी, लैंड एक्विजिशन दो तरीके से होता है। 45 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवेज में लैंड एक्विजिशन के लिए हमारे पास धन नहीं है, लेकिन इसको हमने प्राथमिकता नहीं दी है और बाईपास बाद में बनायेंगे। हमने सड़कों की मरम्मत करने को पहली प्रायोरिटी दी है। हमारे पास बाईपास की जमीन के लिए पैसे की कमी है।

जहां तक नागपुर बाईपास का प्रश्न है, वह ईस्ट–वेस्ट कोरिडोर में है। पांच करोड रुपए पहले की नेशनल हाईवेज को दिया जाए, इस पर विचार किया गया। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हू कि हम अभी प्रधानमंत्री योजना को ले रहे हैं और उसी के आधार पर लैंड एक्विजिशन करेंगे।

श्री नरेश पुगलिया : महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिस पर 54 हजार करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। इस साल आपने 10,203 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अभी माननीय सदस्य ने बताया है कि आपके विभाग के पास मशीनरी नहीं है, इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है–इसके लिए आपको राज्य सरकार की मदद लेनी चाहिए। आपने उत्तर में बताया है कि इन्टरनेशनल लैवल के कन्सलटेंट एपांइट किए हैं और उनसे जानकारी ले कर ही काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि आपने जो इन्टरनेशनल कन्सलटैंट एपाइंट किए हैं, उनके द्वारा पांच से छः करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर सड़के बनाकर पैसे की बरबादी हो रही है। यह धन लूटने की योजना है। इनके माध्यम से आप पैसे की बरबादी कर रहे हैं। आपने जो टैंडर कंडीशन रखी है, उस कंडीशन में हिन्दुस्तान के 90–95 प्रतिशत कन्ट्रैक्टर टैंडर ही नहीं भर सकते हैं। मलेशियन या फोरन कम्पनीज अपना धन भी नहीं लगा रही हैं, अपनी मशीनरी नहीं ला रही है और भारतीय कन्ट्रैक्टर्स तथा भारतीय मजदूरों के माध्यम से काम करा रही हैं। नेशनल हाईवेज की महत्वपूर्ण योजना के नाम पर प्रधान मंत्री योजना के नाम पर देश के धन की बरबादी हो रही है। हजारों करोड़ रुपया आप वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं और इन्टर नेशनल कन्सलटैन्ट टैंडर में जो कंडीशन लगाते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नरेश पुगलिया, अब कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री नरेश पुगलिया : महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे अरबों रुपये बरबाद कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे प्रश्न पूछने को कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : इन चीजों पर केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना होगा, इस संसद को ध्यान देना होगा। जहां आप 60 हजार करोड़ रुपए की योजना बनायें, उनको आप सैन्ट्रल पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करायें, तो आधे पैसों में काम हो सकता है, लेकिन आप डबल खर्च कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप संसद की एक कमेटी बैठाकर और देश में एक्सपर्ट लोगों को बुलाकर इसकी जांच

करायें। दूसरी बात–राज्य सरकारों की हालत इन दिनों आर्थिक रूप से बहुत खराब है। आपके पास 20 हजार किलोमीटर का काम पैंडिंग है।...*(व्यवधान)* आपको जानकारी नहीं मिले और धन की बर्बादी होती रहे, तो मुझे सवाल नहीं पूछना है। अगर आप चाहते हैं कि जो धन की बरबादी हो रही है, लूट हो रही है, वह संसद के सामने आयें – उस पर आपको आपत्ति है, यह गलत चीज है।...*(व्यवधान)* महोदय, नेशनल हाइवेज नं. 16, जगदलपुर–गढ़चिरौली–मनचरिया, जो नक्सलाइट से प्रभावित है तथा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्यों से होकर जाती है–उसके बारे में लिखित में शिकायत की गई है और बीआरओ के माध्यम से काम लिया जा रहा है। ऐसी महत्वपूर्ण शिकायतों पर जांच नहीं करेंगे तो धन की बरबादी होगी और इसलिए मंत्री जी से निवेदन है कि वे सदन को गुमराह न करें। जहां–जहां माननीय सदस्यों की शिकायतें आती हैं वहां जांच दल भेजें....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नरेश पुगलिया, आप सीधे प्रश्न क्यों नहीं पूछते?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर अनेक सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : महोदय, रुपए की जिस तरह बर्बादी हो रही है, इसे रोकने के लिए क्या आपके माध्यम से पार्लियामेंट की एक कमेटी जांच करने जा रही है? क्या आप पार्लियामेंट की एक कमेटी अपाइंट करके आप इसकी जांच करने जा रहे हैं, यह मेरा प्रश्न है?...*(व्यवधान)*... इस प्रश्न के लिए आपका आधे घंटे की चर्चा भी करानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह देश के धन की बर्बादी का सवाल है, इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, मैं उनसे प्रश्न पूछने को कह रहा हूं और आप 'प्रश्न काल' में व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि जिस काम की सब लोग पूरी तरह तारीफ कर रहे हैं, सांसद लोग व्यक्तिगत रूप से तारीफ करते हैं और चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में यह काम जल्दी हो, ऐसा कहते हैं, उसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना मेरे ख्याल से देश हित में नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, आपने प्रश्न को बहुत जनरलाइजेशन कर दिया कि सब गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पीडब्ल्यूडी ठीक करती है...*(व्यवधान)* आप पहले मेरी पूरी बात ठीक से सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : एक रुपए की चीज अगर चार रुपए में बने हो तो वह पैसा कहां जा रहा है–हम यही जानना चाहते हैं? ...*(व्यवधान)* हम यहां किसलिए बैठे हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : माननीय सदस्य शायद पूर्वाग्रह से ग्रासित हैं। इन्होंने कहा कि हम गुमराह कर रहे हैं, इसका उत्तर में उन्हीं की भाषा में देता हूं। मैं आपको अभी तथ्य दे रहा हूं, कृपया आप सुन लीजिए। पहले आपने कहा कि हम इंटरनेशनल कसलटेंट्स मंगा रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि यह इंटरनेशनल ओपन टैंडर हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें भारतीय नहीं आ रहे हैं। आपने पहले भी यह बात उठाई थी और हमने आपको आंकड़े दिए थे, मैं दोबारा आंकड़े दे रहा हूं। कई ठेकेदार इसमें इंटरनेशनल हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय नहीं आ रहे हैं। मैं आपको आंकड़े देता हूं – हमारे पास 145 ठेके चल रहे हैं, जिनमें से 94 ठेकेदार पूरे भारतीय हैं, यह कहां इंटरनेशनल हो गए हैं। उनमें 38 ज्वाइंट वेंचर हैं – एक भारतीय और एक विदेशी–और विदेशी सिर्फ 13 ठेकेदार हैं–इस तरह आप कैसे कह सकते हैं कि सब विदेशियों को हमने खोल दिया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुगलिया, मंत्री जी ब्यौरा दे रहे हैं। आप मंत्री जी की पूरी बात सुनिए। उन्हें पहले अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : मंत्री जी सभा को तथ्य नहीं बता रहे हैं..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : ये आंकड़े फेक्ट्स नहीं हैं, तो क्या हैं। मैं जो आंकड़े आपको दे रहा हूं, क्या ये फैक्ट्स नहीं है? क्या यह कहानी है?...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : आप यहां कहानी ही गढ़ रहे हैं। आप ये बताएं कि विदेशियों को कितने करोड का काम दिया गया, कितना प्रतिशत काम देशी ठेकेदारों को दिया गया है।... *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, देश के पैसे की बर्बादी हो रही है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह यदि आप मंत्री जी को इस प्रकार तंग करेंगे तो वे उत्तर कैसे देंगे? यह प्रश्न काल है। श्री पुगलिया ने अनुपूरक प्रश्न पूछा है और मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। आप बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। वह दूसरे प्रश्नकर्त्ता हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा है और मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। आप दोनों लोग बोल रहे हैं। मेरी अनुमति के बगैर आप प्रश्न कैसे कर सकते हैं?

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष जी, यह भावना होना कि इसमें बहुत ज्यादा कीमत पर सड़कें बन रही हैं, पांच छः या दस करोड़ रुपये प्रति कि.मी. की दर से बन रही हैं, यह भावना सही नहीं है। जिस प्रकार से यह काम हो रहा है, जिस स्पेसिफिकेशन से हो रहा है, हमारे जो आज रेट्स आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग कह रहे हैं कि ये कम रेट्स हैं। अगर आप इसकी जांच करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं हैं मुझे तो खुशी होगी। अगर इसमें कोई कमी हो तो बताइये। मैंने आपको बताया था कि कहीं ढाई करोड़ रुपये, कहीं आठ–दस करोड़ रुपये भी लग रहे हैं। अनेक प्रकार की चीजें हैं। वहां अनेक प्रकार के कंस्ट्रक्शन होना है। इसलिए मैं सामान्य तौर पर यह कह सकता हूं कि जो ठेके दिए जाते हैं, उसमें पहले हमारी डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनती है, उसमें हम अपना आकलन करते हैं कि कितनी कीमत होनी चाहिए। उस कीमत के आधार पर अगर गलती हुई तो फिर रिटेन्डरिंग होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बात रहा हूं कि अभी हमने दिल्ली–गुडगांवा रोड का ठेका दिया है। उसमें हमारी इस योजना से सरकार को पैसा मिला है, जब कि इस प्रकार से कभी नहीं होता। इसलिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि देश के धन का कोई दुरूपयोग न होने दें। मैं यह नहीं कहता कि कोई गलती नहीं हो रही है। मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर गलती है तो हमें बताएं। लेकिन यह भावना होना कि सब काम खराब हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, यह मेरे ख्याल से देश हित में नहीं है, इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी को अनुभव है कि ये दो तरह से काम करा रहे हैं–एक स्टेट गवर्नमेंट की सलाह से, और दूसरा वर्ल्ड बैंक की सलाह से। स्टेट गवर्नमेंट में एक–दो जगह की बात मैं नहीं करता, अधिकतर छोटे–छोटे ठेके देने का काम और लोगों को आब्लाइज़ करने काम किया जाता है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट उस धन का उपयोग नहीं कर पाती। आप जो धन उनके पास देते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं आप स्वयं भुक्तभोगी हैं। वहां न लैंड एक्वीनिशन होता है और न ही सडक की ठीक से मरम्मत होती है तथा न ही सड़कों का ठीक से निर्माण होता है। क्या यह सही है कि वर्ल्ड बैंक की सलाह पर आप बाहर के लोगों को बड़े–बड़े ठेके देते हैं। अगर हमारे देश में दूसरी कम्पनियां मौजूद हैं जैसे–इरकॉन, बार्डर रोड्स आर्गनाइजेशन तथा अन्य आर्गनाइजेशंस हैं, उन्हें कितने ठेके दिए गये? क्या ये कम्पनियां सक्षम नहीं हैं कि बडे काम को स्वयं ले सकें।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष जी, इन्होंने जैसे कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट से काम करते हैं, तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का 54 हजार करोड़ का काम है, उसे हम स्टेट गवर्नमेंट की उन्हीं संस्थाओं को दे रहे हैं, जिनके पास अपनी कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशंस है। जैसे महाराष्ट्र है, वहां कुछ काम पीडब्ल्यूडी को दिया जाता है। उन्हें एनएचडीपी का कोई काम नहीं दिया जा रहा है। उन्हें वह काम दिया जा रहा है जो नेशनल हाईवे की रिपेयर वगैरह होती है। मैंने आपको कहा कि 45 हजार किलोमीटर मार्ग जो हमारे पास है, उसका काम पूर्ण रूप से हमें पीडब्ल्यूडी से कराना पड़ता है, क्योकि हमारी अपनी कोई व्यवस्था नहीं हैं। हमने

कुछ स्थानों पर बार्डर रोड्स को काम दिया है। उनका भी उपयोग नेशनल हाईवे मेंटेनेंस में हो रहा है, लेकिन जो नेशनल हाईवे 45 हजार किलोमीटर हैं, उसके लिए हमारे पास कोई दूसरी संस्था नहीं हैं। कहीं पर सीपीडब्ल्यूडी करती है, अधिकतर पीडब्ल्यूडी के द्वारा ही हमें कराना पड़ता है और कहीं पर बार्डर रोड्स को देना पड़ता है। जहां तक बड़ा 54 हजार करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे ऊपर बंदिश नहीं है–न वर्ल्ड बैंक की है, न ही किसी अन्य की है। हम लोग पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठेका देते हैं और उसकी यह प्रक्रिया है कि पहले प्रीक्वालिफिकेशन होती है, जो भी लोग ठेका लेना चाहते हैं उन्हें अपना टैंडर भरना पड़ता है। फिर उनकी जांच–पडताल होती है, अगर वे काबिल हैं तो वे क्वालिफाइड होने के बाद उन्हें टैंडर भरना पड़ता है और जो भी लोएस्ट टैंडर होगा, उसे ठेका दिया जाता है। वर्ल्ड बैंक की अपनी शर्तें हैं कि कितना समय दिया जाना चाहिए, लेकिन किस तरह से ठेका दिया जाए, उनका किसी प्रकार का हमारे ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा और अभी भी कह रहा हूं कि 145 में से 94 पूर्ण रूप से भारतीय ठेकेदार हैं और 38 ज्वाइंट वेंचर हैं, जिनमें एक विदेशी और एक भारतीय है – विदेशी सिर्फ 13 हैं, क्योंकि उन्होंने लोएस्ट टैंडर दिया था, इसलिए उन्हें ठेका मिला है।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : महोदय, इस योजना के बारे में जो यहां चर्चा चल रही हैं, यह अधूरी है। ईस्ट इंडिया कम्पनी की सोच की तरह है कि कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से मद्रास और मद्रास से कलकत्ता जोड़ दो। लेकिन सारे देश को, उत्तर से दक्षिण, दिल्ली से मध्य प्रदेश, नागपुर और हैदराबाद बंगलौर होते हुए मद्रास, कलकत्ता से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नागपुर होते हुए, महाराष्ट्र होकर मुंबई से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए आप कब तक कदम उठाने वाले हैं, इस योजना को आप कब पूरा करने वाले हैं?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष जी यहां जो चर्चा हो रही है, वह एनएचडीपी प्रोजेक्ट, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 अक्तूबर, 1998 को स्वीकृत हो गया था, उसके बारे में हो रही है। उसका एक हिस्सा चतुर्भुज है–दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। उसके फेस – दो का जो काम है वह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हैं, जिसमें एक स्पर है–सेलम, कोची और पूर्व में सिल्वर, पश्चिम में पोरबंदर। कुल सात हजार तीन सौ किलोमीटर का काम फैस–2 में है। जिसकी समय सीमा 2007 है। इसलिए अभी हम फेज–वन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो कोरीडोर नोर्थ–साउथ–ईस्ट–वैस्ट बनेंगे, यह भी अगले साल या इस साल के अंत तक शुरु हो जायेंगे। जहां तक आपने दूसरी सड़कों का जिक्र किया है, अभी उनकी योजना नहीं है। भविष्य में योजना बनेगी तो नार्थ–साउथ का रोड मध्य प्रदेश के बीच में से होकर जाएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, ने अपने उत्तर में कहा है कि वह 2004 के बजाए 2003 में ही इस काम को पूरा करना चाहते हैं। हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। कि वह काम को जल्दी से पूरा कराने के लिए तत्पर है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि जमीन की व्यवस्था करने में कभी 12 महीने और कभी 18 महीने लग जाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि 2001–2002 तथा 2002–2003 में इनका लक्ष्य क्या है, और उस निर्धारित लक्ष्य को क्या इन्होंने पूरा किया है? साथ ही जैसा इन्होंने कहा है कि इस काम में 13 विदेशी कम्पनियां हैं, हम जानना चाहते हैं कि उन 13 विदेशी कंपनियों के काम की रकम कितनी है तथा जो देशी कंपनियां हैं उनकी रकम कितनी है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : इनके प्रश्न का पहला भाग है 2002–2003 में काम को कैसे पूरा करेंगे और जो लक्ष्य हमने 2004 से 2003 में पूरा करने की कोशिश की उसे कैसे करेंगे। जैसा मैंने बताया कि स्वर्णिम चतुर्भज – जिसका लक्ष्य हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं–उसमें सिर्फ इलाहाबाद बाई–पास को छोड़कर जो 84 किलोमीटर का भाग है, बाकी के काम के ठेके दे दिये गये हैं। इसलिए जो व्यवस्था भूमि और दूसरे कामों की है वह भी साथ साथ पूरी होगी। हम आशा करते हैं कि 2003 के अंत तक पूरा कर पायेगे। जहां तक 2003 के लक्ष्य का प्रश्न है, हम उसे इंडिविज्यूएली नहीं बता सकते हैं। जहां तक ईअर–वाइज डीटेल्स का सवाल है, वह सूचना हम आपको बाद में भेज देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, कृपया ये सभी ब्यौरे माननीय सदस्य के पास भेज दीजिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मैं ब्यौरे माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, सामान्यतः राष्ट्रीय

राजमार्गों के रखरखाव पर बहुत अधिक धनराशि व्यय की जाएगी, कुछ धनराशि चल रही परियोजनाओं पर व्यय की जाएगी, और समय समय पर नई परियोजनाएं भी अधिसूचित की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के रुप में नई सड़कों पर कार्य शुरू करने की अधिसूचना अक्तूबर 2000 या उसके आसपास जारी की गई थी। इसके बाद जिन राज्यों के साथ अन्याय किया गया है उनके बीच संतुलन बनाने की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई स्वर्गीय बालयोगी जो कि लोकसभा के अध्यक्ष थे, ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 की शुरूवात की थी और जिसे कभी पुड़ी से पमारू तक केवल 243 कि.मी. ही पूरा किया जा सका है। इसे पमारू से अंगोल तक बरास्ता पुलीगड्डा, रिपाल्ली, बपातला, और चेरला बढ़ाए जाने की मांग है। प्रत्येक बार हमें यही उत्तर मिलता रहा है कि यह कार्य दसवीं पंचवर्षीय योजना में किया जाएगा। इस समय दसवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 214 को पमारू से अंगोल तक बढ़ाए जाने संबंधी अधिसूचना जारी करने का अविलम्ब आश्वासन दिया जाए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं पूर्व के प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देना चाहूंगा जिसका उत्तर मैंने नहीं दिया है। माननीय सदस्य विभिन्न ठेकों की कीमत जानना चाहते थे। कुल 145 ठेके दिए गए, कुल कीमत 21,165 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

भारतीय कंपनियों को 11 हजार 357 करोड़ रुपए के, ज्वाइंट वैंचर में जो भारतीय और विदेशी कंपनियां हैं उनको 7 हजार 130 करोड के, और जो पूरी तरह विदेशी कम्पानियां हैं उनकी 2 हजार 678 करोड रुपये के ठेके दिये हैं। दूसरा सवाल आपने नेशनल हाईवे का पूछा है जो सीधा–सीधा इससे संबंधित नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों, स्टेट–हाई–वेज को आबंटित करने के लिए, अभी उस पर प्रतिबंध है। दसवीं योजना फाइनल होने के बाद धन की उपलब्धता होने के बाद उस पर पुनर्विचार किया जाएगा और तभी उस पर निर्णय होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अस्पतालों में चिकित्सा सुविधायें

***443. श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान यह पता चला है कि अस्पतालों में उपलब्ध विभिन्न चिकित्सा सुविधायें केवल कागजों पर ही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में अत्यधिक भीड़भाड़ से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यकुशलता प्रभावित हुई है बल्कि इससे अनुसंधान गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में अत्यधिक भीड़भाड़ कम करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अस्पताल लोगों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के लिए चिकित्सा सुविधाओं से अच्छी तरह सुसज्जित हैं। ये अस्पताल सभी बुनियादी विशेषज्ञताओं और प्रमुख सुपर–स्पेशियलिटीज में उपचार प्रदान करते हैं।

सफदरजंग अस्पताल न केवल दिल्ली के, बल्कि पडौसी तथा दूरस्थ राज्यों के भी 2 मिलियन से अधिक रोगियों को वाह्य रोगी सेवाएं प्रदान कर रहा है। अस्पताल में 1531 (बेसिनेट सहित) पलंग है। इसके अतिरिक्त मुख्य दुर्घटना परिसर एक ही छत के नीचे चलता है। जिसमें मेडिकल (वार्ड–ए) के लिए 20 आब्जरवेशन बेड और सर्जिकल (वार्ड–बी) रोगियों के लिए 20 पलंग हैं। यहां पर तांत्रिका विज्ञान, मूत्ररोग विज्ञान, सीटीवीएस, वृक्क रोग विज्ञान, श्रवसनी चिकित्सा, वर्न एवं प्लास्टिक, बाल शल्य चिकित्सा, जठरांत्र रोग विज्ञान, हृदय रोग, अर्थोस्कोपी और स्पोर्टस इंजुरी क्लिनिक, मधुमेह क्लिनिक, थायराइड क्लिनिक आदि जैसे बहुत सी स्पेशियलिटीज, सुपर–स्पेशियलिटीज तथा विशेष क्लिनिक चलाए जाते हैं। यहां पर होल बाडी सी टी स्केनर और कार्डिएक केथ लेब है। इस अस्पताल में एक होमियोपैथिक वाह्य रोगी विभाग और एक आयुर्वेदिक वाह्य रोगी विभाग भी चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2000–2001 में अस्पताल में 21,51,903 रोगियों को सेवाएं प्रदान की जिसमें आपाती रोगी भी शामिल हैं तथा 97428 रोगियों को दाखिला दिया। यहां पर 10227 सीटी स्कैन, 15444 अल्ट्रासाउंड; 237984 एक्सरे और 2855973 प्रयोगशाला परीक्षण किए गए। अस्पताल ने इस वर्ष 19820 बड़े और 46714 छोटे आपरेशन किए।

डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल (पूर्वानाम विलिंगडन अस्पताल और आरम्भ में यहां पर केवल 54 पलंग थे) में इस समय 984 पलंग हैं और यह दिल्ली तथा पडौसी राज्यों को सेवाएं प्रदान करता है। यहां पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों के लिए नर्सिंग होम की सुविधा है। यह अस्पताल तंत्रिका शल्य चिकित्सा, हृदय रोग, कार्डियो थोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, जठरांत्र रोग विज्ञान, बाल शल्य चिकित्सा, वृक्क रोग, तंत्रिका विज्ञान और मूत्ररोग विज्ञान जैसे 25 स्पेशियलिटीज और कुछ सुपर स्पेशियलिटीज में सेवाएं प्रदान करता है। यहां पर होल वाडी सी टी स्केनर, कार्डिएक कैथ लेब, नान–इनवेसिव कार्डिएक लेब, हाइपरवरिक आक्सीजन चेम्बर के अतिरिक्त अन्य इनवेसिव और नान – इनवेसिव जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल में एक एम आर आई मशीन को स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग द्वारा यहां पर एक यूनानी औषधालय भी चलाया जाता है। वर्ष 2000–2001 के दौरान अस्पताल द्वारा 1306961 रोगियों को सेवाएं प्रदान की गई जिनमें आपाती रोगी भी शामिल हैं और 45807 रोगियों को दाखिला दिया गया। यहां पर 5130 सीटी स्कैन, 16545 अल्ट्रासाउंड, 168513 एक्सरे और 2790767 प्रयोगशाला परीक्षण किए गए। अस्पताल में 8788 बडे और 49523 छोटे आपरेशन भी इस अवधि में किए गए।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल 877 पलंग हैं। यह शिक्षण के साथ–साथ गहन चिकित्सासेवाए भी प्रदान करता है। कलावती सरन वाल चिकित्सालय में 360 पलंग हैं जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज से सम्बद्ध है। यह अस्पताल बच्चों के लिए रेफरल अस्पताल के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2001 के दौरान लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों मे 866735 रोगियो को वाह्य रोगी विभाग में सेवाएं प्रदान की गई और 57591 रोगियो को दाखिला दिया गया। यहां पर 1964 सी टी स्कैन, 20687 अल्ट्रासाउंड, 1,15,956 एक्सरे और 1135801 प्रयोगशाला परीक्षण किए गए। अस्पताल में 9585 बडे. और 10396 छोटे आपरेशन किए गए।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा आधुनिक चिकित्सा के साथ व्यापक प्रशिक्षण सुविधा वाले उत्कृष्ठ केन्द्र के रूप में की गई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल की कुल पलंग संख्या (सभी केन्द्रों सहित) 1626 है। संस्थान के अपनी सभी शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के पैटर्न को विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। जिससे कि भारत में सभी मेडिकल कालेजों और अन्य सहायक संस्थाओं में चिकित्सा शिक्षा का उच्च स्तर प्रदर्शित हो सके. स्वास्थ्य क्रियाकलापों की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों को उच्चतम स्तर के प्रशिक्षण की शैक्षिक सुविधाएं एक स्थान पर मिल सकें और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके। वर्ष 2000–2001 के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल और इसके विशेषज्ञता वाले केन्द्रों के विभिन्न वाह्या रोगी विभागों में 1902090 रोगी आए और 95627 रोगी भर्ती हुए। कुल 110388 शल्य प्रक्रियाए की गई जिनमें ब्रेन टयूमर सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रासप्लाट, किडनी ट्रांसप्लाट और कैंसर सर्जरी जैसी प्रक्रियाए शामिल है।

(ग) रोगियों की भीड़–भाड़ के बावजूद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थान देश में क्लिनिकल और जैव चिकित्सीय अनुसंधान में शीर्षस्थ स्थान पर है। अनुसंधान कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए विशिष्ट उपायों में निम्नलिखित शामिल है–

(i) अनुसंधान में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण

(ii) अनुसंधान पर योजना परिव्यय में वृद्धि

(iii) योजना/अनुसंधान प्रकोष्ठ में सुधार

अनुसंधान/स्कीम प्रकोष्ठ के कार्यकरण की पहले ही समीक्षा की गई है और उसमे नई सहस्त्राब्दि की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशोधन किया जा रहा है।

(iv) 10 वीं योजना अवधि के दौरान मोलेकुलर मेडिसिन के लिए उन्नत केन्द्र का सृजन।

मोलेकुलर डायग्नोस्टिक्स एंड थिरेप्यूटिक्स सेल एंड टिशु इजीनियरिंग, प्रोजिओनिक्स एंड जिनोमिक्स, ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलोजी, मोलेकुलर एपिडेमोलोजी, नई औषध खोज तथा जैव सूचना विज्ञान के विकास के लिए मोलेकुलर मेडिसिन का एक उन्नत केन्द्र बनाने की योजना है। इस केन्द्र से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अनुसंधान कार्य में वास्तविक रूप से तेजी आने की आशा है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करती है। इसके प्रमुख अनुसंधान कार्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं के क्षेत्र में है। इस समय 315 से अधिक अनुसधान परियोजनाएं चल रही हैं।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ में 9वी पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान कार्यकलापों में तेजी लाने के लिए अनेक उपाय किए गए जिनमें निम्नलिखित शामिल है:–

(i) विभिन्न विभागों में उन्नयन

(ii) दो नए केन्द्र नामतः उन्नत हदय रोग केन्द्र, उन्नत नेत्र केन्द्र, उन्नत अभिघात केन्द्र, अस्थि–मज्जा प्रतिरोपण केन्द्र का विकास और उन्नत बाल चिकित्सा केन्द्र का दूसरा चरण।

स्नातकोत्तर संस्थान अनुसंधान कार्य करने का पूरा–पूरा प्रयास कर रहा है। यह संस्थान का बुनियादी उद्देश्य है और प्रति वर्ष संस्थान द्वारा 400 से अधिक अनुसंधान पेपर प्रकाशित किए जाते हैं। संस्थान के पास संकाय सदस्यों को सस्थान की अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए अपनी अलग निधि है। संस्थान अपनी अनुसंधान परियोजनाओं को राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय अभिकरणों से अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि से वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए संकाय सदस्यों को भी प्रोत्साहित और प्रेरित करता है।

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी भी संस्थान में अनुसंधान कार्यकलापों में तेजी लाने के लिए ऐसी ही पहलें कर रहा हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों और दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में भीड़–भाड़ कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं–

(i) प्रतीक्षा समय में कमी लाने के लिए भीड–भाड़ के समय पंजीकरण के और पटल खोले जाते हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में पंजीकरण पटलों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 और सफदरजंग अस्पताल में 6 और 14 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्ड्रिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल में दोपहरबाद 14 से 18 विशेष क्लिनिक चलाए जाते हैं।

(ii) रोगियों की भीड़ को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान डा. आर. पी.सेंटर, सी. टी. सेंटर, न्यूरो साइंसेज सेंटर जैसी विशिष्टताओं में अपनी अस्पताली सेवाओं का विस्तार कर रहा है। वर्तमान वाह्य रोगी विभाग के पास ही जांच–वाह्य रोगी–विभाग बनाने का भी प्रस्ताव है।

(iii) रोगियों की भारी भीड को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली की सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 1997–2002 के दौरान 15 अस्पतालों/अभिघात केन्द्रों (9 परिधीय अस्पताल, 4 वर्तमान अस्पताल और 2 अभिघात केन्द्र) का निर्माण /आरंभ /उन्नयन किया है। सात नए अस्पताल और लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल परिसर में डेंटल कालेज निर्माणाधीन है। आठ अस्पतालों का विस्तार किया जा रहा है और तीन कालोनी अस्पतालों का उन्नयन किया जा रहा है। पांच अस्पतालों के लिए भूमि खरीदी गई है और ये नियोजन/एस एफ सी स्टेज में है। इन अस्पतालों का निर्माण 2002–2003 के दौरान होना है।

(iv) सफदरजंग अस्पताल में विभिन्न विभागो का कम्प्यूटरीकरण शुरू कर दिया गया है। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रशासन और चिकित्सा भंडारों के लिए कम्प्यूटरीकरण शुरू कर दिया गया है। डा. राममनोहर लोहिया, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल में सभी सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण के एक प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगी परिचर्या प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण का कार्य चल रहा है और रोगी परिचर्या प्रणाली को 2 वर्षों के भीतर पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कर दिया जाएगा।

(v) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जांच

बहिरंग रोगी विभाग के लिए नया मास्टर लेआउट प्लान तैयार किया गया है और उसे अनुमोदनार्थ संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दिया गया है। आशा है कि निर्माण कार्य सितम्बर, 2002 तक शुरू हो जाएगा।

(vi) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के बहिरंग रोगी विभाग में वरिष्ठ नागरिक रोगियों को उपचार में प्राथमिकता देने के लिए पहले से ही पृथक पंक्ति की व्यवस्था मौजूद है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये दूरसंचार योजनायें

*444. **श्री पी. आर. खूंटे** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के दूरदराज के क्षेत्रों/गांवों में दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति लाने हेतु कोई विशेष योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) नई दूरसंचार नीति – 1999 के तहत, सरकार वर्ष 2002 के अंत तक सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विशेष बल दिया गया है। ताकि वर्ष 2010 तक टेलीघनत्व में 4% की वृद्धि हो सके। इसके अलावा, सभी ब्लॉक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबे खोलने का भी कार्यक्रम है। इन स्कीमों पर तेजी से अमल किया जा रहा है तथा गांवों, दूर–दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों आदि में टेलीफोन की सुविधा प्रदान करवाने के लिए लैण्ड लाइनों के अलावा वायरलैस–इन–लोकल–लूप (डब्ल्यूएलएल) तथा सैटेलाइट फोन जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है। 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार 468862 गांवों में टेलीफोन की व्यवस्था की जा चुकी है और 3097 ब्लॉक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबे खोले गए हैं।

[हिन्दी]

प्रसव के दौरान मृत्यु

*445. **श्री नागमणि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूनाइटेड नेशन्स पापूलेशन फंड) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष प्रति हजार गर्भवती महिलाओं में से 4 महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या पर काबू पाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि ने अपनी प्रकाशित रिपोर्ट "दी स्टेट आफ वर्ल्ड पापूलेशन–2001" में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 4.4 महिलाएं गर्भावस्था, प्रसव से संबंधित स्थितियों और संबंधित जटिलताओं से मर जाती हैं। यह तथ्य भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति द्वारा प्रकाशित मातृ मृत्यु अनुपात के बारे में अनुमानों के अनरुप है। 1998 के इन अनुमानों के अनुसार भारत का मातृ अनुपात 100,000 जीवित जन्मों पर 407 थी।

मातृ मौतों के मुख्य कारण हैं :–

1. प्रत्यक्ष कारण : रक्तस्त्राव, संक्रमण, अवरूद्ध प्रसव, असुरक्षित गर्भपात, गर्भावस्था की विषाक्तता इत्यादि।

2. अप्रत्यख कारण रक्ताल्पता, विषाणुज यकृतशोध, क्षयरोग और मलेरिया।

3. सामाजिक–आर्थिक कारण छोटी आयु में विवाह, किशोर गर्भावस्था, महिलाओं की निम्न स्थिति, महिला शिक्षा का निम्न स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव, लिंग पक्षपात और आर्थिक निर्भरता।

मातृ स्वास्थ्य परिचर्या परिवार कल्याण का एक अभिन्न अंग है। 1977–78 से परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती माताओं के लिए राष्ट्रीय पोषणिक रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम और टेटनस रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम जैसे कतिपय शीर्ष कार्यकलाप चल रहे हैं। 1992 में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न शीर्ष कार्यकलापों को समेकित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रव्यापी बाल जीवन–रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रजनन एवं बाल

स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे 1997 में 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया, कतिपय नए कार्यक्रमों सहित बाल जीवन–रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यकलापों के सुदृढ़ीकरण करने के साथ जारी हैं। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रमुख कार्यकलापों का उद्देश्य शिशु तथा बाल मृत्यु दर को कम करना है:–

1. अनिवार्य प्रासविक परिचर्या की व्यवस्था।
2. आपाती प्रसव परिचर्या की व्यवस्था।
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रजनन एवं बाल शिविरों का आयोजन करके पिछड़े जिलों में सेवाओं की व्यवस्था।
4. पिछड़े जिलों के लिए अतिरिक्त सहायक नर्सधात्रियों की संविदीय नियुक्तियां।
5. निश्चेतकों (एनिस्थेटिस्टों) सुरक्षित मातृत्व परामर्श–दाताओं और प्रयोगशालाओं तकनीशियनों, जन स्वास्थ्य नर्सों इत्यादि जैसे तकनीकी स्टाफ की सांविदीय अथवा अंशकालिक नियुक्ति की व्यवस्था।
6. उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रथम रेफरल एककों में मातृ एवं बाल्यावस्था की रक्ताल्पता के लिए लौह व फॉलिक अम्ल की गालियों सहित मातृ स्वास्थ्य के लिए औषधों और उपकरणों की व्यवस्था।
7. चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे प्रसव सेवाओं की एक योजना।
8. गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल परिवहन।
9. सुरक्षित गर्भपातों के लिए गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के लिए सुविधाएं और प्रशिक्षण।
10. जनन–मार्गीय संक्रमणों, यौन संचारित संक्रमणों का निवारण, उपचार और नियंत्रण।
11. जन प्रचार साधनों के साथ–साथ निचले स्तर पर विकेन्द्रीकृत स्थानीय विशिष्ट कार्यकलापों के माध्यम से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के लिए सूचना, शिक्षा व संचार कार्यक्रमों को तेज करना।
12. जहां सरकारी सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं, जागरुकता उत्पन्न करने और सेवा प्रदानगी में गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करना।
13. चिकित्सीय/अर्धचिकित्सीय तथा अन्य सेवा प्रदायकों का प्रशिक्षण।
14. दाईयों का प्रशिक्षण।

मातृ मृत्यु दरों को काफी कम करने तथा सामान्यतः मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने की आवश्यकता पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति–2000 में जोरदार ढंग से जोर दिया गया है। यह नीति मूलभूत स्तर पर समग्र अन्तर क्षेत्रीय समन्वय लाने और इसके साथ–साथ मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर नीचे लाने में गैर–सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी, पंचायती राज संस्थानों और महिला दलों को शामिल करने के लिए एक समग्रतावादी कार्यनीति की संस्तुति करती है।

बुनियादी टेलीफोन सेवाओं और सेल्यूलर सेवाओं की वृद्धि दर

***446. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश में बुनियादी टेलीफोन सेवाओं और सेल्यूलर सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999, 2000 और 2001 में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपरोक्त दोनों क्षेत्रों में क्रमशः कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई;

(ग) देश में फरवरी, 2002 के अंत तक दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत कितने कनेक्शन चालू थे; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के अंतर्गत कुल कितने कनेक्शन हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान उपरोक्त दोनों क्षेत्रों द्वारा दर्ज की गई वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार है:–

बुनियादी फोन		
क्रम सं.	वर्ष	वृद्धि दर
1.	1998–1999	21.40%
2.	1999–2000	23.32%
3.	2000–2001	22.73%

सेल्यूलर फोन		
क्रम सं.	वर्ष	वृद्धि दर
1	1998–1999	35.96%
2	1999–2000	57.08%
3	2000–2001	89.84%

(ग) फरवरी, 2002 के अंत में देश के दोनों क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है:–

बुनियादी टेलीफोन सेवाएं	सेल्यूलर सेवाएं
3,67,22,385	60,48,225

(घ) फरवरी, 2002 के अंत में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के अंतर्गत कनेक्शनों की कुल संख्या 82,19,544 है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक दूरसंचार और सूचना केन्द्र

***447. श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन और सार्वजनिक दूरसंचार और सूचना केन्द्र की संचालनात्मक कार्यकुशलता में क्या अंतर है;

(ख) क्या निजी दूरसंचार कंपनियां जहां कहीं भी संभव हो वहां ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की बजाय सार्वजनिक दूरसंचार और सूचना केन्द्रों की स्थापना सीधे ही कर सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तकनीकी रूप से संभव हो, सार्वजनिक दूरसंचार और सूचना केन्द्रों की स्थापना की अनुमति न देने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे अधिकांश ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) अभिगम्यता नेटवर्क संबंधी सीमाओं के कारण सार्वजनिक टेलीफोन और सूचना केन्द्र के संबंध में अपेक्षित उच्च आंकड़ा पारेषण दर प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। सार्वजनिक टेलीफोन और सूचना केन्द्र को स्थलीय लाइनों पर 28.8 केबीपीएस और डब्ल्यू एल एल प्रणालियों के लिए 9.6 केबीपीएस पर आंकड़ा गति प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

(ख) और (ग) किसी लाइसेंसशुदा निजी दूरसंचार आपरेटर पर वीपीटी के बदले जहां–कहीं व्यवहार्य हो, सार्वजनिक टेलीफोन और सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने वर्ष 2004 तक सार्वजनिक और सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए लगभग 35000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का उन्नयन करने का सुझाव दिया है।

(घ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सड़क विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता

***448. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**

श्री दिन्शा पटेल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निजी निवेशकों के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 'निर्माण, संचालन और हस्तांतरण' परियोजनाओं में निजी पूंजी निवेश पर उदार और अधिक लाभ का आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निजी संचालकों को कितनी न्यूनतम लाभ दर का आश्वासन दिया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी हां।

(ख) निजी निवेशकों के लिए शर्तें सलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। तथापि, प्रतियोगी आधार पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं और निविदादाता संभावित जोखिम/लाभ के अपने आकलन के आधार पर परियोजनाओं के लिए मूल्य उद्धत करते हैं।

विवरण

निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए शर्तें

(i) निजी क्षेत्र को पथकर आधारित बी ओ टी परियोजनाओं में पथकर राशि रखने की अनुमति दी जाती है।

(ii) 10 वर्ष की अवधि के लिए 100 प्रतिशत कर छूट दी जाती है। यह 20 वर्ष में प्राप्त की जा सकती है।

(iii) 30 वर्ष तक रियायत अवधि की अनुमति है।

(iv) राजमार्ग निर्माण के लिए अभिनिर्धारित उच्च क्षमता के उपस्करों का निशुल्क आयात।

(v) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कुल इक्विटी के 30 प्रतिशत तक बी ओ टी परियोजनाओं की इक्विटी में भागीदारी की अनुमति दी गई है।

(vi) सरकार मुफ्त और सभी ऋण भार से मुक्त भूमि प्रदान करेगी।

(vii) मामला दर मामला आधार पर अर्थक्षमता बढाने के लिए परियोजना लागत के 40 प्रतिशत तक पूंजी अनुदान की अनुमति दी जाती है।

(viii) अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार विधि आयोग के प्रावधानो पर आधारित माध्यस्थम।

(ix) आवास और भू सपदा विकास जो राजमार्ग परियोजनाओं का अभिन्न भाग है, को मूलभूत संरचना माना जाएगा और इस पर वही कर लाभ प्राप्त होंगे।

(x) निर्माण, प्रचालन हस्तांतरण आधार पर परियोजनाएं शुरु किए जाने के लिए दो आदर्श रियासत करारों को अंतिम रूप दिया गया है। इनमें से एक 100 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली परियोजनाओं और दूसरा 100 करोड़ रु. तक लागत वाली परियोजनाओं के लिए है। रियायत अवधि, ग्राहक एवं रियायतग्राही की बाध्यताएं, अपरिहार्य घटना, निलंबन व समापन, वित्तीय समापन, अनुदान, राजस्व गिरावट ऋण, परियोजना क्षेत्र, प्रचालन अनुरक्षण और सुरक्षा आवश्यकताएं, मानक और विनिर्देश तथा प्रभारित किया जाने वाला शुल्क आदि निविदा शर्तों की मुख्य विशेषताएं हैं।

[हिन्दी]

गांवों में टेलीफोन सुविधा

***449. प्रो. दुखा भगत** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस समय देश में कितने गांवा में टेलीफोन सुविधा नहीं है;

(ख) क्या भारतीय दूरसचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी निजी दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे दूरदराज के गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अपने शुद्ध लाभ का 5% जमा करायें,

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई समय–सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी कंपनियों ने यह धनराशि जमा कराई है?;

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार 138629 गांवों में टेलीफोन सुविधा नहीं है।

(ख) और (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(टीआरएआई) की सिफारिश पर सरकार ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 5% की दर से वैश्विक सेवा सहायता लेवी संविभाजित करने का निर्णय लिया है। यह लेवी उस कुल लाइसेंस शुल्क का एक भाग है जिसका भुगतान बुनियादी, सेल्यूलर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी, पेजिंग, अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–।। (आईपी–।।), अति लघु अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) जैसे विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाएगा।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान, 24 निजी कम्पनियों से लगभग 41.73 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं।

[अनुवाद]

व्यवसायोन्मुखी शिक्षा प्रणाली

***450. श्री के. पी. सिंह देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान शिक्षा प्रणाली को व्यवसायोन्मुखी बनाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी, नहीं। 1992 में यथा संशोधित और राष्ट्रीय सर्वसम्मति से विकसित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 ने एक ऐसा व्यापाक ढांचा निर्धारित किया है जो अपनी संपूर्णता में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करता है। इसकी संगतता जारी है और समय की कसौटी पर यह खरी उतरी है। इस नीति में शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था, सामाजिक वातावरण, उत्पादन और प्रबंधन प्रक्रियाओं में परिवर्तन, ज्ञान के तेजी से विस्तार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति के संदर्भ में तकनीकी प्रबंधन शिक्षा प्रणाली के पुनःसंगठन की आवश्यकता पर विचार किया गया है। राज्य सरकारों और अन्य पणधारियों के परामर्श से समय–समय पर सतत् प्रयास किये जाते रहे हैं और नीति के कार्यान्वयनात्मक पहलुओं में उपयुक्त बदलाव किये गये हैं। इसमें शामिल हैं : बढ़ी हुई पहुँच एवं औचित्य के लिए कार्यनीतियां, गुणवत्ता, संगतता और शिक्षा के सभी स्तरों पर विषयवस्तु तथा प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण, शिक्षा के व्यवसायीकरण पर नवीन बल, सामुदायिक पोलिटेक्नीकों की स्कीम के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्रक विकास, दूरीपद्धति के माध्यम से अलाभावित्तो और कम लाभान्वित वर्गों और क्षेत्रों तक पहुँच, शिक्षा के सभी स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) को शामिल करना, सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तकनीशियन शिक्षा परियोजना और कनाडा इण्डिया इंस्टीटयूट इण्डस्ट्री लिंकेज प्रोजेक्ट; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंतर्गत अखिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बोर्ड का गठन आदि।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

***451. श्री सुन्दर लाल तिवारी :**

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुष्ठ रोग के पूर्ण उन्मूलन हेतु घर–घर जाकर कुष्ठ रोगियों का पता लगाने का है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यों को कोई दिशा--निर्देश जारी किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक से सहायता प्राप्त दूसरी चरण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। जो 31 मार्च, 2004 को समाप्त हो जाएगी। इस परियोजना अवधि के अन्त तक व्याप्तता दर को प्रति 10,000 लोगों पर एक से कम रोगी तक कम करके राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस कार्यनीति में

उन्मूलन अभियान चलाना प्रभावकारी सूचना, शिक्षा व संचार अभियान चलाना, राज्यों/संघ क्षेत्रों के उत्तर दायित्वों का विकेन्द्रीकरण करना और कुष्ठ को सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या के साथ मिलाना शामिल है। पिछले वर्ष के दौरान एक कुष्ठ उन्मूलन अभियान चलाया गया है और इस वर्ष में एक और अभियान चलाया जाएगा। इसमें सक्रिय लक्षणों वाले रोगी का पता लगाना अर्थात उच्च स्थानिकमारी वाले राज्यों में घर घर जाकर खोजना और शेष राज्यों/संघ क्षेत्रों में निष्क्रिय (पैसिव) लक्षणों वाले रोगियों का पता लगाना शामिल है। उन्मूलन अभियान के दौरान देश में छिपे हुए रोगियों का पता लगाने के लिए समुदाय को शामिल करते हुए गहन जागरुकता अभियान चलाने के लिए दिशानिर्देश पहले ही सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को भेज दिए गए हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्यकरण

***452. श्री अधीर चौधरी :**

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बडी संख्या में डाक्टरों के महानगरों में चले आने से ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई है और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे में प्रशिक्षित स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानकर्ताओं की उपलब्धता में अन्तरों और कमियों की जानकारी है। प्रायः चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ/प्रशिक्षित स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानकर्ता दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के अनिच्छुक होते हैं। स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में स्वास्थ्य कार्मिकों की भर्ती और तैनातियां करना संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय समय–समय पर राज्य सरकारों को यह सलाह देता रहा है कि वे यह देखें कि रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाता है।

(ग) सरकार देश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए उपाय कर रही है:–

(i) राज्य स्वास्थ्य पद्धति परियोजनाओं के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों का उन्नयन किया जा रहा है और उन्हें उपकरणों से बेहतर ढंग से सज्जित किया जा रहा है। ताकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने में परिचर्या की गुणवत्ता पर जोर दिया जाए।

(ii) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना विशेषरूप से जन स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे की मरम्मत और नवीकरण, औषधें और आवश्यक उपभोज्य खरीदने तथा आकस्मिकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए बाह्य अभिकरणों की वित्तीय सहायता से क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही है। क्षेत्रीय परियोजनाओं के एक मुख्य कार्यकलाप में उप–केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण करना भी शामिल है।

(iv) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए जा रहे हैं:–

* आपरेशन थियेटर/प्रसव कक्ष की मरम्मत/निर्माण के लिए प्रमुख सिविल कार्य मंजूर किए जाते हैं।

* चुनिंदा प्रथम रेफरल यूनिटों में आपाती प्रसूति परिचर्या के लिए उपकरणों/औषधों की व्यवस्था।

* संज्ञाहरण विज्ञानियों/स्त्रीरोग विज्ञानियों/ सुरक्षित मातृत्व परामर्शदाताओं/स्टाफ नर्सों/प्रयोगशाला तकनीशियनों/अतिरिक्त सहायक नर्स धात्रियों (ए एन एम) आदि की संविदात्मक आधार पर नियुक्तियां करने/उनकी सेवाएं किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता।

* डाक्टरों, ए एन एम और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए कौशल आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण।

परिवार कल्याण मेलों और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविरों आदि के जरिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की आऊटरीच में वृद्धि करने के प्रयास भी किए जाते हैं।

(v) नियंत्रणीय सीमा तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में पिछड़े रहे राज्यों पर विशेष बल देकर क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने के कार्य को सुकर बनाने हेतु एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह का गठन किया गया है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समूह में स्वैच्छिक संघ, सामुदायिक संगठन और पंचायती राज संस्थाएं शामिल हैं। इसमें एक ऐसे तरीके से गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन की गुंजाइश का विस्तार करने की संभावना का पता भी लगाया जाएगा जो जागरूकता स्तर में वृद्धि करते हुए उनकी पहुंच को आसान बनाती हो।

मानव विकास संबंधी रिपोर्ट

***453. श्री ए. वेंकटेश नायक :**

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर मानव विकास संबंधी रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम रिपोर्ट से किस सीमा तक भिन्न है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी हाँ। योजना आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत के लिए "राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट–2001" तैयार की है। रिपोर्ट का माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2002 को विमोचन किया गया। रिपोर्ट की प्रतियां पहले ही संसद भवन पुस्तकालय में रख दी गई हैं और इसे यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, सूचकों की श्रेणी परिवर्तन के संदर्भ में, मानव विकास की स्थिति एवं जीवन की गुणवत्ता, जो कि वर्ष 1980 से 2001 तक की अवधि के दौरान भिन्न–भिन्न समय में राज्यों में रही है, का चित्रण करती है। सूचकों के चुनाव का निर्धारण समृद्धि के तीन महत्वपूर्ण आयामों के संबंध में विकास की स्थिति को दर्शाने की आवश्यकता से शासित होता है, नामतः दीर्घायु अर्थात् दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता; शिक्षा अर्थात् पढ़ने लिखने और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता; संसाधनों पर नियंत्रण अर्थात उत्कृष्ट जीवनस्तर बिताने और, उन सूचकों का प्रयोग करके जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक हों सामाजिक तौर पर एक सार्थक जीवन बिताने की क्षमता। विकास की स्थिति का विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण दो रूपों में किया गया है। प्रथम मामले में, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और चुनी हुई सुविधाओं तक पहुंच वाले आठ विभिन्न सूचकों के वांछित नियामक स्तरों की तुलना में विकास और अंतराल को प्रस्तुत किया गया है। दूसरे में, उपलब्ध सूचकों में से संयुक्त सूचकांकों का एक कोर सेट नामतः मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) जो समग्र रूप से समाज के लिए मानव विकास की स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है और मानव गरीबी सूचकांक (एचपीआई)–जो समाज में वंचितों की दशा को दर्शाता है, का सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए अस्सी के दशक और नब्बे के दशक के प्रारंभ में अनुमान लगाया गया है। इन सूचकांकों का अनुमान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग–अलग लगाया गया है ताकि मानव विकास में भारी असमानताओं, जो दोनों क्षेत्रों में विद्यमान हैं, को प्रतिबिम्बित किया जा सके। चुने हुए प्रमुख राज्यों के लिए जिनके संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं, वर्ष 2001 के लिए एच डी आई का अनुमान भी लगाया गया है। इसके अलावा, अस्सी और नब्बे के दशक के प्रारंभ में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की सापेक्ष योग्यता को दर्शाने के लिए एक लिंग समता के सूचकांक (जीईआई) का अनुमान लगाया गया है। समृद्धि के इन तीन आयामों पर विचार

करते समय, राष्ट्रीय रिपोर्ट उन प्रासंगिक संगत सूचकों जो कि न केवल प्रचलित सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिम्बित करते हैं, बल्कि इन आयामों में से प्रत्येक के संबंध में राज्यों की सामान्य विकास प्राथमिकताओं को भी प्रतिबिम्बित करते हैं, की पहचान और प्रयोग करने में यूएनडीपी रिपोर्ट से भिन्न है।

एड्स औषधियां

***454. श्री जी. गंगा रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एड्स नियंत्रण के लिए राजसहायता प्राप्त एक सस्ती भारतीय औषधी की नाइजीरिया को आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय सहायता और 'कुछ निर्माता' कंपनियों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर गरीब रोगियों के सहायतार्थ, ऐसी ही राजसहायता प्राप्त औषधियों को भारत में उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (घ) मैसर्स रेनबैक्सी और मैसर्स सिपला जैसी भारतीय भैषजिक कंम्पनियों ने संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय, नाइजीरिया को 350 अमेरिकी डालर प्रति वर्ष प्रति रोगी की लागत से तीन एन्टी रिट्रोवायरल औषधों नामतः लेमिबुडिन, स्टेवुडिन और नेविरापाइन की आपूर्ति हेतु नाइजीरिया सरकार से बातचीत की। नाइजीरिया सरकार एड्स से पीड़ित लगभग 10,000 वयस्कों और 5000 बच्चों के उपचार हेतु आखिरकार औषधों की 80 प्रतिशत लागत के लिए आर्थिक सहायता देने का इरादा रखती है। एन्टीरिट्रोवायरल उपचार की अपेक्षा रखने वाले रोगियों को प्रतिमाह लगभग 7 अमेरिकी डालर से 8 अमेरिकी डालर तक का भुगतान करना होगा।

इस समय भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अस्पतालों में एड्स रोगियों के अवसरवादी संक्रमणों के उपचार हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लेकिन उपचार की अनिश्चित अवधि और रोग के बढने की मॉनिटरिंग करने हेतु अपेक्षित अन्य सहायक जांचों की प्रतिषेधक लागतों के कारण कार्यक्रम में एन्टीरिट्रोवायरल उपचार को सरकार द्वारा सहायता नहीं दी जाती। तथापि, सरकार एन्टीरिट्रोवायरल औषधों पर लगने वाले उत्पाद शुल्कों तथा सीमा शुल्कों को उत्तरोत्तर घटा रही है ताकि वे एच आई वी/एड्स रोगियों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें।

स्वास्थ्य संबंधी शिखर सम्मेलन

***455. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 2002 में नई दिल्ली में एक दो दिवसीय स्वास्थ्य संबंधी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सम्मेलन में दिए गए सुझावों पर सरकार ने विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शिखर सम्मेलन में दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा फरवरी, 2002 में नई दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस शिखर स्वास्थ्य सम्मेलन में भारतीय स्वास्थ्य परिदृश्य पर चर्चा की गई और विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इनमें से कुछ मुद्दे थे :– वित्तीय ससाधन, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का प्रबंधन; परिचर्या की गुणवत्ता तथा कार्यबल; स्वास्थ्य परिचर्या कार्यनीति का पुनरभिविन्यास; सार्वजनिक – निजी भागीदारियां; निजी तथा गैर–सरकारी संगठन क्षेत्रों का संवर्धन; स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना की गुणवत्ता और स्वास्थ्य बीमा।

(ग) से (ङ) दो दिनों के स्वास्थ्य संबंधी शिखर सम्मेलन के पश्चात भारत में स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र की इसके तीव्रीकृत विकास की दिशा में रूपरेखा (रोडमैप) परिभाषित करने के समग्र उद्देश्य के साथ भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा शुरू किया गया अध्ययन इस समय चल रहा है।

वृहद परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

***456. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ वृहद परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (मेगा आटोमिक पावर प्लांट) की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में वृहद परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) वर्तमान में देश में कुल परमाणु विद्युत क्षमता 2720 मेगावाट है, दसवीं योजना के दौरान परमाणु विद्युत क्षमता में 1300 मेगावाट की वृद्धि किए जाने की योजना है। इसके अन्तर्गत तारापुर, महाराष्ट्र में 2x540 मेगावाट क्षमता वाले यूनिट जिनमें निर्माण–कार्य चल रहा है, और कैगा, कर्नाटक में कैगा 3 तथा 4 (2x220 मेगावाट) परियोजना के दो यूनिटों में से 220 मेगावाट क्षमता वाला एक यूनिट जिसका निर्माण–कार्य शुरु कर दिया गया है, शामिल है।

इसके अतिरिक्त, कुडनकुलम, तमिलनाडु (केके 1 और 2) से 2x1000 मेगावाट की परियोजना और रावतभाटा, राजस्थान (आरएपीपी 5 और 6) में 2x220 मेगावाट की परियोजना के संबंध में भी निर्माण–कार्य शुरू हो गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, कैगा 4, केके 1 और 2 तथा आरएपीपी 5 और 6 को, ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान क्रामिक रूप से वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू कर देने के लिए कमीशन किया जाएगा जिससे कि वर्ष 2008 के अंत तक कुल परमाणु विद्युत क्षमता 6689 मेगावाट तक पहुंच जाए, कलपाक्कम, तमिलनाडु में 500 मेगावाट क्षमता के एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जिसके लिए ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

धनराशि की उपलब्धता और दसवीं योजना को अन्तिम रूप दे दिए जाने की स्थिति में, दसवीं योजना के दौरान अतिरिक्त यूनिटों के निर्माण का काम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। ताकि ग्यारहवीं योजना (मार्च 2012) के अंत तक कुल परमाणु विद्युत क्षमता 9935 मेगावाट हो जाए, इन प्रस्तावित यूनिटों की अवस्थिति और विवरण को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

[हिन्दी]

भारत और पाकिस्तान की जेलों में बन्द कैदी

***457. श्री रामदास आठवले :**

डा. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक एक दूसरे के कैदियों को मुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों द्वारा पृथक–पृथक श्रेणी वार और वर्ष–वार कितने–कितने कैदियों को मुक्त किया गया;

(ग) क्या बाकी कैदियों को मुक्त करने हेतु बातचीत हुई है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को पकडकर जेलों में बद कर दिया है;

(च) यदि हां, आज की तिथि के अनुसार ऐसे कैदियों की संख्या कितनी है;

(छ) सरकार द्वारा उनकी रिहाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ज) क्या सरकार का पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय युद्ध बंन्दियों की उपस्थिति से इन्कार को दृष्टिगत रखते हुए, उनकी उपस्थिति की जांच करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रेड–क्रास अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से जांच करने का अनुरोध करने का विचार है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) दोनों देशों द्वारा रिहा किये गये कैदियों की संख्या नीचे दी गयी है:

पाकिस्तान द्वारा रिहा किये गये भारतीय कैदी :

1999	122 मछुआरे और 17 नागरिक बंदी
2000	22 मछुआरे और 7 नागरिक बंदी
2001	403 मछुआरे और 39 नागरिक बंदी

भारत द्वारा रिहा किये गये पाकिस्तानी कैदी :

1999	26 मछुआरे और 57 नागरिक बंदी
2000	44 मछुआरे और 42 नागरिक बंदी
2001	262 मछुआरे और 51 नागरिक बंदी

(ग) से (झ) कैदियों को जेल की सजा समाप्त हो जाने के पश्चात एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिहा किया जाता है। इसमें संबद्ध सरकार द्वारा कोंसली पहुंच प्रदान करना तथा कैदियों की राष्ट्रीयता की जांच करना शामिल है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान की कैद में 812 नागरिक और 263 मछुआरे हैं। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि पाकिस्तान की कैद में 54 युद्धबंदी भी हैं। सरकार पाकिस्तान की जेलों से सभी भारतीय बंदियों की रिहाई और उन्हें शीघ्र भारत भेजे जाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। पाकिस्तान के संबंध में अपनी नीति के अनुसरण में सरकार ने द्विपक्षीय तौर पर इस मसले को उठाया है।

[अनुवाद]

जैविक और विषैले हथियार अभिसमय

***458. श्री प्रकाश वी. पाटील :**

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैविक और विषैले हथियार अभिसमय (बायोलाजिकल एंड टाक्सिक वेपन्स कन्वेन्शन) संबंधी संधि पर चल रही बातचीत में अमरीका ने बाधा डाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) जिनेवा में जैविक और विषैले हथियार अभिसमय के सदस्य राष्ट्रों के पांचवें समीक्षा सम्मेलन के दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत ने जैविक और विषैले हथियार अभिसमय को सुदृढ़ बनाने हेतु बहुस्तरीय संधि के लिये 7 वर्ष तक चले अनवरत प्रयासों के अमरीका द्वारा विरोध करने के फैसले पर आपत्ति जताई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस कारण 144 देशों के बीच चल रही बातचीत टूट गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (छ) 25 जुलाई 2001 को जैविक और विषैले हथियार अभिसमय (बीटीडब्ल्यूसी) संबंधी एक सत्यापन प्रोटोकोल पर वार्ता करने के लिए 1994 में गठित तदर्थ समूह की अन्तिम निर्धारित बैठक के दौरान, अमरीका ने कहा कि, एक आन्तरिक समीक्षा के पश्चात् यह निष्कर्ष निकला था कि प्रोटोकोल के लिए परिकल्पित तंत्र व्यवस्था अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं करेगी, उनमें कोई संशोधन उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगा, और इससे अधिक करने की कोशिश से अमरीकी गतिविधियों को जायज ठहराने का खतरा आसानी से बढ़ जाएगा। तथापि, अमरीका ने यह भी कहा कि उसकी आगामी महीनों में अन्य विचार तथा वैकल्पिक दृष्टिकोण तलाशने की मंशा है, इस घोषणा का निहितार्थ तदर्थ समूह के कार्य की समाप्ति है।

बी टी डब्ल्यू सी से संबंधित 144 सदस्य राज्यों ने समीक्षा सम्मेलन में भाग लिया, जो नवम्बर–दिसम्बर, 2001 में जनेवा में संपन्न हुआ था, इस मसले का समाधान करने में असफल रहा था और नवम्बर, 2002 तक स्थगित हुआ था, तभी वह अपने कार्य को बहाल करने के लिए दुबारा आयोजित होगा।

भारत बी टी डब्ल्यू सी को मजबूत करने के निमित्त

प्रयासों का समर्थन करता है। भारत ने गूट–निरपेक्ष आन्दोलन के साथ–साथ मसौदा प्रोटोकोल के निरसन पर खेद जताया है। नाम ने तदर्थ समूह को दिए गए अधिदेश की जारी वैधता पर भी बल दिया है और इस बात को रेखांकित किया कि बी टी डब्ल्यू सी को अभिसमय की रूपरेखा के भीतर एक भेद–भाव रहित बहुपक्षीय रुप से तय किए जाने वाले विधिक रूप से बाध्यकारी दस्तावेज के जरिए मजबूत किया जाना अपेक्षित है।

इनसैट-3-सी के माध्यम से उपग्रह फोन

***459. श्री राम मोहन गाड्डे :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनसैट–3-सी सैटेलाइट उपग्रह फोन योजना के लिये पूरी तरह काम करने लगा है;

(ख) यदि हां, तो उपग्रह के माध्यम से उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनता के लिये उपग्रह फोन सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। जबकि इनसैट–3 सी ने काम करना शुरू कर दिया है. मोबाइल उपग्रह सेवा (एमएसएस) ट्रांसपोंडर के जरिए उपग्रह फोन स्कीम का परीक्षण किया जा रहा है।

इनसैट–3–सी में 24 सी – बैंड, 6 अपर एक्सटेंशन–सी बैंड, 2 एस–बैंड प्रसारण उपग्रह तथा (बीएसएस) ट्रान्सपोंडर और एक एस–बैंड मोबाइल उपग्रह सेवा (एमएसएस) ट्रान्सपोंडर तथा वेरी हाई रिजोल्यूशन रेडियोमीटर (वीएचआरआर) और चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस (सीसीडी) कैमरा लगा हुआ है।

(ग) इनसैट प्रणाली का देश के दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल द्वारा पहले से ही उपयोग किया जा रहा है। इनसैट–3-सी उपग्रह सी, एक्सटेंशन–सी और एस–बैंड में इनसैट की क्षमता में वृद्धि करता है। चूंकि एम एस एस ट्रान्सपोडर का परीक्षण किया जा रहा है। अतः उपग्रह टेलीफोन सेवा को जनता तक पहुंचाने में अभी कुछ समय लगेगा।

मृदुजल रियेक्टरों की स्थापना

***460. डा. एन. वेंकटस्वामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूस की सहायता से देश में और मृदुजल रियेक्टरों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि निवेश किये जाने की सभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इस समय, कुडनकुलम, तमिलनाडु में रूसी परिसंघ के सहकार से एक परमाणु विद्युत परियोजना (2×1000 मेगावाट) की स्थापना की जा रही हैं। हालांकि विभाग के परमाणु विद्युत कार्यक्रम के अन्तर्गत हल्के पानी रिएक्टरों की परिकल्पना, देश में परमाणु विद्युत के अंश को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक अनुपूरकता के रूप में की गई है, तथापि, वर्तमान में, अतिरिक्त हल्के पानी रिएक्टर यूनिटों की स्थापना के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान में यूरेनियम भंडार

4755. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सीकर जिले में रोही घाटेश्वर में यूरेनियम भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राजस्थान में इन भंडारों में उपलब्ध यूरेनियम से उत्पन्न परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावना का पता लगा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) परमाणु

खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल–घटेश्वर क्षेत्र में यूरेनियम की विद्यमानता का पता लगाया है। इस समय अयस्क पिंड के अधःस्तर विन्यास के चित्रण और अयस्क की विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए विस्तृत क्षेत्रीय/प्रयोगशाला अध्ययन किए जा रहे हैं। यूरेनियम की इस विद्यमानता की वाणिज्यिक/आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता का पता, वर्तमान में चल रहे जांच–कार्यों के पूरा हो जाने के बाद ही लग पाएगा।

(ग) और (घ) ऊपर उल्लिखित स्थिति को देखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

दूरभाष केन्द्र

***4756. श्री अशोक ना. मोहोल :**

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पुणे, नासिक, नवी मुम्बई, रायगढ़ और खेड़ जिलों में वर्तमान दूरभाष केन्द्र अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन केन्द्रों के अन्तर्गत दूरभाष कनेक्शन हेतु बड़ी संख्या में आवेदन लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो इन प्रतीक्षारत व्यक्तियों को कब तक कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हां।

(ख) पुणे, नासिक, नवी मुंबई तथा रायगढ़ जिले और पुणे जिले के अन्तर्गत खेड़ तालुका में टेलीफोन एक्सचेंजों की सज्जित क्षमता, कार्यरत कनेक्शन तथा प्रतिशत लोडिंग का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है।

जिले का नाम	एक्सचेंजों की स.	सज्जित क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें	प्रतिशत लोडिंग	प्रतीक्षा सूची
पुणे	295	7,73,582	6,33,480	81.87	19,950
नासिक	235	2,61,816	2,23,256	85.27	5978
रायगढ तथा नवी मुंबई	181	3,09,681	2,49,783	80.66	4515
खेड–पुणे जिले के अंतर्गत तालुका	19	16016	10349	57.66	1684

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) कनेक्शनों के आबंटन हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या उपरोक्त भाग (ख) में दर्शाई गई है।

(ङ) कनेक्शन दिसम्बर, 2002 तक प्रदान किए जाने की आशा है। लम्बी दूरी के कनेक्शन डब्ल्यूएलएल उपस्कर के माध्यम से मार्च 2003 तक प्रदान कर दिए जाने की सभावना है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्र में खराब फोन

4757. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों से अधिक समय से ग्रामीण क्षेत्रों/गांवों में अधिकतर दूरभाष केन्द्र और लगाए गए फोन के खराब होने के कारण करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन गांवों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरभाष की खराबियों को दूर करने के लिए इन क्षेत्रों मे दूरभाष लगाने से पहले जो योजनाए बनायी गयीं थीं उनके लागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कई अधिकारियों को दोषी पाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक के गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

4758. श्री सी. के. जफर शरीफ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से गैर–सरकारी संगठनों द्वारा देखभाल और सहायता कार्यक्रम की धनराशि देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्वीकृति प्रतीक्षित है;

(ख) यदि हां, तो इन गैर–सरकारी संगठनों के लिए मांगी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) धनराशि जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) अप्रैल, 2001 से उच्च व्याप्तता वाले राज्यों में परिचर्या और समर्थन कार्यक्रम को वित्त पोषण विक्रेन्द्रीकृत कर दिया गया है और अब यह संबधित राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है तथा निम्न व्याप्तता वाले राज्यों में एच आई वी/एड्स रोगियों के साथ रहने वाले लोगों के लिए सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा सीधे ही गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

4759. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने के लिए नया दृष्टिकोण अपनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस नए दृष्टिकोण के विभिन्न संघटक क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने परिवार नियोजन/कल्याण कार्यक्रम की विफलता के कारणों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परिवार नियोजन/कल्याण कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाने हेतु इस कार्यक्रम के अवगुणों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) देश में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम समग्र रूप से कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले कई सामाजिक–जनांकिकी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये हैं–

1. बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, आपूर्तियों और आधारभूत ढांचे की पूरी न हुई जरूरतों पर ध्यान देना।

2. स्कूली शिक्षा को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य बनाना और प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बीच में स्कूल छोड़ देने वाले लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत को कम करके 20 प्रतिशत से नीचे लाना।

3. शिशु मृत्यु दर को कम करके उसे प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना।

4. मातृ मृत्यु दर को कम करके प्रत्येक 1,00,000 जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना।

5. सभी वैक्सीन निवारणीय रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों का व्यापक रोग प्रतिरक्षण हासिल करना।

6. लड़कियों के विवाह देर से करने, 18 वर्ष से पहले नहीं, और बेहतर रूप से 20 वर्ष की आयु के बाद करने को बढावा देना।

7. 80 प्रतिशत सांस्थानिक प्रसव और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा 100 प्रतिशत प्रसव कराना।

8. सूचना/परामर्श की व्यापक सुलभता प्राप्त करना और ढेरसारे विकल्पों के साथ प्रजनन विनियमन और गर्भनिरोधन के लिए सेवाएं प्रदान करना।

9. जन्मों, मौतों, विवाहों और गर्भों का 100 प्रतिशत पंजीकरण प्राप्त करवाना।

10. एड्स के फैलने को नियंत्रित करना और जनन–मार्गीय संक्रमणों और यौन संचारित संक्रमणों के उपचार और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच और अधिक एकीकरण को बढ़ावा देना।

11. संचारी रोगों का निवारण और नियंत्रण।

12. कुल प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने के लिए छोटे परिवार के मानदंड को जोरदार ढंग से प्रोत्साहित करना।

13. कुल प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने के लिए छोटे परिवार के मानदंड को जोरदार ढंग से प्रोत्साहित करना।

14. संबंधित सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम को एक ही स्थान से कार्यान्वित करना ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम लोक संकेन्द्रित कार्यक्रम बन सकें।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने देश की अर्थ–व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरुप स्तर तक जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दर में कमी लाने के उद्देश्य से 1952 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ किया। मौजूदा जनसंख्या वृद्धि के लिए नौंवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में निम्नलिखित तीन कारक हैं:–

– प्रजनन आयु वर्ग में जनसंख्या का भारी आकार (अनुमानित योगदान 60 प्रतिशत)

– गर्भनिरोधन की पूरी न हो रही जरूरतों के कारण उच्च प्रजनन दर (अनुमानित योगदान 20 प्रतिशत)

– मौजूदा उच्च शिशु मृत्यु दर के कारण अधिक संतान होने की इच्छा

बहुत से अन्य कारण भी जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ कारण महिला सशक्तीकरण, परिवार में महिलाओं का स्तर, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा, बुनियादी ढांचा और सम्प्रेषण सुविधाएं आदि हैं।

वर्ष 1997 से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम की कमियों को दूर करने के लिए बहुत से बड़े कदम उठाए गए हैं:–

– प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भनिरोधन विषय शामिल है, एक समन्वित एवं समग्रतावादी कार्यक्रम 1997 में आरंभ किया गया था।

– प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रजनन विनियमन, सुरक्षित मातृत्व, बाल जीवन रक्षा, प्रजनन मार्गीय संक्रमण/यौन संचारित रोग संक्रमण शामिल है। यह कार्यक्रम 10 अक्तूबर, 1997 को आरंभ किया गया था। कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु, रूग्णता और अवांछित प्रजननता में कमी लाना तथा जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कार्य करना है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं–

– आवश्यकता आधारित, व्यक्ति–केन्द्रित, मांग आधारित उच्च गुणवत्ता और एकीकृत प्रजनन एवं बाल सेवाएं प्रदान करना।

– विशेष रूप से महिलाओं, किशारों, सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, आदिवासी लोगों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों में समानता को बढ़ावा देने के लिए पहुंच में सुधार लाकर कवरेज बढ़ाना।

– सेवाओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहन के रूप में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य प्रदायकों वित्तीय प्रोत्साहन वापस लेना।

– अनिवार्य प्रजनन एवं स्वास्थ्य परिचर्या का पैकेज आरंभ करना जिसमें परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व और बाल जीवन रक्षा तथा प्रजनन मार्गीय संक्रमण/यौन संचारित रोग सेवाएं शामिल हैं।

– बजट की कठिनाईयों के कारण कार्यान्वयन में विलम्ब को कम करने के लिए स्वैच्छिक कार्यों

की स्थाई समिति के माध्यम से राज्यों को सीधे धन प्रदान करना।

– सेवाओं की प्रदानगी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना, शिक्षा एवं संम्प्रेषण/प्रचार में गैर–सरकारी संगठनों और प्राइवेट क्षेत्र को शामिल करना।

– भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के चिकित्सकों को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी में शामिल करना जिससे कि सेवाओं की, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पहुंच कर सुधार हो सके और कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधियों को शामिल किया जा सके।

– प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है और इस समय इसके कार्यान्वयन का चौथा वर्ष है। कार्यक्रम के विभिन्न कार्यकलापों/उपचार कार्यों को कार्यान्वित करने और उन्हें सुदृढ़ करने के अतिरिक्त सभी में गुणकारी सेवाएं प्रदान करने और उन क्षेत्रों का बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिनकी अब तक उपेक्षा की गई है, उदाहरण के लिए आदिवासी जनसंख्या, शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग, प्रवासी और विस्थापित लोग। दाई प्रशिक्षण, वार्डर डिस्ट्रिक्ट कलस्टर प्रोजेक्ट, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर तथा प्रजनन एव बाल स्वास्थ्य पहुँच सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारत संचार निगम लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4760. श्री टी. गोविन्दन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियें की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरु करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या शर्तें रखी गयी हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड में कर्मचारियों की कुल संख्या 3.57 लाख है।

(ख) इस समय भारत संचार निगम लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरु करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में दूरसंचार सर्किल

4761. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में दूरसंचार सर्किलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन सर्किलों में कर्मचारियों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) आंध्र प्रदेश में केवल एक दूरसंचार सर्किल है।

(ख) और (ग) जी, हां। निम्नलिखित संवर्गों में कुछ कर्मचारियों की कमी है:–

क्र.सं.	संवर्ग	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	कमी
1.	जेटीओ	3932	1575	2357
2.	जेएओ	448	423	25
3.	टीटीए	3215	1682	1533

उपरोक्त संवर्गों के लिए संशोधित भर्ती नियमों को हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया था।

(घ) उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती करने संबंधी कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

तमिलनाडु में टेलीफोन कनेक्शन

4762. श्री एस. मुरुगेसन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के टेन्कारी क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में उपभोक्ताओं की संख्या क्या है;

(ख) क्या प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए कोई नया दूरभाष केन्द्र स्थापित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) टेन्कारी क्षेत्र में टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची नहीं है। टेलीफोन कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, लागू नहीं होता।

भारत संचार निगम लिमिटेड

4763. श्री सुबोध मोहिते :

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के मूल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने वालों ने सरकार से भारत संचार निगम लिमिटेड के आधारभूत ढांचे को उन्हें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है जिससे गांव में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराया जा सके;

(ख) यदि हां, तो निजी संचालकों द्वारा किए गए अन्य अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन मांगों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिंकदर) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्राइवेट ऑपरेटरों ने पट्टाशुदा लाइनों के लिए ट्रैफिक में कमी करने, रियायती दर पर अवसंरचना में भागीदारी करने, अन्य स्थानों पर परियात अंतरित करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड ने इस अनुरोध को मंजूर नहीं किया है। तथापि, ऑपरेटर अवसंरचना की भागीदारी करने के लिए आपसी सहमति के तहत तत्संबंधी प्रबन्ध करने के लिए स्वतत्र हैं।

भारत-पाक युद्ध की संभावना

4764. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरण (सी आईए) ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध की संभावना 1971 के पश्चात् सर्वाधिक है और यह भी कहा है कि दोनों देशों के बीच परम्रागत युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तान के साथ तनाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी हां। अमरीका की सैण्ट्रल इण्टेलीजेन्स एजेन्सी के निदेशक ने 6 फरवरी, 2002 को अमरीका की इण्टेलीजेन्स से सम्बद्ध सीनेट सैलेक्स कमेटी को दिए एक वक्तव्य में कहा था कि 13 दिसम्बर को भारतीय संसद पर हमले के परिणामस्वरूप "पाकिस्तान के विरूद्ध सैन्य कार्रवाही और तदुपरान्त दोनों ओर सैन्य संचालन आवश्यक हो गया"। उन्होंने आगे कहा कि "1971 के बाद किसी भी समय की तुलना में अब नाभिकीय शस्त्रों से सुसज्जित इन दो राज्यों के बीच युद्ध होने के आसार अधिक हैं"।

(ग) भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भारत में सीमा–पार आतंकवाद को पाकिस्तान का समर्थन और सहयोग का परिणाम है और इसे भारत में सीमा–पार आतकंवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान द्वारा कदम उठा कर ही कम किया जा सकता है।

भारतीय कृषक और कारगिल युद्ध पर स्मारक-टिकट

4765. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'भारतीय कृषक' और 'कारगिल युद्ध' पर स्मारक डाक–टिकट जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्मारक टिकटों के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) 'भारतीय कृषक' पर स्मारक डाक–टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 'कारगिल युद्ध' पर स्मारक डाक–टिकट जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विषय से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस प्रस्ताव को फिलैटलिक सलाहकार समिति के सामने रखा जाएगा।

भारत का जनसंपर्क युद्ध

4766. श्री सुनील खां : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 2002 के 'हिन्दू' में प्रकाशित "इन्डिया लूजिंग पी.आर. वार टू पाक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रश्नगत लेख भारत–पाकिस्तान संबंधों पर एक आत्मपरक विचार है जो कुछ फ्रांसीसी पत्रकारों के साथ इस संवाददाता की बातचीत पर आधारित है और जिसके विचारों को समूचे फ्रांस का विचार नहीं कहा जा सकता।

(ग) सरकार द्वारा फ्रांस की मीडिया को जानकारी देने और गलत निर्वचन को सही करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। भारतीय दूतावास, पेरिस सूचना का प्रसार, प्रेस सम्मेलन के आयोजन, साक्षात्कार देने, प्रेस, मीडिया के लोगों और नीति निर्माताओं से मिलने के जरिए, इस संबंध में काफी सक्रिय रहा है। प्रश्नगत लेख में भी फ्रांस की मीडिया को सूचित रखने में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों और इस तथ्य, कि फ्रांस इस मसले पर भारत की स्थिति को समझता है, को माना गया है तथा इसमें आतंकवाद के विरूद्ध भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन जताया गया है।

आपातकालीन गर्भ निरोधकों संबंधी नीति

4767. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आपात–कालीन गर्भ निरोधक शुरु करने की एक नीति को हाल में अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश, प्रशिक्षण पाठयक्रम इत्यादि निर्धारित किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों के उत्पादन और विपणन की अनुमति देने वाले भारत के औषधि नियंत्रक के क्या आदेश हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में आपाती गर्भनिरोधक आरम्भ करने का निर्णय लिया है।

(ख) स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों के लिए दिशानिर्देशों और प्रशिक्षण पाठयक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) भारत के औषध महानियंत्रक के आदेश सं. 12/98–डी.सी. (पीटी 2) के अंतर्गत निम्नलिखित कम्पनियों को अनुमति प्रदान की गई–

1. मैसर्स वी केयर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड राजकोट
2. मैसर्स इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लि. गुडगांव दिल्ली 6.9.2001
3. मैसर्स जर्मन रिमेडीज, मुम्बई दिनांक 17.1.2002
4. मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, बेलगाम, दिनांक 2.4.2002

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनी सुविधाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की बाध्यता के लिए धनराशि

4768. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002–2003 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनी सुविधाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की बाध्यता को पूरा करने हेतु योजना आयोग से कितनी धनराशि मांगी गयी है;

(ख) योजना आयोग द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गयी है; और

(ग) ग्रामीण टेलीफोनी के लिए संसाधन किस प्रकार जुटाए जाएंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने वर्ष 2002–03 के लिए दो योजना प्रस्ताव तैयार किए थे। एक योजना 17853 करोड़ रु. की थी जिसमें लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम प्रभारों की पूर्ण प्रतिपूर्ति और लाभांश के भुगतान में रियायतें देने तथा ग्रामीण टेलीफोनी के लिए सरकारी ऋण आदि प्रदान करने के अलावा 4206 करोड़ रु. की राशि सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में शामिल है। उपर्युक्त प्रतिपूर्ति/रियायतों के आधार पर बीएसएनएल ने 14,076 करोड़ रु. की एक वैकल्पिक योजना भी बनाई थी जिसमें ग्रामीण टेलीफोनी के लिए सरकार से हर्जाने के बतौर प्राप्त 1 करोड़ रु. की राशि भी शामिल है। योजना आयोग ने कम परिव्यय वाली वैकल्पिक योजना को मंजूरी दे दी है।

(ख) 1.00 करोड़ रु.

(ग) ग्रामीण टेलीफोनी ऊपर यथा निर्दिष्ट विभाग की आंतरिक आय, मुआवजे की राशि और सरकार से प्राप्त प्रतिपूर्तियों/रियायतों के माध्यम से वैकल्पिक योजना में प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

राजनयिककर्मियों का निर्वासन

4769. श्रीमती कैलाशो देवी :

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री जी. जे. जावीया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के कुछ कर्मचारियों को हाल में देश छोड़ने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने रायनयिककर्मियों को भारत और पाकिस्तान द्वारा इन देशों को छोड़ने के लिए कहा गया है और इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी, हां। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के दो कर्मियों को झूठे और निराधार आरोपों पर मार्च, 2002 में देश छोड़ने को कहा गया।

(ग) वर्ष 1999, 2000, 2001 के दौरान पाकिस्तान ने इसी प्रकार झूठे और निराधार आरापों पर भारतीय उच्चायोग के 8 कर्मियों को निष्कासित किया। भारत ने उस अवधि के दौरान पाकिस्तान उच्चायोग के नौ कर्मियों को अपने सरकारी स्तर के विपरीत आचरण करते हुए पाए जाने के लिए निष्कासित किया।

[अनुवाद]

लंदन इंटरनेशनल इंस्टीटयूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडिज की टिप्पणियां

4770. श्री मोहन रावले : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लंदन इन्टरनेशनल इन्स्टीटयूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडिज की इस टिप्पणी पर ध्यान दिया है कि म्यांमार (बर्मा) हिन्द महासागर में महत्वपूर्ण जहाजरानी मार्गों के समीप है और चीन हिन्द महासागर में अपनी स्पष्टतः पहुंच के लिए अपने रणनीतिक हितों के लिए म्यांमार की सहायता कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी हां।

(ख) सरकार सभी घटनाओं की निरन्तर समीक्षा करती है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मित्रता और अच्छे पड़ोसियों के संबंध बनाने के लिए वचनबद्ध है।

दमन और दीव के बीच फेरी सेवा

4771. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दमन और द्वीव द्वीपसमूहों के बीच फेरी सेवा की अनुपलब्धता के कारण वहां के लोगों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो दमन और द्वीप के बीच फेरी सेवा शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस फेरी सेवा के कब तक चालू होने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दमन और द्वीव प्रशासन 1997 से दमन और दीव के बीच गैर–सरकारी फेरी सेवा शुरू करने की संभावनाओं को पता लगाता रहा है। तथापि, गैर–सरकारी पक्षकारों की ओर से उचित प्रत्युत्तर न मिल पाने के कारण इस सेवा को शुरु नहीं किया जा सका।

व्यय सुधार आयोग

4772. श्री अमर राय प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय तथा विभागों के वर्तमान अपव्यय को कम करने हेतु सिफारिशें करने के लिए व्यय सुधार आयोग की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार इस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अभी तक लागू न की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन्हें आज तक लागू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें वास्तव में कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) योजना आयोग में ऐसे आयोग की स्थापना नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फ्लैटों की आवश्यकता पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

4773. श्री अरूण कुमार : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या 2 (सिविल) में फ्लैटों की वास्तविक आवश्यकता सही अनुमान पर आधारित नहीं है और गलत है जिससे भारी व्यय हुआ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच हुई है और सरकार को घाटा पहुंचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सजा दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार खाली आवासीय इकाइयों की स्थिति क्या है; और

(ङ) इन इकाइयों का उचित उपयोग करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी हां। तथापि, दीपघर एवं दीपपोत विभाग को नई दिल्ली से नोयडा स्थानांतरित करने के सरकार के निर्णय के अनुसरण में यह महसूस किया गया कि विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को आवास उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि नोएडा में आवास उलबध न होने से किसी भी कर्मचारी को कोई परेशानी न हो। 163 फ्लैटों का अधिग्रहण करने संबंधी अनुमोदित प्रस्ताव की तुलना में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर केवल 154 फ्लैट ही खरीदे पर। विभाग को किसी भी कर्मचारी द्वारा दिल्ली में अपनी स्वयं की आवासीय व्यवस्था करने की संभावना का पूर्वानुमान नहीं था। इसके अतिरिक्त, फ्लैटों के अधिग्रहण के लिए वर्ष 1991 में की गई मांग के समय स्वीकृत कर्मचारी संख्या में सरकार द्वारा 1994 में 10%

कटौती किए जाने का भी पूर्वानुमान नहीं था। तदनुसार, फ्लैटों की वास्तविक आवश्यकता के लिए मूल्यांकन ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार किया गया।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इस समय 58 आवासीय इकाइयां खाली हैं जिन्हें अन्य सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए कार्रवाई पूरी होने वाली है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर

4774. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर को प्रतिमाह औसतन कितने आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) प्रत्येक ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने और पासपोर्ट जारी करने में औसतन कितना समय लिया जाता है; और

(ग) 28 फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर के पास पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन लंबित हैं;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर द्वारा प्रतिमाह प्राप्त किए जाने आवेदनों की औसतन संख्या 11037 है।

(ख) प्रत्येक आवेदन पर कार्रवाई करने तथा पासपोर्ट जारी करने में औसतन 42 दिन लगते हैं।

(ग) 28 फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर में लंबित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या 3037 है।

[हिन्दी]

सामरिक महत्व के हथियारों की तैनाती

4775. श्री ब्रह्मानंद मंडल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस अमरीका के परमाणु मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरिक्ष में सामरिक महत्व के हथियारों की तैनाती के विरूद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों द्वारा ऐसी प्रणाली को कोई विरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) अमरीका से अब तक प्राप्त सरकारी सम्प्रेषणों में, प्रस्तावित मिसाईल रक्षा कार्यक्रम के बारे में खुलासा नहीं किया है। अन्तरिक्ष में सामरिक हथियारों के तैनाती के संबंध में अभी तक अमरीका का कोई आधिकारिक दृष्टिकोण नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरसंचार को मानित निर्यात दर्जा

4776. श्री आनन्द राव विठोबा अडसुल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार उपकरण निर्माता संघ (टी.ई.एम. ए.) ने उन्हें मानित निर्यात दर्जा प्रदान करने के संबंध में सरकार के समक्ष कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी हाँ। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) दूरसंचार उपकरण निर्माता संघ (टीईएमए) द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया था। नई निर्यात और आयात नीति 2002–2007 में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्लोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) स्कीम में आशोधन निम्नलिखित लाभ देने के लिए किया गया है:–

(i) निर्यात के प्रतिशत के रुप में सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफईपी) का अर्जन, जो पांच वर्षों में प्राप्त होगी।

(ii) ईएचटीपी में यूनिटों के लिए अन्य कोई निर्यात दायित्व नहीं होगा।

(iii) घरेलू बाजार में शून्य शुल्क वाली सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए–।) की मदों की आपूर्तियां निर्यात दायित्व की गणना की पात्र होंगी।

विवरण

टीईएमए

केन्द्रीय बजट 2002-03 के लिए प्रस्ताव

1. मानित निर्यात दर्जा-आशोधित ईएचटीपी स्कीम-तैयार उत्पाद

पर डयूटी से नीचे आने वाले इनपुट पर सीमा शुल्क कम करना

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के हिस्से के रूप में, दूरसंचार के तैयार उत्पादों पर सीमा शुल्क को पिछले वर्षों में धीरे धीरे कम किया गया है, लेकिन इनपुट/संघटकों/कच्चे माल पर लगने वाले शुल्क में तदनुसार कमी नहीं की गई है। दूरसंचार के सभी तैयार उत्पादों पर चालू बुनियादी दर 15 प्रतिशत है, जबकि इनपुट डयूटी 15 प्रतिशत से 3 प्रतिशत के बीच है। इस विसंगति के कारण घरेलू विनिर्माण उद्योग को नुकसान हो रहा है। सभी दूरसंचार उत्पाद वर्ष 2003 में शून्य शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसी कि सरकार ने घोषणा की है। दूरसंचार केबलों के मामले के स्वदेशी दूरसंचार आपूर्तिदाताओं की तुलना में आयात के लिए 44.8 प्रतिशत की हानियों को दर्शाने वाली परिगणना अनुबंध के रूप में संलग्न है।

इस स्थिति को ठीक करने के लिए टीईएमए ठोस सुझाव देता है कि बीएसएनएल, एमटीएनएल आदि सहित लाइसेंस प्राप्त सभी प्रचालकों और रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष, विद्युत क्षेत्र तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लि. इत्यादि जैसे सरकारी विभागों को की गई आपूर्तियों के लिए घरेलू दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण उद्योग को "मानित निर्यात दर्जा दिया जाए ताकि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर अपने देश में निर्मित दूरसंचार उत्पादों का लाभ मिल सके। इससे विनिर्माण विकास लागत भी कम होगी और यह सुनिश्चित होगा कि सभी लाभ जनसाधारण तक पहुंच रहे हैं। आयातित इनपुट शून्य शुल्क होंगे और बदले में स्थानीय आपूर्तिदाता मानित निर्यात के लाभ प्राप्त करेंगे मानित निर्यात लाभ, श्रृंखला से नीचे तक पहँचने से यह सुनिश्चित होगा कि विनिर्माण कार्यकलाप में अधिकतम संभव मूल्य संवर्द्धन देश के भीतर ही रहेगा। यह दर्जा देने से सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के महत्वपूर्ण क्षेत्र में विनिर्माण कार्यकलाप सुनिश्चित होगा, जहाँ मांग लगातार बढ़ रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2008 तक 165 बिलियन अमरीकी डॉलर की हार्डवेयर मांग का अनुमान लगाया है। अगर घरेलू विनिर्माण उद्योग का अस्तित्व नहीं रहता है तो आयात के कारण विदेशी मुद्रा–विस्तार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के लिए मानित निर्यात सुविधा के कार्यान्वयन का एक अधिक आसान तरीका आयात–निर्यात नीति के अंतर्गत ईएचटीपी स्कीम हो सकता है, जिसमें मामूली संशोधन करना होगा ताकि घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्यदल ने 10वीं योजना के लिए यह सिफारिश की है कि आई टी और दूरसंचार उपस्कर उद्योग में मौजूदा तथा नई यूनिटों को प्रस्तावित "सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पार्क" स्कीम (आईएसटीपी स्कीम) के अंतर्गत पंजीकृत कराने की अनुमति दी जाए। यह मौजूदा ईएचटीपी स्कीम में निम्नलिखित के संबंध में संशोधन होगाः–

(क) आईसीटीपी यूनिटों को बिना निर्यात दायित्व के डीटीए में अपने उत्पादन का 100% बेचने की अनुमति होगी। इससे शुल्क मुक्त वातावरण में घरेलू और निर्यात बाजार के लिए विश्व स्तरीय लचीले विनिर्माण की सुविधा मिलेगी।

(ख) डीटीए को बिक्री की अनुमति 50% सीमा शुल्क और अन्य घरेलू करों का भुगतान करने पर होगी। यह 50% रियायत घरेलू उद्योग के लिए ब्याज, अवसंरचना इत्यादि जैसी बाधाओं को दूर करने में सहायक होगी।

(ग) आईसीटीपी यूनिटों को वास्तविक नियंत्रण के बिना कार्य करने की अनुमति भी होनी चाहिए और माल की निकासी, आयात–निर्यात नीति के परिशिष्ट 16–एच के तहत यथा अनुमत्य प्रारूप पर आधारित/मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट सहित मात्र स्व–प्रमाणन के माध्यम से की जानी चाहिए।

अनुबंध

टी ई एम ए

दूरसंचार आयात बनाम स्वदेशी उत्पाद लैंडिड कॉस्ट का तुलनात्मक परिकलन

घरेलू दूरसंचार केबल	बजट 2000	बजट 2001
1	2	3
इनपुट (कॉपर, पीई, जैली, स्टील एल्यूमीनियम इत्यादि)	100.00	100.00
मूल सीमाशुल्क 35% की दर पर	35.00	35.00
एसबीडी, 10% की दर पर	3.50	00
8सीयूडी, 16% की दर पर	22.16	21.60
एसएडीडी, 4% की दर पर	6.43	6.26
	167.09	162.86
घटाएं सीवीडी पर मोडवैट	22.16	21.60
	144.93	141.26
घटाए सी बी डी पर मोडवैट	22.16	21.60
	144.93	141.26

1	2	3
जोड़ें अंतिम उत्पाद पर 16% की दर पर उत्पाद शुल्क	23.19	22.60
	168.12	163.86
जोडें 12% की दर पर केन्द्रीय बिक्री कर	20.17	19.66
जोड़	188.29	183.52

आयातित दूरसंचार केबल	बजट 2000	बजट 2001
सीआईएफ मूल्य	100.00	100.00
जोड़ें 20% की दर पर सीमा शुल्क	20.00	15.00
एसबीडी	0.00	0.00
सीवीडी 16% की दर पर	19.20	18.40
	139.20	133..40
एसएडीडी (सीएसटी के स्थान पर) 4% की दर पर	5.57	5.33
जोड़	144.77	138.73

स्थानीय उद्योग को हानि : बजट 2000 : 43.5%
बजट 2001 : 44.8 %

इस प्रकार, 100/– रुपए के इनपुट पर स्वदेशी उत्पाद को आयात की तुलना में 44.8% की हानि हुई है।

100/– रुपए के आयातित उत्पादों के सीआईएफ मूल्य की तुलना में, इनपुट भी 100/– रुपए मूल्य पर ही माने गए हैं, हालांकि सामान्य प्रक्रिया में 100/– रु. में से कम–से–कम 10/– रुपए की घरेलू मूल्य वृद्धि पर विचार किया जाना चाहिए। तथापि, इस मूल्य वृद्धि से ही आय कर, निगमित कर, भारतीय श्रमिकों की मजदूरियां तथा वेतन, राज्य एजेंसियों द्वारा वसूले गए स्थानीय कर जैसे चुंगी, आवास कर आदि अर्जित होते हैं। अतः इनपुट लागत में घरेलू मूल्य वृद्धि को मिलाना एकदम उचित है।

दिनांक 01.03.2001 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 17/2001–सीमा शुलक की क्रम संख्या 307 और 308 के अनुसार एच.एस. कोड़ नं. 8544.41, 8544.49 तथा 8544.51 के अंतर्गत दूरसंचार केबलों पर आयात शुल्क की प्रभावी दर मूल सीमा शुल्क का 15% होती है।

राज्यों के लिए वित्तीय पैकेज

4777. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को पुनः दुरूस्त करने हेतु विशेष पैकेज प्रदान करने का है जो करीब–करीब दिवालिएपन की कगार पर पहुंच गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल ही में क्रियान्वित किए गए विशेष पैकेज का राज्य–वार क्या प्रभाव पड़ा; और

(घ) चालू वर्ष और अगले दो–तीन वर्षों के लिए रूग्ण राज्यों हेतु कार्य–योजना का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) जी, नहीं। उन राज्य सरकारों को, जो लगभग दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच चुकी हैं, की वित्तीय स्थिति को पुनरूज्जीवित करने हेतु विशेष पैकेज देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ग्यारहवें वित्त आयोग (ईएफसी) की सिफारिशों के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय में मध्यावधि राजकोषीय सुधार योजना (एमटीएफ आरपी) की एक स्कीम तैयार की है। जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति की बहाली भी है।

कृषि क्षेत्र में अफगानिस्तान और भारत के बीच सहयोग

4778. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान ने कृषि क्षेत्र में कृषि उपकरण और सहायता के अलावा रेशम पालन, बीज प्रसंस्करण, कुक्कुट पालन, मत्स्यन और पशु चिकित्सा सेवाओं में भारत की विशेषज्ञता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) भारत सरकार अफगानिस्तान के पुनः निर्माण और पुनर्वास में सहायता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध हैं। 26–27 फरवरी, 2002 तक अफगानिस्तान अन्तरिम प्रशासन के अध्यक्ष, महामहिम हामिद करजई की भारत यात्रा के दौरान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विकास, सार्वजनिक परिवहन और प्रशिक्षण के क्षेत्रों की द्विपक्षीय सहयोग के लिए पहचान की थी। इसके अतिरिक्त, सरकार कृषि तथा खेती क्षेत्रों सहित सहायता संबंधी अन्य प्रस्तावों की भी जांच कर रही है।

अफगानिस्तान में विरासत के संरक्षण हेतु भारतीय सहायता

4779. श्री बी.वी.एन.रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार विरासती भवनों के संरक्षण और संग्रहालयों के पुननिर्माण हेतु अफगानिस्तान की सहायता करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) भारत सरकार अफगानिस्तान के अंतरिम प्रशासन को पुनर्गठन सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 26–27 फरवरी, 2002 के बीच महामहिम हामिद करज़ई की भारत यात्रा के दौरान विरासती इमारतों और संग्रहालयों के संरक्षण के क्षेत्र को शामिल करते हुए द्विपक्षीय सहयोग के अनेक क्षेत्रों का निर्धारण किया गया।

संस्कृत को सूचना प्रौद्योगिकी के अनुकूल बनाना

4780. श्री वाई. वी. राव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार का विचार संस्कृत को सूचना प्रौद्योगिकी अनुकूल बनाने हेतु कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है; और

(ग) यह किस सीमा तक कम्प्यूटर अनुकूल बन जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) अपने सुगठित नियम आधारित व्याकरण तथा ध्वन्यात्मक विशुद्धता के कारण संस्कृत पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी के अनुकूल मानी जाती है। कम्प्यूटर वैज्ञानिकों में इन विशेषताओं का इस्तेमाल औपचारिक भाषा डिजाइन विशेषताओं को सीखने में किया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संस्कृत भाषा की इन विशेषताओं के इस्तेमाल के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल) कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत से संबंधित परियोजनाएँ

संस्कृत से संबंधित निम्नलिखित परियोजनाएँ पूरी कर ली गई हैं:

* क) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

ख) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति

ग) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में भाषाविदों और कम्प्यूटर वैज्ञानिकों को संस्कृत व्याकरण, न्याय, मीमांसा तथा निरुक्त से परिचित कराने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी दिशानिर्देश तथा पाठ्य सामग्री तैयार करना।

* श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यपीठ, नई दिल्ली में बी.एड. के अध्ययन के लिए कम्प्यूटर से जुड़े संस्कृत शिक्षण/अधिगम कार्यक्रम के लिए संसाधन केन्द्र।

* सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में संस्कृत शास्त्र में सूचना प्रणाली की खोज करना।

* सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में संस्कृत के लिए मशीन पठनीय रूप से भारतीय भाषाओं के मूल पाठ संग्रह का विकास।

* संस्कृत अनुसंधान अकादमी, मेलकोटे में कम्प्यूटर पर आधारित अर्थगत संसाधन (क्रिया अनुसंधान) में संस्कृत का इस्तेमाल।

* देसिका, जो संस्कृत के लिए एक प्राकृतिक भाषा ज्ञान प्रणाली (एनएलयू) है, का सी–डैक द्वारा विकास किया गया है, जो संस्कृत के प्राकृतिक भाषा संसाधन (एनएलपी) तक कम्प्यूटरों के इस्तेमाल का विस्तार करती है तथा अध्ययन के लिए अभिकलनात्मक पाणिनि अष्टाध्याय (व्याकरण) भी उपलब्ध कराती है।

* कुण्डलिनी (ज्ञान, भाषा की समझ तथा अभिग्रहण, अनुमान तथा व्याख्या) शुरू करने का व्यवहार्यता अध्ययन आईआईटी, इलाहबाद में किया जा रहा है। जून, 2002 तक इसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इसमें विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित ज्ञान के ढांचों के विकास तथा अधिकांशतः संस्कृत में ई–सूचना सामग्री सृजन की परिकल्पना की गई है।

मूलभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के लिए धनराशि

4781. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजनावधि के दौरान देश में मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्य–वार और वर्ष–वार कुल कितना बजट आबंटित किया गया और कितना व्यय किया गया; और

(ख) परियोजना का राज्य–वार/वर्ष–वार वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) न्यूनतम बुनियादी सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम वर्ष 1996–97 के दौरान शुरु किया गया था। बीएमएस चार वर्षों तक कार्यान्वित किया गया। राज्यों को न्यूनतम बुनियादी सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1996–97 से 1999–2000 तक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में आबंटित तथा जारी राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। बीएमएस के अंतर्गत जारी निधियों को राज्य सरकार द्वारा खर्च कर दिया गया है।

केन्द्र द्वारा बीएमएस के लिए जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता बीएमएस के सात सामाजिक क्षेत्रकों के लिए आबंटित राज्य सरकारों के संसाधनों के पूरक के रूप में है। अतः बीएमएस के लिए एसीए निधियां राज्यों द्वारा उनकी वार्षिक योजना में बीएमएस के लिए कुल आबंटन का मात्र एक अंश है। इस प्रकार बीएमएस कार्यक्रम के लिए जारी एसीए निधियों की अलग से कोई वास्तविक मानीटारिंग नहीं की गई थी।

विवरण

वर्ष 1996–97, 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के न्यूनतम बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम के लिए आबंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(रुपये करोड में)

	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 1996–97	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 1997–98	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 1998–99	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 1999–2000
	1	2	3	4
क गैर विशेष श्रेणी राज्य				
1. आन्ध्र प्रदेश	140.52	170.59	179.61	196.34
2. बिहार	225.67	364.07	383.32	419.04
3. गोवा	1.55	1.55	3.63	3.63

	1	2	3	4
4. गुजरात	52.58	72.58	76.42	113.54
5. हरियाणा	19.08	19.08	40.09	26.96
6. कर्नाटक	59.40	99.42	104.68	114.43
7. केरल	69.64	78.69	102.85	110.57
8. मध्य प्रदेश	144.09	210.00	236.10	265.34
9. महाराष्ट्र	96.78	132.23	159.22	152.19
10. उड़ीसा	79.26	147.45	164.25	190.31
11. पंजाब	25.59	35.59	36.94	40.37
12. राजस्थान	87.63	132.98	140.01	153.05
13. तमिलनाडु	82.36	119.80	141.13	137.88
14. उत्तर प्रदेश	317.33	456.84	500.99	575.81
15. पश्चिम बंगाल	150.00	203.57	214.33	234.30
उपजोड़	1551.48	2244.44	2483.57	2733.76
ख विशेष श्रेणी राज्य				
1. अरुणाचल प्रदेश	62.18	62.18	90.47	71.57
2. असम	154.14	163.80	172.46	188.53
3. हिमाचल प्रदेश	64.41	64.41	113.45	109.14
4. जम्मू और कश्मीर	156.52	156.52	164.80	180.15
5. मणिपुर	44.30	44.30	64.30	72.64
6. मेघालय	37.03	37.03	38.99	63.62
7. मिजोरम	36.87	36.87	49.96	51.43
8. नागालैण्ड	37.53	37.53	49.51	67.19
9. सिक्किम	25.65	25.65	47.25	49.76
10. त्रिपुरा	46.37	46.37	55.37	59.92
उपजोड़	665.00	674.66	846.56	913.95

	1	2	3	4
ग	**संघ राज्य क्षेत्र**			
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9.00	14.20	14.95	16.34
2.	पांडिचेरी	3.90	6.13	7.45	7.06
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.00	13.19	17.17	15.19
4.	चंडीगढ़	3.72	5.87	6.18	6.76
5.	दादरा और नगर हवेली	1.08	1.71	1.80	1.97
6.	लक्षद्वीप	1.44	2.27	2.39	2.62
7.	दमन और द्वीव	0.86	1.36	1.43	1.57
	उपजोड़	28.00	44.73	51.37	51.51
	कुल जोड़	2244.48	2963.83	3381.50	3699.22

* आबटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी जारी की गई थी।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि

4782. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत इसके शुरू होने के समय से ही विभिन्न राज्यों को राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2001–2002 के लिए बारहमासी सडकों से 175 तालुकाओं को जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत 195 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) वर्ष 2000–01 के दौरान शुरु की गई थी। वर्ष 2000–01 और वर्ष 2001–02 हेतु प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के आबंटनों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत कर्नाटक राज्य सरकार को वर्ष 2000–01 तथा वर्ष 2001–02 दोनों के लिए अलग–अलग 95 करोड रुपये की राशि आबंटित की गई। इसके अतिरिक्त, 100.57 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2000–01 के दौरान जारी की गई। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को दुगने आबंटन मूल्य के प्रस्ताव अनुमोदनार्थ भेजे जाने थे। तदनुसार वर्ष 2001–02 के लिए 203.35 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई तथा इसमें से वास्तव में 108.37 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2001–02 के लिए जारी की गई।

विवरण

वार्षिक योजना 2000–01 तथा 2001–02 के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) आबंटन दर्शाने वाला विवरण।

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य	आबंटन 2000–01	आबंटन 2001–02
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	14206.00	15911.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6817.00	6817.00

1	2	3	4
3.	असम	17957.00	20112.00
4.	बिहार	21946.00	24579.00
5.	छत्तीसगढ़	3140.00	3517.00
6.	गोआ	78.00	87.00
7.	गुजरात	6479.00	7256.00
8.	हरियाणा	1678.00	1879.00
9.	हिमाचल प्रदेश	7061.00	7908.00
10.	जम्मू और कश्मीर	17158.00	19217.00
11.	झारखंड	6779.00	7592.00
12.	कर्नाटक	7513.00	8415.00
13.	केरल	6908.00	7737.00
14.	मध्य प्रदेश	8237.00	9225.00
15.	महाराष्ट्र	9913.00	11103.00
16.	मणिपुर	4856.00	5439.00
17.	मेघालय	4059.00	4546.00
18.	मिजोरम	4041.00	5041.00
19.	नागालैण्ड	4113.00	4526.0
20.	उड़ीसा	9855.00	11038.00
21.	पंजाब	4040.00	4525.00
22.	राजस्थान	9640.00	10797.00
23.	सिक्किम	2811.00	3798.00
24.	तमिलनाडु	10479.00	11736.00
25.	त्रिपुरा	5083.00	7084.00
26.	उत्तर प्रदेश	33635.00	37671.00
27.	उत्तरांचल	1256.00	3907.00
28.	पश्चिम बंगाल	16782.00	18796.00
	जोड़	246520.00	280259.00

[हिन्दी]

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में हाटलाइन टेलीफोन

4783. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हाटलाइन टेलीफोन सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ग) सरकार द्वारा इन शिकायतों के निवारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई हाटलाइन टेलीफोन स्थापित नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोलकाता स्थित मेडिकल स्टोर डिपो

4784. श्री रघुनाथ झा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता स्थित सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या–2 (सीविल) में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) क्रियाविधि के अनुसार अंकेक्षण द्वारा ठीक किए जाने (वेट करने) के पश्चात् नियंत्रक एवं

महालेखाकार की रिपोर्ट में अंकेक्षण पैरों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां वित्त मंत्रालय के मानीटरिंग कक्ष को भेजी जाती हैं। इस मामले में की गई कार्रवाई की टिप्पणियों को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच स्थानीय टेलीफोन सुविधा

4785. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोलकाता और सिलीगुडी के बीच स्थानीय टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तिथि से प्रभावी बनाया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच 180 सेकंड की पल्स दर पर स्थानीय कॉल सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) स्थानी कॉल सुविधा किसी कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) के भीतर या निकटवर्ती कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों के बीच या 50 कि.मी. के भीतर आने वाले कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों के बीच उपलब्ध करायी जाती है। कोलकाता और सिलीगुड़ी क्रमशः कोलकाता और सिलीगुड़ी एसडीसीए में आते हैं। ये एसडीसीए न तो निकटवर्ती हैं और न ही 50 कि.मी. के दायरे में हैं, अतः नीति के अनुसार उनके बीच स्थानीय कॉल सुविधा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

अपोलो अस्पताल

4786. श्री पुन्नू लाल मोहले :

डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपोलो अस्पताल की स्थापना में कोई रियायत और सुविधाएं प्रदान की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अस्पताल में गरीब लोगों के उपचार के लिए कोई प्रावधान किया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि समझौता ज्ञापन के अनुसार केवल एक रुपया प्रति महीने के सांकेतिक भुगतान पर पट्टे पर भूमि का आबंटन किया गया।

(ग) और (घ) समझौता ज्ञापन के अनुसार अपोलो अस्पताल को निर्धन रोगियों के लिए कुल पलंगों के एक–तिहाई पलंग निःशुल्क पलंगों के रूप में प्रदान करने थे। तथापि, इस संबंध में एक निश्चित गिरावट रही है और यह मामला जनहित याचिका में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार भी इसमें प्रतिवादियों में से एक प्रतिवादी है।

[अनुवाद]

म्यांमार द्वारा विद्रोहियों को रिहा करना

4787. श्री जे. एस. बराड़ :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यांमार ने दोनो देशों के बीच सैन्य वार्ता के बाद नवम्बर 2001 में पकड़े गए सभी मणिपुरी विद्रोहियों को रिहा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को म्यांमार के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इन विद्रोहियों को रिहा करने के लिए म्यांमार सरकार द्वारा क्या कारण बताए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) बताया गया है कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने नवम्बर, 2001 में तामू क्षेत्र में एक कार्रवाई में बड़े पैमाने पर भारतीय विद्रोही दलों की धर–पकड की है। यह पता चला है कि बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा, नकली नोटों आदि जब्त किए गए हैं।

(ख) और (ग) भारत ने रासायनिक माध्यमों के जरिए अनुरोध किया है कि भारतीय दल को उन विद्रोहियों से पूछताछ करने की अनुमति दी जाए जिन्हें पकड़ा गया है। मौजूदा सांस्थानिक तंत्रों तथा राजनयिक माध्यमों के जरिए उन मामले में अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए नियम/योजनाएं

4788. श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए नए नियम और योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना 1.5.1954 को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवार के सदस्यों सहित अन्य विनिर्दिष्ट श्रेणियों की चिकित्सा से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में शुरू किया गया। यद्यपि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पर लागू होने वाले नियमों का संशोधन एक अनवरत प्रक्रिया है जो लाभार्थियों के सुझावों और दिन–प्रतिदिन की प्रशासनिक अपेक्षाओं पर आधारित है, तथापि, इस समय नए नियम/नई योजना लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए बच्चे

4789. श्री बृजलाल खाबरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत राज्य–वार कितने बच्चे शामिल किए गए और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पल्स पोलियो ड्राप्स की अधिक खुराक दिए जाने के कारण बच्चे मर गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पल्स पोलियो कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार समाचार पत्रों, रेडियो, टी.वी., लोक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, क्षेत्रीय प्रचार, पोस्टरों, बैनरों, चित्र–प्रदर्शनी, लघु फिल्मों आदि और गैर–सरकारी संगठनों तथा स्थानीय जनता की विस्तृत भागीदारी के माध्यम से पल्स पोलियो कार्यक्रम को लोकप्रिय बना रही है।

विवरण

1999–2002 में पल्स पोलियो टीकाकरण के अतर्गत कवर किए गए बच्चों की सख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य	1999–2000	2000–2001	2001–2002
		कुल	कुल	कुल
1	2	3	4	5
1.	अ. और नि. द्वीपसमूह	1.60	0.89	0.77
2.	आन्ध्र प्रदेश	408.88	212.52	212.29
3.	अरुणाचल प्रदेश	7.86	3.33	3.40
4.	असम	263.58	135.83	67.48
5.	बिहार	1175.73	831.02	552.[illegible]
6.	चंडीगढ़	4.44	2.14	2.39

1	2	3	4	5
7.	छत्तीसगढ़*	0.00	0.00	64.55
8.	दादरा और नागर हवेली	1.21	0.65	0.66
9.	दमण और दीव	0.70	0.36	0.37
10.	दिल्ली	102.78	93.35	76.96
11.	गोवा	4.95	2.51	2.51
12.	गुजरात	383.56	214.05	172.41
13.	हरियाणा	135.21	108.63	74.69
14.	हिमाचल प्रदेश	27.14	13.58	13.86
15.	जम्मू और कश्मीर	47.41	31.35	32.56
16.	झारखण्ड*	0.00	0.00	107.43
17.	कर्नाटक	274.15	137.14	166.23
18.	केरल	114.88	58.23	58.38
19.	लक्षद्वीप	0.13	0.13	0.13
20.	मध्य प्रदेश	776.61	372..75	204.00
21.	महाराष्ट्र	378.40	228.36	281.19
22.	मणिपुर	11.78	6.02	6.63
23.	मेघालय	16.97	7.04	7.15
24.	मिजोरम	4.42	2.08	2.26
25.	नागालैंड	9.27	4.22	4.59
26.	उडीसा	266.73	137.97	93.85
27.	पांडिचेरी	4.04	2.09	2.05
28.	पजाब	137.81	107.69	72.34
29.	राजस्थान	581.85	321.05	220.06
30.	सिक्किम	2.95	1.41	1.43
31.	तमिलनाडु	284.32	146.00	148.49
32.	त्रिपुरा	15.73	7.86	8.10
33.	उत्तर प्रदेश	1877.77	1342.48	696.63
34.	उत्तरांचल*	0.00	0.00	352.80
35.	पं. बंगाल	535.07	345.89	276.58
		0.00	0.00	0.00
	योग	7857.92	4878.62	3988.22

*नये राज्य

[अनुवाद]

केरल में निजी चिकित्सा महाविद्यालय

4790. श्री के. मुरलीधरन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को शुरू करने हेतु आशय पत्र जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया में एम.सी.आई. जान–बूझकर विलम्ब कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) केरल से निम्नलिखित प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित है:–

(1) पुष्पागिरी मेडिकल सोसाइटी द्वारा तिरूवल्ला में नया मेडिकल कालेज।

(2) मलांकारा अर्थोडाक्स सिरयन चर्च द्वारा कोलेनचेरी में नया मेडिकल कालेज।

(3) अमृता इन्स्टीटयूट मेडिकल साइंसेज द्वारा कोची में नया मेडिकल कालेज।

(4) साउथ केरल में मेडिकल मिशन द्वारा कराकोनम में नया मेडिकल कालेज।

(5) इमाम राजी मुस्लिम एजूकेशनल ट्रस्ट पलकाड़ द्वारा त्रिसूर में नया मेडिकल कालेज।

(ख) से (घ) अमृता इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेज द्वारा कोची में नए मेडिकल कालेज खोलने के लिए आशय–पत्र जारी किया जा चुका है। तिरूवल्ला, कोलेनचेरी और कराकोनम में मेडिकल कालेजों के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा संरचनात्मक ढांचे की सुविधाओं का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया जारी है। इन प्रस्तावों को स्वीकृति उपलब्ध सविधाओं और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की उन पर की गई सिफारिशों पर निर्भर करेगी। त्रिसूर में नए मेडिकल कालेज के बारे में आवेदक को प्रस्तावित कालेज के लिए भूमि की उपलब्धता पर स्पष्टीकरण भेजना है।

व्यापारिक घरानों के माध्यम से रूसी रक्षा सौदा

4791. श्री बी. के. पार्थसारथी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने हाल के भारत दौरे के दौरान रूसी उप–प्रधान मंत्री ने सभी रूसी रक्षा सौदों को अपने व्यापारिक घरानों के माध्यम से करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एन्थ्रैक्स युक्त पत्र

4792. श्री उत्तमराव ढिकले :

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान द्वारा जांच हेतु कितने संदिग्ध एन्थ्रैक्स युक्त पत्र प्राप्त किए गए; और

(ख) तत्संबंधी जांच के क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) पिछले छह महीनों के दौरान राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में 393 (तीन सौ तिरानवे) एंथ्रेक्स सम्भावित पत्र जांच के लिए प्राप्त हुए।

(ख) इन सभी पत्रों में एंथ्रेक्स नहीं पाया गया।

तमिलनाडु में पत्तनों के विस्तार हेतु योजना

4793. डा. ए. डी. के. जयशीलन : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कुड्डालूर और नागपट्टीनम स्थित पत्तनों के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) तमिलनाडु में कुड्डालूर और नागपट्टीनम लघु पत्तन हैं और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अनुसार लघु पत्तनों के विस्तार/विकास की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है जिनका ऐसे पत्तनों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है।

अमेरिकन सेंटर पर हुए हमले के शिकार व्यक्तियों के संबंधियों को अमरीकी मदद

4794. श्री बी. वेंकटेस्वरलु : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता स्थित अमेरिकन सेंटर पर हुए हमले में मारे गए पुलिस कर्मियों के संबंधियों को अमरीकी सरकार ने मदद देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) सरकार को अमरीकी सरकार द्वारा दी जाने वाली ऐसी सहायता की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जन्म/मृत्यु दर

4795. श्री शिवाजी माने : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में जन्म एवं मृत्यु दर का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार इस संबंध में क्या प्रवृत्ति देखी गई; और

(ख) इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार पिछले 3 वर्षों की अशोधित जन्म–दर और अशोधित मृत्यु–दर के अनुमान इस प्रकार हैं:–

	अशोधित जन्म–दर	अशोधित मृत्यु–दर
1998	26.5	9.0
1999	26.0	8.6
2000	25.8	8.5

(ख) जन्म दर में कमी लाने के लिए वर्ष 1997 से निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए गए हैं:–

– प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के लिए एक एकीकृत और समग्रतावादी कार्यक्रम जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भनिरोधन शामिल है, शुरू किया गया।

– सरकार ने फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई है। जिसमें जनसंख्या स्थिरीकरण लाने के लिए एक अन्तर–क्षेत्रीय कार्यसूची की व्यवस्था है। परिवार नियोजन सेवाएं चलाने में सामुदायिक सहभागिता को शुरू किया गया है।

– राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य कार्मिकों और गर्भनिरोधन की आपूरित आवश्यकताओं को पूरा करना, प्राप्त की जाने वाली बुनियादी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के लिए एकीकृत सेवा प्रदाय प्रदान करना है।

– आठ राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कवरेज और सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के बारे में केन्द्रित ध्यान देने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक शक्तिप्राप्त कार्यदल का गठन किया है।

[अनुवाद]

क्षय रोग का उन्मूलन

4796. श्री अनन्त नायक :

डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्षय रोग के उन्मूलन के लिए कोई लक्ष्य–तिथि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख में राज्य–वार स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) जी नहीं। क्षय रोग से संबंधित जानपदिक रोग विज्ञान स्थिति के कारण इसके उन्मूलन के लिए कोई विशिष्ट तारीख निर्धारित करना संभव नहीं है। अनुमान है कि देश में प्रति एक लाख जनसंख्या पर औसतन लगभग 220 क्षय रोगी होते हैं जिनमें प्रति लाख पर लगभग 135 रोगियों के उपचार के लिए सरकारी क्षेत्र में आने की आशा है। नए 'स्पूटम पॉजीटिव' रोगियों के 85 प्रतिशत को स्वस्थ करना तथा कम से कम 70 प्रतिशत ऐसे रोगियों का पता लगाने के लिए 'संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, देश में चरणबद्ध रूप से चलाया जा रहा है। देश के लगभग 220 जिलों में लगभग 460 मिलियन रोगियों को कवर किया गया है। वर्ष 2004 तक 800 मिलियन और 2005 तक सारे देश को कवर करने का प्रस्ताव है।

गरूड़ सेल्युलर फोन सेवा

4797. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्तमान में, सीडीएमए तकनीक पर आधारित गरूड़ टेलीफोन सेवा के लिए एमटीएनएल द्वारा स्थापित दूरभाष केन्द्रों की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या एमटीएनएल की सेलुलर टेलीफोन सेवा ''गरुड़'' असफल रही है जैसा कि 28 मार्च, 2002 के 'हिन्दू' में प्रकाशित समाचार में छपा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एमटीएनएल की तुलना में निजी टेलीफोन कंपनियां बेहतर और सस्ती सेवा प्रदान कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(च) एमटीएनएल ने सेलुलर फोन सेवा में नयी तकनीक को अपनाकर इस सेवा में सुधार हेतु क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीडीएमए प्रौद्योगिकी पर गरूड़ टेलीफोन सेवा के लिए कुल 20,000 लाइनों की संस्थापित क्षमता है।

(ख) जी, नहीं। एमटीएनएल को गरूड़ सेवा के संबंध में बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(च) एमटीएनएल ने सेलुलर फोन सेवा में ब्राण्ड नाम डाल्फिन के तहत जीएसएम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है जो उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी के समकक्ष है।

[हिन्दी]

झारखण्ड में लघु उद्योगों को बन्द किया जाना

4798. प्रो. दुखा भगत : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखण्ड में कई लघु उद्योग बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और सरकार को इस संबंध में किस सीमा तक सफलता मिली है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) बन्द इकाइयों पर सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों पर डाटा संग्रहीत करता है। आर. बी. आई. से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार तत्कालीन बिहार राज्य में, जिसमें नवनिर्मित झारखण्ड राज्य भी शामिल हैं, मार्च 1999, मार्च 2000 और मार्च 2001 के अंत तक क्रमशः 26293, 26909 और 16423 रूग्ण इकाइयां थीं।

(ग) सरकार लघु उद्योग इकाइयों के बीच औद्योगिक रूग्णता की घटना से पूर्ण रूप से अवगत है और संभाव्य जीवनक्षम रूग्ण इकाइयों की समय पर पहचान करने और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं – राज्य–स्तरीय अन्तरसंस्थानिक समितियों (एस.एल.आई.आई.सी.) के रूप में संस्थानिक मैकेनिज्म, बैंकों और राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास सेल, और पात्र इकाइयों को पुनर्वास सहायता में विस्तार हेतु आर.बी.आई. द्वारा जारी किए गए विस्तृत दिशा–निर्देश। श्री एस एस कोहली, भारतीय बैंक संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर, आर. बी. आई. ने रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास हेतु संशोधित दिशा–निर्देश तैयार किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ शामिल हैं, रूग्ण लघु उद्योग इकाईयों की परिभाषा में परिवर्तन, उनकी जीवनक्षमता आदि के निर्णय हेतु प्रतिमानक

आदि। आर. बी. आई. ने सभी बैंकों को 16 जनवरी, 2002 को संशोधित दिशा–निर्देश कार्योन्वयन हेतु परिचालित कर दिए हैं। आर बी आई के अनुसार तत्कालीन बिहार राज्य में 1998–99 में 286 इकाइयां, 1999–2000 में 40 इकाइयां और 2000–01 में 19 इकाइयां देखरेख के अंतर्गत रखी गई थीं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन

4799. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में टेलीफोन कनेक्शन की जनता की मांग को पूरा करने के लिए उसके बहुत बड़े हिस्से में न तो माइक्रोवेव स्टेशन स्थापित किये गये हैं और न ही केबल कनेक्शन दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्षों से टेलीफोन उपभोक्ताओं की बहुत लम्बी प्रतीक्षा सूची होने के बावजूद वहां वर्षों तक कोई टेलीफोन केन्द्र या सेटेलाइट स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है जिससे उड़ीसा के टेलीफोन उपभोक्ताओं में बहुत अधिक असंतोष है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में नये केन्द्रों को खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जनता की मांग पूरी करने हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया गया है। 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, इनका ब्यौरा और स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बी.एस.एन.एल. ने 2001–2002 के दौरान वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) सेवा भी शुरू की है और चालू वर्ष के दौरान व्यापक रूप से इसका विस्तार करने की योजना है। इस वर्ष के दौरान, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा भी शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिसमें उड़ीसा के सभी जिला मुख्यालयों को यह सुविधा दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए नए एक्सचेंज खोलने की भी योजना है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विस्तार की गई दूरसंचार सुविधाएं और 31.3.2002 के अनुसार स्थिति।

वर्ष	डी.ई.एल. (तारशुदा लाइनें)	डी.ई.एल. (डब्ल्यू.एल एल	स्विचन क्षमता (तारशुदा लाइनें)	स्विचन क्षमता (डब्ल्यू एल एल)	नए एक्सचेंज	माइक्रोवेव रुट (कि.मी.)	आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) (रुट कि.मी.)
1999–00	89036	0	133240	0	56	907	3028
2000–01	103107	0	131950	0	131	317	1517
2001–02	114810	12210	140843	48000	74	140	1921
पिछले तीन वर्षों के दौरान का जोड़	306953	12210	406033	48000	261	1364	6466
31.3.2002 के अनुसार स्थिति	641226	12210	798854	48000	1063	4248	11682

टिप्पणी : 31-3-2002 की स्थिति के अनुसार राज्य में 15 उपग्रह केन्द्र काम कर रहे हैं जिनमें से एक 2 एम बी इंटरमीडिएट डाटा रेंज (आई डी आर) लिंक भुवनेश्वर से नई दिल्ली के बीच काम कर रहा है।

वाणिज्य दूतावासों का उन्नयन

4800. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में कुल कितने दूतावास, उच्चा–युक्तालय और वाणिज्य दूतावास हैं और वर्ष 2001–2002 के दौरान विभिन्न देशों में स्थित इन राजनयिक एजेंन्सियों पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) क्या वर्ष 2002–2003 के दौरान किसी वाणिज्य दूतावास या दूतावास या उच्चायुक्तालय का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) आज की तिथि के अनुसार दूतावासों/उच्चायोगों/प्रधान कोंसलावासों और विशेष मिशनों सहित भारतीय मिशनों/केन्द्रों की संख्या 158 है तथा संशोधित अनुमान के अनुसार 2001–2002 वित्त वर्ष के दौरान भारतीय मिशनों/केन्द्रों पर होने वाला कुल व्यय 730 करोड़ रु. है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'पोटो' पर प्रतिक्रिया

4801. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र ने संसद द्वारा हाल ही में पारित आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटो) पर किस प्रकार अपनी प्रक्रियाएं व्यक्त की हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : उम्मीद है कि भारत को सीमा पार में आतंकवाद का हमेशा के लिए खात्मा करने के संबंध में इसके द्वारा किए गए राजनयिक, कानूनी तथा अन्य उपायों के लिए सशक्त अन्तर्राष्ट्रय समर्थन प्राप्त हुआ है। आज व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति यह है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है उसे जड़ से मिटाया जाना चाहिए चाहें वह कहीं भी हो।

[हिन्दी]

फिलीस्तीन पर इजरायल का आक्रमण

4802. श्री चन्द्रेश पटेल :

डा. नीतिश सेनगुप्ता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायल ने हाल में फिलीस्तीन पर बड़े आक्रमण किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) इजरायल के रक्षा बलों ने वैस्ट बैंक और गाजा में फिजीस्तीन नियन्त्रित कस्बों और गाँवों में आक्रमण शुरू किए हैं। इस क्षेत्र में हिंसा और तनाव में हाल में हुई वृद्धि पर सरकार को बहुत चिन्ता है और इजरायली आक्रमण तुरन्त रोके जाने और साथ ही आतंक, हिंसा, भडकाने और उकसाने की कार्यवाही बन्द करने की मांग की है।

[अनुवाद]

मदर पोर्ट के लिए निधियां

4803. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेन्नई में 'हाब पोर्ट' या 'मदर पोर्ट' के रूप में पत्तन विकास के लिए कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ख) इस संबंध में विभिन्न विकासात्मक कार्यों और निर्मित बुनियादी ढांचें का ब्यौरा क्या है;

(ग) 2002–2003 के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निवेश करने का विचार है और इसमें निजी एवं विदेशी कंपनियों की क्या भूमिका है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) पूर्वी तट पर चेन्नै पत्तन को कंटेनर हब पत्तन के रूप में विकसित करने के लिए अभिज्ञात किया गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 600 मीटर लम्बाई के मौजूदा कंटेनर को 30 वर्ष की अवधि के पट्टे पर दिनांक 30.11.2001 को मैसर्स पी एंड ओ पोर्टस के संघ (चेन्नै कंटेनर टर्मिनल लि.) को सौंपा गया था। चेन्नै पत्तन ने चेन्नै कंटेनर टर्मिनल का 290 मीटर और विस्तार करने तथा एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर 36 करोड़ रु. का निवेश किया है। इन कार्यों

को पूरा करने के पश्चात् इन्हें चेन्नै कंटेनर टर्मिनल लि. टर्मिनल को सौंप दिया जाएगा। चेन्नै कंटेनर लि. ने गंत्री क्रेनों जैसे अद्यतन उपस्करों की अवसंरचना और सिविल ढांचों के सृजन पर 5 वर्ष की अवधि के भीतर 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करने का वचन दिया है।

(ग) और (घ) लगभग 4 करोड़ रु. की लागत से चल रहे सिविल कार्य पूरा किए जाने को छोड़कर, जिसे ठेके में शामिल कर लिया गया है, वर्ष 2002–2003 के दौरान कोई अतिरिक्त धनराशि निवेश करने के लिए चेन्नै पत्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि कंटेनर टर्मिनल को पट्टे पर दे दिया गया है। लाइसेंस के करार के अनुसार मैसर्स चेन्नै कंटेनर टर्मिनल लि. को 3 वर्ष की अवधि के भीतर मुख्य लाइन के जलयानों को लाना होगा और गैर यानान्तरण कार्गो के रूप में न्यूनतम 20% कंटेनर उपलब्ध कराने होंगे।

[हिन्दी]

नेट टेलीफोन सेवा

4804. डा. अशोक पटेल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट सेवा कम्पनियों को नेट टेलीफोन सेवा शुरु करने की अनुमति देने का निश्चय कर लिया है;

(ख) क्या उपर्युक्त नयी सेवा की शुरूआत के लिए उन से नये सिरे से शुल्क वसूलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि, दूरसंचार प्राधिकरण लाइसेंस की वैद्यता के दौरान किसी भी समय इसकी पुनरीक्षा करने और लाइसेंस शुल्क लगाने का अधिकार रखता है।

बिहार में सेटेलाइट से मनीआर्डर

4805. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के किन–किन कस्बों/शहरों में सेटेलाइट के माध्यम से मनीआर्डर की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या वर्ष 2002–2003 में इन सुविधाओं को राज्य के अन्य डाकघरों तक विस्तारित किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विचाराधीन प्रस्तावों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बिहार के निम्नलिखित 9 कस्बों/शहरों में उपग्रह मनीआर्डर सेवा उपलब्ध है: 1. पटना 2. छपरा 3. मोतीहारी 4. सासाराम 5. दरभंगा 6. मुजफ्फरपुर 7. गया 8. पूर्णिया 9. भागलपुर

(ख) और (ग) अन्य डाकघरों तक इन सुविधाओं का विस्तार कुछ वी–सैट (वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स) के प्रस्तावित उन्नयन और फलस्वरूप मौजूदा प्रणालियों के पुनर्स्थापन पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

पर्यावरण अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना

4806. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वायु प्रदूषण एवं बढ़ रही गंभीर बीमारियों के सह–संबंध के बारे में की गई प्रगति का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करने हेतु उनके मंत्रालय में केन्द्रीय एजेंसी के रूप में कोई पर्यावरण अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के प्रकोष्ठ को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद पर्यावरणिक अनुसंधान से संबंधित कार्य कर रही है। तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार ने 17 जुलाई, 2001 को एक पर्यावरणिक स्वास्थ्य कक्ष की स्थापना की है जो पर्यावरणिक स्वास्थ्य और जानपदिक रोग विज्ञानीय अध्ययनों से संबंधित सभी मामलों के लिए केन्द्रीय बिन्दु है।

[हिन्दी]

पी.जी.आई. चंडीगढ़ को सहायता

4807. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा पी जी आई चंडीगढ़ को कितनी धनराशि की सहायता दी गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस संस्थान में इलाज के लिए कितने रोगी पंजीकृत हुए;

(ग) इस संबंध में अंतरंग और बहिरंग रोगियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त रोगियों में से कितने रोगी उपचार के दौरान और कितने उपचार शुरू किए जाने के पहले मर गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पी जी आई एम ई आर) चण्डीगढ़ को गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई अनुदान सहायता और 2002–2003 के बजट अनुमान नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	गैर योजना (लाख रुपए में)	योजना (लाख रुपये में)
1999–2000	9606	2500
2000–01	9120	2200
2001–02	9464	2900
2002–03 (एई)	9450	2500

(ख) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान उपचार के लिए पंजीकृत रोगियों की संख्या नीचे दी गई है:–

वर्ष	ओपीडी	इमर्जेन्सी	कुल
1999	846403	32149	878552
2000	870234	34543	904777
2001	932783	34562	967345

(ग) वर्ष 1999, 2000 व 2001 में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों की संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	अंतरंग रोगी	बहिरंग रोगी
1999	39503	878552
2000	41838	904777
2001	41412	967345

(घ) वर्ष 1999, 2000 व 2001 में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में मरे रोगियों की संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	मौतों की संख्या
1999	2332
2000	2475
2001	2441

इन सभी रोगियों को उनकी मृत्यु से पहले पर्याप्त उपचार उपलब्ध किया गया था।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्र खोलने के लिए मानदण्ड

4808. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्र खोलने के लिए क्या मानदण्ड बनाए गए हैं;

(ख) असम सर्किल के बोंगाईगांव दूरसंचार जिले में 1999 से आज की तारीख तक कितने दूरभाष केन्द्र खोले गए;

(ग) तत्संबंधी क्षेत्र–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्रों को खोलने हेतु

कौन–कौन से प्रस्ताव लंबित हैं और इसके लिए समय–सीमा निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए पंजीकृत मांग की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए। तथापि, इन मानदण्डों में संशोधन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) विवरण–I के अनुसार, 1999 से बोंगाईगांव दूरसंचार जिले में 15 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए हैं।

(घ) वर्ष 2002–2003 के दौरान बोंगाईगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना बनायी गई है बशर्ते किराए का भवन और विद्युत आपूर्ति कनैक्शन उपलब्ध हों। ब्यौरे संलग्न विवरण–।। में दिए गए हैं।

विवरण-।

वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–02 के दौरान बोंगाईगांव दूरसंचार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा।

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंज	
1	2	
1999–2000	1.	भोवरागुड़ी
	2.	अगिया
	3.	मोसालपुर
	4.	मोरनोई
	5.	रंगजुली
2000–2001	1.	नित्यानन्द
	2.	भेल्ला
	3.	आलमगंज
	4.	सिमलाबाजार
	5.	कुमारीकटा
	6.	बोरबारी
	7.	खन्दकारपाड़ा
	8.	गोगरापड़
2001–2002	1.	सत्रसाल
	2.	रामपुर

विवरण-II

बोंगाईगांव जिले में 2002–2003 के दौरान खोले जाने वाले योजनाबद्ध टेलीफोन एक्सचेंज

1. बरोबाजार
2. श्रीरामपुर
3. सदेरी
4. दामरा
5. बालागांव
6. जल्लाह
7. कायाकुची
8. गोलपाड़ा (नालबाड़ी जिला)
9. डोलगोमा
10. कछगांव

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार केन्द्र

4809. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री रामदास रुपला गावीत :

श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्तमान में कार्यरत दूरभाष केन्द्रों

और चालू वित्तीय वर्ष में स्थापित किए जाने वाले केन्द्रों की, जिले–वार संख्या क्या है;

(ख) वर्तमान में राज्य में ऐसे कितने गांव हैं, जहां दूरभाष सुविधा उपलब्ध है और वर्ष 2002–2003 में कितने गांवों में यह सुविधा प्रदान किए जाने का विचार है;

(ग) शेष गांवों में यह उक्त सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर कोल्हापुर और इचलकरांची जिलों में उपलब्ध दूरभाष और दूरसंचार सुविधाएं अपर्याप्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्री-पेड क्रेडिट तथा डेबिट कार्डों का शुरू करना

4810. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री थावरचन्द गेहलोत :

श्री वाई. वी. राव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग का विचार प्री–पेड क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक लागू होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) फिलहाल डाक विभाग ने केवल प्री–पेड कार्ड शुरू करने का निर्णय किया है। इन कार्डों से कार्डधारक देशभर के व्यापार–गृहों में नकदी–रहित लेन–देन कर सकते हैं तथा चुनिंदा एटीएम तथा डाकघरों से नकदी निकाल सकते हैं। प्री–पेड कार्ड प्रचालन व व्यावसायिक मानक निर्धारित होने के पश्चात ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में शुरु किए जाएंगे?

अपव्यय

4811. डा. बलिराम : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ विभागों में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें भारी अपव्यय की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार कितना अपव्यय हुआ है; और

(घ) अपव्यय को कम करने हेतु आज तक क्या कदम उठाये गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए (ख) से (घ) के संबंध में सूचना शून्य समझी जाए।

तमिलनाडु में ग्राम पंचायतों को दूरभाष सुविधाएं

4812. श्री एन. टी. षणमुगम : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 को तमिलनाडु की कितनी ग्राम पंचायतें फैक्स और एसटीडी/आईएसडी सहित दूरभाष सुविधा से जुड़ी हुई हैं; और

(ख) राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में उपर्युक्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) तमिलनाडु में 126 ग्राम पंचायतों को एसटीडी सुविधा प्रदान की गई है। 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत में फैक्स या आईएसडी सुविधा नहीं हैं। संलग्न विवरण में जिला–वार ब्यौरे दिए गए हैं।

(ख) उक्त सुविधाएं फ्रैंचाइजी/उपभोक्ताओं के अनुरोध पर दी जा रही हैं।

विवरण

तमिलनाडु में एसटीडी सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों का जिला–वार ब्यौरा

जिला का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2
अरियालूर	14
कोयम्बतूर	1
कुड्डालूर	0
धरमपुरी	15
डिंडीगुल	2
इरोड	5
कांचीपुरम	0
कन्याकुमारी	0
करूर	0
मदुरई	0
नागपट्टीनम	0
नामाक्कल	0
पेराम्बूलूर	2
पुडुकोट्टई	2
रामानाथनपुरम	0
सलेम	0
सिवगंगा	0
तंजावूर	35
नीलगिरि	1
तेनी	0
तिरुवरुर	0
तिरूनेलवेलि	16
तिरूवन्नामलाई	12
तिरूवेल्लोर	0
त्रिची	9
तूतीकोरिन	0
वेल्लोर	4
विल्लूपूरम	8
विरूधुनगर	0
जोड़	126

[हिन्दी]

प्रत्येक ग्राम पंचायत में डाकघर खोलना

4813. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में डाकघर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कार्रवाई किये जाने की संभावना है;

(ग) देश में वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतों में डाकघर खोले जा चुके हैं;

(घ) ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, जहां अभी डाकघर खोला जाना शेष है; और

(ङ) इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) डाक नेटवर्क के विस्तार को एक योजना कार्यकलाप के रूप में शुरू किया जाता है जो अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता तथा निर्धारित मानदंडों के पूरे होने पर निर्भर करता है।

(ग) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 115247 ग्राम पंचायत गांवों में डाकघर प्रदान किए गए हैं।

(घ) और (ङ) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 118992 ग्राम पंचायत गांवों में डाकघर नहीं थे। तथापि, ग्राम पंचायत गांवों सहित देश के हर गांव में डाक संग्रहण, डाक वितरण तथा डाक–टिकट और डाक लेखन–सामग्री की बिक्री की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन ग्राम पंचायत गांवों में नए डाकघर खोला जाना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

सिविल सेवा आयोग बोर्ड का गठन

4814. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रभावी स्थानांतरण नीति हेतु सिविल सेवा आयोग बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारत म्यांमार संबंध

4815. श्री राजो सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने म्यांमार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त समझौता ज्ञापन के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) भारत और म्यांमा ने विभिन्न विषयों से संबंधित अभी तक छह समझौता ज्ञापन संपन्न किए हैं।

(ख) भारत और म्यांमा के बीच संपन्न समझौता ज्ञापनों के संबंध में विवरण निम्न प्रकार हैं:–

(i) भारत और म्यांमा गैर–सैनिक सीमा प्राधिकरियों के बीच सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन (21.01.1994 को संपन्न)

(ii) म्यांमा–भारत सीमा के साथ म्यांमा में सड़कों के विकास में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन (19.03.1997 को संपन्न)

(iii) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन (25.04.1998 को संपन्न)

(iv) यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया (यूबीआई) और म्यांमा इकानोमिक बैंक (एमईबी) के बीच बैंकिंग व्यवस्था से संबद्ध समझौता ज्ञापन (11 अप्रैल, 2000 को संपन्न)

(v) भारत सरकार और म्यांमा की संघ सरकार के बीच तामू–कलेमियो सड़क के रख–रखाव से संबद्ध समझौता ज्ञापन (25 मई, 2001 को संपन्न)

(iv) सौर ऊर्जा के जरिए म्यांमा में गांव यामियोऔंग के विद्युतीकरण से संबद्ध समझौता ज्ञापन (22 फरवरी, 2002 को संपन्न)

(ग) ये समझौता ज्ञापन इन पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी हुए।

सेल्युलर सेवाएं

4816. श्री रामदास रूपला गावीत :

श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का विचार निकट भविष्य में महाराष्ट्र और झारखंड के कुछ जिलों में मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थान–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सेवा के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र और झारखंड राज्य में स्थान–वार ब्यौरे संलग्न विवरण – । और ।। में दिये गये हैं।

(ग) मौजूदा वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में सेवा शुरु किए जाने की संभावना है।

विवरण-।

महाराष्ट्र राज्य में कवर किए जाने वाले प्रस्तावित स्थानों के नाम

क्र. सं.	स्थान का नाम	क्र. सं.	स्थान का नाम	क्र. सं.	स्थान का नाम
1.	अहमदनगर	21.	गोंदिया	41.	मुरबाद
2.	श्रीरामपुर	22.	तुमसर	42.	वीरार
3.	कोपरगांव	23.	बुलढाना	43.	बसई
4.	संगमनेर	24.	खामगांव	44.	भिवंडी
5.	राहुड़ी	25.	मल्कापुर	45.	धाहानू
6.	श्रीगोंडा	26.	चन्द्रपुर	46.	तारापुर
7.	अकोला	27.	बल्लारपुर	47.	पालघर
8.	वाशिम	28.	धुले	48.	अम्बेरनाथ
9.	अमरावती	29.	नंदूरबार	49.	कुलगांव
10.	अचलपुर	30.	शिरपुर	50.	बडा
11.	वारूद	31.	गढ़चिरौली	51.	साहापुर
12.	औरंगाबाद	32.	देसईगंज	52.	मोरवाड़ा
13.	सिल्लोद	33.	जलगांव	53.	जवाहर
14.	वैजापुर	34.	भूसावल	54.	तलासरी
15.	कुल्ताबाद	35.	चालीसगांव	55.	कोल्हापुर
16.	पैठान	36.	अमालनेर	56.	इचालकरंजी
17.	बीड़	37.	इरनडोल	57.	जैसिंगपुर
18.	अम्बेजोगई	38.	जैना	58.	गधिग्लाज
19.	पार्ली	39.	अम्बेद	59.	भूदरगाद
20.	भंडारा	40.	उल्हासनगर	60.	लातूर

क्र. सं.	स्थान का नाम	क्र. सं.	स्थान का नाम	क्र. सं.	स्थान का नाम
61.	उदग्रीद्र	82.	देहूरोड	104.	सतारा
62.	अहमदपुर	83.	चकान	105.	कराद
63.	नागपुर	84.	कोरेगांव–एमआईडीसी	106.	वई
64.	उमरेद	85.	कोरेगांव–भीमा	107.	फाल्टन
65.	बुटीबोरी	86.	सस्वाद	108.	महाबलेश्वर
66.	नांदेड़	87.	उरलीकंजन	109.	सावंतवाड़ी
67.	देगलूर	88.	मंचर	110.	कन्कावली
68.	नासिक	89.	वालचंद नगर	111.	कुडाल
69.	मन्माड	90.	बारामती	112.	सोलापुर
70.	लसलगांव	91.	अलीबाग	113.	अकलूज
71	पिम्पलगांव	92.	खोपोली	114.	पंढारपुर
72.	ओजर	93.	पेन	115.	बर्सी
73.	इंगतपुरी	94.	रोहा	116.	वर्धा
74.	उस्मानाबाद	95.	महाद	117.	हींगाघाट
75.	तुल्जापुर	96.	रत्नागिरि	118.	अरवी
76.	परभनी	97.	चिपलून	119.	यवतमाल
77.	हिंगोली	98.	राजापुर	120.	धुसाद
78.	शेलू	99.	सांगली	121.	वानी
79.	पुणे	100.	मिराज	122.	डिगरूस
80.	तालेगांव	101.	इस्लामपुर	123.	दौंद
81.	लोनावाला	102.	वीटा	124.	डोंडिचा
		103.	तासगांव	125.	मालेगांव

विवरण-।।

झारखंड राज्य में कवर किए जाने वाले प्रस्तावित स्थानों का नाम

क्र. सं.	स्थान का नाम	क्र. सं.	स्थान का नाम	क्र. सं.	स्थान का नाम
1.	बोकारो	6.	धनबाद	11.	गुमला
2.	चाईबासा	7.	दुमका	12.	हजारीबाग
3.	चतरा	8.	गढ़वा	13.	कोडरमा
4.	डाल्टगंज	9.	गिरीडीह	14.	लोहरदग्गा
5.	देवघर	10.	गोड्डा	15.	पाकुड़
				16.	साहेबगंज

रांची और जमशेदपुर में सेवा पहले से ही कार्य कर रही है।

[अनुवाद]

भारत-बंगलादेश संबंध

4817. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगलादेश में नई सरकार बनने के बाद से भारत–बंगलादेश के बारे में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : भारत सरकार ने बंगलादेश में लोकतांत्रिक तरीके से गठित नई सरकार का स्वागत किया है। भारत बंगलादेश के साथ अपने संबंधों को महत्वपूर्ण मानता है और सरकार में परिवर्तन से दोनों देशों तथा संपूर्ण क्षेत्र के लोगों की प्रगति और भलाई के लिए बंगलादेश के साथ मिलकर कार्य करने की भारत की वचनबद्धता पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

बंगलादेश में नई सरकार के गठन के बाद से उच्च–स्तरीय आदान–प्रदान और क्रियाकलाप हुए हैं। प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री ब्रजेश मिश्रा ने प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रुप में अक्तूबर, 2001 में ढाका का दौरा किया। बंगलादेश की प्रधान मंत्री ने जनवरी 2002 में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान काठमान्डू में प्रधान मंत्री से मुलाकात की। इस उच्च–स्तरीय क्रियाकलाप के पश्चात बंगलादेश के विदेश सचिव की यात्रा हुई जो फरवरी 2002 में विदेश कार्यालय परामर्शों की नियमित संरचना के बाहर की बातचीत थी।

भारत और बंगलादेश के बीच जो अन्य बड़ी बैठकें हुई हैं उनमें कोलकाता–ढाका बस सेवा करार और प्रोतोकोल की समीक्षा करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए की गयी वार्ता, मार्च 2002 में ढाका में सीमा–सुरक्षा बल और बंगलादेश रायफल्स के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता, 1974 के भू–सीमा करार के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबद्ध संयुक्त सीमा कार्यकारी दलों की दूसरी बैठक तथा अप्रैल, 2002 के आरंभ में वाणिज्य सचिव स्तर पर होने वाली वार्षिक व्यापार समीक्षा वार्ताएं शामिल हैं।

सरकार ने अल्पसंख्यकों पर हमलों तथा बंगलादेश में भारतीय उग्रवादी गुटों की उपस्थित के मसले को भी उठाया है। बंगलादेश की सरकार ने हमारी चिंताओं को माना है और आश्वासन दिया है कि उसके क्षेत्र में भारत–विरोधी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति

4818. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति के किस तिथि तक घोषणा किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) इस समय कोई पृथक मानसिक स्वास्थ्य नीति नहीं है। तथापि, जिस कार्य नीति का मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का उपचार करने के लिए अनुपालन किया जा रहा है, वह इस प्रकार है:–

(1) प्राथमिक स्तर पर शुरु में ही निदान और उपचार को बढ़ावा देने के लिए मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के साथ मिलाना;

(2) तृतीय परिचर्या संबंधी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण;

(3) उपचार की प्रकृति को हिरासत से बदल कर चिकित्सीय करना; और

(4) अस्पतालों में रोगियों के लम्बे ठहरने की अवधि कम करना और परिवार और समग्र रूप से समुदाय की सहायता के माध्यम से उपचार की प्रक्रिया को बढ़ावा देना।

नेपाल के साथ व्यापार संधि

4819. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के प्रधान मंत्री के नेतृत्व में नेपाली शिष्टमंडल ने अपनी हाल की यात्रा में भारत के साथ हाल में की गई नवीकृत व्यापार नीति पर अप्रसन्नता व्यक्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) 20–25 मार्च, 2002 के बीच नेपाली प्रधानमंत्री की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान भारत नेपाल व्यापार संधि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बारे में

संतोष व्यक्त किया कि भारत नेपाल व्यापार संधि को 5 मार्च, 2007 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत कर दिया गया है। जिसमें संधि के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना संधि के प्रोतोकोल में परस्पर रूप से स्वीकार्य संशोधन निहित हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नई संधि संबंधित द्विपक्षीय व्यापार का मार्ग प्रशस्त करेगी और नेपाल में शांति और औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देगी। नेपाली पक्ष ने यह अनुरोध किया कि व्यापार संधि ने नवीकरण के पूर्व लगाए गए विभिन्न करों और उगाहियों की समीक्षा की जाए।

एम.टी.एन.एल. कृतिक बल को कम करना

4820. श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी :

श्री ए. ब्रह्मनैया :

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और मुंबई में एम.टी.एन.एल. में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) श्रेणी (ग) और (घ) में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या सरकार का इस कृतिक बल को कम करने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप कौन से विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(ङ) एम.टी.एन.एल. द्वारा इस संबंध में बनाई गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 59021 है।

(ख) 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार श्रेणी 'ग' और 'घ' ग्रेडों के कर्मचारियों की कुल संख्या 52040 है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

थाईलैण्ड के साथ समर्थन संधि

4821. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे थाइलैंड के साथ प्रत्यर्पण संधि को अतिम रूप देने के लिए बातचीत इस समय किस चरण में है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : भारत और थाईलैंड ने प्रस्तावित प्रत्यर्पण संधि के प्रारूपों का आदान–प्रदान किया है। यह मामला प्राथमिक अवस्था में है।

[अनुवाद]

कच्छ में डाकघर

4822. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ जिले में भूकम्प में बड़ी मात्रा में डाक घर/उप–डाक घर नष्ट हो गए/ उनको नुकसान पहुंचा था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ग) उपरोक्त डाक घरों में से कितने डाक घरों/उप–डाकघरों की मरम्मत की गई/उन्हें पुनः निर्मित किया गया और उन्होंने सामान्य कामकाज शुरू कर दिया है; और

(घ) शेष डाक घरों/उप–डाक घरों की कब तक मरम्मत/उनका पुननिर्माण किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) महोदय, कच्छ जिले में भूकम्प में 67 डाकघर भवनों में 45 क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें 13 विभागीय और 32 किराये के भवन हैं

(ग) और (घ) विभागीय भवनों की मरम्मत का कार्य चरणबद्ध–रूप में किया गया। आज तक 13 विभागीय भवनों में से 10 की पूरी तरह मरम्मत हो चुकी है तथा एक की मरम्मत जारी है। अन्य दो डाकघरों को पूर्व–निर्मित ढांचे उपलब्ध कराए गए हैं। किराये के भवनों की मरम्मत का काम मकान मालिकों द्वारा किया जाना है। तथापि, विभाग ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त किराए के 8 भवनों के लिए पूर्व–निर्मित ढांचे उपलब्ध कराये हैं। भूकम्प प्रभावित कच्छ जिले में सामान्य डाक सेवाएं बहाल कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रोग प्रतिरक्षण विभाग में अनियमितताएं

4823. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के रोग प्रतिरक्षण विभाग में धनराशि की हेराफेरी को दर्शाने वाले दस्तावेज जब्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कितने अधिकारी संलिप्त पाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/भ्रष्टाचार निरोधी शाखा, दिल्ली ने 03.01.2002 को इस शिकायत/सूचना की जांच करने कि रोगियों से एकत्र किए जाने वाल परीक्षण प्रभारों का एच. एल. ए. प्रयोगशाला, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली उपयुक्त रूप से लेखा नहीं रख रहा है/उनको रोकड़/लेखा विभाग के पास जमा नहीं करा रहा है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/भ्रष्टाचार निरोधी शाखा, दिल्ली ने डा. एन. के. मेहरा, अध्यक्ष रोग प्रतिरक्षण विज्ञान एवं इम्यूनोजेनेटिक्स विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और एच. एल. ए. प्रयोगशाला के अन्य स्टाफ सदस्यों के विरूद्ध एक मामला दर्ज किया है।

[अनुवाद]

भारत-पाक संबंध

4824. श्रीमती रेणूका चौधरी :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना मंत्रियों की दक्षेस बैठक में भाग लेने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री ने हाल ही में इस्लामाबाद की थी और इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान ने भगोड़ों के अदान–प्रदान हेतु भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया था;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाक अधिकारियों ने भी विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) पाकिस्तान ने प्रत्यर्पण संधि के लिए भारत को कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं किया है।

मार्च के आरंभ में मीडिया को दी गई अपनी टिप्पणियों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि होने का पता दोनों देशों के बीच बातचीत आरंभ होने के बाद लगाया जा सकता है और यह कि ऐसे संदर्भ में पाकिस्तान भारत द्वारा मांगे जा रहे कानून से भागे 20 भगोड़े व्यक्तियों के प्रश्न पर विचार कर सकता है।

तथापि, जुलाई, 2001 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की भारत यात्रा के दौरान श्री एल के आडवाणी ने राष्ट्रपति मुशर्रफ को विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि करने का प्रस्ताव किया था पाकिस्तान के राष्ट्रपति यह कहते हुए सुझाव अस्वीकार कर दिया था कि ऐसी संधि दोनों देशों के बीच संबंधों के सामान्य हो जाने के बाद ही संभव है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्यपर्ण संधि के लिए पाकिस्तान के हाल के सुझाव केवल प्रचार करने के उद्देश्य से और कानून से भागे 20 भगोड़ों पर कार्यवाही में देरी करने के लिए है।

(ग) और (घ) पाकिस्तान के नेता भारत के साथ बातचीत पुनः आरंभ करने की मांग करते रहे हैं हालांकि पाकिस्तान भारत में निरन्तर सीमा पार आतंकवाद को समर्थन दे रहा है और उसके नेता निरन्तर जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा का औचित्य सिद्ध कर रहे हैं।

भारत ने सदैव यह चाहा है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसियों जैसे संबंध स्थापित हों और इस प्रयोजनार्थ भारत 1998 में हमारे द्वारा शुरू की गई संघटित वार्ता पुनः आरंभ करने के लिए कटिबद्ध है। पाकिस्तान को ही सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बन्द करना होगा और कानून से भागे 20 लोगों की सूची पर तत्काल कार्यवाही करनी होगी ताकि लाभप्रद बातचीत की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ बनाई जा सकें।

[हिन्दी]

अस्पतालों में दवाइयों की अनुपलब्धता

4825. श्री सुबोध राय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिकल भंडारों में डाक्टरों द्वारा बताई गई दवाइयों की अनुपलब्धता और कम आपूर्ति की जानकारी है जिससे रोगियों को भारी असुविधा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जीवन रक्षक दवाओं सहित सभी प्रकार की दवाए, जिनमें अस्पताल की फार्मूलरी दवाएं भी शामिल हैं, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के दवा भंडार में सदैव उपलब्ध रहती हैं। डाक्टरों द्वारा निर्धारित दवाएं, जो अस्पताल की फार्मूलरी में शामिल नहीं है, दवा भंडार में नहीं रखी जाती है। तथापि, उपचार करने वाले विशेषज्ञों की सिफारिश पर यह दवाएं स्थानीय रुप से खरीद कर गरीब अंतरंग रोगियों को उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों की भागीदारी

4826. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों की भागीदारी मात्र 1.6 प्रतिशत है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत मुख्यतः ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार समाधान उपलब्ध कराता है, जो विश्वव्यापी मांग का लगभग 16: है।

(ग) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय

1. पूँजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है। और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई–वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वतः मार्ग के अन्तर्गत है।

3. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाऐं अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनतम निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों का निर्यात के लदान पर्यत निःशुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलो पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। इनका मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 90% तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002–2002 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया है, कम्प्यूटर/प्रिंटरों स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0% फ्लॉपी डिस्क पर 15% से 10% तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों मेंप्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25% से 5% अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5% से 0% इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर 25–35% से 15%, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, सांचों, डाइयों पर 25% से 15% और इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25–35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

*कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियाँ, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक–पूर्जों पर 0% की दर से जारी हैं। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की मदों पर सीमा शुल्क 15%, दूरसंचार के पुर्जों पर 5% सेल्युलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक–पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है।

0. वर्ष 2001–02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16% एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो अब भी जारी है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण शामिल है।

16. धारा 80 एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध है।

17. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 10ए, 10बी तथा 80 एचएचई के तहत आयकर लाभ के पात्र है।

18. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान रहेगी चाहें उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

19. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में "निर्यात गृह" का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयाँ निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं:

* विदेशी मुद्रा अर्जनकर्त्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।

* सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढाकर 360 दिन किया जाना।

20. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक

उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर–वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई हैं

21. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी भी संगठन द्वारा गैर–व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

22. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए निवेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी से प्राप्त लाभांश अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

23. उद्यम पूंजी वित्तपोषण को बढावा देने के उद्देश्य से, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

24. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर निवेशकर्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पूंजी निधियों ने आरंभिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

25. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी कम्पनी में साम्यापूँजी के कुल 24% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001–2002 के बजट में इस सीमा को 40% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।

26. धारा 80–1ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अंतर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

27. एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमागी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है।

28. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002–03 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बडे पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15% की और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003–04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

29. भारत में उद्योगों को पुनः स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुनःस्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

30. ऐसी भारतीय कम्पनियां जो विदेशों में पूंजीनिवेश करना चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वतः मार्ग से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक का पूंजीनिवेश कर सकती हैं, जिसकी वर्तमान 50 मिलियन अमरीकी डॉलर है। (बजट 2002–03 की घोषणा)

31. बाजार खरीद के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजीनिवेश करने वाली भारतीय कम्पनियाँ अब पूर्व अनुमति के बिना अपनी शुद्ध मालियत के 50% तक ऐसा कर सकती हैं। इस समय यह सीमा 25% है। (बजट 2002–03 की घोषणा)

32. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

33. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी

करने के प्रयोजन से, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घण्टे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से परिचित व्यवसायीड़ (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

34. मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई सामान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियों तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

35. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

चिकित्सा अनुदान आयोग

4827. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में धन की कमी का सामना कर रहे सरकारी मेडिकल कालेजों को अनुदान जारी किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह चिकित्सा अनुदान आयोग की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी नहीं।

(ख) चूंकि 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, इस लिए केन्द्र सरकार की राज्य द्वारा चलाए जाने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई नियमित योजना नहीं है। तथापि, नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए चयनित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरु की गई है। इस योजना के अंतर्गत बैंगलूर चिकित्सा महाविद्यालय, बैंगलूर को वित्तीय सहायता देने के लिए कर्नाटक सरकार का एक प्रस्ताव पास हुआ है। यह प्रस्ताव इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं पाया गया। इसलिए राज्य सरकार से इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इस प्रस्ताव को भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) चिकित्सा अनुदान आयोग स्थापित करने का एक प्रस्ताव था लेकिन अपर्याप्त संसाधनों को देखते हुए इस प्रस्ताव को आस्थगित रखा गया है।

अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा तेल टैंकर की खरीद

4828. श्री विष्णु पद राय : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार प्रशासन ने द्वीपशक्ति तेल टैंकर खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी कितनी कीमत है;

(ग) इसकी प्रचालन लागत, अप्रत्यक्ष लागत, प्रबंधन लागत और ईंधन लागत का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस टैंकर के उपयोग से कितना राजस्व अर्जित किया गया और कितना घाटा उठाया गया; और

(घ) इस टैंकर द्वारा अब तक कितने तेल की ढुलाई की गई और इसके द्वारा अब तक कितनी बार यात्रा की जा चुकी है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी हां।

(ख) जलयान की लागत 1,10,46,000/– रु. है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस टैंकर द्वारा अर्जित किए गए राजस्व/उठाए गए घाटे सहित प्रचालन लागत, अप्रत्यक्ष लागत, प्रबन्धन लागत, ईंधन लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

एम टी द्वीपशक्ति (तेल टैंकर) के संबंध में 1999 में प्रत्यक्ष प्रचालन लागत (ईंधन), अप्रत्यक्ष लागत, प्रबन्धन लागत, कुल प्रचालन लागत, वसूल किया गया राजस्व और उठाई गई हानि।

(आंकड़े रु. में)

वर्ष	प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	अप्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	प्रबन्धन व्यय	कुल व्यय	राजस्व	किया गया अधिक व्यय	वसूल किया गया अधिक राजस्व
1999–2000	162194	3713586	0	3875780	4334966		459186
2000–2001	1252132	3891830	0	5143962	2915775	2228187	
2001–2002	881969	3017217	0	3899186	4018279		119093

कॉल दर में कमी

4829. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.एस.एन.एल. ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल दरों में कमी की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई आदेश जारी किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह आदेश कब तक जारी किये जायेंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत-अमेरिका संबंध

4830. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमेरिका के साथ संयुक्त प्रशिक्षण और कार्यक्रम आदान–प्रदान करके अफगानिस्तान में युद्ध में लगे अमेरिकी युद्धक विमानों को पत्तन सुविधाएं देने और अमेरिका द्वारा प्रायोजित "कम्यूनिटी आफ डिमोक्रेसीज" में शामिल होने से भारत को क्या लाभ मिल सकते हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : अमरीका के साथ संयुक्त प्रशिक्षण और आदान–प्रदान कार्यक्रम एशिया और उससे आगे शान्ति, सुरक्षा एवं समृद्धि विकसित करने, उनके साझे लक्ष्य के अनुसरण में भारत और अमरीका के बीच परस्पर–लाभकारी रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग सुदृढ़ करने की प्रक्रिया का एक अंग है। सरकार ने अफगानिस्तान में स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए तालिबान और अल–कायदा जिन्होंने भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा दिया और उसका समर्थन किया है, के विरुद्ध चल रही कार्रवाई का समर्थन किया है। मित्र देशों को सैन्य सहायता के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार सरकार ने अमरीकी कार्रवाईयों में संभारतंत्रीय समर्थन की पेशकश की है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते आयोजन दल के एक सदस्य के रूप में लोकतांत्रिक समुदाय में भारत की भागीदारी स्वाभाविक है।

डॉल्फिन सेवा

4831. श्री वैको : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम.टी.एन.एल की गरूड़ और डॉल्फिन सेल्युलर सेवा के इस समय कितने उपभोगकर्ता हैं;

(ख) क्या इन सेवाओं का मूल्यांकन किंया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए उपलब्ध कराई निधियों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार,

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सेल्युलर सेवाओं, गरूड़ और डॉल्फिन के उपभोक्ताओं की संख्या निम्नलिखित है।

	दिल्ली	मुम्बई
गरूड़	22,881	6,750
डॉल्फिन	94,199	1,06,348

(ख) और (ग) अभी नहीं।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

4832. श्री वाई. जी. महाजन :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

योगी आदित्यनाथ :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने ग्रामों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का लक्ष्य है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य–वार कितने ग्रामों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए;

(ग) सरकार द्वारा इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) महाराष्ट्र में ऐसे कितने ग्राम हैं जहां अभी भी टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने हैं; और

(ङ) इन ग्रामों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, 239000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का मूल लक्ष्य रखा गया था और इसी योजनावधि के दौरान 278866 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) सरकार ने वर्ष 1997 से सितंबर, 2000 तक, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए 652.66 करोड़ रु. खर्च किए हैं। अक्तूबर 2000 से मार्च, 2002 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन पर किए गए व्यय के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(घ) महाराष्ट्र में 10926 गांवों को टेलीफोन कनेक्शन अभी प्रदान किए जाने हैं।

(ङ) वर्ष 2002 के अंत तक।

[अनुवाद]

इंटरनेट के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय फोन सेवा

4833. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय फोन सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सेवा 1 अप्रैल, 2002 से स्थानीय कॉल जैसी हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) इंटरनेट टेलीफोन सेवा प्रदान करने की अनुमति लेकर यह सेवा प्रदान कर सकते हैं। इस सेवा को इंटरनेट सेवा प्रदाता के ग्राहकों द्वारा पर्सनल कम्प्यूटर (पीसी) या इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) आधारित कस्टमर प्रिमाइजेज इक्विपमेंट (सीपीई) का इस्तेमाल करके उपयोग किया जा सकता है जिसमें निम्नलिखित को संयोजित किया जा सकता है:

(i) **भारत के भीतर या भारत के बाहर पीसी से पीसी को।**

(ii) **भारत के भीतर पीसी से भारत के बाहर टेलीफोन को।**

(iii) भारत के भीतर या भारत के बाहर आईएसपी नोडों से या ऐसे ही टर्मिनलों से सीधे जुड़े आई पी आधारित एच 323/सेशन इनिशिएटेड प्रोटोकॉल (एसआईपी) टर्मिनलों को।

आज की तारीख को, इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट टेलीफोनी सेवा हेतु प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दसवीं योजना हेतु सुझाव

4834. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दसवीं योजना हेतु सुझाव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन–कौन से राज्य पहले ही अपने सुझाव दे चके हैं और कौन–कौन से राज्यों को अभी योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी है;

(ग) सरकार को आज की तारीख तक रिपोर्ट नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) दसवीं योजना के मसौदा दृष्टिकोण–पत्र को अंतिम रूप देते ही इसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने सुझाव भेजने और इसकी जांच करने का अनुरोध किया गया था। प्राप्त किये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण पत्र के अंतिम प्रारूप को 1 सितम्बर, 2001 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल और उपराज्यपालों ने भाग लिया था। विचार–विमर्श के पश्चात, राष्ट्रीय विकास परिषद ने दसवीं योजना के दृष्टिकोणपत्र को अनुमोदित कर दिया था। इसी दृष्टिकोणपत्र के आधार पर दसवीं योजना का विस्तृत दस्तावेज तैयार किया जा रहा है और इसे इसके अनुमोदन से पूर्व पुनः राष्ट्रीय विकास परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

विकास योजनाओं की राशि का उपयोग न होना

4835. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य सरकार ने विकास योजनाओं/कार्यों पर मुश्किल से आधी राशि ही खर्च की है जैसा कि दिनांक 12 दिसम्बर, 2001 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है कि राज्य सरकारें उन्हें विकास कार्यों के लिए दी गई पूरी धनराशि का उपयोग करें?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) गुजरात सरकार से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा है।

अफगानिस्तान को कृषि हेतु सहायता

4836. श्री के. येरननायडू : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अफगानिस्तान की कृषि संस्थानों के पुनर्निर्माण हेतु उसकी सहायता करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) भारत सरकार अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में सहायता की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगान अन्तरिक्ष प्रशासन के अध्यक्ष महामहिम हामिद करजई की 26 और 27 फरवरी, 2002 की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्र तय किए गए जिनमें कृषि के क्षेत्र में सहायता के प्रस्ताव भी शामिल हैं जिनकी जांच की जा रही है।

उड़ीसा को अनुदान सहायता

4837. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज की तारीख तक उड़ीसा सरकार को कितनी अनुदान सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त राशि की उपयोगिता के प्रभाव की समीक्षा की है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि उड़ीसा राज्य सरकार के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो विशेष अनुदान सहायता प्रदान करने के संबंध में सरकार का क्या निर्णय है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) किसी भी राज्य सरकार को सहायता–अनुदान उत्तरोत्तर वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी किया जाता है। नौवीं योजना (1997–2002) अवधि को दसवें वित्त आयोग (टीएफसी) तथा ग्यारहवें वित्त आयोग (ईएफसी) द्वारा दिए गए अवार्डस से कवर की गई है। उत्तरोत्तर वित्त आयोगों की सिफारिशें, (i) गैर–योजना राजकोषीय घाटा अनुदान; (ii) उन्नयन और विशेष समस्याओं हेतु अनुदान; (iii) स्थानीय निकायों हेतु अनुदान; (iv) प्रोत्साहन निधि के अनुदान; (v) राज्य की आपदा राहत निधियों को केन्द्रीय हिस्सा और (vi) राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनएफ सीआर)/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से सहायता के संबंध में सहायता अनुदान को कवर करती है। नौवीं योजना अवधि (1997–2002) के लिए टीएफसी/ईएफसी द्वारा उड़ीसा सरकार के लिए सिफारिश की गई कुल सहायता अनुदान राशि 1341.91 करोड़ रुपये थी और इसके लिए जारी की गई राशि 2178.83 करोड़ रुपये थी। दसवीं योजना अवधि वर्ष 2002–03 से आरम्भ हो गई है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2002–03 में उड़ीसा के लिए 527.90 करोड़ रुपये के कुल सहायता अनुदान की सिफारिश की थी जिसमें से अब तक 78.96 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि जारी की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों की वार्षिक योजनाओं को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ–साथ गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के आधार पर राज्य सरकारों को, उड़ीसा सरकार सहित, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के वित्त पोषण हेतु सहायता अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।

बकिंघम कैनाल हेतु निधियां

4838. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जलमार्गों हेतु कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ख) क्या बकिंघम कैनाल की मरम्मत करने और नौवहन और अन्य सुविधाओं के लिए इसका उपयोग करने पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार बकिंघम केनाल की मरम्मत करने और इससे गाद निकालने हेतु निधियां आबंटित करने का है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक) : (क) अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 308 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय अन्तर्देशीय प्राधिकरण द्वारा मैसर्स राइट्स के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काकीनाडा और मेरकोनम के बीच संघटित नहर प्रणाली अर्थात् चेरला से राजमुन्द्री तक गोदावरी नदी और नागार्जुन सागर बांध से विजयवाड़ा तक कृष्णा नदी सहित काकीनाडा नहर, इलूरु नहर, कोमामुर नहर, उत्तरी बकिंघम नहर और दक्षिणी बकिंघम नहर का तकनीकी आर्थिक साध्यता अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से मालूम हुआ है कि यह समेकित जलमार्ग प्रणाली अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास के लिए कार्यक्षम है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में डब्ल्यू एल एल सेवा

4839. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में डब्ल्यू एल एल प्रणाली की सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को इस प्रणाली का लाभ कब तक मिलने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) जबलपुर में कोर–डेक्ट प्रौद्योगिकी पर आधारित वायरलैस इन लोकल लूप 12.2.2002 से प्रचालन में है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु निधियां

4840. श्री रामशकल :

श्री वाई. जी. महाजन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं हेतु आबंटित निधियों का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष कितनी निधियां आबंटित की गई हैं और इन कार्यक्रमों पर वस्तुतः कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या बजट प्रावधानों के अंतर्गत आबंटित निधियों को उपयोग नहीं किए जाने के कारण काट लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा व्यय क्षमता और बजटीय आबंटन के बीच के अंतर को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. ए. राजा) : (क) और (ख) निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार सम्पक ध्यान से तथा जिन प्रयोजनों के लिए धन का अनुमोदन किया जाता है, उन के लिए धन का उपयोग किया जाता है। 1999–2000 से 2001–2002 के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए धन के आबंटन और व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:–

		1999–2000		2000–01		2001–02	
		आबंटन	व्यय	अनुमोदन	व्यय	आबंटन	व्यय*
1.	राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम	250.00	176.01	255.00	188.32	225.00	225.00
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	85.00	82.05	74.00	73.86	75.00	70.73
3.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	105.00	87.54	125.00	108.75	136.00	103.50
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	85.00	83.73	110.00	109.41	140.00	126.97
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	140.00	135.25	145.00	173.30	210.00	229.00

* अनुमान

(ग) और (घ) धन के समुपयोजन, विशेष रोग की घटना–दर और योजना परिव्यय की समग्र उपलब्धता सहित पिछले कार्य–निष्पादन जैसे विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए बजट प्रावधान किया जाता है।

(ङ) धन की अवशोषी क्षमता में सुधार करने की दृष्टि से

केन्द्र और राज्यों दोनों स्तरों पर आवधिक रिपोर्टों और बैठकों के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को ध्यानपूर्वक मानीटर किया जाता है।

[अनुवाद]

एशियाई सुरक्षा सम्मेलन

4841. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया;

(ग) बैठक में किन–किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई;

(घ) क्या परमाणु आतंकवाद के संबंध में कोई रणनीति तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हाँ। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान द्वारा चौथा एशियाई सुरक्षा सम्मेलन नई दिल्ली में 18–19 मार्च, 2002 को सम्पन्न हुआ।

(ख) भारत के अतिरिक्त 20 देशों के गैर सरकारी विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया।

(ग) सम्मेलन में 11 सितम्बर पूर्व सार्वभौमिक राजनीतिक तथा सैन्य चुनौतियों, क्षेत्रीय राजनीतिक एवं सैन्य सामरिक नीतियों राष्ट्रीय सामरिक परिदृयों, सार्वभौमिक एवं क्षेत्रीय आर्थिक चुनौतियों तथा आतंकवाद का मुकाबला करने से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग के मसलों पर चर्चा हुई।

(घ) और (ङ) आतंकवाद के विषय पर सामान्य रूप से चर्चा हुई, परन्तु ऐसे सम्मेलन कोई विशिष्ट सामरिक नीति बनाने के लिए नहीं होते है।

भारत और नेपाल के बीच प्रत्यर्पण संधि

4842. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल के साथ दोनों देशों के बीच 1953 में हुई प्रत्यर्पण संधि के नवीकरण के लिए नेपाल के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेपाल के साथ परस्पर विधिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (घ) भारत और नेपाल के बीच वर्तमान प्रत्यपर्ण संधि 2 अक्तूबर, 1953 को सम्पन्न की थी और उसे वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों और आतंकवाद का मुकाबला करने से सम्बद्ध सार्क क्षेत्रीय अभिसमय, जिसके भारत और नेपाल दोनों हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, के सन्दर्भ में अद्यतन बनाने की आवश्यकता हैं। इस उद्देश्य के साथ, भारत सरकार ने 22 जून, 1999 को नेपाल की शाही सरकार को एक अद्यतन प्रत्यपर्ण संधि का मॉडल पाठ सौंपा था। आपराधिक मामलों परस्पर विधिक सहायता से सम्बद्ध एक प्रारूप करार भी भारत सरकार ने नेपाल की शाही सरकार को 22 जून, 1999 को प्रेषित किया था। ये दोनों प्रारूप इस समय नेपाल की शाही सरकार के विचाराधीन हैं। इस मसले पर हाल ही में नई दिल्ली में 6–7 फरवरी, 2002 को भारत और नेपाल के बीच हुई गृह सचिव स्तर की वार्ताओं में चर्चा हुई और दोनों पक्ष विशेषज्ञ स्तर के विचार–विमर्शों के लिए सहमत थे।

मार्च 20–25, 2002 को नेपाल के प्रधान मंत्री की भारत की हाल ही की यात्रा के दौरान, दोनों प्रधानमंत्रियों ने गृह सचिव स्तर की वार्ताओं के निष्कर्षों का पुनरीक्षण किया और उस बैठक में लिए गए निर्णयों के शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें परस्पर विधिक सहायता से सम्बद्ध करार को शीघ्र सम्पन्न करना और प्रत्यपर्ण संधि को अद्यतन बनाना भी शामिल है।

भारत संचार निगम लिमिटेड

4843. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री शशि कुमार :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड़ द्वारा कर्नाटक में फोन पर नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की कोई योजना शुरू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभाग अपनी सेवाओं को प्रयोक्ता अनुकूल बनाने और कागजी काम को कम करने के प्रयास कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या विभाग एक ऐसी नई सुविधा शुरू करने की योजना भी बना रहा है जिसके द्वारा उपभोक्ता एक ही टेलीफोन लाइन पर एक साथ इंटरनेट और टेलीफोन सुविधा प्राप्त कर सकें; और

(च) यदि हां, तो इस योजना के तहत कर्नाटक में अब तक कुल कितने कनेक्शन प्रदान किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) शुरूआत के तौर पर, अप्रैल, 2002 में मैसूर और हसन शहरों में फोन पर नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु एक योजना शुरू की गई है। इस योजना को कर्नाटक राज्य के अन्य शहरों में अपेक्षित अवसंरचना तैयार करने के बाद लागू किया जाएगा।

(घ) कम्प्यूटरीकरण के जरिए कागजी कार्रवाई कम करने तथा दूरसंचार सेवाओं को प्रयोक्ता–अनुकूल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) बीएसएनएल ने डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस सेवा (डीआईएएस) शुरू करने की योजना बनायी है जिसके अंतर्गत सिंगल टेलीफोन लाइन पर इंटरनेट और टेलीफोन कॉलें साथ–साथ की जा सकती हैं। बंगलौर शहर में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान के लिए 30 लाइनों की एक पायलट परियोजना पूरी हो गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि

4844. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें किस–किस चरण के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि (एन.पी.एस.एफ.) के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

(क) वर्ष 2045 तक, सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय बचाव की आवश्कयताओं के समनुरूप स्तर पर जनसंख्या स्थिरीकरण की उपलब्धि के लिए लक्षित कार्यकलाप प्रोन्नत करना अथवा उन्हें शुरु करना;

(ख) गर्भनिरोध और प्रजनक तथा बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए पूरी न की गई जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कीमों, कार्यक्रमों परियोजनाओं और पहलों को प्रोन्नत करना और सहायता देना।

(ग) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्यों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए सरकारी, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रकों में नवीनतम विचारों को प्रोन्नत करना और उन्हें समर्थन प्रदान करना।

(घ) जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए राष्ट्रीय प्रयास के पक्ष में जोरदार जन आन्दोलन के विकास को सुविधाजनक बनाना।

(ङ) जनसंख्या स्थिरीकरण के राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए देश के भीतर और देश के बाहर के व्यक्तियों, व्यापारिक संगठनों और अन्य वैध हस्तियों से प्राप्त अंशदान को सारणीबद्ध करने के लिए एक विंडो उपलब्ध कराना।

राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि स्थापित किए जाने संबंधी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है। वह मंच और माध्यम जिसके द्वारा एनपीएसएफ के लक्ष्यों और उद्देश्यों को कार्यान्वित किया जाएगा, का निर्धारण एनपीएसएफ के प्रचालन के बाद ही हो सकता है।

[अनुवाद]

ब्लड बैंक

4845. डा. एन. वेंकटस्वामी :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में काम कर रहे सरकारी और गैर–सरकारी ब्लड बैंकों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन ब्लड बैंकों, विशषतः गैर–सरकारी ब्लड बैंकों द्वारा आपूर्ति किए गये रक्त की गुणवत्ता सही नहीं है और इसका मूल्य भी अधिक है, और

(घ) गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निर्धारित मापदंडों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) निजी रक्त बैंकों सहित, सभी रक्त बैंकों के लिए लाइसेंस लेना अपेक्षित है। औषध एवं प्रसाधन नियमों, समय–समय पर यथासंशोधित, में निर्धारित अपेक्षित को पूरा करने के बाद ही लाइसेंस जारी/नवीकृत किए जाते हैं। विनिर्माण की अच्छी अव्यवहार्यता (जी.एम.पी.)/मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस. ओ.पी.) के अतिरिक्त अन्य शर्तों जैसे सामान्य स्थान और आस–पास का परिसर, स्थान, कार्मिक, व्यवस्था, उपकरण, आपूर्ति और अभिकर्मक आदि, जो गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, आदि अन्य पक्षों पर भी ध्यान दिया जाता है। रक्त जारी करने से पहले रक्त बैंकों को एच.आई.वी.–। और ।। एण्टीबोडिस, एच बी एस ए जी, हेपेटाइटिस सी एण्टीवॉडी, वी. डी.आर.एल. और मलेरिया पैरासाइटस आदि का परीक्षण करना भी आवश्यक है।

दिल्ली में गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा टेलीफोन सेवाएं

4846. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर–सरकारी कम्पनियों को दिल्ली में बुनियादी टेलीफोन सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कौन–कौन सी कम्पनियों को बुनियादी टेलीफोन सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है;

(ग) इन कम्पनियों को किन शर्तों पर सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप एम टी एन एल के राजस्व अर्जन पर कितना प्रभाव पड़ेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली में बुनियादी टेलीफोन सेवा शुरू करने के लिए मै. भारती टेलीनेट लि., मै. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. और मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि. को पात्रता संबंधी मानक पूरा करने, प्रवेश शुल्क का भुगतान करने, निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

(घ) बुनियादी टेलीफोन सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा के परिणामस्वरूप कार्य कुशलता बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलेगी। तेजी से बदलते हुए प्रौद्योगिकीय परिदृश्य में, एमटीएनएल सहित विभिन्न सेवा प्रचालकों द्वारा नई सेवाएं एवं सुविधाएं शुरु करने के कारण, इस समय एमटीएनएल के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को आंकना सभव नहीं है।

[हिन्दी]

डॉल्फिन सेवा

4847. श्री पी. आर. खूंटे : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम. टी. एन. एल. को डॉल्फिन मोबाइल सेवा के उपभोक्ताओं को धन वापसी में विलम्ब/परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जमाराशि की वापसी के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) मुख्यतः तकनीकी कारणों की वजह से, सरण्डर किए गए सैल फोनों के खातों को निपटाने में कुछ विलंब हो रहा है।

(ग) और (घ) यद्यपि, रिफण्ड के मामलों के लिए कोई निर्धारित समय–सीमा नहीं है, तथापि ऐसे सभी अनुराधों पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

एड्स सर्वेक्षण

4848. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मार्च, 2002 के "द टाइम्स आफ इंडिया में "एन जी औज ट्रैश गवर्नमेंट क्लेम्ज आन एड्स स्प्रैड शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार की सर्वेक्षण रिपोर्ट या तो गलत है या अधूरी हैं;

(ग) क्या सरकार के पास तथ्यात्मक निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिक विधि से 400 केन्द्रों के प्रतिदर्श के आधार पर नया सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो अधिक प्रमाणिक आंकड़े कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। प्रहरी निगरानी दौर, 2001 में बनाए गए निगरानी क्षेत्रों में पर्याप्त नमूना आकार के आधार पर निष्कर्ष तैयार किए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्लड बैंक/रेड क्रॉस सोसाइटी

4849. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्लड बैंक और रैड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदाताओं से प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने यूनिट रक्त का संग्रहण किया जा रहा है;

(ख) कुल संग्रह में से प्रतिवर्ष कितने यूनिट रक्त का वास्तव में उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्लड बैंक और रैड क्रॉस सोसाइटी आम और गरीब लोगों के लिए रक्त की आपूर्ति नहीं करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) वर्ष 2001 के दौरान, रेड क्रॉस सोसायटी सहित, रक्त बैंकों द्वारा रक्त की 29,97,459 इकाईयां एकत्रित करने की सूचना प्राप्त हुई है। अनिवार्य परीक्षण की प्रतिक्रिया के कारण अलग किए गए रक्त की थोड़ी सी मात्रा के अलावा, उसी संख्या की रक्त की एकत्रित इकाइयों का उपयोग किया जाता है।

(ग) और (घ) रक्त उपलब्ध कराने पर जरूरतमंद रोगियों को देने से इंकार नहीं किया जाता है। ज्यादातर सरकारी रक्त बैंकों द्वारा गरीब रोगियों को रक्तः निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

रक्त संरक्षण में सुधार की तकनीक

4850. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आहार और औषधि प्रशासन ने हाल ही में रक्तदाताओं द्वारा दान किए गए रक्त के संरक्षण में सुधार के लिए एक नई तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई तकनीक से रक्ताधान के दौरान एच आई वी या हैपेटाइटिस 'सी' विषाणु से संक्रमित होने की घटनाओं को कम करने में कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) सरकार द्वारा अपने अस्पतालों में इस तकनीक

को अपनाने पर कितनी अनुमानित लागत आने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य एवं औषध प्रशासन एक नियामक प्राधिकरण है और वह खाद्य एवं भेषजीय उत्पादनों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। उसनें अभी तक, दान किए गए रक्त की सुरक्षा में सुधार करने के लिए कोई नई तकनीक विकसित नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उदारीकरण की नीति का प्रभाव

4851. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उदारीकरण की नीति लघु ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के लिए कम हितकर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री, योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) यद्यपि उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था में कड़ी प्रतिस्पर्धा का समावेश किया है, तथापि लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन सरकार की जागरूक नीतियों में से एक ही रही है। लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को विभिन्न योजनाओं जैसे एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आई आई डी) योजना, ग्रामीण रोजगार, सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआरआई) के माध्यम से विशेष बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को घरेलू एवं विश्वव्यापी दोनों स्तरों पर बढ़ाने के लिए 30 अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ शामिल हैं, क्रैडिट का सरल पहुंच, 25 लाख रु. तक समपार्श्विकता मुक्त मिश्रित ऋण की उपलब्धता, और प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण हेतु कैपिटल सब्सिडी।

[अनुवाद]

अन्तर्देशीय जलमार्ग ग्रिड का विकास

4852. श्री टी. गोविन्दन : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से पूरे राज्य को जोड़ने के लिए अन्तर्देशीय जलमार्ग ग्रिड का विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों में कम्पनी लेखाकरण प्रणाली

4853. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी प्रमुख 11 पत्तनों में कम्पनी लेखाकरण प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली मौजूदा प्रबंधन लेखाकरण प्रणाली से कितनी अलग है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी पत्तनों के निगमिती–करण के लिए भी शीघ्र कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो देश के विभिन्न पत्तनों के निगमितीकरण की क्या स्थिति है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) महापत्तनों का निगमीकरण चरणबद्ध रूप में करने का निर्णय लिया गया है। बारहवें महापत्तन इन्नौर पोर्ट को पहले ही एक नैगम सत्ता में स्थापित कर दिया गया है। अन्य ग्यारह महापत्तनों के निगमीकरण के अन्तर्गत उन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत कम्पनियों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य शामिल होगा। इन महापत्तनों का निगमीकरण करने के लिए महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 2001 लोक सभा में 31.8.2001 को प्रस्तुत किया गया है। जिसे जांच और रिपोर्ट करने के लिए विभाग से जुड़ी परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

अशक्तता प्रमाण-पत्र संबंधी मेडिकल बोर्ड

4854. श्री नरेश पुगलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अशक्त व्यक्तियों को अशक्तता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्रत्येक अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की धारा 73 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा 31.12.1996 को अधिसूचित अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) नियम, 1996 के अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्राधिकार केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड का होगा। राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाला चिकित्सा बोर्ड गठित कर सकती है। जिसमें से एक सदस्य कमजोर दृष्टि/श्रवण एवं वाक अशक्तता, मानसिक मंदता एवं कुष्ठ रोग उपचार, जैसी भी स्थिति हो, सहित लोकोमीटर/दृष्टि का आकलन करने के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, अशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऐसे चिकित्सा बोर्ड डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल एवं सफदरजंग अस्पताल में पहले से ही मौजूद है।

दूरसंचार क्षेत्र में अमरीकी निवेश

4855. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के दूरसंचार क्षेत्र में अमरीकी निवेश के अगले दो वर्षों में दुगुना होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के कम–से–कम 1,100 अमरीकी उत्पादकों और आपूर्तिकर्त्ताओं के उत्पादों के देश में आने की संभावना है;

(ग) क्या अमरीकी कम्पनियां भारत की वायरलैस और ब्राड बैण्ड मार्किट की ओर निगाहें लगाये हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अमरीका के लिए भारत, चीन के बाद दूसरी पसंद के रूप में उभर रहा है; और

(च) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान भारत में अमरीका द्वारा कितना निवेश किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (च) भारतीय दूरसंचार क्षेत्र देश में तीव्रगति के विकास करने वाले अवसंरचना क्षेत्रों में से एक है। जिसने पिछले 5 वर्षों में 22% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क उभरती अर्थव्यवस्थाओं में (चीन के बाद) दूसरा विशालतम नेटवर्क है।

अमरीकी कम्पनियों ने सीधे तथा मॉरीशस स्थित सहायक कम्पनियों के माध्यम से भी दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। दूरसंचार क्षेत्र में अगस्त 1991 में फरवरी 2002 तक 859133 करोड़ रुपये के कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अन्तर्प्रवाह में से अमरीकी कम्पनियों का प्रत्यक्ष निवेश लगभग 487.43 करोड रु. रहा है। मॉरीशस की कम्पनियों से एफडीआई अन्तर्प्रवाह लगभग 6730.46 करोड रुपये रहा है जबकि अमरीका स्थित कम्पनियों का अंशदान काफी अधिक रहा है। ऐसे निवेश में वायरलैस तथा ब्राडबैण्ड सहित दूरसंचार के अधिकांश उप–क्षेत्र शामिल हैं।

सरकार ने निवेश संबंधी ऐसी कोई पूर्व घोषणा नहीं की है कि अमरीकी कम्पनियां चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करेंगी। तथापि, उदारीकरण से तथा दूरसंचार क्षेत्र विशेषरूप से अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा, राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा, बुनियादी टेलीफोन सेवा, सेल्यूलर मोबाइल

सेवा तथा इन्टरनेट टेलीफोनी आदि शुरु करने से अमरीकी कम्पनियों का निवेश काफी अधिक होने की संभावना है।

अमरीका के साथ सुरक्षा संबंधी सहयोग

4856. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सुरक्षा संबंधी सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) भारत और अमरीका एशिया तथा उससे आगे शान्ति, सुरक्षा एवं समृद्धि विकसित करने के उनके साझे लक्ष्य के अनुसरण में परस्पर लाभकारी रक्षा सहयोग सुदृढ़ कर रहे हैं। राजनैतिक स्तरों पर क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में रक्षा और सुरक्षा मसलों पर चर्चा के अलावा दोनों पक्षों ने रक्षा के क्षेत्र में वार्ता की सांस्थानिक रूपरेखा को पुनर्स्फूत किया है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण, सैन्य आदान–प्रदान, रक्षा आपूर्तियाँ तथा रक्षा उत्पादन में तकनीकी सहयोग शामिल है। दोनों पक्ष अमरीकी प्रक्षेपात्र रक्षा कार्यक्रम के संबंध में भी परामर्श कर रहे हैं और दोनों पक्ष राजनैतिक–सैन्य मामलों के संबंध में वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए हैं।

इसके अलावा, दोनों पक्ष आतंकवाद के दमन से सम्बद्ध संयुक्त कार्य दल के सांस्थानिक तंत्र के जरिए आतंकवाद की रोकथाम करने में चल रहे अपने सहयोग का विस्तार करने और उसे गहन बनाने में जुटे हुए हैं।

[हिन्दी]

जयपुर में सेल्युलर सेवाएं

4857. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी.एस.एन.एल. जयपुर द्वारा अपने वर्तमान और नए ग्राहकों को क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा जयपुर शहर में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराए जाने की, की गई घोषणा की समय–सीमा समाप्त होने के बाद भी निगम वहां यह सेवा उपलब्ध नहीं करा पाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बी.एस.एन.एल. द्वारा शहर में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने में विलंब के कारण निजी कम्पनियां अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो बी.एस.एन.एल. द्वारा जयपुर में मोबाइल सेवा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(च) क्या टाटा की टेली–सर्विसेज की बी.एस.एन.एल. के साथ कोई भागीदारी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय जयपुर के मौजूदा और नए उपभोक्ताओं को स्थिर लाइन सेवाएं और बड़ी संख्या में मूल्य वर्धित सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। स्थिर नेटवर्क में वायरलेस इन लोकल लूप भी उपलब्ध है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की अपने ग्राहकों को निकट भविष्य में मोबाइल सेवा भी प्रदान करने की योजना है।

(ख) से (घ) बीएसएनएल द्वारा मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने में अभी तक कोई देरी नहीं हुई है।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध हो जाने की आशा है।

(च) और (छ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

एड्स कार्यक्रमों के लिए अनुदान

4858. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड नेशंस फाउण्डेशन और नीदरलैंड ने देश में एचआईवी/एड्स के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जाने वाले प्रत्येक जागरूकता कार्यक्रम को 2.8 मिलियम अमेरिकी डॉलर का अनुदान देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नैकी) ने दूरदर्शन पर क्लासिकल म्यूजिक शो ने अपने प्रायोजन को रद्द कर दिया है।

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा अन्य किन–किन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) सी एच ए आर सी ए परियोजना, जिसका उद्देश्य नवयुवकों, विशेषकर नवयुवतियों में एच आई वी/एड्स के बारे में जानकारी का प्रसार करना है, छः जिलों में कार्यान्वित की जाएगीः–

* वेल्लारी (कर्नाटक)
* गुन्टूर (आंध्र प्रदेश)
* जयपुर (राजस्थान)
* ऐजवाल (मिजोरम)
* किशनगंज (बिहार)
* कानपुर (उत्तर प्रदेश)

इस परियोजना की अवधि तीन वर्ष, अर्थात् अप्रैल 2002 से मार्च 2005 तक है।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार से इस मामले को देखने को कहा है।

(ङ) एच आई पी/एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैंः–

* ग्रामीण एवं शहरी मलिन क्षेत्रों में परिवार कल्याण जागरूकता अभियान।
* रेडियो, दूरदर्शन और समाचार–पत्रों के माध्यम से जनसंचार अभियान।
* उच्च जोखिम समूहों के लिए लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम।

[हिन्दी]

टेलीफोन प्रशुल्क में कटौती

4859. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1999 से फरवरी, 2002 के दौरान टेलीफोन शुल्क में किस प्रकार की कटौती की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कटौती के परिणामस्वरूप विभिन्न श्रेणी के टेलीफोन उपभोक्ताओं को कितना प्रतिशत लाभ हुआ है और टेलीफोन प्रशुल्क में कटौती करने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन अधिनियम, 2000) द्वारा यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) को सौंपा गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के टैरिफ पुनर्संतुलन की प्रक्रिया शुरू की और मार्च, 1999 में दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) 1999 जारी किया। इस आदेश में, टैरिफ पुर्नसतुलन कार्य के एक भाग के रूप में, स्वदेशी लम्बी दूरी (डीएलडी) और अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) कॉल प्रभारों को 1.5.99 से लगभग 23 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था।

1.10.2000 से प्रभावी दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के 9वें संशोधन के जरिए टीआरएआई द्वारा किए गए टैरिफ पुनर्संतुलन के दूसरे चरण में स्वदेशी लम्बी दूरी तथा अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी में 13 प्रतिशत की और कमी कर दी गयी थी। 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी टीटीओ 99 के संबंध में टीआरएआई के 20वें संशोधन के द्वारा टैरिफ पुनर्संतुलन के तीसरे चरण में स्वदेशी लम्बी दूरी तथा अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी कॉलों के टैरिफ को क्रमशः लगभग 12 प्रतिशत और 20 प्रतिशत तक और कम कर दिया गया। उपरोक्त कम की गई टैरिफों की सीमा के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित, सेवा प्रदाता अपने–अपने

टैरिफ निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। पुनर्संतुलन के 3 चरणों में से प्रत्येक चरण के लिए विनिर्दिष्ट स्वदेशी लम्बी दूरी सेवा/ अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा प्रभारों में प्रतिशत कटौती का लाभ एसटीडी/आईएसडी का उपयोग करने वाले सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिला है।

पश्चिम बंगाल में दूरभाष केन्द्रों का विस्तार

4860. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में इस समय जिलावार कितने दूरभाष केन्द्र काम कर रहे हैं और क्रमशः उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस राज्य में नए दूरभाष केन्द्र स्थापित करने तथा पहले से विद्यमान दूरभाष केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के सभी जिला मुख्यालयों में सेल्युलर फोन सेवा शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कब से शुरू की जाएगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पश्चिम बंगाल में मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान मुख्य एक्सचेंज और उनके विस्तार सहित लगभग 180 टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने तथा उसमें लगभग 3.23 लाख क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) कोलकात्ता टेलीफोन जिले के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र के लिए सेल्यूलर फोन सेवा पहले से ही कार्य कर रही है। पश्चिम बंगाल के शेष जिलों में प्रथम सेल्यूलर फोन सेवा नवम्बर, 2002 से चालू होने की संभावना है।

विवरण

क्रम सं.	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	कुल क्षमता
1	2	3	4
1.	बर्दवान	173	224722
2.	मुर्शिदाबाद	90	81484
3.	बांकुरा	65	49910
4.	हावडा	28	19416
5.	हुगली	91	98704
6.	24 परगना (उत्तर)	60	64736
7.	24 परगना (दक्षिण)	56	49464
8.	कूचबिहार	33	38304
9.	जलपाईगुड़ी	51	55088
10.	मिदनापुर	164	144652
11.	नादिया	74	87610

1	2	3	4
12.	मालदा	54	57476
13.	पुरुलिया	28	23452
14.	दीनाजपुर (उत्तर)	45	477756
15.	दीनाजपुर (दक्षिण)	30	33476
16.	दार्जिलिंग	78	106456
17.	बीरभूम	83	57416
18.	कलकत्ता	322	1470141

कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का दौरा

4861. श्री के. पी. सिंह देव :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन–किन विषयों पर विचार–विमर्श किया गया;

(ग) उनके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या 13 फरवरी, 2002 के 'द हिन्दू' में प्रकाशित समाचार के अनुसार कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोआपरेशन आर्गेनाइजेशन) में भारत की उपस्थिति की वकालत की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी हाँ। 11 से 14 फरवरी 2002 तक।

(ख) कजाकिस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय हित के मामलों, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों से सम्बद्ध मसलों पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई से सम्बद्ध मसलों पर भी चर्चा हुई।

(ग) कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने इन मसलों पर निकले निष्कर्षों से सम्बद्ध एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

(घ) जी हाँ।

(ङ) कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मंत्री द्वारा संपन्न भारत–कजाकिस्तान संयुक्त घोषणा में शंघाई सहयोग संगठन का उल्लेख निम्नानुसार है:

"हमने शंघाई सहयोग संगठन द्वारा की गई प्रगति को एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में भी देखा है। कजाकिस्तान का यह विश्वास है कि पड़ोस में भारत की भौगोलिक निकटता और सहयोग से संबद्ध क्षेत्रीय और सार्वभौमिक मसलों पर उसकी सक्रिय भागीदारी पर विचार करते हुए भारत की एस सी ओ की सदस्यता उस संगठन को और मजबूती प्रदान करेगी।"

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल की दरें

4862. श्री सुन्दरलाल तिवारी :

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बी.एस.एन.एल. द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की दरों का अनुपालन न किये जाने के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया गया है जैसाकि दिनांक 25 मार्च, 2002 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस कारण लोगों को होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हां।

(ख) "दैनिक जागरण" में छपी रिपोर्ट सही नहीं है क्योंकि लंबी दूरी की कॉलों के संबंध में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का टैरिफ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है और ट्राई को इसकी विधिवत सूचना दी जाती है। इंगित की गई विसंगति गैर–व्यस्तम घंटों (ऑफ पीक आवर) में 100–200 कि.मी. की दूरी के लिए इन्ट्रा सर्किल और इन्टरसर्किल कॉलों के टैरिफ में अंतर से संबंधित है। यह विसंगति दूरसंचार विवाद समाधान अपील अधिकरण में लंबित विवाद में कारण बनी है।

लंबी दूरी की कॉलों के लिए बीएसएनएल का मौजूदा टैरिफ ट्राई द्वारा निर्धारित टैरिफ से किसी भी मामले के कम है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (इंटरनेशनल मैरिटाइम आर्ग्रेनाइजेशन)

4863. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी विषयों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (इन्टरनेशनल मैरिटाइम आर्गेनाइजेशन) में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिये गये;

(ग) क्या इस कन्वेंशन (सोलैस) में पहले से विद्यमान सुरक्षा संबंधी विनियमन में किस प्रकार के बदलाव का सुझाव दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी हाँ।

(ख) नौचालन सुरक्षा संबंधी नौचालन सुरक्षा समिति के कार्यदल की अंतर समीप बैठक में अंतर्राष्ट्रीय नौचालन संगठन (आईएमओ) के दस्तावेजों को अद्यतन करने की आवश्यकता मालूम करने की दृष्टि से जलयानों, जलयानों के यात्रियों/कर्मीदल, पत्तन कार्मिकों, पत्तनों और पत्तन सुविधाओं के विरूद्ध किए जाने वाले आतंकवादी कार्यों और अन्य गैर कानूनी कार्यों को रोकने के लिए इन मौजूदा दस्तावेजों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप और प्रक्रियाओं की समीक्षा की थी। अमरीका, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, स्पेन, अर्जेंटीना आदि विभिन्न देशों द्वारा परिचालित नौचालन सुरक्षा मुद्दों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार–विमर्श किया गया था। कार्यदल ने विभिन्न सिफारिशें की थीं जिन पर निर्णय लिए जाने के लिए और वार्ताएं की जानी आवश्यक हैं।

(ग) और (घ) कार्यदल ने जलयान सुरक्षा अधिकारी, पत्तन सुरक्षा योजनाएं, पत्तन संवेदनशीलता मूल्यांकन और स्वचालित अभिज्ञान प्रणाली (एम आई एस) कार्यान्वयन अनुसूची की आवश्यकता शामिल करने के लिए समुद्र में जीवन सुरक्षा संबंधी मौजूदा अभिसमय (सोलास) में संशोधनों की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त, यह भी सिफारिश की गई थी यदि आई एल ओ कन्वेंशन 108 के प्रोटोकॉल के जरिए नाविक पहचान दस्तावेज की आवश्यकता को शामिल किया जाना संभव नहीं पाया जाए तो सोलास में एक नया विनिमय जोड़ा जा सकता है।

(ङ) भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन मुद्दों के संबंध में आई एम ओ की विभिन्न समितियों में होने वाले विचार–विमर्श में भाग लेगा और भारत के सुरक्षा मामलों और भारतीय नाविकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत के विचार प्रस्तुत करेगा।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

4864. श्री अधीर चौधरी :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें अपने–अपने राज्यों में गत कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू कराने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में इस कार्यक्रम के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसमें कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) सम्पूर्ण देश के लिए "परिवार कल्याण कार्यक्रमों" के अधीन उपलब्धियां पूर्णतया पर्याप्त रही हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे गोवा, नागालैण्ड, दिल्ली, केरल, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, चण्डीगढ़ और मिजोरम ने वर्ष 2010 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पहले ही प्राप्त कर लिया है और मणिपुर, दमण और दीव, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप जैसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के नजदीक हैं। तथापि, कुछ राज्य मुख्यतः सामाजिक–आर्थिक संकेतकों की धीमी उपलब्धियों के कारण पिछड़ रहे हैं।

(ग) राज्य सरकारों को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 की सामान्य भावना बनाए रखते हुए राज्य की विशिष्ट नीतियों के साथ राज्य जनसंख्या नीति बनाने की सलाह दी गई है तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन हेतु उसकी समीक्षा, अनुवीक्षण और दिशा–निर्देश देने के लिए अपने–अपने राज्यों के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य जनसंख्या आयोग बनाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे परिवार कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जमीनी वास्तविकताओं और उनकी क्षेत्र विशिष्ट समस्याओं (क्षेत्रवार/जिलावार) पर विचार करते हुए ठोस तथा विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें।

(घ) 1994 में अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन, काहिरा के पश्चात् परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रतिमान परिवर्तन आया जब लक्ष्यों को नियत करना छोड़ दिया गया। इसके बजाए पहली अप्रैल, 1996 से पूरे भारत में 'लक्ष्य रहित एप्रोच' अपनाई गई और उसके स्थान पर विकेन्द्रीकृत भागीदारी योजना पद्धति लाई गई। लक्ष्य रहित एप्रोच का नाम बदलकर 1997 से समुदाय आवश्यकता मूल्यांकन एप्रोच रखा गया है। इस एप्रोच के अन्तर्गत, तृणमूल स्तर पर समुदाय से सम्पर्क करके परिवार कल्याण सेवाओं की योजना तैयार की जाती है। इस नई एप्रोच के अन्तर्गत निष्पादन की मानिटरिंग और मूल्यांकन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के विभिन्न स्तरों पर परिचर्या की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक नवीन दृष्टिकोण की अपेक्षा थी। परिवार कल्याण कार्यक्रम पर समुदाय आवश्यकता मूल्यांकन एप्रोच के मैनुअल को पहले ही सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। ताकि विकेन्द्रीकृत योजना तैयार करने में उनका मार्गदर्शन किया जा सके। नौवीं पंचवर्षीय योजना की भौतिक उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

संख्या	संकेतक	लक्ष्य नौवीं योजना	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	परिवार नियोजन संकेतक		
	* संशोधित जन्मदर	23	25.8.(2000)
	* कुल प्रजनन दर	2.6	2.97 (एनएफएचएस–2)
	* दम्पती सुरक्षा दर	60%	48.2% (एनएफएचएस–2)

1	2	3	4
2.	मृत्यु संकेतक		
	* मातृ मृत्यु अनुपात	300	407 (एस आर एस 1998)
	* प्रसवकालीन मृत्युदर		
	* नवजात मृत्यु दर	35	43.4 (एन एफएच एस–2)
	* शिशु मृत्यु दर	56–50	68 (एन एफएच एस–2)
	* पांच वर्ष से नीचे की आयु की मृत्युदर		94.9 (एन एफएच एस–2)
3.	शिशुओं का पूरा रोग प्रतिरक्षण (छह वैक्सीन निवार्य रोग)	65%	56% (डब्ल्यू एच ओ/यूनिसेफ 2000)
	–खसरा		56%
	–डी पी टी		64%
	–पोलिया		72%
	–बी सी जी		73%
4.	प्रसव पूर्व परिचर्या प्राप्त कर रही गर्भवती माताएं	95%	एन एफ एच एस–2
	* कम से कम 3 ए एन सी प्रतिशत		43.8
	* तीन अथवा चार महीनों के लिए प्राप्त आई एफ ए प्रतिशत		47.5
	* दो टी टी वैक्सीन प्राप्त प्रतिशत		66.8
5.	प्रसव		
	* सास्थानिक प्रसव	35%	34% (एन एफएच एस–2)
	* प्रशिक्षित जन्म. परिचरों सहित प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा कराए गए प्रसव	45%	42.3% (तदैव)

आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण

4865. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष–वार कितने आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. (वन) अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण दिलाया गया; और

(ख) इस पर कितना धन खर्च हुआ है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग, भारतीय प्रशासनिक सेवा, केन्द्रीय सचिवालय–सेवा, राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को विदेश में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण–कार्यक्रमों में नामित करता आ रहा है। इसके अतिरिक्त, कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग ने भारतीय पुलिस–सेवा, भारतीय वन सेवा और विभिन्न समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी भी विदेश में संचालित

प्रशिक्षण–कार्यक्रमों में नामित किए हैं जो केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अनुसार, केन्द्र–सरकार के पदों पर कार्यरत हैं।

पहले, वर्ष 1999 तक, इस विभाग ने ये अधिकारी, विदेशी सरकारों/दाता अभिकरणों द्वारा पूर्णतः वित्त–पोषित कोलम्बो योजना, भारत–आस्ट्रेलिया प्रशिक्षण और क्षमता–निर्माण–परियोजना जैसे विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों में भेजे थे। फिर भी ब्रिटेन–सरकार द्वारा कार्यक्रमों को प्रायोजित किया जाना वापस ले लिए जाने के फलस्वरूप, वर्ष 2000–2001 के दौरान ब्रिटेन में संचालित 03 प्रशिक्षण–कार्यक्रमों में कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग के माध्यम से, भारत सरकार के खर्च पर 26 अधिकारी भेजे गए। उपर्युक्त 26 अधिकारियों के प्रशिक्षण पर कुल, (लगभग) 2 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई।

वर्ष, 2001–2002 के दौरान, इस विभाग के खर्च पर कुल 215 अधिकारी ब्रिटेन और मनीला में संचालित प्रशिक्षण–कार्यक्रमों में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजे गए। उपर्युक्त 25 अधिकारियों के प्रशिक्षण पर कुल (लगभग) 2 करोड 63 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं

4866. श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002–2003 के दौरान देश में राज्य–वार कितने गांवों और ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितना धन आबंटित किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उत्तर सभा–पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

गांवों में इन्टरनेट की सुविधा

4867. श्री बृजलाल खाबरी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी गांवों को इन्टरनेट से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक जोड़ा जाएगा; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितना धन आबंटित किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी–99) में वर्ष 2000 तक सभी मुख्यालयों में इंटरनेट सुलभ करवाने की परिकल्पना की गई थी जिसे सुलभ करवा भी दिया गया। बाद में, सभी ब्लॉक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबे (किआस्क) उपलब्ध करवाने की एक स्कीम शुरू की गई। 28.02.2002 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा देश में 5626 ब्लॉक मुख्यालयों (ग्रामीण व शहरी दोनों) में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। बीएसएनएल ने, फ्रेंचाइजियों के माध्यम से स्थापित इंटरनेट ढाबा स्कीम के जरिए, 28.2.2002 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी ब्लॉक मुख्यालयों में 3051 इंटरनेट ढाबों में इंटरनेट डायल–अप कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य योजनाओं को बंद करना या उनका विलय किया जाना

4868. श्री नवल किशोर राय :

श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित कतिपय स्वास्थ्य योजनाओं को बंद कर दिया है या फिर उन्हें किन्हीं अन्य योजनाओं के साथ विलय करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके क्रियान्वयन पर औसतन कितना वार्षिक खर्च आया है;

(ग) इन योजनाओं को बंद करने या इनका अन्य योजनाओं के साथ विलय करने के क्या कारण हैं; और

(घ) गांवों में इस समय क्रियान्वित की जा रही अन्य स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "ग्रामीण क्षेत्रों हेतु विशेष स्वास्थ्य योजना" के अधीन एक स्वैच्छिक संगठन को क्रमशः केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्वैच्छिक संगठन द्वारा परियोजना लागत के 40:40:20 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। तथापि, राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता के भाग को वहन करने में अनिच्छा के कारण इस योजना को वित्तीय वर्ष 2001–2002 से बन्द कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2000–01 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन में 5.56 लाख रुपए व्यय किए गए।

"चिकित्सा सेवाओं के उन्नयन हेतु योजना" के अधीन स्वैच्छिक संगठनों, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों अथवा शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों को चला रहे थे परन्तु केवल शहरी मलिनावासों की जरूरतों को पूरा कर रहे थे के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध थी। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2002–2003 से योजना आयोग के परामर्श से बन्द किया जा चुका है क्योंकि स्वैच्छिक संगठन विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अधीन सहायता प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान 7.40 लाख रुपए व्यय किए गए।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों सहित संपूर्ण देश में क्षयरोग, दृष्टिहीनता, मलेरिया, कुष्ठ रोग, एड्स, कैंसर इत्यादि के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी शिष्टमंडलों का दौरा

4869. श्री उत्तमराव ढिकले :

श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान कितनी पाकिस्तानी हस्तियों ने भारत का दौरा किया; और

(ख) उन दौरों का उद्देश्य क्या था?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला : (क) और (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ के आमंत्रण पर पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टों 25 से 21 नवम्बर, 2001 तक भारत की निजी यात्रा पर आई।

जुलाई, 2001 में आगरा शिखर सम्मेलन–स्तरीय वार्ता के बाद पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा नहीं हुई।

तमिलनाडु में बन्दरगाह

***4870. डा. ए. डी. के. जयशीलन** : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में कन्याकुमारी के कुलैईच्चल स्थान पर और पालिनोक्कम पमणन में बंदरगाह बनाने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड

4871. श्री अरूण कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (एच.एल.एल.) की उत्पादवार अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ख) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान उनके विभिन्न उत्पादों के लिए मंत्रालय द्वारा एच.एल.एल. को दिए गए व्यावसायिक क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि एच.एल.एल. को मंत्रालय के क्रयादेशों को पूरा करने के लिए कण्डोम निजी उत्पादकों से खरीदना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की उत्पादवार स्थापित क्षमता इस प्रकार है:–

1.	कंडोम	670 मिलियन नग
2.	नान स्टेरायडल ओ सी पी	30 मिलियन नग (एकल पारी)
3.	स्टेरायडल ओ सी पी	60 मिलियन चक्र
4.	शन्ट	5000 नग
5.	कापर–टी	5.91 मिलियन नग (एकल पारी)
6.	रक्त बैग	2 मिलियन नग

(ख) भारत सरकार द्वारा हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड को 2000–2001 के दौरान दिए गए वाणिज्यिक आदेश इस प्रकार हैं:–

1.	कंडोम	621.50 मिलियन नग
2.	ओ सी पी स्टेरायडल	454.00 लाख चक्र
3.	कापर–टी	0.96 मिलियन नग

(ग) और (घ) मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड़ सामान्यतया बाहर से कंडोम नहीं खरीदता। वर्ष 2000–01 के दौरान हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा बाहरी स्त्रोत से कंडोम नहीं खरीदे गए थे।

तथापि, जनवरी 2002 में मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड को कडोम के 120 मिलियन नग बाहरी स्त्रोतों से प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। इसके मुकाबले मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड घरेलू स्त्रोत से कंडोम के 13.641 मिलियन नग खरीद सका।

ह्युमन इम्युनो डेफिसिएन्सी वायरस

4872. श्री अनन्त नायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000–01 और 2001–02 के दौरान कितने लोग ह्युमन इम्युनो डेफिसिएन्सी वायरस के शिकार हुए;

(ख) तत्संबधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) एच आई वी प्रहरी निगरानी डेटा 2000 और 2001 के विश्लेषण के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि देश में क्रमशः 3.86 मिलियन और 3.97 मिलियन एच आई वी संक्रमित व्यक्ति हैं। चूंकि अनुमान लगाने का यह कार्य राष्ट्रीय अनुमानों के लिए किया जाता है इसलिए राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

एच आई वी/एड्स के निवारण तथा नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में देशभर में इस समय एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्य घटक निम्नलिखित है:–

* लक्षित व्यक्तियों की पहचान और हमउम्र परामर्श देकर, कंडोम को बढ़ावा देकर, यौन संचारित संक्रमणों आदि का उपचार करके उच्च खतरे वाले समूहों में एच आई वी के प्रसार को कम करना।

* सूचना शिक्षा व संचार तथा जागरूकता अभियान चलाकर, स्वैच्छिक जांच तथा परामर्श और निरापद रक्ताधान सेवाएं देकर और व्यावसायिक प्रभावन का निवारण करके आम लोगों के लिए निवारक कार्यकलाप चलाना।

* अवसरवादी संक्रमणों, गृह तथा समुदाय आधारित परिचर्या प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

* राष्ट्रीय, राज्य और नगरीय स्तरों पर प्रभावकारिता और तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय सपोषणीयता को सुदृढ़ करना।

* सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

उड़ीसा में डिपार्टमेंट फार इन्टरनेशनल डेवलपमेंट सहायता का विस्तार

4873. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001–2003 के आगे उड़ीसा के स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में डिपार्टमेंट फार इन्टरनेशनल डेवलपमेंट सहायता देने का है;

(ख) क्या उड़ीसा की गरीबी को देखते हुए सरकार का विचार राज्य की स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं की शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता हेतु एक विशेष पैकेज देने का है; और

(ग) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) सितम्बर, 1997 से क्रियान्वयनधीन अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा सहायता प्राप्त उडीसा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुधार परियोजना 30 जून, 2002 को समाप्त हो जाएगी। उड़ीसा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार योजना हेतु जुलाई 2002 से दो वर्षों की अवधि के लिए अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय

विकास विभाग सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव पर मंत्रालय की टिप्पणियां अब राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ भेज दी गई है कि इसे वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को भेजने हेतु सभी अपेक्षित सूचना के साथ एक पूर्ण प्रस्ताव भेजे। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा सरकार से प्राप्त पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग की सहायता संबंधी एक संकल्पना नोट को इस पर विचार करने तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग को आगे भेजने हेतु आर्थिक कार्य विभाग को अग्रेषित कर दिया गया ताकि प्रस्तावित परियोजना के मूल्यनिर्धारण और उसकी रूपरेखा तैयार करने हेतु राज्य सरकार के साथ संवाद शुरु किया जा सके।

प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अन्तर्गत नियोजित व्यक्तियों की संख्या

4874. श्री पी. आर. किंडिया : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 के दौरान सात पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष–वार तथा राज्यवार कितने लोगों को नौकरियां दी गई;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत बड़ी संख्या में आवेदन ऋण हेतु लम्बित पडे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन आवेदनों का कब तक निपटान किए जाने की संभावना है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2000–01 के दौरान सात पूर्वोत्तर राज्यों में सृजित रोज़गार का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार देश में 31.03.2002 की स्थिति के अनुसार बैंकों के पास 91378 आवेदन पत्र लंबित थे। पीएमआरवाई के मानदंडों के अनुसार बैंकों को प्रायोजित किए जाने वाले आवेदन पत्र लक्ष्य का 125% के समकक्ष होने चाहिए। इसलिए, किसी भी वित्त वर्ष के अन्त में, कुछ आवेदन पत्र लंबित होना संभव है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ उठाने में सक्षम बनाने हेतु लंबित आवेदन पत्र द्रुतगति से निपटाए जाने हैं।

विवरण

प्रधानमंत्री की रोज़गार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सृजित रोज़गारों का राज्यवार अनुमान

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैंकों द्वारा संवितरित मामले (संख्या)	अनुमानित सृजित रोज़गार*
1.	असम	3379	5069
2.	मणिपुर	16	24
3.	मेघालय	213	320
4.	नागालैंड	26	39
5.	त्रिपुरा	332	498
6.	अरुणाचल प्रदेश	265	398
7.	मिजोरम	75	113

* रोज़गार का अनुमान 1.5 व्यक्ति प्रति इकाई संवितरित ऋण की दर से लगाया गया है जो संवितरित मामलों की प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट और राज्य सरकारों से प्राप्त सृजित रोजगार रिपोर्ट पर आधारित है।

उत्तरांचल में दूरभाष सेवाएं

4875. श्री ए. नरेन्द्र : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तरांचल में दूर–संचार नेटवर्क के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) क्या राज्य में विशेषकर राज्य के रूद्रप्रयाग जिले में निर्धारित किये गये लक्ष्यों के अनुसार विकास का कार्य को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक रूद्रप्रयाग जिले में विकास कार्य के लिए खर्च की गयी राशि का अलग–अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक राज्य में जिलावार कितने नये टेलीफोन कनैक्शन प्रदान किये गये?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तरांचल सर्किल में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए आबंटित निधियां निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	वर्ष	आबंटित निधियां
1.	1999–2000	143.70 करोड़ रु.
2.	2000–2001	185.00 करोड़ रु.
3.	2001–2002	206.43 करोड़ रु.
	कुल	535.13 करोड़ रु.

(ख) जी हां। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार रूद्रप्रयाग जिला सहित सर्किल में विस्तार कार्य पूरा हो गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रूद्रप्रयाग जिले में विस्तार कार्य के लिए खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित निधियां
1.	1999–2000	1.46 करोड़ रु.
2.	2000–2001	0.68 करोड़ रु.
3.	2001–2002	0.83 करोड़ रु.
	कुल	2.97 करोड रु.

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में जिलावार प्रदान किए गए नये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत संचार निगम लिमिटेड के उत्तरांचल सर्किल (जिला–वार) में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए नये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या।

क्रम सं.	जिले का नाम	वर्ष		
		1999–2000	2000–2001	2001–2002
1.	चमौली	1114	1291	1752
2.	रूद्रप्रयाग	640	695	889
3.	पौड़ी	3832	3170	4039
4.	अलमोड़ा	3152	2888	1950
5.	पिथौरागढ़	1972	2762	1324
6.	बागेश्वर	574	522	546
7.	चंपावत	613	870	300
8.	हरिद्वार	4377	3315	11739
9.	देहरादून	14001	15271	12940
10.	टेहरी	972	1378	2014
11.	उत्तरकाशी	1036	1408	872
12.	नैनीताल	4665	5871	5985
13.	उद्यमसिंह नगर	5476	6893	6736
	कुल	42424	46334	51086

असम में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

4876. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सर्कल में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इसके अंतर्गत कितनी

पंचायतों को शामिल कर लिया गया है और अभी जिलावार कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाना है;

(ग) सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी; और

(घ) वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 में इस उद्देश्य के लिए बजट में कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं।

(ख) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार असम में 2486 ग्राम पंचायतों में से 2095 में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। जिले–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) दिसम्बर, 2002 तक शेष सभी पंचायतों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान किए जाने की योजना है बशर्ते कि सामग्री और एसएसीएफए/सुरक्षा सम्बन्धी क्लीयरेंस उपलब्ध हो।

(घ) वर्ष 2001–2002 के लिए 123.86 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी थी। वर्ष 2002–2003 के लिए सर्किलवार बजटीय आबंटन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

दूरसंचार सुविधायुक्त और दूरसंचार सुविधा रहित ग्राम पंचायतों की जिला–वार संख्या

क्रम सं.	जिला	सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या जिन्हें अभी सुविधा दी जानी है
1	2	3	4
1.	कामरूप	177	0
2.	डिबरूगढ़	84	9
3.	तिनसुकिया	81	7
4.	काछार	161	2
5.	करीमगंज	92	4
6.	हैलाकंडी	60	2
7.	एन.सी.हिल्स	0	0
8.	जोरहट	90	21
9.	सिबसागर	105	13
10.	गोलाघाट	100	2
11.	बोंगाईगांव	66	25
12.	ग्वालपाड़ा	60	21
13.	धुबरी	147	25
14.	कोकराझार	62	26
15.	बरपेटा	113	37
16.	नलबाड़ी	87	23
17.	दारंग	106	50
18.	सोनितपुर	151	8
19.	लखीमपुर	55	26
20.	धेमजी	20	45
21.	नगांव	210	24
22.	मोरीगांव	68	21
23.	कारबी अंगलोंग	0	0
	जोड़	2095	391

[हिन्दी]

बचत बैंक खातों में जमा राशि पर ब्याज जोड़ना

4877. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न डाकघरों में जमाकर्त्ताओं की संख्या में वृद्धि करने और डाकघरों में बचत बैंक में राशि जमा कराने को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसी डाकघर में जिसमें जमाकर्त्ताओं का खाता होता है, जमा राशि पर ब्याज जोडने का प्रावधान न होने के कारण डाक अधीक्षक को भेजी गयी जमाकर्त्ताओं की पास बुक वर्षों उसके पास लंबित पड़ी रहती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसी डाकघर में पास बुक में ब्याज जोड़ने का प्रावधान करने का है; जिसमें खाता रखा जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी हां। संघ और राज्य सरकारों द्वारा समूचे देश में इलेक्ट्रानिक और साथ ही प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देकर तथा प्रचार अभियान चलाकर लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहित करके निरंतर व अधिक संसाधन जुटाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। जहां तक लघु बचत योजनाओं का संबंध है, छोटे निवेशकों के निवेश को निश्चित गारंटी, आकर्षक प्रतिलाभ, कर में छूट, परिसमापन की सुविधा और सुगमता प्रदान करके संरक्षित रखा जाता है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। विषय पर मौजूदा अनुदेशों के अनुसार लोअर सलेक्शन ग्रेड और उससे ऊपर के सभी डाकघरों को, उनके संबंधित लेखा डाकघरों द्वारा उन्हें दी गई ब्याज विवरणिकाओं के आधार पर बचत खातों, राष्ट्रय बचत योजना, 1987, राष्ट्रीय बचत योजना, 1992, मासिक आय खाता योजना और सावधि जमा योजनाओं के संबंध में अपने खाताधारकों की पासबुकों में ब्याज दर्ज करने का अधिकार है। केवल छोटे डाकघरों को ही ब्याज दर्ज करने के लिए अपने खाताधारकों की पासबुक अपने संबंधित लेखा डाकघर को भेजनी होती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए धन

4878. डा. बलिराम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए आबंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे केन्द्रों को खोलने के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और उनका अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना के स्वास्थ्य क्षेत्र के परिव्यय और बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अधीन प्रदान की गई निधियों में से किया जाता है। उत्तर प्रदेश को पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र परिव्यय और बुनियादी न्यूनतम सेवा के अधीन प्रदान की गई निधियां इस प्रकार हैं:–

लाख रुपये में

वर्ष	स्वास्थ्य क्षेत्र परिव्यय	बीएमएस/पीएमजीवाई
1999–2000	42816.00	15413.57
2000–2001	30200.00	8526.25
2001–2002	37278.00	5651.00

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन आबंटनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक चिकित्सा

4879. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कतिपय पंजीकृत समितियां देश में प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही हैं और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उतीर्ण कर लेने पर कई प्राकृतिक चिकित्सक और संस्थाएं/संगठन देश में कार्य कर रहे हैं/प्रैक्टिस कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार राज्यवार ऐसी कितनी पंजीकृत संस्थाएं/संगठन कार्यरत हैं;

(ग) सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के इलाज के लिए अब तक कितनी संस्थाओं को मान्यता प्रदान की है; और

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सक/संस्था/संगठन को मान्यता देने की शर्तों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) छह संस्थान 5 वर्षीय अथवा

5–1/2 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम चला रहे हैं और ये विश्वविद्यालयों के साथ संबद्ध है। कुछ अन्य संस्थान छोटी अवधि के पाठ्यक्रम चला रहे हैं। केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लिए 19 गैर–सरकारी संगठनों की सहायता कर रही है।

(ग) स्वास्थ्य विभाग ने प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उपचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत 3 प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों को मान्यता प्रदान की है।

(घ) प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस करने वालों को पजीकृत करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर कोई भी सांविधिक परिषद् नहीं है। कुछ राज्यों ने स्वयं पंजीकरण प्रक्रियाएं बना ली हैं।

पाक द्वारा भगोड़े अपराधियों को सौंपा जाना

4880. श्री विनय कुमार सोराके :

श्रीमती रेणूका चौधरी :

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत की इस मांग का समर्थन किया है कि पाकिस्तान नयी दिल्ली द्वारा मांगे गये 20 भगोडे अपराधियों को सौंपे;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अमरीका ने पाकिस्तान को इन पर पाकिस्तान में मुकदमा चलाने और दण्डित करने का विकल्प भी दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (घ) संयुक्त राज्य ने कई अवसरों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि पाकिस्तान को भारत द्वारा मांगी गई 20 भगोड़े आतंकवादियों की सूची पर कार्रवाई करनी चाहिए यद्यपि उनको भारत को सौंपने जैसी बात का बार–बार उल्लेख नहीं किया है। पाकिस्तान ने अभी तक उन 20 भगोडे आतकवादियों में से किसी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है।

सूचना प्रौद्योगिकी से प्राप्त होने वाली आय

4881. श्री एन. टी. षणमुगम : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्त वर्ष 2001–2002 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से कितनी आय अर्जित की गयी है और सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत कितना रहा है;

(ख) चालू वित्त वर्ष 2002–2003 के आरंभिक छह महीनों के दौरान कितनी आय अर्जित किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इन उद्योगों से अधिक से अधिक आय अर्जित करने के लिए कौन–कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सबसे बड़े भाग सॉफ्टवेयर उद्योग को वित्त वर्ष 2001–02 के दौरान हुई आय नीचे दिए अनुसार है:

सॉफ्टवेयर निर्यात	36,500 करोड़ रु.
घरेलू सॉफ्टवेयर	11,634 करोड़ रु.
कुल	48,134 करोड़ रु.

यह राशि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% है।

(ख) नैसकॉम के अनुमान के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान 40,000 करोड़ रु. की आय होने की संभावना है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय

1. पूँजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है। और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई–वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वतः मार्ग के अन्तर्गत है।

3. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाऐं अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनतम निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों का निर्यात के लदान पर्यत निःशुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलो पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। इनका मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 90% तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002–2002 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया है, कम्प्यूटर/प्रिंटरों स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0% फ्लॉपी डिस्क पर 15% से 10% तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों मेंप्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25% से 5% अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5% से 0% इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर 25–35% से 15%, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, सांचों, डाइयों पर 25% से 15% और इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25–35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

*कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियाँ, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक–पूर्जों पर 0% की दर से जारी हैं। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की मदों पर सीमा शुल्क 15%, दूरसंचार के पुर्जों पर 5% सेल्युलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक–पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001–02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16% की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो अब भी जारी है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण शामिल है।

16. धारा 80 एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध है।

17. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 10ए, 10बी तथा 80 एचएचई के तहत आयकर लाभ के पात्र है।

18. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान रहेगी चाहें उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

19. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्त्ताओं और आईएसओ 9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में "निर्यात गृह" का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयाँ निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं:

* विदेशी मुद्रा अर्जनकर्त्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।

* सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

20. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर–वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई हैं।

21. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी भी संगठन द्वारा गैर–व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

22. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए निवेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी से प्राप्त लाभांश अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

23. उद्यम पूंजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

24. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर निवेशकर्त्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पूंजी निधियों ने आरंभिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

25. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी कम्पनी में साम्यापूँजी के कुल 24% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001–2002 के बजट में इस सीमा को 40% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।

26. धारा 80–1ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अंतर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

27. एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमागी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है।

28. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002–03 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15% की और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003–04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

29. भारत में उद्योगों को पुनः स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुनःस्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

30. ऐसी भारतीय कम्पनियां जो विदेशों में पूंजीनिवेश करना

चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वतः मार्ग से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक का पूंजीनिवेश कर सकती हैं, जिसकी वर्तमान 50 मिलियन अमरीकी डॉलर है। (बजट 2002–03 की घोषणा)

31. बाजार खरीद के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजीनिवेश करने वाली भारतीय कम्पनियाँ अब पूर्व अनुमति के बिना अपनी शुद्ध मालियत के 50% तक ऐसा कर सकती हैं। इस समय यह सीमा 25% है। (बजट 2002–03 की घोषणा)

32. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

33. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन से, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घण्टे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से परिचित व्यवसायीड़ (नोन शिपर्स) योजना को अतिम रूप दिया है।

34. मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई समान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियों तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

35. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

विकास दर में गिरावट

4882. श्री राजो सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय आदि राज्यों में आर्थिक सुधारों को लागू किये जाने के पश्चात् विकास दर में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उदारीकरण के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए इन राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में घोषित करने का है; और

(ग) वर्तमान दशक की तुलना में 80 के दशक में उक्त राज्यों की विकास दर का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) स्थिर मूल्यों (1993–94) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की विकास दर द्वारा मापित बिहार उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय राज्यों की विकास दर नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी की विकास दर

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य	1981–82 से 1989–90	1990–91 से 1999–2000
1.	बिहार	4.4	3.2
2.	उत्तर प्रदेश	5.0	4.5
3.	असम	4.2	3.1
4.	मेघालय	5.4	5.5

जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है, सुधारोत्तर अवधि के दौरान असम, बिहार तथा उत्तर प्रदेश की विकास दर में गिरावट आई है तथा मेघालय राज्य की विकास दर में मामूली–सी वृद्धि हुई है।

असम और मेघालय राज्यों को योजना वित्तपोषण हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए विशेष श्रेणी राज्यों के रूप में पहले से ही वर्गीकृत कर रखा है। फिलहाल, बिहार और उत्तर प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्यों के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

धुले जिला में ऑप्टीकल-फाइबर-केबल

4883. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 31 मार्च, 2002 तक महाराष्ट्र के धुले जिले में अनुमानतः कितने किलोमीटर क्षेत्र में ऑप्टीकल–फाइबर–केबल ओ एफ सी बिछायी गयी है;

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त जिले में ऑप्टीकल–फाइबर–केबल के लिए और अधिक आबंटन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31 मार्च, 2002 तक महाराष्ट्र के धुले जिले में लगभग 542 रूट कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) वर्ष 2002–2003 के लिए 100 रूट कि.मी. फाइबर केबल का प्रस्ताव है।

(घ) धुले जिले के लिए लगभग 1.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है।

[अनुवाद]

भर्ती पर लगे प्रतिबंध का हटाया जाना

4884. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग में भर्ती पर लगे प्रतिबंध को अब हटा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में कितने पदों को भरे जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 16.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/8/2001–पीआईसी के तहत सीधी भर्ती की रिक्तियों में से केवल एक तिहाई रिक्तियां भरने के लिए वार्षिक सीधी भर्ती योजना बनाने के दिशा–निर्देश जारी किए हैं। सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाली रिक्तियों की सीमा कुल स्वीकृत संख्या का एक प्रतिशत है। वार्षिक सीधी भर्ती कार्यक्रम की स्क्रीनिंग कमेटी का अनुमोदन प्राप्त होना है।

(ख) वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में भरे 'जाने वाले सीधी भर्ती के संभावित रिक्त पदों की संख्या स्क्रीनिंग कमेटी अनुमोदित वार्षिक सीधी भर्ती योजना के अनुसार होगी।

भारत अमरीका की बैठक

4885. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली में हाल ही में अन्य बातों के साथ–साथ व्यापक परमाणु निषेध संधि जैसे परमाणु मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत–अमरीका आधिकारिक स्तर की एक बैठक हुई;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इसमें अन्य कौन–कौन से मुद्दों पर चर्चा की गयी और यदि कोई निर्णय लिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत–संयुक्त राज्य संबंधों के गुणात्मक रूपांतरण की प्रक्रिया को सम्पन्न करने की संयुक्त प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दोनों पक्ष मंत्रिमंडलीय और सरकारी स्तरों पर नियमित वार्ता आयोजित करते हैं। दोनों पक्ष पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा आतंकवाद विरोधी कार्यवाही, रक्षा, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यावरण में सहयोग सुदृढ़ करने पर चर्चा करते हैं।

जनशक्ति उपलब्ध कराने वाली संदिग्ध एजेंसियों को काली सूची में डालना

4886. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 19 मार्च, 2002 के 'द हिन्दुस्तान टाईम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत ने कुवैत से जनशक्ति उपलब्ध कराने वाली संदिग्ध एजेंसियों को काली सूची में डालने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने कुवैत के विदेश मंत्रालय के साथ इस मामले पर बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) कुवैत स्थित भारतीय राजदूतावास कुवैत में उन कुछ जनशक्ति अभिकरणों की संलिप्तता को कुवैत की सरकार की औपचारिक रूप से जानकारी में लाया है जो झूठे वायदों पर भारत से कामगारों की भर्ती करते हैं।

(घ) यह समझा गया है कि ऐसे जनशक्ति अभिकरणों के विरूद्ध कुवैती प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई है।

मासिक अप्रयुक्त कॉलें

4887. श्री वाई. वी. राव :

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारियों और गरीब उपभोक्ताओं की सहायता करने के लिए स्थानीय टेलीफोनों की मासिक अप्रयुक्त कॉलों को अगले महीने की कॉलों में जोड़ने हेतु योजना लागू करने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) निःशुल्क कॉलों को किराए के साथ जोड़ना टैरिफ व्यवस्था का एक भाग है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार, टैरिफ का विनियमन करना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का कार्य है। देश के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता टीआरएआई द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित दूरसंचार टैरिफ आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी की खोज

4888. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियाँ सूचना प्रौद्योगिकी के कौन–कौन से क्षेत्रों में सफल रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियाँ सूचना प्रौद्योगिकी के कुल क्षेत्रों के मात्र 12 प्रतिशत में ही संभावनाओं का लाभ उठा पायी हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में अधिक से अधिक क्षेत्रों में संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन–कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने सॉफ्टवेयर निर्यात एवं सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सरकार ने 'इंडिया इन्कार्पोरेटेड', ब्रांड संवर्धन, रोडशो, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता और बाजार आसूचनाएं एकत्रित करने जैसे उपायों को जारी रखने का प्रस्ताव किया है।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय

1. पूँजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है। और 5% शुल्क पर इसे सभी

क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई–वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वतः मार्ग के अन्तर्गत है।

3. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाऐं अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनतम निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों का निर्यात के लदान पर्यत निःशुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलो पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। इनका मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 90% तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002–2002 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया है, कम्प्यूटर/प्रिंटरों स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0% फ्लॉपी डिस्क पर 15% से 10% तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों मेंप्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25% से 5% अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5% से 0% इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर 25–35% से 15%, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, सांचों, डाइयों पर 25% से 15% और इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25–35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

*कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियाँ, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक–पूर्जों पर 0% की दर से जारी हैं। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की मदों पर सीमा शुल्क 15%, दूरसंचार के पुर्जों पर 5% सेल्युलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक–पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001–02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16% की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो अब भी जारी है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण शामिल है।

16. धारा 80 एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध है।

17. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 10ए, 10बी तथा 80 एचएचई के तहत आयकर लाभ के पात्र है।

18. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान रहेगी चाहें उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

19. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में "निर्यात गृह" का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयाँ निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं:

* विदेशी मुद्रा अर्जनकर्त्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100: धारिता।

* सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

20. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर–वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई हैं

21. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी भी संगठन द्वारा गैर–व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

22. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए निवेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी से प्राप्त लाभांश अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

23. उद्यम पूंजी वित्तपोषण को बढावा देने के उद्देश्य से, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

24. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर निवेशकर्त्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पूंजी निधियों ने आरंभिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

25. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी कम्पनी में साम्यापूँजी के कुल 24% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढाया जा सकता है। वर्ष 2001–2002 के बजट में इस सीमा को 40% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।

26. धारा 80–1ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अंतर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

27. एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमागी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है।

28. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002–03 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बडे पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15% की और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003–04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

29. भारत में उद्योगों को पुनः स्थापित करने को प्रोत्साहित

करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुनःस्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

30. ऐसी भारतीय कम्पनियां जो विदेशों में पूंजीनिवेश करना चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वतः मार्ग से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक का पूंजीनिवेश कर सकती हैं, जिसकी वर्तमान 50 मिलियन अमरीकी डॉलर है। (बजट 2002–03 की घोषणा)

31. बाजार खरीद के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजीनिवेश करने वाली भारतीय कम्पनियाँ अब पूर्व अनुमति के बिना अपनी शुद्ध मालियत के 50% तक ऐसा कर सकती हैं। इस समय यह सीमा 25% है। (बजट 2002–03 की घोषणा)

32. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

33. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन से, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घण्टे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से परिचित व्यवसायीड़ (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

34. मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई समान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियों तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

35. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से सबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

कर्नाटक में घेंघा रोग

4889. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में घेंघा और आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से संबंधित मामलों में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) प्रकाश में आये ऐसे मामलों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और राज्य स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि राज्य में 20 जिलों में से 7 जिले आयोडीन अल्पता विकारों (अर्थात् जहां आयोडीन अल्पता विकारों की व्यपतता 10% अथवा अधिक है) की स्थानिकमारी वाले हैं। तथापि, एक जिले नामतः चिकमंगलूर में कराए गए पुनः सर्वेक्षण के अनुसार आयोडीकृत नमक की आपूर्ति किए जाने के परिणामस्वरूप आयोडीन अल्पता विकार की व्याप्तता 1986 में 32.14% से घटकर 1998 में 25.0% रह गई है।

(घ) घेघा तथा अन्य आयोडीन अल्पता विकारों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने 25.2.1996 से पूरे राज्य में आयोडीकृत नमक से भिन्न नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसके अलावा, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण सेल की स्थापना करने, स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रचार करने, आयोडीन अल्पता विकारों के विस्तार (मैग्नीटयूट) का निर्धारण करने हेतु सर्वेक्षण कराने और आयोडीन अल्पता विकार मानिटारिंग प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न एजेंसियों नामतः फील्ड प्रचार निदेशालय, संगीत एवं नाटक प्रभाग, दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए आयोडीन अल्पता के परिणामों और आयोडीकृत नमक का उपयोग करने के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित भी कर रहा है।

विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय

4890. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी डाकघरों में

विदेशी मुद्रा के क्रय और विक्रय के लिए सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) चुने हुए डाकघरों से विदेशी मुद्रा के क्रय और विक्रय की सुविधा प्रदान करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। तथापि, इस संबंध में अंतिम निर्णय तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाएगा।

सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति

4891. श्री वैको : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कार्यान्वयन के लिए कितनी सड़क परियाजनाओं को स्वीकृत प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितनी परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) वर्षवार स्वीकृत परियोजनाएं इस प्रकार हैं–

		धनराशि (करोड़ रु.)	
1999–2000	–	533	727
2000–2001	–	679	1372
2001–2002	–	709	1871

इसके अलावा, वर्ष 2000–01 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के 6349 कि.मी. के कार्यान्वयन के लिए 30,300 करोड़ रु. के निवेश की स्वीकृति दी गई है।

(ग) वर्षवार पूरी की गई परियोजनाएं इस प्रकार हैं:–

		धनराशि (करोड़ रु.)	
1999–2000	–	470	593
2000–2001	–	795	1105
2001–2002	–	549	1176

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की 2052 कि.मी. लंबाई भी पूरी की गई है।

भारत-ईरान संबंध

4892. श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईरान के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कौन–कौन से क्षेत्रों में भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंध स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या दोनों देशों की सरकारों ने सभी स्तरों पर द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक बनाने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत–ईरान संबंधों की जड़े इतिहास में हैं और निकट सांस्कृतिक और सभ्यतागत समानताओं पर आधारित हैं। आधुनिक संदर्भ में, हमारे संबंधों की दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय राजनैतिक आदान–प्रदानों की एक निरंतरता विशेषता रही है। जिसके परिणामस्वरूप व्यापार और वाणिज्य, उद्योग, ऊर्जा (भारत के लिए ईरानी गैस के अंतरण सहित), परिवहन और संचार कृषि, कोंसली, शिक्षा और संस्कृति जैसे विविध क्षेत्रों में संबंध स्थापित हो रहे हैं।

10–13 अप्रैल, 2001 तक प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा ने भारत–ईरान संबंधों को एक नई दिशा दी है। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री और महामहिम सैयद मोहम्मद खातमी, ईरान के राष्ट्रपति ने तेहरान घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त, व्यापारिक और आर्थिक सहयोग, और सीमा शुल्क से संबद्ध करारों, तथा ऊर्जा, विद्युत, तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन संपन्न हुए थे।

संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की भारत–ईरान संयुक्त आयोग के सत्र के दौरान नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। मई, 2000 में तेहरान में अंतिम सत्र संपन्न हुआ था और आगामी सत्र मई, 2002 में नई दिल्ली में संपन्न होना निर्धारित है।

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाना

4893. श्री अमर रायप्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी नैमित्तिक श्रमिक की सेवाओं को नियमित किए जाने के लिए सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय भंडार में अनेक नैमित्तिक श्रमिक – 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का नैमित्तिक श्रमिकों – विशेषकर उन श्रमिकों जिन्होंने 30 जून, 2001 तक पांच वर्ष से अधिक की सेवावधि पूरी कर ली हो – की सेवाओं को नियमित कर देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, इन नैमित्तिक श्रमिकों को कब तक नियमित कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?;

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, अनियत मज़दूरों की सेवाएँ नितांत अनियत, आकस्मिक/मौसमी स्वरूप के कार्य करवाने के लिए ली जाती हैं तथा उस आकस्मिक कार्य–विशेष के समाप्त हो जाते ही उनकी सेवाएँ समाप्त कर दिए जाने योग्य होती हैं जिसके लिए उन्हें रखा गया हो। अनियत मज़दूरों को समूह 'घ' पदों पर नियमित रूप से नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उन्होंने दो क्रमिक वर्षों में 240 दिन की अवधि तक निरन्तर–अविच्छिन्न रूप से कार्य किया हो। सप्ताह में पांच कार्य–दिवस रखने वाले कार्यालयों के संबंध में, इस बारे में निर्धारित न्यूनतम सीमा 206 दिन हैं। किसी अनियत मजदूर को इस शर्त पर ही नियमित रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि वह संगत पदों के अधिसूचित भर्ती–नियमों में निर्धारित पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करे और जिस स्थापना में वह अनियत मजदूर के रूप में कार्य कर रहा हो उसमें समूह 'घ' का एक नियमित पद उपलब्ध हो। भर्ती–नियमों में यथा निर्धारित आयु–सीमा में ढील–रियायत, की गई अनियत–आकस्मिक सेवा की सीमा तक दी जा सकती है।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय भण्डार में अनियत मजूदर, अनियत–आकस्मिक कार्य करने के लिए रखे गए हैं तथा वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार द्वारा अधिसूचित, न्यूनतम मजदूरी पर, काम–दर–काम के आधार पर रखे गए हैं। वे किसी नियमित पद पर नहीं रखे गए हैं।

इनमें से कुछ मज़दूरों ने दिल्ली उच्च न्यायालय/श्रम–न्यायालय में यह निवदेन करते हुए याचिका दायर की है कि उन्हें सभी परिणामी लाभ देकर नियमित रूप से नियुक्त किया जाए। उपर्युक्त मसला न्यायाधीन है।

परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

4894. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों की सूची क्या है जिनके लिए विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार को इसके व्यय के संबंध में तमिलनाडु की ओर से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) तमिलनाडु को उपर्युक्त परियोजनाओं और कार्यक्रमों हेतु केन्द्र सरकार की ओर से और कितनी धनराशि अभी दी जानी शेष है; और

(घ) क्या सरकार ने व्यय के संबंध में तमिलनाडु से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को कहा है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पूरी राशि जारी कर दी गई है।

(घ) जी, हां।

विवरण

क्रम. सं.	परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची	मंजूरी का वर्ष	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये)
1.	राज्य मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना	1999–2000	0.25
2.	मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स की कम्प्यूटर सुविधाओं को अद्यतन करना और पुस्तकालय बनाना।	1999–2000	0.50
3.	मद्रास इन्सीटीटयूट ऑफ डिवैलपमेंण्ट स्ट्डीज, चैन्नई के पुस्तकालय के लिए सामान्य विन्यास और विशेष विन्यास	1999–2000	1.00
4.	उत्तर चेन्नई में तटवर्ती कटाव की रोकथाम	2000–01	1.00
5.	पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें	2001–01	74.00
6.	शून्य	2001–02	शून्य

इंटरनेट के माध्यम से टेलीफोन करने की सुविधा

4895. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंटरनेट के माध्यम से टेलीफोन करने की सुविधा की पेशकश कर रहे इंटरनेट–सेवादाताओं के लिए सरकार ने जो मार्गनिर्देश तय किए हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इंटरनेट के माध्यम से टेलीफोन सुविधा में आवाज की गुणता सुधारने की दृष्टि से सरकार ने कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इन्टरनेट टेलीफोनी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देने से संबंधित विस्तृत मार्ग–निर्देश संलग्न विवरण–। में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई)/लाइसेंसदाता द्वारा समय–समय पर सेवा–गुणवत्ता (क्यू ओ एस) निर्धारित की जाएगी। तथापि, इस समय सेवा–गुणवत्ता निर्धारित नहीं की गई है।

विवरण

इन्टरनेट टेलीफोनी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देने से संबंधित मार्ग–निर्देश।

1. इन्टरनेट सेवा प्रदाता (आई एस पी) लाइसेंस–धारकों को अपने सेवा–क्षेत्र में इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाती है।

2. आई एस पी के उपभोक्ता अपने पर्सनल कम्प्यूटरों या अन्य इंटरनेट प्रोटोकोल (आई. पी.) आधारित उपभोक्ता परिसर उपकरण (सीपीई) के माध्यम से सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:–

(क) पीसीओ से पीसी तक (भारत तथा भारत से बाहर दोनों में)

(ख) पी सी से टेलीफोन तक (भारत में पीसी से भारत से बाहर टेलीफोन तक)

(ग) भारत में आई पी आधारित एच 323/सेशन इनीशिएटेड प्रोटोकोल (एस आई पी) टर्मिनलों से इन्टरनेट असाइन्ड नम्बर्स अथॉरिटी (आई ए एन ए) की आई पी एड्रेसिंग स्कीम का इस्तेमाल कर के भारत तथा विदेश दोनों में इस प्रकार के टर्मिनलों तक।

3. एड्रेसिंग स्कीम "आई ए एन ए" की आई पी एड्रेसिंग स्कीम के अनुरूप होगी।

4. सेवा–गुणवत्ता (क्यू ओ एस) टी आर ए आई/लाइसेंसदाता द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएगी। तथापि, इस समय सेवा गुणवत्ता निर्धारित नहीं की गई है।

5. इन्टरनेट टेलीफोनी सेवा के लिए टैरिफ निर्धारण आई एस पी द्वारा किया जा सकता है।

6. आई एस पी लाइसेंस की वैधता के दौरान किसी भी समय, आवश्यक समझे जाने पर, लाइसेंसदाता को लाइसेंस शुल्क लगाने का अधिकार है।

7. इन्टरनेट टेलीफोनी की सुविधा देने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयुक्त निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी है।

8. इन्टरनेट टेलीफोनी सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इस संबंध में आई एस पी लाइसेंस करार के संशोधन में हस्ताक्षर करने होंगे।

9. विस्तृत मार्ग–निर्देश दूरसंचार विभाग (डीओटी) की वेबसाइट डॉटइंडिया, कॉम में उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाना

4896. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हैदराबाद'–गोदावरी–खानी राजीव राहदारी राजमार्ग पर लगातार बढ़ते यातायात को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विस्तार करने के आशय का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी नहीं। सरकार को हैदराबाद गोदावरी खानी राजीव राहदारी राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विस्तार करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंटरनेट के माध्यम से टेलीफोन करने की प्रक्रिया के संबंध में कृतक बल

4897. श्री नागमणि : क्या **संचार और सूचना प्रोद्यौगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट के माध्यम से टेलीफोन करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरसंचार विभाग ने इस प्रयोजनार्थ कार्यनीति तय करने के लिए एक कृतक बल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या इस कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह कृतक बल अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। इंटरनेट टेलीफोनी सेवा की अनुमति 1 अप्रैल 2002 से दे दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का संवर्धन

4898. श्री वाई. जी. महाजन :

श्री प्रकाश वी. पाटील :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2002–2003 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने विषयक कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था इसके संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त वास्तविक उपलब्धियों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) लघु उद्योगों के विकास के लिए 2002–2003 के दौरान सरकार का क्या प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार लघु उद्योगों (ल.उ.) की स्थापना हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है क्योंकि यह राज्य का विषय है तथा यह राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

(घ) लघु उद्योग के सुदृढ़ीकरण तथा इसकी घरेलू तथा विश्वव्यापी दोनों तौर से प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की है। नीति पैकेज जो 2002–03 में जारी रहेगा, में बढ़ी हुई राजकोषीय एवं क्रेडिट सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु बेहतर आधारभूत संरचना और विपणन सुविधाएं और प्रोत्साहन शामिल हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय साइबर स्पेस प्रकोष्ठ

4899. श्री के. येरननायडू : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "राष्ट्रीय" साइबर स्पेस प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) आतंकवादियों द्वारा अपने संदेशों के आदान–प्रदान के लिए नवीनतम संचार–सुविधाओं का उपयोग करके राष्ट्र–विरोधी गतिविधियां संचालित करने पर अंकुश लगाने में इस प्रकोष्ठ की स्थापना से कहाँ तक मदद मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पैलेस ऑन व्हील्स

4900. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने यूरोप में चलने वाली "ओरियंटेल–एक्सप्रेस" की भांति "शाही सवारी" (पैलेस ऑन व्हील्स) चलाने के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार की मंजूरी तथा वित्तीय सहायता के लिए भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का फिर अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.3.2002 को महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी आदेश जारी कर दिया गया था।

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित सड़कें

4901. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्र द्वारा प्रायोजित सड़क विकास योजनाओं को अपराध जगत की माफिया गतिविधियों से बाधा पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि माफिया के लोग इस प्रकार की योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू नहीं होने दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विभिन्न सड़क विकास योजनाओं को माफिया हस्तक्षेप के बिना लागू किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) कुछ ठेकेदारों ने सूचना दी है कि जबरदस्ती वसूली आदि के संबंध में उन्हें धमकियां मिली हैं। तथापि, निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध किया है।

गुजरात में ग्राम-पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं

4902. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार गुजरात में जिलावार कितनी ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्रमशः 31 मार्च, 2000 और 31 मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी;

(ग) क्या उक्त सुविधा को एक निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्य की शेष ग्राम पंचायतों को उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उत्तर सभा–पटल पर रख दिया जाएगा।

आयोडीनयुक्त नमक

4903. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानव उपयोग हेतु आयोडीन युक्त नमक को अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों, विशेषकर उड़ीसा में साधारण नमक के उत्पादन और बिक्री को गैर–कानूनी करार दिया गया है;

(घ) क्या अधिक मात्रा में ऑयोडीनयुक्त नमक के उपयोग से थॉयराइड ग्रंथ की समस्या उत्पन्न हो जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) केरल और गुजरात राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7(iv) के प्रावधान के अधीन जनस्वास्थ्य के हित में मानव उपभोग हेतु आयोडीन युक्त नमक से भिन्न अन्य सामान्य नमक की बिक्री का अस्थायी रूप से प्रतिषेध कर दिया हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों ने केवल स्थानिकमारी वाले जिलों में प्रतिबंध लगाया है।

(घ) और (ङ) अब तक आयोडीन युक्त नमक के अत्यधिक उपभोग के कारण किसी प्रतिकूल प्रभाव को सूचित नहीं किया गया है जैसा कि आयोडीन युक्त नमक के मानकों में अनुबद्ध है कि इनमें विनिर्माणन के स्तर पर आयोडीन प्रति मिलियन कम से कम 30 भाग तथा खुदरा स्तर पर प्रति मिलियन कम से कम 15 भाग निहित होगी जोकि पूर्णतया सुरक्षित समझी जाती है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन, राज्य सरकारों द्वारा अपने–अपने राज्यों में इन मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित हैं।

[हिन्दी]

सलाहकार समिति

4904. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सलाहकार समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की संरचना क्या है और उसके विचारार्थ विषय क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सरकार का टेलीफोन सलाहकार समितियों को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार माननीय संसद सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे पुनर्गठित की जा रही टेलीफोन सलाहकार समितियों में नामांकन के लिए विचार हेतु अपने निर्वाचन क्षेत्र से पांच प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करें। तथापि, पुनर्गठित टेलीफोन सलाहकार समितियों (टीएसी) के संगठन, कार्यों और अन्य पहलुओं के संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

आरक्षित रिक्त पद

4905. श्री रामदास आठवले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इस आशय के अनुदेश जारी करने का विचार है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों के लिए इन वर्गों से कोई उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को लेकर इन्हें भरने की बजाय, इन्हें ही रखा जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान और आज तक, सरकार को इस संबंध में संसद–सदस्यों और अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं मिल पाने पर, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों से भरे जाने का न तो कोई प्रस्ताव है और न ही ऐसा कोई अनुदेश है।

(घ) से (च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संसद–सदस्यों के तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान गठित की गई आलेख–समिति ने दिसम्बर, 1999 में यह सिफारिश की कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद, इन समुदाय के उम्मीदवारों से ही भरे जाएँ और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं मिल पाने की स्थिति में, ये रिक्तियां/पद इन दो समुदायों के बीच आपस में अदल–बदल करके भरे जाएँ अर्थात् अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार नहीं मिल पाने पर अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं मिल पाने पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरे जाएँ।

मौजूदा अनुदेशों में यह भी प्रावधान है कि जहाँ तक संभव हो, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद, इन समुदायों के उम्मीदवारों से ही भरे जाएं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं मिल पाने की स्थिति में ये रिक्तियां/पद इन दो समुदायों के बीच आपस में अदल–बदल करके भरे जाएँ अर्थात् अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार नहीं मिल पाने पर अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं मिल पाने पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरे जाएँ।

उत्तर प्रदेश में एस.टी.डी./आई.एस.डी. कनेक्शन

4906. श्री रामशकल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस.टी.डी./आई.एस.डी. कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु क्या मापदंड तय किए गए हैं;

(ख) एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा प्राप्त करने विषयक आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा वाले सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने संबंधी कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) इन आवेदनों का निपटान कब तक कर दिया जायेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड की मौजूदा नीति के अनुसार, सभी पात्र आवेदकों को उनके पंजीकरण के अनुसार 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ आबंटित किये जाते हैं।

(ख) दैनिक आधार पर एसटीडी/आईएसडी पीसीओ उन क्षेत्रों में आबंटित किये जाने चाहिए जहां कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। उन क्षेत्रों में जहां प्रतीक्षा सूची है, प्रतीक्षा सूची के निपटान के लिए एक्सचेंज क्षमता में विस्तार और बाह्य संयंत्र में वृद्धि के लिए वरीयता के आधार पर प्रयास किये जाते हैं।

(ग) 2249

(घ) क्षेत्रों के तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो जाने तथा आवेदकों द्वारा अन्य शर्तें पूरी कर लेने पर लंबित आवेदनों को उत्तरोत्तर रूप से सितम्बर, 2002 तक निपटाया जायेगा।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार को सरकारी भवन उपलब्ध कराया जाना

4907. श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री रामजी मांझी :

श्री शीशराम सिंह रवि :

श्री अरूण कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय भंडार की शाखाओं के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, उसे 1 रुपए प्रति माह के नाममात्र शुल्क पर सरकारी भवन उपलब्ध कराती रही है, किन्तु काफी समय से इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा कारणों से रायसीना मार्ग स्थित केन्द्रीय भंडार परिसर को खाली कराया जा रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या लेखन सामग्री इत्यादि उपलब्ध कराने का व्यवसाय करते रहने के लिए भंडार को वैकल्पिक भवन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या अपना व्यवसाय संचालित करते रहने के लिए 'राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ'' (एन.सी.सी.एफ.) और 'सुपर बाजार' को 1 रुपए नाममात्र शुल्क देकर भवन उपलब्ध कराने जैसी कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) रायसीना मार्ग स्थित परिसर के विकल्प के रूप में किए गए आबंटन को निरस्त किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भारत–सरकार, अपने कर्मचारियों का कल्याण करने के उपायों के एक भाग के रूप में केन्द्रीय भण्डार को नाम मात्र के किराये पर आवास मुहैया करवाती है तथा ऐसी सुविधा दी जानी समाप्त नहीं की गई है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) केन्द्रीय भंडार को, आर. के. पुरम (पश्चिम), ब्लॉक संख्या – viii, विंग संख्या –III, भूतल, नई दिल्ली तथा आर.के. पुरम (पूर्व), ब्लॉक संख्या – 10, भूतल, नई दिल्ली – 66 में वैकल्पिक आवास मुहैया करवाया गया है।

(ङ) और (च) सुपर बाजार ने यह सूचित किया है कि उसे अपनी 25 शाखाओं के संबंध में 1 रुपए प्रतिमाह की सांकेतिक लाइसेंस फीस पर आवास आबंटित किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को इस दर पर आवास आबंटित नहीं किया गया है।

(छ) केन्द्रीय भंडार के भारत–सरकार की एक कल्याणकारी परियोजना होने के नाते, उसे आबंटित किया गया आवास रद्द किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में औषधालय/स्वास्थ्य केन्द्र

4908. श्री कैलाश मेघवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात में यहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीनवर्ती औषधालय और स्वास्थ्य केन्द्र काफी कम संख्या में हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इन औषधालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों को अब तक कहां–कहां खोला गया है;

(ग) क्या सरकार को राज्य की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य

योजना के अधीन ऐसे और अधिक औषधालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) वर्तमान में राजस्थान में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केवल जयपुर शहर में उपलब्ध है जहाँ पर पाँच एलोपेथिक औषधालय, एक आयुर्वेदिक और एक होम्योपैथिक इकाई, एक दंत इकाई, एक पॉलिक्लिनिक और दो प्रयोगशालाएं हैं। जयपुर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों की मांग को ध्यान में रखते हुए खोले गए हैं।

कार्मिक शक्ति और संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में राजस्थान के विभिन्न भागों में और अधिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलना संभव नहीं होगा।

(ग) सरकार ने राजस्थान के जोधपुर शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं के विस्तार हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त किया है।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

अमरीका के साथ परमाणु सुरक्षा कार्यक्रम

4909. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अमरीका के साथ परमाणु सुरक्षा सहयोग पुनः शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) सुरक्षा के संबंध में सहकार, जिसे मई, 1998 में बंद कर दिया गया था, फिर से चालू करने का निर्णय लिया गया है।

अधिक कार्य-निष्पादन वाले कम्प्यूटर से प्रतिबंध हटाना

4910. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत को किए जाने वाले अधिक कार्य–निष्पादन वाले कम्प्यूटर तथा अन्य उच्च प्रौद्योगिकी वाली वस्तुओं के निर्यात से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को और बढ़ाने तथा उसका स्तर बढ़ाने तथा उच्च गुणवत्ता वाले कम्प्यूटरों के विकास पर किस सीमा तक उपयोगी प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका निर्यात लाइसेंसों और अधिसूचना अपेक्षाओं की प्रणाली के जरिए भारत को उच्च निष्पादन क्षमता के कम्प्यूटरों के निर्यात को नियंत्रित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार समय–समय पर उच्च निष्पादन क्षमता के कम्प्यूटरों के निर्यात संबंधी दिशानिर्देशों और मानदंडों की समीक्षा करती है। जनवरी, 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने ऐसे कम्प्यूटरों की निर्यात नियंत्रण प्रणाली को और अधिक उदार बनाया है, जिसके फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका के निर्यातक संयुक्त राज्य संघीय को अधिसूचित किए बिना 190,000 मिलियन सैद्धान्तिक प्रचालन प्रति सेकण्ड (एमटॉप्स) की क्षमता वाले कम्प्यूटरों का निर्यात कर सकते हैं।

(ख) और (ग) मौसम पूर्वानुमान जैसे कुछ अति विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए ही भारत को उच्च निष्पादन कम्प्यूटरों/सुपर कम्प्यूटरों के आयात की आवश्यकता है।

सेल्युलर फोन उद्योग को पर्याप्त विस्तार प्रदान करना

4911. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर प्रमुख महानगरों में सेल्युलर टेलीफोन नेटवर्क काफी सघन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति और सेल्युलर फोन सेवाओं की गिरती गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया है;

(ग) फोन सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से सेल्युलर फोन उद्योग को पर्याप्त विस्तार प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) ऐसी सेवाओं और सुविधाओं का आवधिक रूप से उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही निगरानी के संबंध में ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) दिल्ली और मुंबई मेट्रो शहर सेवा क्षेत्रों के कुछ सेल्युलर ऑपरेटरों ने दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को आवृत्ति स्पेक्ट्रम की कमी के कारण अपने नेटवर्कों में संकुलता और सेवा की गुणवत्ता में गिरावट की सूचना दी है।

(ख) और (ग) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रदाताओं को अतिरिक्त रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम आबंटित करने के लिए दूरसंचार विभाग ने 1 फरवरी, 2002 को एक आदेश जारी किया है। यह निर्णय लिया गया है कि सीएमटीएस ऑपरेटरों को उन्हें पहले अनुमत 6.2 मेगाहर्ट्ज+6.2 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम से ऊपर अतिरिक्त प्रभारों के भुगतान पर और अन्य शर्तों के अध्यधीन 1.8 मेगाहर्ट्ज + 1.8 मेगाहर्ट्ज का अतिरिक्त स्पेक्ट्रम सौंपा जाए ताकि वे उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के कारण स्पेक्ट्रम से सबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

(घ) ट्राई को सीएमटीएस नेटवर्कों के कार्य निष्पादन की मॉनीटरिंग का कार्य सौंपा गया है। ट्राई द्वारा यह त्रैमासिक कार्य–निष्पादन मॉनीटरिंग और सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) से संबंधित मॉनीटरिंग रिपोर्टों के जरिए किया जाता है।

उपमार्ग-निर्माण के मार्ग-निदेश

4912. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपमार्ग के निर्माण के लिए मार्ग विशेष का अधिग्रहण करने के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा तय मार्ग–निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस विषय में सक्षम निकायों द्वारा कोई लागत–लाभ संबंधी अध्ययन भी संपादित किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो कोई उपमार्ग बनाने के लिए किसी मार्ग विशेष को विनिश्चित करने में क्या कार्यविधि अपनाई जाती है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाइपासों की योजना भीड़ वाले क्षेत्रों/कस्बों से बचने के लिए बनाई जाती है ताकि यातायात की सुरक्षित और सुविधापूर्वक आवाजाही हो सके। बाइपास के लिए संरेखण का चयन साध्यता अध्ययन के आधार पर किया जाता है। चुने गए संरेखण के लिए विस्तृत इंजीनियरी की जाती है, जिसमें यातायात अध्ययन, सुविधा की डिजाइन और आर्थिक विश्लेषण तथा लागत–लाभ अध्ययन किए जाते हैं।

अमेरिकी उप विदेश मंत्री का दौरा

4913. श्री के. पी. सिंह देव :

श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमेरिकी उप–विदेश मंत्री ने नई दिल्ली का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) उससे क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) दक्षिण एशिया के लिए संयुक्त राज्य सहायक राज्य सचिव सुश्री क्रिस्टीना रोका ने 9–11, अप्रैल, 2002 के बीच नई दिल्ली की यात्रा की। यह यात्रा दोनों देशों के विदेश कार्यालयों के बीच आवधिक परामर्शों के एक भाग के रूप में थी।

(ख) और (ग) यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने आतंकवाद विरोधी कार्यवाही, सुरक्षा, रक्षा, निर्यात नियंत्रण, उच्च प्रौद्योगिकी वाणिज्य सहित निवेश और व्यापार और ऊर्जा व पर्यावरण को शामिल करते हुए द्विपक्षीय सहयोग की स्थिति की समीक्षा की। चर्चा के माध्यम से आपसी हित के विस्तृत मुद्दों पर भारत–संयुक्त राज्य की साझेदारी का संवर्धन हुआ। दोनों पक्ष राजनैतिक–सैन्य मामलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुए।

[हिन्दी]

रक्त की बर्बादी

4914. श्री सुन्दर लाल तिवारी :

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 मार्च, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'रक्त की बर्बादी' 'वेस्टेज आफ ब्लड्'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं तथा अस्पतालों में रक्त की बर्बादी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) रक्त के उचित भंडारण, इसके घटकों के पृथककरण हेतु उपकरणों की स्थापना में कौन–कौन सी बाधाएं सामने आई हैं और इन बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगियों को संक्रमित रक्त नहीं चढ़ाया जाये, रक्त चढाने के पहले रक्त जांच अनिवार्य बनाने का हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रक्त की बर्बादी की मात्रा के संबंध में रिपोर्ट में उद्धत आंकड़े तथ्यों पर आधारित नहीं है। तथापि सरकार संपूर्ण देश में रक्त घटक पृथक्करण इकाइयों की स्थापना करके रक्त के विवेकपूर्ण उपयोग का एक नीति के रूप में संवर्धन कर रही है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के प्रथम चरण (1992–99) में सरकार ने देश में 40 रक्त घटक पृथक्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण/स्थापना में सहायता प्रदान की है और द्वितीय चरण में अन्य 41 केन्द्रों की पहचान की जा रही है। रक्त के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में दिशा–निर्देश परिचालित किए जा चुके है और राष्ट्रीय एड्स नियत्रण कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अधीन 41 रक्त घटक पृथक्करण इकाइयों हेतु उपकरणों का प्रापण किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) रक्ताधान द्वारा संचारित होने वाले संक्रमणों यथा–एच.आई.वी., एच.सी.वी., एच.बी.एस., ए.जी.,वी.डी.आर.एल., और मलेरिया परजीवी हेतु रक्त की जांच करना पहले से ही अनिवार्य है।

[अनुवाद]

निजी अस्पताल/नर्सिंग होम

4915. श्री नरेश पुगलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम उचित प्राधिकरणों में पंजीकृत हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अस्पताल अथवा नर्सिंग होम खोलने हेतु कोई मानदंड, नियम और दिशा–निर्देश निर्धारित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) चूंकि भारत के संविधान के अधीन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों में उपचर्या गृहों/प्राईवेट क्लिनिकों के कार्य संबंधित राज्य में प्रभावी नियमों/कानूनों के उपबंधों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा राजभाषा-नीति का अनुपालन

4916. श्री गंता श्रीनिवास राव :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ–लोक–सेवा–आयोग द्वारा राजभाषा–नीति संबंधी आदेशों का अनुसरण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भर्तियों और साक्षात्कार के संबंध में गृह–मंत्रालय के दिनांक 2 जून, 1992 के कार्यालय ज्ञापन सं. 13034/37/92 राजभाषा (ग) के अनुपालनार्थ अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक

शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। संघ–लोक–सेवा–आयोग में राजभाषा–अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है।

(ख) संघ–लोक–सेवा–आयोग द्वारा उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलावे के पत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती के संबंध में, उम्मीदवारों से साक्षात्कार के माध्यम के बारे में लिखित रूप से विकल्प नहीं मांगा जाता। उम्मीदवार, हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में साक्षात्कार–परीक्षण दे सकते हैं। संघ–लोक–सेवा–आयोग, प्रत्येक वर्ष, एक सीमित विभागीय परीक्षा अर्थात् अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख/ग्रेड ।) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा संचालित करता है। कतिपय उम्मीदवारों को कुछ प्रश्न–पत्रों के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी माध्यम से नहीं लिखने का विकल्प चुनने दिया जाता है। उम्मीदवारों को कुछ प्रश्न–पत्रों के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी माध्यम से नहीं लिखने दिए जा सके हैं, क्योकि इन प्रश्न–पत्रों से संबंधित सदर्भ–पुस्तकें, हिन्दी भाषा में उपलब्ध नहीं है। ये पुस्तकें, हिन्दी में अनूदित करवाए जाने का मुद्दा, संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उठाया गया है। उपर्युक्त पुस्तकें हिन्दी में उपलब्ध हो जाने पर, उपयुक्त परीक्षा के सभी प्रश्न–पत्रों के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में लिखने देने की सुविधा करवा दी जाएगी।

एस.टी.डी. में वृद्धि

4917. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एस.टी.डी. की दरों में कटौती किये जाने के बाद इसके व्यवसाय में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें वृद्धि हासिल करने के लिए फोन–टू–फोन इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा किए गए सेम्पल अध्ययन के अनुसार, एस.टी.डी. ट्रैफिक औसतन करीब 25 प्रतिशत तक बढ गया है।

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

नौवीं पंचवर्षीय योजना में कम धनराशि खर्च करना

4918. श्री नवल किशोर राय :

श्री रामजी लाल सुमन :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिनांक 22 मार्च, 2002 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार के अनुसार नौवी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में 82,786 करोड़ रुपये की भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके परिणमास्वरूप कौन–कौन सी विकास योजनाएं/परियोजनाएं प्रभावित हुई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय के रूप में 489361 करोड़ रुपये (वर्ष 1996–1997) के मूल्यों पर का अनुमान लगाया गया था। जिसे 203982 करोड़ रुपये की बजट सहायता तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (सीपीएसईज) के 285379 करोड़ रुपये के आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 की बजट सहायता की वास्तविक आंकड़ों तथा वर्ष 2001–2002 के संशोधित अनुमान के अनुसार) में केन्द्रीय योजना हेतु अनुभूत बजट सहायता 177797 करोड़ रुपये रही। नौवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम के अनुभूत आतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन 228795 करोड़ रुपये (नौवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के उपलब्ध संशोधित अनुमानों के अनुसार) रहे।

अतः नौवीं योजना हेतु 489361 करोड़ रुपये के अनुमानित स्तर के तुलना में केन्द्रीय योजना हेतु अनुभूत कुल योजना व्यय के 406592 करोड़ रुपये (वर्ष 1996–97 के मूल्यों पर) होने की संभावना है।

पंचवर्षीय योजना परिव्यय संकेतात्मक है जिसे संसाधनों के उपलब्धता के आधार पर वार्षिक योजनाओं के माध्यम से प्रचालित किया जाता है। नौवीं योजना लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धि में कमी मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के समग्र रूप से मंद होने के कारण नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के समय यथा परिकल्पित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों द्वारा आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों का सृजन करने में असमर्थता के कारण था। कुछ संयुक्त उद्यम रिफाइनरी परियोजनाओं जैसे भटिंडा रिफाईनरी, ईस्टर्न इंडिया रिफाईनरी और बीना रिफाईनरी को शुरु करने में विलम्ब हुआ है।

[अनुवाद]

बिहार में कालाजार कार्यक्रम

4919. श्री अरूण कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम में कालाबजार को शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार की उन संस्थाओं, एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं इत्यादि के नामों का ब्यौरा क्या है जिनका यह कार्यक्रम चलाने के लिए चयन किया गया है/पहचान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) काला–आजार नियंत्रण कार्यक्रम एक चल रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है और यह बिहार सहित स्थानिकमारी वाले राज्यों में मौजूदा स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है।

इंटरनेट सुविधायुक्त आई.टी.
कीऑस्क/साइबर कैफे

4920. श्री अनंत नायक : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दसवीं योजना के दौरान देश में इंटरनेट सुविधायुक्त आई.टी. कीआस्क/साइबर कैफे को स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में गठित कार्यदल ने देश में इंटरनेट सुविधायुक्त आई.टी. कीआस्क/साइबर कैफे स्थापित करने हेतु प्रस्ताव किया है। तथापि, कार्यदल की रिपोर्ट में राज्य–वार लक्ष्य प्रस्तावित नहीं है। इसी बीच, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ब्लॉक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबे (कीआस्क) उपलब्ध कराने के एक कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है और अब तक 3097 ब्लॉक मुख्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा शेष मुख्यालयों में दसवीं पचवर्षीय योजना के दौरान मांग के अध्यधीन उक्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

खादी भंडार

4921. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने खादी भंडार चल रहे हैं;

(ख) क्या सभी खादी भंडार मुनाफे में चल रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो मुनाफा न कमाने वाले खादी भंडारों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन खादी भंडारों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) विभिन्न खादी संस्थानों, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों के 7000 से भी अधिक बिक्री निर्गम है।

(ख) इन सभी बिक्री निर्गमों के मुनाफे के बारे में सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) खादी पैकेज के अन्तर्गत, खादी बिक्री निर्गमों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए फंड उद्दिष्ट किए गए हैं। खादी विक्रय हेतु मानक डिजाइन और मानक लोगों सृजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त समकालीन उत्पाद डिजाइनों और पैकेजिंग सुविधाओं के लिए भी प्रावधान बनाया गया है। आयोजित विज्ञापन एवं प्रचार अभियानों हेतु भी प्रावधान बनाए गए हैं।

आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

4922. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल सरकार से नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) राज्यीय सडकों के राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तन हेतु आंध प्रदेश में लगभग 2800 कि.मी. लंबाई के लिए 13 प्रस्ताव और उत्तरांचल में लगभग 700 कि.मी. लंबाई के लिए 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस प्रस्ताव पर दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंडों, यातायात की आवश्यकता और परस्पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए धनराशि की उपलब्धता के आधार पर अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा।

असम की टेलीफोन निर्देशिका

4923. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम सर्किल की अंतिम टेलीफोन निर्देशिका किस तिथि से प्रकाशित हुई थी;

(ख) क्या निर्देशिका को अद्यतन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो अद्यतन निर्देशिका को कब तक प्रकाशित किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के लिये निर्देशिकाओं का अलग प्रकाशन होता है; और

(ङ) यदि हां, तो नवीनतम डिस्ट्रिक्ट दूरसंचार निर्देशिकाओं का प्रकाशन किस तारीख को किया गया था?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) टेलीफोन निर्देशिकाएं दूरसंचार सर्किल–वार प्रकाशित नहीं की जाती। टेलीफोन निर्देशिकाएं दूरसंचार जिला–वार प्रकाशित की जाती है।

(ख) और (ग) जी, हां। दूरसंचार जिला–वार प्रकाशन अनुसूची संलग्न विवरण के कॉलम 4 में दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) नवीनतम डिस्ट्रिक्ट टेलीफोन निर्देशिकाओं का प्रकाशन जिन तारीखों को किया गया था उनका उल्लेख संलग्न विवरण कॉलम 3 में किया गया है।

क्रम.सं.	दूरसंचार जिले का नाम	अंतिम निर्देशिका के प्रकाशन की तिथि	अगली निर्देशिका के प्रकाशन संबंधी लक्ष्य
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
1.	बोंगईगांव	दिसम्बर, 1999	जनवरी, 2003
2.	डिब्रूगढ	जून, 2001	जून, 2003
3.	गुवाहाटी (कामरुप)	फरवरी, 2002	पहले ही प्रकाशित
4.	जोरहाट	सितम्बर, 2000	जनवरी, 2003
5.	नगांव	अगस्त, 2000	जून, 2002
6.	सिल्चर	सितम्बर, 2000	दिसम्बर, 2002
7.	तेजपुर	जनवरी, 2000	दिसम्बर, 2002

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

4924. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा किये गये प्रयासों के बावजूद यह अभी भी कुष्ठ रोग के उन्मूलन में पड़ोसी देशों से बहुत पीछे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यामांर और नेपाल जैसे अन्य दक्षिण–पूर्व एशियाई देश भी इस भयानक बीमारी के उन्मूलन के अपने प्रयास में भारत से आगे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु कोई लक्षित तिथि निर्धारित की है;

(घ) सरकार को विशेषकर छत्तीसगढ़ और झारखंड में कुष्ठ रोग के गुप्त मामलों को प्रकाश में लाने में कौन–कौन सी मुख्य समस्याएं सामने आ रही हैं;

(ङ) क्या देश में इस महामारी से प्रभावित अन्य राज्यों में कुष्ठ रोग के मामलों में गिरावट आई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) नई दिल्ली स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त हुई सूचना से पता चलता है कि अक्तूबर, 2001 में भारत की कुष्ठ की व्याप्तता दर (प्रति 10000 जनसंख्या पर) नेपाल में 3.40 और म्यांमार में 2.37 के मुकाबले 3.79 थी जबकि शेष दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने प्रति 10000 जनसंख्या पर एक रोगी से कम की व्याप्तता दर प्राप्त की है।

(ग) भारत सरकार का मार्च, 2004 तक कुष्ठ का उन्मूलन अर्थात् प्रति 10000 जनसंख्या पर 1 से कम की व्याप्तता दर प्राप्त करने का लक्ष्य है।

(घ) इन दो राज्यों में काफी बड़ी जनजातीय जनसंख्या है जो जंगलों और दुर्गम्य क्षेत्रों में रह रही है।

(ङ) और (च) जी, हां। ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। 2000–01 में देश में आशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान नहीं चलाया गया था। इसलिए 2000–01 की व्याप्तता दर 2001–02 से कम है।

विवरण

विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के प्रारम्भ में स्थानिकमारी वाले राज्यों में प्रति 10,000 जनसंख्या पर कुष्ठ की व्याप्तता दर और वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	राज्य	1993–94	2001–02 (मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार)
1.	पश्चिम बंगाल	21.27	4.48
2.	उड़ीसा	21.19	9.26
3.	बिहार	20.92	12.77
4.	मध्य प्रदेश	11.79	2.58
5.	आंध्र प्रदेश	11.45	3.61
6.	उत्तर प्रदेश	10.58	6.19
7.	महाराष्ट्र	10.18	3.56
8.	तमिलनाडु	9.30	4.34
9.	कर्नाटक	5.17	2.57
10.	झारखण्ड	लागू नहीं	15.05
11.	छत्तीसगढ़	लागू नहीं	11.55

[हिन्दी]

एम टी एम-16 उपस्कर

4925. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग/भारत संचार निगम लिमिटेड ने एसटीएम–16 उपस्कर की आपूर्ति हेतु वर्ष 2000–01 के दौरान निविदायें आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वे कंपनियों जिन्हें ठेका दिया गया था, वे इस उपस्कर की आपूर्ति करने में असफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि उन्हीं कंपनियों को वर्ष 2001 में पुनः एसटीएम–16 की आपूर्ति करने हेतु ठेका दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हाँ।

(ख) तीन आपूर्तिकर्त्ताओं को आर्डर दिए गए जिसमें से दो आपूर्तिकर्त्ताओं ने पूरी आपूर्ति कर दी है और एक ने लगभग 70% आपूर्ति की है।

(ग) मैसर्स एच एफ सी एल ने पूरी आपूर्ति नहीं की है और आपूर्ति अभी की जा रही है।

(घ) जी, नहीं। वर्ष 2001–2002 के लिए निविदा आधार पर चयनित चार कम्पनियों में से केवल एक कम्पनी पहले वाली है।

(ङ) निविदागत परिमाण निविदा के निबंधन और शर्तों के अनुसार सौंपा जाता है। पात्र बोलीदाताओं का चयन खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और उनके मध्य निविदागत परिमाण का वितरण निविदा दस्तावेज के संबंधित खंड के अनुसार किया जाता है।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली की स्वास्थ्य योजनाएं

4926. डा. बलिराम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लागू की गई/लागू की जा रहीं और मंजूरी हेतु लंबित स्वास्थ्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है और राज्य सरकारों द्वारा वास्तविक रूप से कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने निर्धारित समय–सीमा के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने हाल ही में सहायता अनुदान और सहायता के रुप में मंजूरी के लिए कोई नई स्वास्थ्य योजनाएं भेजी हैं; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं की मौजूदा स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मलेरिया, क्षयरोग, दृष्टिहीनता, एड्स और कुष्ठ जैसे प्रमुख रोगों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में उनके आबंटनों/रिलीज और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे में वृद्धि करने हेतु 1.7.2000 से साढ़े पांच वर्षों की अवधि के लिए 110 मिलियन अमरीकी डालर की परियोजना लागत से एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना भी कार्यान्वयनाधीन है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश और दिल्ली को आबंटित की गई निधियों का अधिकांश उपयोग निर्धारित समय के भीतर किया जा रहा है।

(ङ) और (च) दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकारो ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त क्षमता निर्माण परियोजना के अधीन औषध नियंत्रण प्रशासन और औषध जांच सुविधाओं के बारे में अपने आधारभूत ढांचे और जनशक्ति में वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव अग्रेषित किया है। इस परियोजना में केन्द्र सरकार ने औषध जांच सुविधाओं को उन्नयन करने हेतु दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए क्रमशः 133 लाख रुपए और 440 लाख रुपए का प्रावधान रखा है।

विवरण

प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के अधीन उत्तर प्रदेश और दिल्ली का आबंटन/रिलीज और व्यय (लाख रुपये में)

	यू.पी.		दिल्ली	
	आबंटन/रिलीज	व्यय	आबंटन/रिलीज	व्यय
	1	2	3	4
राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम				
1999–2000	622.18	527.80	75.40	20.10
2000–2001	591.14	544.11	90.97	100.45
2001–2002	540.44	एन.आर.	97.57	एन.आर
क्षय रोग				
1999–2000	897.57	1130.63	0.00	100.00
2000–2001	1695.07	449.06	195.04	255.78
2001–2002	836.10	120.52	310.85	79.29

	1	2	3	4
दृष्टिहीनता				
1999–2000	789.32	822.25	42.40	29.44
2000–2001	588.00	1327.98	38.13	26.37
2001–2002	1893.98	365.62	13.00	24.28
एड्स				
1999–2000	851.00	343.77	283.00	383.39
2000–2001	1175.00	448.53	239.00	168.15
2001–2002	1465.65	2170.08	334.00	149.54
कुष्ठ				
1999–2000	1417.10	1175.10	14.38	14.38
2000–2001	1093.51	1002.97	41.50	41.50
2001–2002	1282.50	एन.आर.	48.36	एन.आर.

एन.आर. व्यय अब तक राज्य सरकारों द्वारा सूचित नहीं किया गया।

नोट : 2001–02 के व्यय के आंकडे अनंतिम हैं क्योंकि राज्यों ने अब पूरे वर्ष का व्यय सूचित नही किया है।

[अनुवाद]

प्रधान डाकघर खोला जाना

4927. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक प्रधान डाकघर स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में ऐसे जिलों की संख्या कितनी है जहां उनके जिला मुख्यालयों में कोई प्रधान डाकघर नहीं है; और

(ग) महाराष्ट्र के सभी जिला मुख्यालयों में इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हां। देश के हर जिला मुख्यालय में एक हैड पोस्ट आफिस खोलने का प्रस्ताव है यह कार्य मुख्य रूप से हैड पोस्ट आफिसों के मौजूदा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाकर किया जाएगा। इसके अलावा, जिन जिला मुख्यालयों में हैड पोस्ट ऑफिस नहीं है, वहां उपयुक्त दर्ज वाले किसी डाकघर को बतौर "मुख्य डाकघर" नामित किया जाएगा, जो अपने ग्राहकों को अपने लेन–देन से संबंधित स्वतः पूर्ण सेवाएं उपलबध कराएगा।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सर्किल में ऐसे 5 जिले हैं जिनके जिला मुख्यालयों में हैड पोस्ट आफिस नहीं है। इन जिलों में हैड पोस्ट ऑफिस बनाया जाना प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से औचित्यसम्मत होने पर निर्भर करेगा। इस बीच इन स्थानों पर मुख्य डाकघर स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

यूरेनियम की उपलब्धता

4928. श्री एस.डी.एन.आर.वाडियार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में यूरेनियम का अनुमानित भंडार कितना है;

(ख) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध यूरेनियम भंडारों के उचित उपयोग हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) पिछले पांच दशकों में किए गए अन्वेषण के दौरान परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (ए एम डी) ने अब तक यूरेनियम संसाधनों की करीबन 92000 मीटरी टन मात्रा का पता लगाया है।

(ख) और (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग ने, देश में उपलब्ध यूरेनियम के सीमित और थोरियम के विशाल भंडारों के अनुरूप, एक त्रि–चरणीय दीर्घावधि परमाणु विद्युत कार्यक्रम तैयार किया है जिसके अंतर्गत, प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लाने वाले दाबित भारी पानी रिएक्टरों की स्थापना पहले चरण में, प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में काम में लाने

वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की स्थापना दूसरे चरण में और उसके बाद थोरियम ^{232} – यूरेनियम ^{233} चक्र में यूरेनियम ^{233} को ईंधन के रूप में काम में लाने वाले ब्रीडर रिएक्टरों की स्थापना तीसरे चरण में की जानी है।

ग्लोबल टेलीकॉम मैप में भारत की स्थिति

4929. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानचित्र पर इस समय भारत की स्थिति क्या है;

(ख) वर्ष 2005–2010 तक नई दूरसंचार नीति द्वारा प्रति व्यक्ति क्या दूरसंचार सघनता लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि डाटा प्रसारण द्वारा दुनिया भर में "वायस चार्जर्स" कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारत विश्व का 8 वां सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है।

(ख) नई दूरसंचार नीति, 1999 द्वारा निर्धारित टेली–घनत्व लक्ष्य वर्ष 2005 तक 7% तथा वर्ष 2010 तक 15% है।

(ग) और (घ) डाटा पारेषण संबंधी टैरिफ वॉइस टैरिफ की अपेक्षा अलग है। सामान्यतः, वॉइस प्रभार समयावधि के आधार पर प्रभारित किए जाते हैं, जबकि डाटा के लिए प्रभार संप्रेषित किए जा रहे डाटा की मात्रा के आधार पर प्रभारित किए जाते हैं। तथापि, यदि वॉइस को डाटा की शक्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है, तब इसे डाटा की श्रेणी के अन्तर्गत भी संप्रेषित किया जा सकता है और ऐसा करने से यह सस्ता हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही सेवा की गुणवत्ता में भी कमी आ सकती है। ऐसी सुविधाएं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) के माध्यम से उपलब्ध हैं। यह इंटरनेट के माध्यम से भी संभव है तथा सरकार ने हमारे देश सहित विश्व में कहीं भी पी.सी. से पी. सी. तक और केवल अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए पी.सी. से इंटरनेट फोन तक इंटरनेट के जरिए वीओआईपी प्रचालित करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) को पहले ही अनुमति प्रदान कर दी है।

सीमा पार से आंतकवाद

4930. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव किया है बशर्ते पाकिस्तान भारत के विरूद्ध सीमापार से आतंकवाद को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाए;

(ख) यदि हां, तो अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को क्या–क्या प्रस्ताव किये गये हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) सरकार ने अनेक अवसरों पर पाकिस्तान से कहा है कि वह लश्कर–ए–तोयबा और जैश–ए–मोहम्मद सहित पाकिस्तान से सक्रिय अन्य आतंकवादी संगठनों के विरूद्ध प्रभावी उपाय करे और भारत में सीमा–पार घुसपैठ पर रोक लगायें। अमरीका ने ऐसा नहीं कहा है कि ऐसे उपाय करने के लिए वह पाकिस्तान को ईनाम देने का प्रस्ताव कर रहा है।

(ग) सरकार का मानना है कि प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है कि वह आतंकवादियों को समर्थन, पोषण और आश्रय देने से इनकार करे और ऐसा करने के एवज में किसी ईनाम की आशा न करें।

मोबाइल कम्युनिकेशन संबंधी शुल्कों का वापस लिया जाना

4931. श्री वाई. वी. राव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से देश में मोबाइल कम्युनिकेशन उपस्करों, मोबाइल से और स्थिर बेतार टर्मिनलों के सभी कलपुर्जों और घटकों के निर्माण हैंडसैटों संबंधी बेसिक काऊंटर हीलिंग और विशेष शुल्कों को वापस लेने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैंड सेटों के कलपुर्जों, संघटकों और उपस्करों से बुनियादी सीमा–शुल्क, काउंटर वेलिंग शुल्क (सीवीडी) और विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) हटा लिया है।

मोबाइल संचार उपस्कर और स्थिर बेतार टर्मिनलों के विनिर्माण हेतु आवश्यक कल–पुर्जों पर सीमा–शुल्क 5% से 15% तक है।

चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. सीटों में वृद्धि

4932. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध एम.बी.बी.एस. सीटों की राज्यवार और महाविद्यालय–वार संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक महाविद्यालय में सामान्य प्रवेश परीक्षा और अखिल भारतीय प्रतिभा कोटा और भुगतान श्रेणी के जरिए आबंटित सीटों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. सीटों में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) एम.बी.बी.एस. सीटों में वृद्धि करने हेतु कर्नाटक सरकार से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और अनुमोदन हेतु लम्बित हैं; और

(च) मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) एक विवरण–। संलग्न है।

(ख) उन्नीकृष्णन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा प्राईवेट मेडिकल कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताया गया था जिसके अनुसार प्राइवेट मेडिकल कालेजों में कुल सीटों में से कम से कम 50 प्रतिशत सीटें मेरिट के आधार पर देनी होगी। शेष 50 प्रतिशत सीटों को भुगतान श्रेणी में भरा जाना है। कालेज की कुल प्रवेश क्षमता की 15 प्रतिशत सीटें प्रबंधन द्वारा अनिवासी भारतीय/ प्रबंधन कोटा के अधीन प्रबंधन द्वारा भरे जाने के लिए भुगतान श्रेणी में से निकाली जाएंगी। 85 प्रतिशत सीटों जिनमें निःशुल्क और भुगतान श्रेणी की सीटें शामिल हैं, पर दाखिले राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा करने अपेक्षित हैं। तथापि, अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया को संबंधित राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

केवल सरकारी मेडिकल कालेजों, जो स्वैच्छिक आधार पर 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे के लिए अंशदान करते हैं, में अखिल भारतीय कोटे पर दाखिले केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से किये जाते हैं और सभी ऐसी सीटें मेरिट सीटें हैं। वर्ष 2001–02 के दौरान अखिल भारतीय कोटे के लिए 1483 सीटें उपलब्ध की गई थीं और इन सभी सीटों को भरा गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण–।। में दिए गए हैं।

(ङ) शून्य

(च) ऊपर (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-।

उपलब्ध एम.बी.बी.एस. सीटों की राज्य–वार और कालेज–वार संख्या

क्र.सं.	मेडिकल कालेज का नाम	सरकारी अथवा प्राइवेट	अनुमोदित दाखिला क्षमता
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	आंध्र मेडिकल कालेज, विशाखापट्टनम	सरकारी	126
2.	रंगार्या मेडिकल कालेज, काकीनाडा	सरकारी	100

1	2	3	4
3.	गुन्टूर मेडिकल कालेज, गुन्टूर	सरकारी	125
4.	सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, विजयवाड़ा	सरकारी	100
5.	उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद	सरकारी	200
6.	गांधी मेडिकल कालेज, हैदराबाद	सरकारी	150
7.	काकातिया मेडिकल कालेज, वारंगल	सरकारी	150
8.	कुरनूल मेडिकल कालेज, कुरनूल	सरकारी	150
9.	एस.वी.मेडिकल कालेज, तिरूपति	सरकारी	150
10.	डेकन कालेज आफ मेडिकल साइंसिज, हैदराबाद	सरकारी	150
11.	ममता मेडिकल कालेज, खाम्माम	प्राइवेट	100
12.	कामियेनी मेडिकल कालेज, नरकेटपल्ली, नालगोंडा	प्राइवेट	100
13.	एस.वी.एस.मेडिकल कालेज, महबूबनगर	प्राइवेट	100
14.	नारायणा मेडिकल कालेज, नेल्लोर	प्राइवेट	100
15.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, अनन्तपुर	सरकारी	100
16.	एएसआरएएम मेडिकल कालेज, एलूरु	प्राइवेट	100
17.	एमएनआर मेडिकल कालेज, सागरेड्डी, जिला मेडक	प्राइवेट	100
असम			
1.	गुवाहटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी	सरकारी	156
2.	सिल्चर मेडिकल कालेज, सिल्चर	सरकारी	65
3.	असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़	सरकारी	170
बिहार			
1.	दरभंगा मेडिकल कालेज, लहरियासराय	सरकारी	90
2.	श्री कृष्णा मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर	सरकारी	50
3.	पटना मेडिकल कालेज, पटना	सरकारी	100
4.	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, भागलपुर	सरकारी	50
5.	ए.एन. मगध मेडिकल कालेज, गया	सरकारी	50

1	2	3	4
6.	नालन्दा मेडिकल कालेज, पटना	सरकारी	50
7.	कटिहार मेडिकल कालेज, कटिहार	प्राइवेट	60
8.	माता गुजरी मेडिकल कालेज, किशनगंज	प्राइवेट	60
चण्डीगढ़			
1.	गवर्नमैंट मेडिकल कालेज, चण्डीगढ़	सरकारी	50
छत्तीसगढ़			
1.	छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज, बिलासपुर	विश्वविद्यालय	100
2.	पं. जे.एन.एम. मेडिकिल कालेज, रायपुर	सरकारी	100
दिल्ली			
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	सरकारी	50
2.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	सरकारी	130
3.	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	सरकारी	180
4.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसिज, दिल्ली	विश्वविद्यालय	100
5.	वर्द्धमान महावीर मेडिकल कालेज, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	सरकारी	180
गोवा			
1.	गोवा मेडिकल कालेज, पणजी	सरकारी	100
गुजरात			
1.	बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	सरकारी	250
2.	म्युनिसिपल मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	सरकारी	100
3.	मेडिकल कालेज, बड़ौदा	सरकारी	180
4.	एम.पी.शाह मेडिकल कालेज, जामनगर	सरकारी	175
5.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, राजकोट	सरकारी	50
6.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, सूरत	सरकारी	120
7.	प्रमुख स्वामी मेडिकल कालेज, कर्मसाद	प्राइवेट	100
8.	गवर्नमैंट मेडिकल कालेज, भावनगर	सरकारी	50
9.	सी.यू.शाह मेडिकल कालेज, सुरेन्द्रनगर	प्राइवेट	100
10.	म्यूनिसिपल कार्पोरेशन मेडिकल कालेज, सूरत	सरकारी	100
हरियाणा			
1.	पं. भगवान दयाल शर्मा, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक	सरकारी	150
हिमाचल प्रदेश			
1.	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला	सरकारी	65
2.	डा. राजेन्द्र प्रसाद, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, तंडा	सरकारी	50
जम्मू और कश्मीर			
1.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, श्रीनगर	सरकारी	100

1	2	3	4
2.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, जम्मू	सरकारी	100
3.	आचार्य श्री चन्द्र कालेज आफ मेडिकल साइंसेज एंड हास्पिटल, जम्मू	प्राइवेट	100
4.	एसकेआईएमएस, श्रीनगर	सरकारी	50
झारखण्ड			
1.	राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची	सरकारी	90
2.	एम जी एम मेडिकल कालेज, जमशेदपुर	सरकारी	50
3.	पाटलिपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद	सरकारी	50
कर्नाटक			
1.	कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मणिपुर	प्राइवेट	250
2.	कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मंगलूर	सरकारी	250
3.	बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर	सरकारी	150
4.	संत जोंस मेडिकल कालेज, बंगलौर	प्राइवेट	60
5.	एम.एस. रामैह मेडिकल कालेज, बंगलौर	प्राइवेट	150
6.	डा. बी. आर. अम्बेडकर, मेडिकल कालेज, बंगलौर	प्राइवेट	100
7.	केम्पागौडा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेंज, बंगलौर	प्राइवेट	120
8.	सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, तुमकुर	प्राइवेट	130
9.	श्री देवराज उर्स मेडिकल कालेज, टमरा कोलार	प्राइवेट	150
10.	मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर	सरकारी	100
11.	जे.एस.एस. मेडिकल कालेज, मैसूर	प्राइवेट	150
12.	आदिचुंचांगिरी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बेल्लूर	प्राइवेट	100
13.	जे.जे. एम. मेडिकल कालेज, देवांगेरे	प्राइवेट	245
14.	कर्नाटक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हुबली	सरकारी	100

1	2	3	4
15.	जे.एन.मेडिकल कालेज, बेलगाम	प्राइवेट	150
16.	बी.एल.डी.ए. श्री बी.एम.पाटील मेडिकल कालेज, हास्पिटल रिसर्च सेंटर, बीजापुर	प्राइवेट	150
17.	अलअमीन मेडिकल कालेज, बीजापुर	प्राइवेट	100
18.	एम आर मेडिकल कालेज, गुलबर्ग	प्राइवेट	150
19.	विजय नगर, इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बेल्लारी	सरकारी	100
20.	फादर मूलर मेडिकल कालेज, मंगलौर	प्राइवेट	100
21.	के.एस. हेगड़े मेडिकल अकादमी, मंगलौर	प्राइवेट	100
22.	एनेपोया मेडिकल कालेज, मंगलौर	प्राइवेट	100
23.	ख्वाजा बंदा नवाज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गुलबर्ग	प्राइवेट	100
24.	बसवेश्वरा मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, चित्रदुर्ग	प्राइवेट	100
25.	एम.वी.जे. मेडिकल कालेज एंड रिसर्च हास्पिटल, बंगलौर	प्राइवेट	100
26.	के.वी.जे. मेडिकल कालेज, सुलिया,	प्राइवेट	100
केरल			
1.	मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम	सरकारी	200
2.	टी.डी.मेडिकल कालेज, अलपुजा	सरकारी	100
3.	मेडिकल कालेज, कोट्टायम	सरकारी	100
4.	मेडिकल कालेज, कालीकट	सरकारी	200
5.	मेडिकल कालेज, त्रिचूर	सरकारी	100
6.	अकादमी आफ मेडिकल साइंसेज, पेरियरम, कन्नूर	सरकारी	100
7.	को–आपरेटिव मेडिकल कालेज, कोच्चि	सरकारी	50
मध्य प्रदेश			
1.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, मेडिकल कालेज, जबलपुर	सरकारी	140
2.	जी.आर.मेडिकल कालेज, ग्वालियर	सरकारी	140
3.	एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, इंदौर	सरकारी	140
4.	गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल	सरकारी	140

1	2	3	4
5.	एस. एस. मेडिकल कालेज, रीवा	सरकारी	60
6.	आर.डी. गार्दी मेडिकल कालेज उज्जैन	प्राइवेट	100
महाराष्ट्र			
1.	ग्रान्ट मेडिकल कालेज, मुम्बई	सरकारी	200
2.	सेठ जी. एस. मेडिकल कालेज, मुम्बई	सरकारी	180
3.	टी.एन. मेडिकल कालेज, मुम्बई	सरकारी	120
4.	एल.टी.एम. मेडिकल कालेज, मुम्बई	सरकारी	100
5.	पद्मश्री डा. डी.वाई. पाटिल मेडिकल कालेज, नवीं मुंबई	प्राइवेट	100
6.	महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कालेज, नवीं मुंबई	प्राइवेट	100
7.	के.जी. सोमैया मेडिकल कालेज एंड रिसर्च सेन्टर, सियान, मुम्बई	प्राइवेट	100
8.	राजीव गांधी मेडिकल कालेज और छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, थाणे	सरकारी	60
9.	टेरना मेडिकल कालेज, टेरना, नवीं मुंबई	प्राइवेट	100
10.	बी.जे. मेडिकल कालेज, पुणे	सरकारी	200
11.	आर्मड फोर्स मेडिकल कालेज, पुणे	सरकारी	140
12.	रूरल मेडिकल कालेज, लोनी	प्राइवेट	125
13.	एन.डी.एम.वी.पी. समाज मेडिकल कालेज, नासिक	प्राइवेट	120
14.	भारती विद्यापीठ मेडिकल कालेज, पुणे	प्राइवेट	120
15.	श्री भाऊसाहेब हायर गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, धुले	सरकारी	50
16.	जवाहर मेडिकल फाउंडेशन ए सी पी आई मेडिकल कालेज, धुले	प्राइवेट	100
17.	मिराज मेडिकल कालेज, मिराज	सरकारी	100
18.	डा.वी.एम. मेडिकल कालेज, सोलापुर	सरकारी	100
19.	कृष्णा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, कराड़	प्राइवेट	100

1	2	3	4
20.	डी.वाई. पाटील एजूकेशन सोसायटी डी.वाई मेडिकल कालेज, कोल्हापुर	प्राइवेट	100
21.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, औरंगाबाद	सरकारी	150
22.	एस.आर.टी.आर. मेडिकल कालेज, अम्बाजागई	सरकारी	50
23.	महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कालेज, औरंगाबाद	प्राइवेट	100
24.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नांदेड़	सरकारी	50
25.	महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, लातुर	प्राइवेट	100
26.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नागपुर	सरकारी	200
27.	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, नागपुर	सरकारी	100
28.	महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सेवाग्राम वर्धा	प्राइवेट	65
29.	जे. एन. मेडिकल कालेज, स्वांगी, वर्धा	प्राइवेट	100
30.	एन.के.पी. साल्वे इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नागपुर	प्राइवेट	100
31.	डा. पंजाबराव अलीस भाऊसाहे दसमुख मेमोरियल मेडिकल कालेज, अमरावती	प्राइवेट	100
32.	श्री वसन्तराव नायक गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, यवतमाल	सरकारी	100
33.	महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, तालेगांव दबहाड़े, पुणे	प्राइवेट	100
34.	डा. डी.वाई.पाटिल प्रतिष्ठान मेडिकल कालेज फार वूमेन, पिम्परी, पूणे	प्राइवेट	100
35.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कोल्हापुर	सरकारी	100
मणिपुर			
1.	रीजनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल	प्राइवेट	100

1	2	3	4
उड़ीसा			
1.	एस.सी.बी. मेडिकल कालेज, कटक	सरकारी	107
2.	एम.के.सी. मेडिकल कालेज, ब्रहमपुर	सरकारी	107
3.	वी.एस.एस. मेडिकल कालेज, बुरला	सरकारी	107
पांडिचेरी			
1.	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्टग्रेज़ुएट मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, पांडिचेरी	सरकारी	75
2.	विनायक मिशन मेडिकल कालेज, कराईकेल, पांडिचेरी	प्राइवेट	100
3.	अरूपदई वेडू मेडिकल कालेज, पांडिचेरी	प्राइवेट	100
4.	महात्मा गांधी मेडिकल कालेज, पांडिचेरी	प्राइवेट	100
पंजाब			
1.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, पटियाला	सरकारी	150
2.	गुरू गोबिन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदकोट	सरकारी	50
3.	क्रिश्चन मेडिकल कालेज, लुधियाना	प्राइवेट	50
4.	दयानन्द मेडिकल कालेज, लुधियाना	प्राइवेट	70
5.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, अमृतसर	सरकारी	150
6.	श्री गुरू राम दास इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, एंड रिसर्च, श्री अमृतसर	प्राइवेट	50
राजस्थान			
1.	एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर	सरकारी	150
2.	एस.पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर	सरकारी	100
3.	आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर	सरकारी	100
4.	डा. एस. एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर	सरकारी	100
5.	जे. एल. एन. मेडिकल कालेज, अजमेर	सरकारी	100
6.	सरकारी मेडिकल कालेज, कोटा	सरकारी	50

1	2	3	^
7.	इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, जयपुर	प्राइवेट	100
सिक्किम			
1.	न्यू मेडिकल कालेज एट गंगटोक वाई सिक्किम–मणिपाल यूनिवर्सिटी	विश्वविद्यालय	100
तमिलनाडु			
1.	चेन्नई मेडिकल कालेज, चेन्नई	सरकारी	165
2.	स्टेनले मेडिकल कालेज, चेन्नई	सरकारी	150
3.	किलपॉक मेडिकल कालेज, चेन्नई	सरकारी	100
4.	क्रिसचियन मेडिकल कालेज, वेल्लोर	प्राइवेट	60
5.	चेन्गलपट्टू मेडिकल कालेज, चेन्गलपट्टू	सरकारी	50
6.	तनजावूर मेडिकल कालेज, तनजावूर	सरकारी	150
7.	कोइमबेटूर मेडिकल कालेज, कोइमबेटूर	सरकारी	110
8.	त्रिरुनेलवेली मेडिकल कालेज, त्रिरुनेलवेली	सरकारी	100
9.	मदुरई मेडिकल कालेज, मदुरई	सरकारी	155
10.	मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कालेज, सेलम	सरकारी	75
11.	पी.एस.जी. इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसिज, कोयमबटूर	प्राइवेट	100
12.	पेरूणथूरई मेडिकल कालेज, पेरूणथूरई	सरकारी	60
13.	विनायक मिसनस मेडिकल कालेज, सलिम	प्राइवेट	100
14.	श्री रामाचन्द्रा मेडिकल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोरूर, मद्रास	प्राइवेट	150
15.	राजा मुथ्थई मेडिकल कालेज, अन्नामलईनगर	प्राइवेट	100
16.	के.ए.पी. विश्वनाथन सरकारी मेडिकल–कालेज, त्रिचि	सरकारी	100
17.	न्यू मेडिकल कालेज एट टोटूकुड़ी	सरकारी	100
उत्तर प्रदेश			
1.	एस.एन. मेडिकल कालेज, आगरा	सरकारी	128

1	2	3	4
2.	एम.एल.एन. मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	सरकारी	100
3.	जे.एन. मेडिकल कालेज, अलीगढ़	विश्वविद्यालय	150
4.	इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, बीएचयू, वाराणसी	विश्वविद्यालय	50
5.	जी. एस. वी. एम. मेडिकल कालेज, कानपुर	सरकारी	190
6.	एम. एल. बी. मेडिकल कालेज, झांसी	सरकारी	50
7.	केजीएस मेडिकल कालेज, लखनऊ	सरकारी	185
8.	एल.एल.आर. मेडिकल कालेज, मेरठ	सरकारी	100
9.	बी. आर. ए. मेडिकल कालेज, गोरखपुर	सरकारी	50
10.	संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद	प्राइवेट	43
11.	सुभारति मेडिकल कालेज, मेरठ	प्राइवेट	100
12	इरा लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ	प्राइवेट	100
उत्तरांचल			
1.	हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, देहरादून	प्राइवेट	100
पश्चिम बंगाल			
1.	मेडिकल कालेज, कलकत्ता	सरकारी	155
2.	आर.जी. काव मेडिकल कालेज, कलकत्ता	सरकारी	150
3.	एन.आर.एस. मेडिकल कालेज, कलकत्ता	सरकारी	150
4.	कलकत्ता नेशनल मेडिकल कालेज, कलकत्ता	सरकारी	150
5.	बी.एस.मेडिकल कालेज, बांकुरा	सरकारी	100
6.	नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, दार्जिलिंग	सरकारी	100
7.	बर्धवान मेडिकल कालेज, बर्धवान	सरकारी	100

विवरण-।।

2000–2001 और 2001–2002 के दौरान अनुमति दिए गए एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों के दाखिला क्षमता में वृद्धि

क्रम संख्या	मेडिकल कालेज का नाम	दाखिला क्षमता में वृद्धि
	2000-2001	
1.	के.जे. सोमैया मेडिकल कालेज, मुम्बई	50 से 100
2.	वसन्तराव नायक गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, यवन्तमाल	50 से 100
3.	एन. एच. एल. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	100 से 150
4.	पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक	115 से 150
5.	एस.वी. मेडिकल कालेज, तिरूपति	100 से 150
	2001-2002	
1.	बर्दवान मेडिकल कालेज, बर्दवान	50 से 100
2.	बी.एस.मेडिकल कालेज, बेंगलौर	50 से 100
3.	नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, दार्जिलिंग	50 से 100
4.	एन. के. पी. साल्वे, इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नागपुर	50 से 100
5.	कर्नाटक इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हुबली	50 से 100
6.	गोवा मेडिकल कालेज, गोवा	70 से 100
7.	एम. आर. मेडिकल कालेज, गुलबर्ग	100 से 150

पोषण कार्यक्रम

4933. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में पोषण संबंधी समस्याओं का कभी सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना में पोषण संबंधी कार्यक्रम पर ध्यान देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की पौषणिक समस्याओं का राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया था, तथापि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो 10 राज्यों के ग्रामीण, शहरी जनजातीय क्षेत्रों सहित जनसंख्या के भिन्न–भिन्न वर्गों को कवर करते हुए नियमित आहार और पोषण संबंधी सर्वेक्षण करता है। भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने 1995–96 के दौरान ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को कवर करते हुए 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 187 जिलों में जिला स्तर के पोषण संबंधी सर्वेक्षण किए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1998–99) ने भी अपनी रिपोर्ट में पोषण संबंधी स्थिति को कवर किया है। इन सर्वेक्षणों के अनुसार स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं पौषणिक रूप से अति संवेदनशील हैं।

(ग) सरकार की नीति एक प्रणालीबद्ध तरीके से और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से नजदीकी तालमेल स्थापित करके विभिन्न लक्षित समूहों की पौषणिक समस्याओं का सामना करने की है।

राज्यों में मेट्रो बस सेवा शुरू करने के लिए सहायता

4934. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों की ओर से ऐसे कोई प्रस्ताव मिले हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि उनके राज्यों के बड़े–बड़े शहरों में मेट्रो बस सेवा शुरु करने के लिए विदेशी सहायता विशेषकर स्वीडीश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोआपरेशन एजेंसी (एस.आई.डी.ए.) से सहायता दिलाई जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) इस मंत्रालय को बंगलौर शहर में मैट्रो बस प्रणाली शुरू करने

से संबंधित परियोजना के लिए स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोआपरेशन एजेंसी (एस.आई.डी.ए.) से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस मामले को एस आई डी ए के साथ उठाने के लिए प्रस्ताव पहले ही आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया गया है। यह मंत्रालय ऐसी परियोजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर कंक्रीट की सड़कों का निर्माण

4935. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग ने सरकार से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनिवार्य रूप से कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार देश में सड़क के निर्माण में सीमेंट का प्रयोग करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) सीमेंट उद्योग ने सीमेंट उत्पादक संघ के माध्यम से सरकार से यह आग्रह किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीमेंट कंक्रीट मार्ग का निर्धारण किया जाए।

(ग) से (ङ) मृदा किस्म, यातायात, डिजाइन आयु, परियोजना के आकार, अपेक्षित सामग्री और उपस्करों की उपलब्धता आदि के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर सीमेंट कंक्रीट मार्गों के निर्माण पर विचार किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज पर सीमेंट कंक्रीट मार्ग के निर्माण के लिए कुल 1680 कि.मी. (दो लेन के बराबर) लंबाई का अभिनिर्धारण किया है।

[हिन्दी]

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

4936. श्री राजो सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का विचार राजस्थान, पंजाब एवं नेपाल से लगे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

महाराष्ट्र में लघु उद्योग के विकास में "सिडबी" की भूमिका

4937. श्री शिवाजी माने : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की क्या भूमिका रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सिडबी द्वारा ऋण मुहैया कराकर राज्य में लघु उद्योग की वर्षवार कितनी इकाइयां स्थापित/पुनर्जीवित की गई;

(ग) क्या सिडबी का विचार राज्य में अपने कार्यकरण को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) लघु उद्योग की नई और मौजूदा परियोजनाओं के लिए तथा अपनी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्कीमों जो कि महाराष्ट्र राज्य सहित अखिल भारतीय आधार पर प्रचालन में हैं, के माध्यम से आधुनिकीकरण तथा विविधिकरण के लिए वित्तीय सहायता विस्तारित करता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सिडबी द्वारा महाराष्ट्र में प्रदान की गई सहायता निम्नोक्त है:

वर्ष	यूनिटों की सं.	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	संवितरित राशि (करोड़ रु. में)
1999–2000	2226	1036.85	820.67
2000–2001	1125	640.21	627.32
2001–2002 (अ)	731	2457.66	1620.58

(अ) अनंतिम

इसके अलावा, सिडबी ने महाराष्ट्र में पुनर्वित्त पुनर्वास स्कीम के तहत इसकी शुरूआत (अर्थात् अप्रैल, 1990 से मार्च, 2001 तक) 48 लघु औद्योगिकी (लघु उद्योग) यूनिटों को क्रमशः 4.41 करोड़ रु. तथा 2.59 करोड़ रु. भी स्वीकृत तथा संवितरित कर चुका है।

(ग) सिडबी, लघु उद्योग क्षेत्र को स्वस्थ विकास सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से निरन्तर नई रणनीतियां अपना रहा है। सिडबी लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निरन्तर नई पहलें करेगा तथा महाराष्ट्र सहित, सारे देश को नए क्रियाकलाप से कवर करेगा।

(घ) उपर्युक्त (ख) तथा (ग) को मुद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

पुणे शहर में टेलीफोन एक्सचेंज

4938. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक महाराष्ट्र के पुणे शहर में खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन एक्सचेंजों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इन एक्सचेंजों के माध्यम से टेलीफोन कनेक्शनों के आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अभी भी लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा सभी आवेदनों को यथाशीघ्र निपटान हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) पुणे शहर के सभी एक्सचेंजों में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध हैं।

(च) उपयुक्त भाग (ङ) को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

पुणे शहर में खोले गए नये एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	क्षमता	प्रौद्योगिकी	मुख्य आरएसयू	31.3.2002 की स्थिति के अनुसार क्षमता
1	2	3	4	5	6
वर्ष 1999-2000					
1.	मॉडल कालोनी	640	ई–10बी	आरएलयू	शून्य

1	2	3	4	5	6
2.	एमकेआर–।।।	2000	ईडब्ल्यूएसडी	मैन	6994
3.	कोठरूद	9000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	12494
4.	खडकी सीएनई	32	ओसीबी		शून्य
5.	एमकेआर।। सीएनई	32	ईडब्ल्यूएसडी		शून्य
6.	मॉडल कालोनी	1700	ओसीबी	आरएसयू	4348
7.	खडकी	1000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	2568
8.	हडप्सर सीएनई	32	ओसीबी		शून्य
9.	बनार	3000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	3458
10.	कोंधवे	7000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	9192
11.	गुल्टेकड़ी	4028	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	4222
12.	शिवाजीनगर	2000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	3748
13.	हडप्सर	976	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	शून्य
14.	गुल्टेकडी सीएनई	32	ओसीबी		शून्य
15.	एमएचएस ।।	2000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	शून्य
16.	विमान नगर	6000	ओसीबी	आरएसयू	8246
17.	सीएमई दापोदी	5000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	3944
18.	सुखसागर नगर	3000	ओसीबी	आरएसयू	7180
19.	औंध	1000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	3552
वर्ष 2000-2001					
1.	बवधान	2000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	2272
2.	संलुके विहार	4000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	4752
3.	वारजे	4000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	3636
4.	कैन्टनमेंट	2000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	2032
5.	शुक्रवार पेठ	1000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	1064
वर्ष 2001-2002					
1.	यूसीसीए	2000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	2000
2.	डब्ल्यूएलएल	3000	सीडीएमए	मैन	3000
3.	हिंघने केएच	7644	5 ईएसएस	आरएसयू	7644

1	2	3	4	5	6
4.	भूसेन कॉलोनी	2000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	3906
5.	सोहराब हॉल	1000	ओसीबी	आरएसयू	1092
6.	भवानी पेठ	11788	5 ईएसएस	आरएसयू	11788
7.	कोंधवा बीके	1500	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	1468
8.	हडप्सर ।।	3000	ईडब्ल्यूएसडी	मैन	3976
9.	बडगांव शेरी	6000	ईडब्ल्यूएसडी	आरएसयू	5968
10.	एमएचएस।।।	7570	5 ईएसएस	मैन	7570

टिप्पणी :- 31 मार्च 2002 की स्थिति के अनुसार जिन एक्सचेंजों की क्षमता शून्य दर्शायी गयी है, वे विलयन/**नई प्रौद्योगिकी** स्विचों के शुरू करने के कारण पहले ही बंद कर दिए गए हैं।

समेकित आधारभूत संरचना विकास कार्य

4939. श्री एन.टी. षपमुगम : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में लघु उद्योगों के विकास हेतु समेकित आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिए विभिन्न राज्यों में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एकीकृत बुनियादी संरचना विकास (आई. आई.डी.) केन्द्रों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा तथा अन्ततः स्वीकृत परियोजनाओं सहित उन परियोजना का ब्यौरा जो कि सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा बीच में ही छोड़ दी गई हैं। का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तीन और आई. आई. डी. केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव जोकि असम के कछार जिलों से एक, मिजोरम के लुंगलेई जिले से एक तथा आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा आई. आई.डी. स्कीम के पैरामीटर्स के संदर्भ में उनकी जांच–पड़ताल की जा रही है।

विवरण

आई.आई.डी. स्कीम के तहत स्वीकृत केन्द्रों की राज्य–वार सूची।

आंन्ध्र प्रदेश	1. कुरनूल 2. रांगारेड्डी 3. नेल्लौर 4. वारंगल 5. चित्तूर
असम	1. दारंग 2. नागोन
गुजरात	1. जूनागढ़ 2. बनसकंथा
हरियाणा	1. सिरसा 2. भिवानी* 3. जीन्द* 4. यमुनानगर
हिमाचल प्रदेश	1. मंडी* 2. बिलासपुर
जम्मू और कश्मीर	1. उद्यमपुर
कर्नाटक	1. बेलगाम 2. बीजापुर 3. कोलार 4. भागलकोट
केरल	1. त्रिवेन्द्रम 2. कन्नूर 3. मल्लप्पुरम 4. एर्नाकुलम 5. वेयनाद 6. कसरगोड 7. त्रिचूर 8 पथनन्डीटा

महाराष्ट्र	1. यवोतमल
मध्य प्रदेश	1. सियोनी* 2 सतना 3 मन्डसौर 4. खरगौन 5. कटनी
मणिपुर	1. चन्देल
उड़ीसा	1. खुर्दा 2. रायागढ़ा 3. जगतसिंहपुर
पंजाब	1. होशियारपुर 2. मुक्तसर 3. कपूरथला 4. मंसा 5. लुधियाना
राजस्थान	1. जोधपुर 2. नागौर 3. ठोंक 4. उदयपुर
तमिलनाडु	1. मदुरई 2. कोयम्बत्तूर 3. थिरूमुरीवक्कम (कांचीपुरम) 4. कतूर अवांडि एमजीआर जिला 5. त्रिवेल्लूर (विछूर)
दमन एवं द्वीप	1. रीगवाड़ा*
दादर एवं नागर हवेली	1. वैलकम*
उत्तर प्रदेश	1. बुलन्दशहर* 2. खुर्जा 3. ईटा 4. इलाहाबाद* 5. बदायूँ 6. मथुरा 7. ऊनाव 8. भदौही 9. बागपत 10. बाराबंकी 11. गाजियाबाद
पांडिचेरी	1. सदरपेट

*बन्द है।

कैंसर का उपचार

4940. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में "विकासशील देशों में कैंसर का उपचार एवं नैदानिक अनुसंधान में, समस्याएं एवं अवसर" विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किए गए विचार विमर्श का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सम्मेलन में दिए गए सुझावों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) इस मंत्रालय ने न तो ऐसे किसी सम्मेलन का आयोजन किया है और न ही वित्तपोषण किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का पूरा होना

4941. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आबंटित की गई और कितनी राशि खर्च हुई;

(घ) क्या सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार से राज्य से होकर गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाने में गति लाने और सुधार के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्य किया गया?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) चालू कार्यों की राज्यवार संख्या विवरण–। में दी गई है।

(ग) धनराशि का राज्यवार आबंटन और व्यय विवरण–।। में दिया गया है।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु में रा.रा.4 (वालेजापेट–पूनामाली खंड), 5, 7, 46 और 47 (सलेम–केरल सीमा खंड) को रा.रा. विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भज और उत्तर – दक्षिण महामार्ग के अन्तर्गत चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है। इस समय 1685 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 395 कि.मी. लम्बाई में 14 कार्य चल रहे हैं।

विवरण-I

1.4.2002 की स्थिति के अनुसार चालू कार्यों की राज्यवार संख्या।

क्रम सं.	राज्य का नाम	1.4.2002 की स्थिति के अनुसार चालू कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	50	128.04
2.	असम	86	190.93
3.	बिहार	71	117.19
4.	चंडीगढ़	2	5.16
5.	छत्तीसगढ़	35	64.06
6.	दिल्ली	4	11.38
7.	गोवा	9	27.66
8.	गुजरात	32	153.34
9.	हरियाणा	16	83.90
10.	हिमाचल प्रदेश	19	90.35
11.	जम्मू और कश्मीर	9	6.26
12.	झारखंड	28	47.34
13.	कर्नाटक	48	140.15
14.	केरल	46	149.00
15.	मध्य प्रदेश	80	152.83
16.	महाराष्ट्र	68	135.27
17.	मणिपुर	39	43.94
18.	मेघालय	32	94.24
19.	मिजोरम	14	45.43
20.	नागालैंड	14	25.12
21.	उड़ीसा	50	120.15
22.	पांडिचेरी	7	9.59
23.	पंजाब	24	82.31
24.	राजस्थान	71	154.42
25.	तमिलनाडु	56	98.44
26.	उत्तरांचल	26	66.24
27.	उत्तर प्रदेश	73	337.75
28.	पश्चिम बंगाल	20	285.02
29.	एनएचएआई	145	21165.00

विवरण-II

वर्ष 2001–2002 के लिए 5054 के तहत धनराशि का राज्यवार आबंटन और व्यय

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	राज्य का नाम	आबंटन	व्यय*
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	103.80	103.80
2.	असम	76.05	75.00
3.	बिहार	65.32	50.18
4.	चंडीगढ़	1.50	0.51
5.	छत्तीसगढ़	32.28	35.20
6.	दिल्ली	6.00	6.00
7.	गोवा	20.00	20.00
8.	गुजरात	70.43	55.00
9.	हरियाणा	103.88	63.00
10.	हिमाचल प्रदेश	55.00	55.00
11.	जम्मू और कश्मीर	2.30	2.30
12.	झारखंड	35.00	29.71
13.	कर्नाटक	109.47	107.48

1	2	3	4
14.	केरल	92.61	85.00
15.	मध्य प्रदेश	90.99	69.15
16.	महाराष्ट्र	193.72	138.26
17.	मणिपुर	14.53	8.70
18.	मेघालय	22.70	16.00
19.	मिजोरम	26.00	20.36
20.	नागालैंड	15.00	13.38
21.	उड़ीसा	79.13	2.12
22.	पांडिचेरी	2.12	39.50
23.	पंजाब	64.13	39.50
24.	राजस्थान	87.46	82.96
25.	तमिलनाडु	97.39	95.00
26.	उत्तर प्रदेश	146.63	120.00
27.	उत्तरांचल	25.00	25.00
28.	पश्चिम बंगाल	84.22	72.00
29.	एनएचएआई	4189.17	4189.17

* 31 मार्च, 2002 तक अनंतिम व्यय

उड़ीसा में प्रधानमंत्री रोज़गार योजना

4942. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के बेरोज़गार युवकों की वर्षवार एवं जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत आबंटित किए गए एवं संवितरित किए गए धन का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने के दौरान ग्रामीण युवकों की उपेक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में अनुदेश जारी करने का है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, विगत तीन वर्षों अर्थात् 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान प्रधानमंत्री की रोज़गार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अन्तर्गत उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संस्वीकृत ऋणों का जिलावार ब्यौरा, दर्शाने वाला विवरण–। संलग्न है।

(ख) प्रधानमंत्री की रोज़गार योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार राज सहायता के लिए, और साथ ही साथ प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास इत्यादि के लिए धनराशि जारी करती है। जबकि राजसहायता के लिए धनराशि कार्यान्वयन बैंकों द्वारा वैयक्तिक लाभार्थियों को देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक प्राधिकृत है, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास इत्यादि के लिए धनराशियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं। बदले में राज्य सरकारें आगे इन राशियों को अपने जिलों में स्वयं आबंटित एवं संवितरित करती हैं। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत, 1998–99 से 2000–01 तक उडीसा राज्य को 231.22 लाख रु. जारी किए गए हैं। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों अर्थात् 1998–99, 1999–2000, 2000–01 के दौरान संवितरित फंडों का जिलेवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण–।। संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पी.एम.आर.वाई. हेतु इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च (आई.ए.एम.आर.), नई दिल्ली द्वारा संचालित मूल्यांकन अध्ययन (दूसरा दौर) के निष्कर्षों के अनुसार 49.9% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है।

विवरण-।

पी.एम.आर.वाई के अन्तर्गत उड़ीसा में विगत तीन वर्षों अर्थात् 1998–99, 1999–2000, 2000–2001 के दौरान बेरोजगार युवाओं को स्वीकृत ऋणों का जिले–वार ब्यौरा

राज्य सरकार की रिपोर्ट अनुसार

ज़िले का नाम	बैंकों द्वारा व्यक्तियों को स्वीकृत किए गए ऋण	1999–2000 (सं.)	2000–01 (सं.)
1	2	3	4
बालासोर	418	550	707
भदरक	274	328	379
बोलनगीर	216	316	328
सोनपुर	80	120	140
कटक	534	623	902
जगतसिंहपुर	295	402	432
केन्द्रपाड़ा	207	286	255
जगतपुर	517	575	622
धेनकनाल	320	287	380
अगल	213	243	386
गजंम	707	735	964
गजपति	83	95	93
कालाहांड़ी	292	301	366
नौआपाड़ा	75	91	78
क्योंझाड़	363	386	467
कोरापुट	221	225	255
नोवरंगपर	87	94	77
मलकानागिरि	32	55	55
रायगढ़	296	288	277
मयूरभंज	266	333	354
फूलबनी	126	129	178
बौद्ध	76	74	117
पुरी	549	556	718
भुवनेश्वर	797	885	1018
नयागढ़	108	148	161
संभलपुर	441	414	512
बारगढ़	225	301	362
झारसुगुड़ा	201	215	226
देवगढ़	49	53	45
सुंदरगढ़	386	253	315
राऊरकेला	396	421	574

विवरण-।।

पी.एम.आर.वाई के अन्तर्गत उड़ीसा में विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1998–99 से 2000–01 में राज्य सरकार द्वारा संवितरित किए गए फंडस का राज्य–वार ब्यौरा।

राज्य सरकार की रिपोर्ट अनुसार

ज़िले का नाम	प्रशिक्षण फंडस (रुपये)	आकस्मिक फंडस (रुपये)	कुल (रु.)
1	2	3	4
बालासोर	1103999	390600	1494599
भदरक	247622	135225	382847
बोलनगीर	528696	186300	714996
सोनपुर	121950	48600	170550
कटक	1464500	521100	1985600
जगतसिंहपुर	273450	158400	431850
केन्द्रपाड़ा	192200	101250	293450
जगतपुर	901150	337950	1239100
धेनकनाल	743165	244350	987515
अंगल	244750	119250	364000
गजंम	1284000	500625	1784625
गजपति	43500	36000	79500
कालाहांड़ी	498600	207675	706278
नौआपाड़ा	50700	31500	82200
क्योंझाड	549000	242100	791100
कोरापुट	410100	166500	576600
नोवरंगपर	54650	32175	86825
मलकानागिरि	43300	22950	66250
रायगढ़	428500	172350	600850
मयूरभंज	389000	188775	577775
फूलबनी	259150	102825	361975

1	2	3	4
बौद्ध	75000	35775	110775
पुरी	1000629	360675	1361304
भुवनेश्वर	1448600	554625	2003225
नयागढ़	95800	56925	152725
संभलपुर	994550	379575	1374125
बारगढ़	254650	125325	379975
झारसुगुड़ा	146600	83700	230300
देवगढ़	33000	20025	53025
सुंदरगढ़	413000	192600	605600
राऊरकेला	504612	275400	780012

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री कार्यालय को मिली शिकायतें

4943. श्री रामदास आठवले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री कार्यालय में गठित भ्रष्टाचार निरोधक सेल में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी राज्यवार अद्यतन स्थिति तथा उस समय विचाराधीन शिकायतों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 19.04.2001 से 19.04.2002 तक की अवधि के बीच, भ्रष्टाचार–निरोधी प्रकोष्ठ को केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य–सरकारों के बारे में 857 शिकायतें मिली हैं।

(ख) और (ग) भारत–सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित सभी शिकायतों पर समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की दृष्टि से, संबंधित मंत्रालय/विभाग में निरंतर संपर्क, कायम रखा जा रहा है। राज्य–सरकार के कर्मचारियों के कामकाज के निष्पादन से संबधित शिकायतें, संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को संबोधित पत्रों के माध्यम से उन्हें भेज दी जाती हैं तथा संबंधित राज्य–सरकार से ऐसी शिकायतों की आवश्यक जांच करने का अनुरोध किया जाता है। 19.04.2002 को मौजूद स्थिति के अनुसार, भ्रष्टाचार–निरोधी प्रकोष्ठ में मिली सभी शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जा रहा है।

विवरण

प्रधान मंत्री का कार्यालय

दिनांक अप्रैल 19, 2002 को मौजूद स्थिति के अनुसार, भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतों के बारे में मिली राज्य–वार प्रतिपुष्टि–परक रिपोर्ट की स्थिति

क्रम सं.	राज्य का नाम	राज्य को भेजी गई शिकायतों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें प्रति पुष्टि–परक रिपोर्ट मिल गई		उन मामलों की संख्या जिनमें प्रतिपुष्टि–परक रिपोर्ट नहीं मिली
			(बन्द कर दिए गए मामलों की संख्या)	(उन मामलों की संख्या जिनमें जाँच पड़ताल की प्रक्रिया चल रही है)	
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21	9	2	10
2.	आन्ध्र प्रदेश	53	5	15	33
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1

1 2	3	4	5	6
4. असम	21	5	1	15
5. बिहार	179	1	30	148
6. छत्तीसगढ़	3	0	0	3
7. चण्डीगढ़	14	4	1	9
8. दिल्ली	217	69	41	107
9. दादरा और नगर हवेली	2	2	0	0
10. गोवा	7	1	2	4
11. गुजरात	19	3	2	14
12. हरियाणा	73	11	19	43
13. हिमाचल प्रदेश	15	0	0	15
14. झारखण्ड	2	0	0	2
15. जम्मू और कश्मीर	8	1	1	6
16. कर्नाटक	23	5	16	2
17. केरल	9	1	1	7
18. लक्षद्वीप	1	0	0	1
19. महाराष्ट्र	71	5	3	63
20. मेघालय	2	0	1	1
21. मिजोरम	4	0	0	4
22. मणिपुर	8	1	1	6
23. मध्य प्रदेश	175	11	31	133
24. उड़ीसा	69	8	40	21
25. पांडिचेरी	3	1	0	2
26. पंजाब	116	9	9	98
27. राजस्थान	118	18	10	90
28. सिक्किम	4	0	0	4
29. तमिलनाडु	55	11	21	23
30. त्रिपुरा	1	1	0	0
31. उत्तरांचल	2	0	0	2
32. उत्तर प्रदेश	461	40	82	339
33. पश्चिम बंगाल	20	2	6	12
	1777	224	335	1218

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और विस्तारण की योजना

4944. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और विस्तार की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर विशेषकर महाराष्ट्र के संदर्भ में, वास्तविक रूप से खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है जो यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। नौवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 23,814 कि.मी. लंबाई जोड़ी गई है। नौवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 16,844.09 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे और 15,557.41 करोड़ रु. (फरवरी, 2002 तक) खर्च किए गए। महाराष्ट्र के लिए आबंटन 1007.59 करोड़ रु. और व्यय 848.88 करोड़ रु. (फरवरी, 2002 तक) था।

सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों का आकलन

4945. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कामगारों के दूसरे देशों में प्रवर्जन की निगरानी करने एवं कुशल पेशावर लोगों की बढ़ती मांग से तुरंत निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से जुडे पेशेवर लोगों का एक सामान्य डाटाबेस तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सूचना प्रौद्योगिकी पर मानव संसाधन विकास संबंधी कृतक बल द्वारा भी ऐसी कोई सिफारिश की गई है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े पेशेवर लोगों की बढ़ती हुई मांग वाले विभिन्न देशों को दक्ष कामगार उपलब्ध कराने के संबंध में कृतक बल अब तक किस सीमा तक सहमत हुआ है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है कि वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कितने भारतीय पेशेवर लोगों की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जैविक रूप से उत्पादित खाद्यान्नों की बिक्री

4946. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने अपने कार्यकलापों का विविधीकरण जैविक रूप से उत्पादित खाद्यान्नों को खरीदने एवं विभिन्न बिक्री केन्द्रों पर उसकी बिक्री करने के रूप में किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे राज्य कौन से हैं जिनसे इन खाद्यानों की खरीद की गई है; और

(घ) खाद्यान्नों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) की भूमिका पोस्ट हारवेस्ट स्टेज तक प्रतिबन्धित है। पब्लिक के अन्दर आर्गेनिक फूड्स के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए के.वी.आई.सी. ने निर्णय लिया है कि इसकी अधिप्राप्ति तथा इन उत्पादों की मार्किटिंग द्वारा आर्गेनिक फूड्स के क्षेत्र में

हस्तक्षेप किया जाए। आर्ग्रेनिक फूड्स का परीक्षण लंच 13 जनवरी, 2002 को तैयार तैयार किया गया तथा एक नया ब्रांड "देसी आहार" की शुरूआत 13.4.2002 को की गई।

(ग) हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश बिहार, झारखण्ड तथा उडीसा वे राज्य हैं, जहां से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की जाती है।

(घ) के.वी.आई.सी. ने इस संबंध में आई.आई.टी. दिल्ली से लिंकेज स्थापित की है तथा इस समय आई.आई.टी., दिल्ली थ्री टियर आधार पर अर्थात् फार्म स्तर पर, प्रसंस्करण स्तर पर, तथा बिक्री प्वाइंट पर गुणवत्ता नियंत्रण का सुनिश्चय कर रही है।

हैदराबाद में दूरभाष निर्देशिकाओं का वितरण

4947. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद दूरसंचार जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में वितरित की गई दूरभाष निर्देशिकाओं की संख्या कितनी है;

(ख) अभी कितनी निर्देशिकाओं को वितरित किया जाना शेष है;

(ग) क्या यह सच है कि हैदराबाद दूरसंचार विभाग द्वारा दूरभाष संख्याओं, पतों में हुए परिवर्तनों को तेजी से नहीं सुधार जाता है;

(घ) क्या उपरोक्त परिवर्तनों को शीघ्रता से एवं परिशुद्धता से किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी प्रणाली अस्तित्व में है;

(ङ) यदि हां, तो हैदराबाद दूरसंचार विभाग की ओर से धीमी प्रतिक्रिया किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा हैदराबाद दूरसंचार विभाग के कार्यकरण में सुधार लाने के प्रस्तावित कदम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) हैदराबाद दूरसंचार जिले के तहत आने वाले क्षेत्रों में अप्रैल 2001 से 4.75 लाख टेलीफोन निदेशिकाएं और 7000 कॉम्पैक्ट डिस्क वितरित किए गए हैं।

(ख) 2.2 लाख शेष उपभोक्ताओं के लिए दूरसंचार जिले के विभिन्न केन्द्रों पर टेलीफोन निदेशिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि जिस ग्राहक की इच्छा हो वह वहां से ये निदेशिकाएं प्राप्त कर सकें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) मॉनीटरिंग तंत्र मौजूद है और संशोधनों को डेटाबेस में समय पर नियमित रूप से शामिल कर लिया जाता है। तथापि, हैदराबाद दूरसंचार जिले को डेटाबेस को अद्यतन बनाने की दिशा में और सुधार करने का सुझाव दिया गया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान में निःशुल्क दवाएं

4948. श्री अरूण कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा तैयार की गई शब्दावली के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सामान्य वार्ड में भर्ती रोगी निःशुल्क दवा पाने के मात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो सामान्य वार्ड के रोगियों को प्रत्येक दवा की खरीद बाजार से करने के लिए नुस्खा लिए जाने के क्या कारण है; और

(ग) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 एवं 2001–2002 के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा सामान्य वार्ड में निःशुल्क वितरण की जाने वाली दवाओं की खरीद पर कितनी धनराशि का व्यय किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के सामान्य वार्ड में दाखिल सभी रोगियों के लिए काटन गेज, सिरिजों आदि सहित सामान्य और आपातकालीन औषधें/शल्य चिकित्सीय मदें प्रदान की जाती हैं। केवल उन्हीं रोगियों को, जो अस्पताल में अनुपलब्ध औषधें खरीद सकते हैं, से ऐसी मदें खरीदने के लिए कहा जाता है बहुत ही निर्धन दीनहीन रोगियों के मामले में सभी अपेक्षित औषधें और शल्यचिकित्सीय मदें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल द्वारा प्रदान की जाती हैं।

(ग) अस्पताल में भर्ती रोगियों (और ई.एच.एस.

लाभार्थियों) के लिए औषधें खरीदने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अस्पताल द्वारा वित्तीय वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 में किया गया व्यय क्रमशः 9.67 करोड़ रुपये, 9.80 करोड़ रुपये और 14.10 करोड़ रुपये है।

न्यूजीलैंड के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

4949. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और न्यूजीलैंड ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत न्यूजीलैंड में सॉफ्टवेयर विकास एवं प्रशिक्षण में सभी प्रकार का सहयोग देने पर किस सीमा तक सहमत हुआ है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) भारत गणराज्य सरकार और न्यूजीलैण्ड सरकार के बीच सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग, व्यवसाय, शोध निकायों, शैक्षिक संस्थानों, केन्द्रीय एवं स्थानीय सरकारी एजेंसियों, तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति से संबंधित अन्य सहयोगी संगठनों के बीच संबंधों के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 7 दिसम्बर, 2001 को सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) भारत ने अन्य बातों के साथ–साथ न्यूजीलैंड के साथ सूचना के विनिमय के जरिए सॉफ्टवेयर तथा मल्टीमीडिया का विकास, विनियामक दृष्टिकोण की समझ को बढावा देने, सूचना उद्योग में व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराने, व्यापार एवं नेटवर्क को प्रोत्साहित करने तथा भारत और न्यूजीलैंड की सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की कंपनियों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संवाद में प्रतिभागिता और इस क्षेत्र में सहयोग के लिए साझेदारी तथा सहयोग करने के लिए सहमति दी है।

किंतु यह सहयोग धनराशि एवं संसाधनों की उपलब्धता और दोनों देशों में लागू विधियों एवं विनियमों के अधीन है।

कैगा परमाणु बिजली संयंत्र का कार्य-निष्पादन

4950. श्री एस.डी.एन.आर.वाडियार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999–2000, 2000–2001 एवं 2001–2002 के दौरान कैगा परमाणु बिजली संयंत्र का कार्य–निष्पादन संतोषजनक नहीं था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस परमाणु बिजली संयंत्र के कार्य–निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) कैगा परमाणु बिजलीघर में 220 मेगावाट क्षमता वाले दो यूनिट हैं। कैगा यूनिट–2 ने 16.3.2000 से और कैगा यूनिट – 1 ने 16.11.2000 से वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू किया था। इन दोनों यूनिटों का कार्य–निष्पादन वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू करने के पश्चात् पहले वर्ष से ही काफी संतोषजनक रहा है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

आतंकवादियों के वित्तीय स्त्रोत

4951. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के वित्तीय स्रोतों को बंद करने के लिए हाल में एकजुट होकर कार्य करना शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले वित्तीय स्त्रोतों को बन्द करने में अब तक कितनी सफलता मिली है और ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं तथा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उनके स्त्रोतों को बंद करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) आतंकवाद से सम्बद्ध भारत–अमरीकी संयुक्त कार्यकारीदल की

चौथी बैठक में दोनों पक्षों ने आतंकवादी क्रियाकलापों के वित्त–पोषण पर चर्चा की और इस पर सहमत हुए कि वित्तीय लेन–देन के लिए औपचारिक चैनलों का व्यापक उपयोग सरकारों के लिए विशेष खतरा पैदा करता है। वे इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवादी संगठनों के वित्तीय लेन–देन को रोकने में घनिष्ठ सहयोग और आपसी क्षमताओं की मजबूती उनके आतंकवाद विरोधी सहयोग का एक महत्वपूर्ण अंग बनेगी।

(ख) दोनों पक्ष इन लक्ष्यों का अनुसरण संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के रूप में अपने–अपने स्थानीय कानूनों और अपने–अपने दायित्वों के अनुसार करते हैं। सरकार आतंकवाद निरोधक अधिनियम और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संगत संकल्पों के अन्तर्गत निर्दिष्ट आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करती है। अमरीका ने अपने स्थानीय कानून के अन्तर्गत 150 से अधिक आतंकवादी संगठनों, जिनमें लश्कर–ए–तोएबा, जैश–ए–मौहम्मद, हरकत–उल–मुजाहिद्दीन और जमायत –उल–मुजाहद्दीन जैसे पाकिस्तान आधारित अनेक संगठन शामिल हैं, के विरूद्ध कार्यवाही की है।

वर्चुअल कालिंग कार्ड

4952. श्री वाई. वी. राव. : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.टी.डी. तथा आई.एस.डी. सुविधाओं को नियंत्रित करने हेतु वर्चुअल कालिंग कार्ड प्रारंभ किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस कार्ड की बिक्री कई गुना बढ गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषकर व्यस्ततम समय के दौरान बहुत अधिक कॉल जाम होती है और लोगों को लाइनें नहीं मिलती हैं; और

(घ) यदि हां, तो कार्डों पर लाइनों की क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) एसटीडी सुविधा रहित फोनों के लिए एसटीडी/आईएसडी के उपयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु वीसीसी कार्ड आरम्भ किया गया है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) व्यस्ततम समय के दौरान, विशेष रूप से जब रियायती एसटीडी दर शुरू होती है, तो परियात में एकाएक वृद्धि हो जाती है। तथापि, दिन के समय इस तरह की अत्यधिक व्यस्तता नहीं रहती है।

(घ) निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं।

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, मुम्बई तथा बंगलौर में सर्विस कंट्रौल प्वाइंट (एससीपी) जोड़े गए थे। कोलकाता में सर्विस स्वचिंग प्वाइन्टों (एसएसपी) का उन्नयन किया गया है।

इसके अलावा, अहमदाबाद तथा लखनऊ में नए स्विचों की योजना बनायी गई है तथा उन्हें शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर टेलीफोन-प्रणाली

4953. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 फरवरी, 2002 को प्रणाली में कतिपय रूकावट के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के टर्मिनल पर टेलीफोन–प्रणाली ध्वस्त हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) किन्हीं अज्ञात एजेंसियों द्वारा ऑप्टिकल फाइबर कांट दिए जाने से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आई जी आई) टर्मिनल के कुछ टेलीफोनों ने काम करना बंद कर दिया था। तथापि, आई जी आई एयरपोर्ट पर कार्य कर रहे 105 टेलीफोन, जो कॉपर पेयर पर दिल्ली कैन्ट एक्सचेंज (569 स्तरीय) से संचालित हैं, इस खराबी से प्रभावित नहीं हुए थे।

पुलिस स्टेशन, वसंत कुंज में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा, सीजीएम, एमटीएनएल ने विस्तृत जांच हेतु पुलिस आयुक्त के साथ इस मामले को उठाया है। विशेष उपाय के रूप में ऑप्टिकल फाइबर डक्टों के मैनहोलों को कंक्रीट से बन्द किया जा रहा है।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लंबित मामले

4954. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लंबित मामलों की संख्या 50,000 पार कर गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों के त्वरित निपटान हेतु गत दो वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिनांक 31.03.2002 को मौजूद स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में 33434 मुकदमें लंबित थे। उपर्युक्त अधिकरण में लंबित मुकदमों की संख्या, 1999 से लगातार घटती आ रही है।

(ग) और (घ) सरकार, अधिकरण के न्यायिक कार्य–संचालन में हस्तक्षेप नहीं करती। फिर भी, सरकार द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और सदस्यों के रिक्त चले आ रहे पद यथा शीघ्र भरने के प्रयास किए जाते हैं। उपर्युक्त कारण से और स्वयं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा मुकदमों के शीघ्र निबटारे की दृष्टि से उठाए गए कदमों के फलस्वरूप मुकदमों के निबटारे की दर इतनी बढ गई है कि वर्ष 2000 और 2001 में क्रमशः 31,398 और 31953 मुकदमों में निर्णय दे दिया गया। अब मुकदमों के निबटारे की दर, मुकदमों के दायर किए जाने की दर से अधिक हो गई है।

राष्ट्रीय एड्स एवं रक्त नीति

4955. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्त का सुरक्षित उपयोग करने हेतु राष्ट्रीय एड्स निरोधक तथा नियंत्रण नीति और राष्ट्रीय रक्त नीति को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस नई नीति से एड्स को किस सीमा तक समाप्त किए जाने की संभावना है; और

(घ) राज्यों द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या दिशानिदेश तैयार किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय एच.आई.वी./एड्स निवारण और नियंत्रण नीति तथा राष्ट्रीय रक्तनीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(i) एच.आई.वी./संक्रमण के निवारण और नियंत्रण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना और इसके सामाजिक प्रभाव को कम करना है।

(ii) केवल एक जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में नहीं बल्कि इसे एक विकासात्मक मुद्दा मानकर, सरकार और सिविल समाज दोनों में सभी सहभागियों के बीच एक स्वामित्व की भावना पैदा करना।

(iii) एच.आई.वी./एड्स के निवारण के लिए तथा स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति तक पहुंच के अधिकार, शिक्षा, रोजगार और गोपनीयता के अधिकार सहित एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों के मानवाधिकारों को संरक्षित करके उन्हें परिचर्या और सहायता प्रदान करने हेतु एक समर्थ सामाजिक वातावरण को बढ़ावा देना।

(iv) एक बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठनों और समुदाय–आधारित संगठनों का समर्थन प्राप्त करके समुदाय की गतिशीलता को बढ़ाना।

(v) स्वास्थ्य शिक्षा वैधानिक स्थिति और आर्थिक संभावनाओं में सुधार करके महिलाओं, बच्चों और सामाजिक रूप से संवेदनशीलता अन्य समूहों को एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित होने से रोकना।

(vi) युवा लोगों, विशेष रूप से छात्रों के बीच शैक्षिक कार्यक्रमो जिनका उद्देश्य सुरक्षित व्यवहार संबंधी चलनों को अपनाना है, द्वारा एच.आई.वी./संक्रमण की बेहतर समझ को बढ़ाना।

(vii) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, क्षयरोग नियंत्रण, एकीकृत बाल विकास और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति जैसे अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ समस्तरीय एकीकरण करना।

(viii) स्वैच्छिक रक्तदान और रक्त के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढावा देकर सामान्य जनसंख्या के लिए सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(ग) नीति का सामान्य उद्देश्य महामारी को आगे फैलने से रोकना तथा केवल संक्रमित व्यक्तियों पर ही नहीं अपितु सभी स्तरों पर सामान्य जनसंख्या के स्वास्थ्य और सामाजिक – आर्थिक स्थिति पर इस महामारी के प्रभाव को कम करना है। इस नीति में 2007 तक नए संक्रमणों का शून्य स्तर हासिल करने के लिए सामान्य जनसंख्या में एच.आई.वी./एड्स के संक्रमण स्तर पर प्रभावी नियंत्रण करने की परिकल्पना की गई है।

(घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यापक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं जिनके आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हर वर्ष अपनी राज्य विशिष्ट कार्य योजना तैयार करता है।

लघु उद्योगों में सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में कार्य-बल

4956. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में लघु उद्योग इकाइयों में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक सड़क मार्ग तैयार करने हेतु एक कार्य–बल गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे लघु उद्योग इकाइयों को किस सीमा तक लाभ मिलेगा?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, हाल ही में सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में जानकारी आधारित उद्योगों (नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज) के वित्त पोषण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण

4957. श्री बीर सिंह महतो : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के किन राष्ट्रीय राजमार्गों पर चौड़ीकरण, विस्तारण और मरम्मत का कार्य किया जा रहा है;

(ख) राज्य से होकर गुजरने वाले शेष राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस प्रकार के कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में अनुमानित खर्च और वास्तव में व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2, 31, 31सी, 32, 34, 35, 55 और 60 पर 285.02 करोड़ रु. की स्वीकृत लागत के 20 सुधार कार्य चल रहे हैं। अभी हाल में घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 80 और 81 को राष्ट्रीय राजमार्ग संगठन द्वारा अभी अपने अधिकार में लिया जाना है।

(ग) वर्ष 2001–02 के दौरान आबंटन और व्यय की राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

	आबंटन (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)
सुधार कार्य	80.00	71.00
अनुरक्षण व मरम्मत कार्य	39.07	40.00

[अनुवाद]

एड्स के कारण मौतें

4958. श्री जार्ज ईडन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में एड्स के कारण राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान देश में राज्य–वार, संघ राज्य क्षेत्र–वार एड्स के कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को सूचित किए अनुसार एड्स के कारण मरने वाले व्यक्तियों की राज्य–वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण–। संलग्न है।

(ख) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान एड्स के सूचित रोगियों की राज्य–वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण–।। संलग्न है।

विवरण-।

एड्स के कारण हुई मौतों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999	2000	2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	53
2.	असम	–	1	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
4.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	7	2
5.	बिहार	5	7	1
6.	चण्डीगढ़	–	13	29
7.	पंजाब	–	–	–
8.	दिल्ली	–	24	27
9.	दमण और द्वीव	–	–	–
10.	दादरा और नगर हवेली	2	–	–
11.	गोवा	–	3	15
12.	गुजरात	12	–	20
13.	हरियाणा	–	5	–
14.	हिमाचल प्रदेश	6	–	–
15.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–
16.	कर्नाटक	20	19	27
17.	केरल	13	–	–
18.	लक्षद्वीप	4	–	–
19.	मध्य प्रदेश	–	50	5
20.	महाराष्ट्र	80	77	176
21.	मणिपुर	2	17	50
22.	मिजोरम	–	7	–
23.	मेघालय	1	–	–
24.	नागालैण्ड	12	25	28
25.	उड़ीसा	–	–	–
26.	पांडिचेरी	71	–	–
27.	राजस्थान	–	–	––
28.	सिक्किम	1	–	–
29.	तमिलनाडु	–	119	249
30.	त्रिपुरा	–	–	–
31.	उत्तर प्रदेश	–	4	15
32.	पश्चिम बंगाल	–	–	68
	कुल	229	378	765

विवरण-।।

एड्स के सूचित रोगियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999	2000	2001
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	9	8
2.	आन्ध्र प्रदेश	2	0	1217
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	11	62	30
5.	बिहार	0	36	53
6.	चण्डीगढ़	124	114	189
7.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
8.	दमण और द्वीव	0	0	0
9.	दिल्ली	0	64	358
10.	गोवा	7	10	46
11.	गुजरात	1	245	877
12.	हरियाणा	0	47	141
13.	हिमाचल प्रदेश	16	15	51
14.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
15.	कर्नाटक	47	541	516
16.	केरल	0	56	105
17.	लक्षद्वीप	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	116	294	139
19.	महाराष्ट्र	64	348	2728
20.	मणिपुर	61	364	307
21.	मेघालय	0	0	0
22.	मिजोरम	7	3	5
23.	नागालैण्ड	19	51	131
24.	उड़ीसा	0	52	28
25.	पांडिचेरी	0	0	0
26.	पंजाब	52	31	4
27.	राजस्थान	27	106	136
28.	सिक्किम	0	0	2
29.	तमिलनाडु	2730	4206	6484
30.	त्रिपुरा	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	41	93	202
32.	पश्चिम बंगाल	0	0	668
33.	ए. बाद. कार्पोरेशन	0	0	189
	कुल	3325	6747	14614

[हिन्दी]

सूरत से भुसावल तक राष्ट्रीय राजमार्ग

4959. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूरत (गुजरात) से भुसावल (महाराष्ट्र) तक बरास्ता नवापुर, नंदुरबार किसी नये राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूडी : (क) से (ग) जी नहीं। सूरत (गुजरात) से भुसावल (महाराष्ट्र) तक बरास्ता नवापुर, नंदुरबार सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशें

4960. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग केन्द्र सरकार के किसी भी मंत्रालय में जांच पूरी होने के बाद अनियमितताएं बरतने के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह मंत्रालय केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता–आयोग, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों को दो चरणों–अवस्थाओं में सलाह देता है। पहले चरण की सलाह, किसी कर्मचारी द्वारा कोई कदाचार किए जाने पर उसके विरूद्ध जांच पूरी हो जाने के पश्चात् संबंधित अनुशासनिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार, उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ किए जाने के बारे में दी जाती है। ऐसे चरण की सलाह, विधिवत् जांच के पूर्ण हो जाने के बाद, दिए जाने वाले दंड के बारे में दी जाती है। ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ करने अथवा उन पर शास्ति लगाने का निर्णय, संगत नियमों में निर्दिष्ट अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा ही लिया जा सकता है। अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह केन्द्रीय सतर्कता–आयोग की सिफारिश कार्यान्वित करे। यदि ऐसा कोई प्राधिकारी, आयोग की सलाह/उसका सुझाव, स्वीकार/कार्यान्वित नहीं करे तो गृह मंत्रालय के दिनांक 11.02.1994 के संकल्प संख्या–24/7/64–ए.वी.डी. के पैरा 2(xiv) के अनुसार, ऐसे मसले का उपर्युक्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है। उपर्युक्त आयोग की सलाह नहीं माने जाने के कारण स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ–साथ, उपर्युक्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, सरकार द्वारा उपर्युक्त सदन के पटल पर रखी जाती है।

[अनुवाद]

शीर्ष स्तर के पद

4961. श्री रामजी मांझी : क्या **प्रधान मंत्री** दिनांक 15.3.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2037 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 25 जुलाई, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 50 में दिए गए उत्तर के अनुसार, पदों में 10 प्रतिशत की कटौती को सभी स्तरों पर लागू किया जाना था न कि किसी विभाग की कुल संख्या पर;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या राज्य से केन्द्र में प्रतिनियुक्ति के 40 प्रतिशत आरक्षण में कमी करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा की जा सकने वाली सेवा अवधि के वर्षों की संख्या को सीमित करने का कोई प्रस्ताव है जैसाकि "सर्विस आफिसर्स" के मामले में किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 1.1.1992 की स्थिति के अनुसार पदों के संबंध में 10 प्रतिशत पदों की कटौती करने की प्रक्रिया पदों के प्रत्येक ग्रेड अथवा स्तर पर अलग से लागू न होकर किसी मंत्रालय/विभाग की समग्र रूप से कुल संख्या पर लागू है।

(ग) से (ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिये केन्द्र में प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित 40 प्रतिशत और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिये आरक्षित 20 प्रतिशत पदों में कमी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लघु उद्योग क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट

4962. श्री साहिब सिंह वर्मा : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सकल घरेलू उत्पाद में लघु उद्योग क्षेत्र का

योगदान वर्ष 2001 के प्रथम नौ महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में घटा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा चालू वर्ष में इसके योगदान को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) देश में लघु उद्योगों (एस.एस.आई) के संवर्द्धन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु नीतिगत उपाय पहले से ही मौजूद हैं। घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योगों के लिए व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की है जिसमें ऋण तक सरल पहुंच, विपणन सहायता, 25 लाख रु. तक के समपार्श्विकता मुक्त मिश्रित ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सुधरी हुई आधारिक संरचना हेतु पूंजीगत राजसहायता का प्रावधान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) चालू वर्ष में लघु उद्योग क्षेत्र को चल रहे कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से सहायता दिया जाना जारी रहेगा ताकि वे सकल घरेलू उत्पाद में अपने योगदान को बढ़ाने में समर्थ हो सकें।

[हिन्दी]

सीबीआई मामले

4963. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो द्वारा राज्यवार और वर्षवार नौकरशाहों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के श्रेणीवार कितने मामलों की जांच की गई;

(ख) इन मामलों में से राज्यवार और श्रेणीवार कितने मामलों में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उनमें से राज्यवार और श्रेणीवार कितने व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मुहैया करवाई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष, 1999, 2000 तथा 2001 के दौरान समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज किए गए मामलों, ऐसे अधिकारियों को जारी किए गए आरोप–पत्रों की संख्या तथा समूह "क" के दोषी–सिद्ध हो गए अधिकारियों की संख्या से संबंधित विवरण नीचे दर्शाया जा रहा है।

	1999	2000	2001
समूह "क सेवाओं के उन अधिकारियों की संख्या जिनके विरूद्ध मामले दर्ज किए गए।	131	140	150
जारी किए गए आरोप–पत्रों की संख्या	5	23	31
समूह "क" सेवाओं के दोषी सिद्ध हो गए अधिकारियों की संख्या	–	1	–

जहां तक इस बारे में राज्य–वार विवरण का संबंध है, केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो द्वारा इस बारे में आंकडे केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े तटीय क्षेत्र

4964. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर राज्यों के तटीय क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में विशेषतः गुजरात में तटीय क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए सरकार की क्या योजना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) जी, हां। अधिकतर राज्यों के तटीय क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हुए हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यों के तटीय क्षेत्रों से जुड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	तटरेखा पर/उसे छूने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग
1.	गुजरात	6, 8, 8ए, 8बी, 8डी और 8ई
2.	महाराष्ट्र	3, 4बी, 8, 17 और 204
3.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी
4.	कर्नाटक	13, 17, 48, 63 और 206
5.	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220
6.	तमिलनाडु	5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 47, 49, 67, 205
7.	पांडिचेरी	17, 45ए, और 67
8.	आंध्र प्रदेश	5, 9, 43 और 214
9.	उड़ीसा	5, 5ए, 203 और 217
10.	पश्चिम बंगाल	6 और 41

निशुल्क कॉल और किराया प्रभार

4965. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या **सूचना और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीब टेलीफोन उपभोक्ताओं को सहायता देने हेतु निशुल्क कॉलों की संख्या बढ़ाने और किराया प्रभार कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) टैरिफ का निर्धारण और विनियमन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) का कार्य है। इसके लिए, टीआरएआई समय–समय पर दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) जारी करता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा यथा अधिसूचित दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) 1999 में इस बात को स्वीकार किया गया है कि दूरसंचार नीति के सामाजिक उद्देश्य समाज के उन वर्गों के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जिनके लिए इस सुविधा के लिए व्यय को वहन कर पाना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए, टीटीओ में ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए अलग–अलग मासिक किरायों का उल्लेख किया गया है। टीटीओ, 1999 में उल्लिखित मासिक किराए ग्रामीण और छोटे आकार के एक्सचेंजों के लिए जानबूझकर लागत से कम रखे गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग बुनियादी टेलीफोन सेवाओं का खर्चा वहन कर सकें। इस समय, सरकार का निःशुल्क कॉलों की संख्या में वृद्धि करने और किराया प्रभारों में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोल और डीजल पर उपकर

4966. श्री आर. एस. पाटिल :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार सड़क के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उपकर द्वारा कुल कितनी राशि संग्रहित की गयी; और

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) पेट्रोल और डीजल पर उपकर (अतिरिक्त शुल्क) की वसूली के संबंध में राज्य–वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2001–2002 (नवम्बर, 2001 तक) के दौरान पेट्रोल और डीजल पर उपकर की वसूली 3397.54 करोड़ रुपए थी।

[हिन्दी]

राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया जाना

4967. श्री थावरचन्द गेहलोत :

श्री सुरेश पासी :

डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन राज्य राजमार्गों के नाम क्या हैं जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में परिवर्तित किये जाने का निर्णय किया गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग बने राज्य राजमार्गों के लिए राजमार्गवार कितनी राशि दी गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण–कार्य के संबंध में केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों की ओर से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए; और

(घ) इन प्रस्तावों, विशेषकर मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्राप्त प्रस्तावों, पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित राज्यीय सड़कों के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में पर दिये गये हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि राज्यवार आबंटित की जाती है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग वार। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित धनराशि के ब्यौरे विवरण–II में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए धनराशि राज्यवार आबंटित की जाती है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग वार। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित धनराशि के ब्यौरे विवरण–III में दिये गये हैं।

विवरण-I

1999–2000 से 2001–2002 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित राज्यीय राजमार्ग

क्रम सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	214 और 219	398
2.	अरुणाचल प्रदेश	153	40
3.	असम	151, 152, 153 और 154	184
4.	बिहार	81, 82, 83, 84, 85, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106 और 107	1313
5.	छत्तीसगढ़	12ए, 216 और 217	278
6.	गुजरात	8ई	220
7.	हिमाचल प्रदेश	88	115
8.	जम्मू और कश्मीर	1बी का विस्तार	85
9.	झारखंड	75 का विस्तार, 98, 99 और 100	523
10.	कर्नाटक	212 और 218	336
11.	केरल	212, 213 और 220	430

1	2	3	4
12.	मध्य प्रदेश	12ए, 59ए, 75 का विस्तार, 86, 86 का विस्तार और 92	1166
13.	मिजोरम	154	70
14.	उड़ीसा	215 और 217	786
15.	पंजाब	95	225
16.	राजस्थान	11ए का विस्तार, 79ए, 89 और 90	516
17.	तमिलनाडु	219 और 220	77
18.	उत्तरांचल	72ए, 87, 94, 108 और 109	429
19.	उत्तर प्रदेश	2ए, 24ए, 58 का विस्तार, 72ए, 75 का विस्तार, 86, 87, 91, 92, 93, 96 और 97	1281
20.	पश्चिम बंगाल	81	55

विवरण-।।

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए राज्यों को आबंटित धनराशि के ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य का नाम	धनराशि का आबंटन (करोड़ रु.)			
		1999–2000	2000–01	2001–02	गत तीन वर्षों के लिए जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	50.95	101.00	90.00	241.95
2.	असम	41.87	52.00	75.00	168.87
3.	बिहार	60.00	62.00	51.00	173.00
4.	चंडीगढ़	1.00	1.44	1.50	3.94
5.	छत्तीसगढ़	0.00	12.28	32.28	44.56
6.	दिल्ली	7.00	4.83	6.00	17.83
7.	गोवा	17.00	23.00	20.00	60.00
8.	गुजरात	73.07	77.70	55.00	205.77
9.	हरियाणा	100.00	101.00	103.88	304.88
10.	हिमाचल प्रदेश	40.00	44.15	55.00	139.15

1	2	3	4	5	6
11.	जम्मू और कश्मीर	1.00	2.50	2.30	5.80
12.	झारखंड	0.00	22.00	35.00	57.00
13.	कर्नाटक	58.24	77.99	104.32	240.55
14.	केरल	125.68	87.54	88.01	301.23
15.	मध्य प्रदेश	120.37	132.55	88.38	341.30
16.	महाराष्ट्र	173.50	208.00	188.46	569.96
17.	मणिपुर	10.11	8.50	14.50	33.11
18.	मेघालय	17.30	16.50	22.00	55.80
19.	मिजोरम	3.00	10.00	26.00	39.00
20.	नागालैंड	8.00	15.00	15.00	38.00
21.	उड़ीसा	90.50	99.51	77.73	267.74
22.	पांडिचेरी	3.19	2.00	2.12	7.31
23.	पंजाब	51.19	51.99	60.55	163.73
24.	राजस्थान	47.50	83.51	83.50	214.51
25.	तमिलनाडु	65.00	102.00	95.00	262.00
26.	त्रिपुरा	0.50	0.00	0.00	0.50
27.	उत्तर प्रदेश	120.20	144.64	134.90	399.74
28.	उत्तरांचल	0.00	1.99	25.00	26.99
29.	पश्चिम बंगाल	88.18	128.00	98.14	314.32
	जोड़	1374.35	1673.62	1650.57	4698.54

विवरण-।।।

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए राज्यों को आबंटित धनराशि के ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य का नाम	धनराशि का आबंटन (करोड़ रु.)			गत तीन वर्षों के लिए जोड
		1999–2000	2000–01	2001–02	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	34.40	38.45	42.20	115.05
2.	असम	34.20	28.84	39.99	103.03

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	58.08	42.99	44.90	145.97
4.	चंडीगढ़	0.91	0.21	0.46	1.58
5.	छत्तीसगढ़	0.00	10.30	24.20	34.50
6.	दिल्ली	1.40	0.82	1.02	3.24
7.	गोवा	8.27	3.74	3.70	15.71
8.	गुजरात	23.18	21.45	25.75	7.38
9.	हरियाणा	16.12	15.44	18.50	50.06
10.	हिमाचल प्रदेश	23.26	25.11	19.39	67.76
11.	जम्मू और कश्मीर	3.02	2.84	0.86	6.72
12.	झारखंड	0.00	8.46	20.00	28.46
13.	कर्नाटक	39.21	30.97	39.02	109.20
14.	केरल	40.59	28.16	23.36	92.11
15.	मध्य प्रदेश	55.73	50.36	59.35	165.44
16.	महाराष्ट्र	46.55	40.65	52.01	139.21
17.	मणिपुर	8.76	8.24	9.36	26.36
18.	मेघालय	9.06	7.99	11.35	28.40
19.	मिजोरम	3.80	6.95	5.00	15.75
20.	नागालैंड	5.02	3.61	2.03	10.66
21.	उड़ीसा	36.22	42.77	47.31	126.30
22.	पांडिचेरी	1.05	0.80	0.85	2.70
23.	पंजाब	12.36	16.90	24.06	53.32
24.	राजस्थान	33.20	34.12	44.49	111.81
25.	तमिलनाडु	54.80	36.10	44.75	135.65
26.	त्रिपुरा	0.24	0.00	0.00	0.24
27.	उत्तर प्रदेश	61.05	53.90	66.19	181.14
28.	उत्तरांचल	0.00	4.09	10.68	14.77
29.	पश्चिम बंगाल	37.00	37.09	39.07	113.16
	जोड़	647.48	601.35	719.85	1968.68

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल कॉरीडोर विकास परियोजना

4968. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल कॉरीडोर विकास परियोजना के लिए सरकार को हाल ही में 210 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें केन्द्र की सहभागिता कितनी है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) पश्चिम बंगाल महामार्ग विकास परियोजना के लिए 210 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण एशियाई विकास बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है। ऋण के लिए वार्ता पूरी हो चुकी है और ऋण करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(ख) ऋण सहायता का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग–34 की 370 कि.मी. की लंबाई, राज्यीय राजमार्ग सं. 1 और 10 की 150 कि.मी. की लंबाई और ग्रामीण संपर्क वाली सड़कों की 100 कि.मी. की लंबाई के सुधार के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना की कुल लागत 1518 करोड़ रु. है। जिसमें केन्द्र की भागीदारी 329 करोड़ रु. होगी।

(ग) इस परियोजना को मार्च, 2007 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

मदुरै-एर्नाकुलम तक राष्ट्रीय राजमार्ग

4969. श्री एस. मुरुगेसन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तेनकाशी और सेंगोटा होते हुए मदुरै से एर्नाकुलम के बीच एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसका कार्य कब तक शुरु हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) तेनकाशी और सेंगोटा होते हुए मदुरै और एर्नाकुलम पहले से ही निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हुए हैं:–

(i) मदुरै–तिरुमंगलम (रा.रा.7)

(ii) तिरुमंगलम–तेनकाशी–सेंगोटा–कोल्लाम (रा.रा.208)

(iii) कोल्लाम–एर्नाकुलम (रा.रा. 47)

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ग्रामोद्योग का संवर्धन

4970. श्री बीर सिंह महतो :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ग्रामोद्योग के संवर्धनार्थ कोई विशेष योजना तैयार तथा कार्यपालित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ग्रामोद्योग के संवर्धन में खादी ग्रामोद्योग आयोग की अब तक क्या भूमिका रही है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) पहले ही देश भर में, जिसमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं, ग्रामोद्योगों के संवर्धन हेतु "ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम" चला रहा है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 लाख रु. तक परियोजना लागत का 25% की दर से और 25 लाख रु. तक शेष परियोजना लागत पर अतिरिक्त 10% की दर से मार्जिन मनी के रूप में बैक एंन्डिड केपिटल सब्सिडी प्रदान की जाती है। लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% निवेश योगदान स्वयं करना अनिवार्य होगा। कमजोर वर्गों नामतः अ.जा/अ.ज.जाति/अन्य पि. वर्ग/महिलाएं/शारीरिक रुप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय लाभार्थी/

संस्थान और पहाड़ी सीमा और जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए मार्जिन मनी अनुदान 10 लाख रु. तक परियोजना लागत का 30% और 25 लाख रु. तक शेष परियोजना लागत का 10% है। ऐसे मामलों में लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का मात्र 5% है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि के माध्यम से चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास के लिए 14.05.2001 को एक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में और जॉब सृजित करने तथा महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों को अधिकार प्रदान कराने के सरकार के मूल उद्देश्य के अनुरूप बनाया गया है। पैकेज में अन्य बातों के साथ–साथ पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट का विकल्प और बाजार विकास सहायता (एमडीए) खादी कामगारों को बीमा कवर, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के डिजाइन एवं गुणवत्ता में सुधार पर बल इत्यादि शामिल है।

ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्य में अब तक संस्वीकृत परियोजनाओं एवं सृजित किए गए रोजगारों की संख्या नीचे दी गई हैं:–

राज्य	परियोजनाएं
उड़ीसा	898
पश्चिम बंगाल	9982

दोहरी लेन वाला सूरत-धूले राष्ट्रीय राजमार्ग

4971. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकार से सूरत–धूले राष्ट्रीय राजमार्ग को दोहरी लेन वाला बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना खर्च होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी नहीं। सूरत–धुले सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6) पहले से ही दो लेन की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रानीगंज-बालासोर सड़क

4972. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रानीगंज से बालासोर तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग 60 घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग–60 में सुधार लाने एवं उसको चौड़ा बनाने के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) मंत्रालय ने रानीगंज से बालासोर तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के रूप में घोषित किया है।

(ख) और (ग) रानीगंज–खड़गपुर खंड (163 कि.मी.) में संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन चरणों में सुधार किया जा रहा है। 10 कि.मी. की दूरी में सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पहले ही सुधार किया जा चुका है। 3.25 करोड़ रु. की लागत से 5 कि.मी. में चौड़ा करने का कार्य फिलहाल प्रगति पर है और इसे मार्च, 2003 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। 663 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बालासोर–खड़गपुर खंड (119.27 कि.मी.) का चार लेन का कार्य प्रगति पर है और इसे काफ़ी हद तक दिसम्बर, 2003 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

प्रमुख पत्तनों के लिए योजना परिव्यय

4973. डा. सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 के दौरान प्रमुख पत्तनों के विकास हेतु कुल योजना परिव्यय कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन प्रमुख पत्तनों द्वारा कुल कितने परिव्यय का उपयोग किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कुछ पत्तनों ने आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आबंटित की गई सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग करने और विलंब होने से बढ़ने वाली लागत से बचने के लिए निर्धारित अवधि के दौरान इन परियोजनाओं से संबंधित कार्य में तेजी लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) 960.18 करोड़ रु.।

(ख) 2001–02 के दौरान योजना परिव्यय का पत्तनवार उपयोग नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	पत्तन न्यास के नाम	उपयोग (करोड़ रु.)
(i)	कोलकाता	11.82
(ii)	मुम्बई	63.93
(iii)	जवाहरलाल नेहरू	15.79
(iv)	चेन्नै	143.03
(v)	कोचीन	3.40
(vi)	विजाग	69.99
(vii)	कांडला	48.83
(viii)	मुरगांव	25.29
(ix)	पारादीप	53.65
(x)	नव मंगलूर	27.45
(xi)	तूतीकोरिन	32.13
(xii)	इन्नौर पत्तन लि.	0.00
	जोड़	495.31

(ग) से (ङ) पत्तनों द्वारा योजना परिव्यय का उपयोग न करने के प्रमुख कारणों में शामिल हैं – लम्बी प्रक्रिया के कारण नई स्कीमें स्वीकृत करने में विलम्ब होना, संविदा संबंधी विवाद/मुकदमें, निविदाओं को अंतिम रुप देने और संविदा सौंपने में विलम्ब होना, स्कीमें बंद/आस्थगित करना, पर्यावरणीय स्वीकृति में विलम्ब होना आदि।

मासिक रिपोर्टों के माध्यम से योजना परिव्यय के उपयोग का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण किया जाता है और उचित निवारात्मक उपाय किए जाते हैं। यह अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि बजट अनुमान यथार्थपूर्ण होने चाहिएं ताकि योजना व्यय में कमी से बचा जा सके।

माशेलकर समिति की रिपोर्ट

4974. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर वाहनों के लिए यूरो ।। एवं यूरो ।।। मानदंडों के संबंध में माशेलकर समिति की रिपोर्ट की क्या सिफारिश हैं;

(ख) इनके क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) पूरे देश में स्वच्छ वायु को सुनिश्चित करने हेतु उचित गुणवत्ता वाले वाहन ईंधन को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) माशेलकर समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में मोटर वाहनों के लिए यूरो ।। और यूरो–।।। मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:–

(i) भारत स्टेज ।। मानदंड, जो यूरो–।। मानदंड के समकक्ष हैं और जिसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै में पहले ही लागू किया गया है, को तीन बडे नगरों बंगलौर, हैदराबाद और अहमदाबाद में भी 2003 के अंत से पहले और संपूर्ण देश में 1 अप्रैल, 2005 तक लागू कर दिया जाना चाहिए।

(ii) वाहनों की सभी श्रेणियों (दुपहिया और तिपहिया वाहनों को छोड़कर) के लिए यूरो–।।। के समकक्ष मानदंड सात बड़े नगरों (अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर,

हैदराबाद और अहमदाबाद) में 1 अप्रैल, 2005 से और देश के अन्य भागों में वर्ष 2010 से शुरू किए जाने चाहिए।

(ख) और (ग) परीक्षण मानदंड तैयार करने की प्रक्रिया और यूरो–।।। समकक्ष विनिर्देशों की प्रक्रिया पहले ही चल रही है। इसके अनुरूप ईंधन की उपलब्धता एक सहवर्ती आवश्यक आवश्यकता होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत स्टेज–।। और यूरो–।।। समकक्ष उत्सर्जन मानदंडों से मेल रखने के लिए तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल गुणता में वृद्धि करने की सलाह दी है।

भारतीय लघु उद्योगों का एकाधिकार

4975. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी वस्तुओं की पहचान की गई है जिनके मामले में भारतीय लघु उद्योग का विश्व में एकाधिकार है अथवा एकाधिकार के करीब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उन वस्तुओं का कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) लघु उद्योगों को अपने उत्पादों के निर्यात के लिए क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(घ) निर्यात की जा रही वस्तुओं के नाम क्या हैं और लघु उद्योग उत्पादों का निर्यात किन देशों को किया जा रहा है; और

(ङ) लघु उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) से निर्यात सम्वर्धन के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें आई.एस.ओ. –9000 प्रमाणन की अधिप्राप्ति के लिए सहायता, बार–कोडिंग हेतु पंजीकरण की प्राप्ति के लिए राजसहायता, घरेलू तथा अर्न्तराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए मार्किट विकास सहायता स्कीम, निर्यातों के लिए प्रबन्धन विकास कार्यक्रम आयोजित करना, निर्यातों के लिए पैकेजिंग संबंधी प्रशिक्षण, लघु उद्योगों इत्यादि में गुणवत्ता को प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार शामिल हैं।

(घ) भारतीय लघु उद्योग सेक्टर से निर्यातों में पर्याप्त शेयर के मुख्य उत्पाद हैं, तैयार पोशाकें, प्रसंस्करण खाद्य, फिनिस्ड लैदर तथा लैदर उत्पाद, समुद्री उत्पाद, बेसिक केमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स तथा कॉस्मेटिक्स, इन्जीनियरिंग गुड्स, प्लास्टिक प्रॉडक्टस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर साफ्टवेयर इत्यादि। निर्यात किए जाने वाले देशों में यू एस ए, यू.ए.ई. हांगकांग, यू.के. जर्मनी, जापान, बेल्जियम, इटली इत्यादि।

(ङ) लघु उद्योग क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण तथा इसकी घरेलू विश्वव्यापी दोनों तौर से (प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने 30.8.2000 को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की है, जिसमें क्रेडिट हेतु सुगम पहुंच, विपणन सहायता, 25 लाख रु. तक के संयुक्त ऋण की सम्पार्श्विकता मुक्त उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा सुधरी हुई बुनियादी संरचना के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता की व्यवस्था है।

मेडिकल कालेजों में सीट संख्या

4976. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य के लिए मेडिकल कालेजों में सीटों की कुल संख्या पर नियंत्रण लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक राज्य हेतु कितनी सीटें अनुमोदित की गई हैं, और

(ग) सरकार द्वारा अगले शैक्षणिक वर्ष से चिकित्सा शिक्षा नीति में क्या अन्य महत्वपूर्ण बदलाव लाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रबड़ीकृत डामर का उपयोग

4977. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री सुबोध मोहिते :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क निर्माण में रबड़ीकृत डामर का उपयोग करने हेतु कोई रणनीति बनाई है जैसा कि भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा सिफारिश की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने सड़क संबंधी कार्य में कम से कम 10 प्रतिशत इस सामग्री का उपयोग करने हेतु सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्यों द्वारा इन निर्देशों को क्रियान्वित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जाएंगे?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) सरकार ने सड़क निर्माण में रबड़/पालीमर शोधित बिटुमन के उपयोग के लिए एक नीति बनाई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आवधिक नवीकरण के मामले में कम से कम 10 प्रतिशत लंबाई में और राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित परियोजना कार्यों में भी शोधित बिटुमन के उपयोग के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

(घ) निदेशों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। इस समय विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की 1541 कि.मी. लंबाई में रबड़/पालीमर शोधित बिटुमन से सतह निर्माण के प्रावधानों के लिए स्वीकृति दी गई है जिसमें से 793 कि.मी. लंबाई में यह कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर एम्बुलेंस

4978. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कितनी एम्बुलेंसें चलाई जा रही हैं;

(ख) वर्ष 2002–2003 के दौरान वर्तमान बेड़े में ऐसी और कितनी एम्बुलेंसों के शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस कार्य में गैर–सरकारी संगठनों की भी सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) इस समय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक एम्बुलेंस चलाई जा रही है।

(ख) वर्ष 2002–2003 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त एम्बुलेंसों को शामिल किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) मंत्रालय की राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत योजना के अंतर्गत दो वर्षों के दौरान गैर–सरकारी संगठनों को 13 एम्बुलेंसें मुहैया कराई गई है।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों के लाभ/हानि

4979. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 के दौरान देश के विचित्र भागों में स्थित विभिन्न पत्तनों द्वारा कुल कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ख) उक्तोलिखित अवधि के दौरान घाटे में चलने वाले पत्तनों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) वर्ष 2001–02 के दौरान देश के विभिन्न भागों में 11 महापत्तन न्यासों का कुल निवल अधिशेष लगभग 291.41 करोड रु. (अनंतिम) था।

(ख) और (ग) कोचीन पत्तन न्यास और मुम्बई पत्तन न्यास को क्रमशः 35.15 करोड़ रु. और 182.02 करोड़ रु. का निवल घाटा हुआ है जिसका प्रमुख कारण बढ़ता हुआ प्रशासनिक व्यय है जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए किया गया भुगतान भी शामिल है। मुम्बई पत्तन न्यास का निवल घाटा भी उस पत्तन पर यातायात घटने के कारण हुआ है। पत्तनों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। पत्तनों की वित्तीय स्थिति की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और पत्तनों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु गैर–प्राथमिकता क्षेत्रों में व्यय कम करने और संस्थापना लागतों पर नियंत्रण करते हुए संसाधनों का सामान्यतया इष्टतम उपयोग करने के लिए उचित अनुदेश दिए जाते हैं।

बिटुमिन और सीमेन्ट से बनी सड़कों की तुलना

4980. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिटुमिन और सीमेन्ट से बनने वाली सड़कों पर प्रति किलोमीटर लागत कितनी आती है और इन दोनों प्रकार की सडकों की अलग–अलग उपयोगिता अवधि क्या है;

(ख) क्या ककरीट से बनी सड़कें बिटुमिन से बनी सडकों की तुलना में 15 प्रतिशत तक ईंधन की बचत करेंगी;

(ग) क्या राकेश मोहन समिति ने भी सीमेन्ट से बनने वाली सडकें बनाने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) बिटुमनयुक्त सडक और सीमेट कंक्रीट सड़क की लागत बहुत से कारकों अर्थात् मिट्टी का प्रकार, सड़क की श्रेणी, यातायात, डिजाइन अवधि, परियोजना का आकार, सामग्री और अपेक्षित उपस्करों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। सीमेंट सड़क की लागत बिटुमनयुक्त सड़क से लगभग 15–20% अधिक होती है। सीमेंट कंक्रीट सड़क की डिजाइन अवधि 20–30 वर्ष होती है जो बिटुमनयुक्त सड़क की 10–15 वर्ष की डिजाइन अवधि की तुलना में अधिक हैं।

(ख) बिटुमनयुक्त सड़कों की तुलना में कंक्रीट सडकों पर ईंधन में बचत करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण उद्योगों का कार्यनिष्पादन

4981. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में कितने कामगार ग्रामीण उद्योगों में कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन उद्योगों में से बहुत सारे उद्योग घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा घाटे में चल रहे उद्योगों को घाटे से बाहर निकालने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) पूर्वोत्तर राज्यों में नियुक्त किए गए कामगारों और घाटा उठा रहे ग्रामोद्योगों की संख्या केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती। तथापि, यह एक तथ्य है कि मुख्यतया उचित विपणन अवसरों की कमी के कारण अनेक ग्रामोद्योग घाटा उठा रहे हैं।

(ङ) भारत सरकार ने ग्रामोद्योगों के सशक्तीकरण और सुदृढ़ीकरण के मुख्य उद्देश्य से 14 मई 2001 को खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के संवर्धन के लिए एक पैकेज की घोषणा की है। पैकेज की मुख्य विशेषताओं में शामिल है– पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विज्ञापनों के माध्यमों से विपणन संवर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, कलस्टर विकास, क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म का सुदृढ़ीकरण और अनुसंधान एवं विकास प्रयास।

हृदय रोग

4982. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदयाघात का प्रमुख कारण, हृदधमनी रोग देश में विशेषतः महिलाओं में होने वाली मौतों का प्रमुख कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन व्यक्ति हृदयाघात के कारण मर जाते हैं और इनमें एक–तिहाई से अधिक महिलाएं होती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) जी, हां। कोरोनरी हृदय रोग एक प्रमुख कारण है जिससे पुरुषों और महिलाओं दोनों की मौतें होती हैं।

(घ) कार्डियो वास्कुलर रोगों का उपचार देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, दोनों में शहरी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं और ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी पद्धति में विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जिला स्तर के अस्पतालों के अलावा जो द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करते हैं, प्रमुख सरकारी अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ जैसी स्वायत्तशासी संस्थाएं फील्ड में विशिष्टता वाली तृतीयक परिचर्या सुविधाएं प्रदान करती हैं।

जापान द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

4983. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने लोगों की भलाई के लिए कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थाओं तथा अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य–वार विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में कितने गैर–सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थाओं और अस्पतालों को ऐसी सहायता मिली है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां। जापान सरकार अपने राजदूतावास और महावाणिज्यदूत के कार्यालयों के माध्यम से सीधे भारतीय गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए निचले स्तर की सहायता योजना चलाती है। भारतीय गैर सरकारी संगठन ऐसी निधियों के लिए सीधे मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता स्थित राजदूतावास और महावाणिज्यदूत के कार्यालयों को आवेदन करते हैं। राजदूतावास जांच करने के बाद प्रस्तावों को भारत सरकार की अनापत्ति प्राप्त करने के लिए अग्रेषित करता है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीधे वित्तपोषण हेतु जिन गैर सरकारी संगठनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गए हैं, उनसे प्राप्त प्रस्तावों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	प्रस्ताव और संगठन का नाम	रकम
1999-2000		
	शून्य	
2000-2001		
1.	मुम्बई में मा–निकेतन सोसायटी द्वारा अनाथ बच्चों के लिए गृह का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव	80041 अमरीकी डालर
2001-2002		
महाराष्ट्र		
1.	बम्बई कुष्ठ परियोजनाओं द्वारा कुष्ठ से प्रभावित व्यक्तियों और विकलांगों के लिए भौतिक पुनर्वास केन्द्र एवं मोबाइल कुष्ठ उपचार एकक	76628 अमरीकी डालर
2.	शांति आवेदना आश्रम द्वारा टर्मिनल कैंसर और एड्स के साथ जुड़े टर्मिनल कैंसर के लिए प्रशामक परिचर्या हेतु 'शांति अवेदना केन्द्र' का निर्माण करने के लिए परियोजना	91303 अमरीकी डालर
3.	सोसायटी आफ द् सिस्टर ऑफ द् डेस्टीच्यूट द्वारा एचआईवी और एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए पुनर्वास केन्द्र का निर्माण करने की परियोजना	91397 अमरीकी डालर
कर्नाटक		
	श्री शक्ति एसोसिएशन द्वारा प्रोजेक्ट डि–एडिक्शन हास्पिटल बिल्डिंग	35,63,5000/– रुपए

हेपेटाइटिस-बी

4984. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कितने लोग हेपेटाइटिस–बी से पीड़ित हैं;

(ख) क्या सरकार हेपेटाइटिस–बी टीकाकरण को राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न जिलों में हेपेटाइटिस–बी के टीकाकरण में मदद करने हेतु निजी क्षेत्र को कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो सम्पूर्ण देश में हेपेटाइटिस–बी टीकाकरण को कब तक शामिल कर दिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो से प्राप्त अनन्तिम सूचना के अनुसार 1999 में वायरल हेपेटाइटिस के 131798 रोगियों की सूचना दी गई।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने प्रायोगिक आधार पर व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नवजातों के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुरु करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम 2002–03 के दौरान 15 महानगरों के स्लम क्षेत्रों और 2003–04 के दौरान 32 जिलों में चलाया जाएगा। इस प्रायोगिक परियोजना को ग्लोबल एलायन्स फार वैक्सीन एण्ड इम्यूनाइजेशन द्वारा सहायता दी जाती है। प्रायोगिक कार्यकलापों में व्यावसायिक संगठन संलग्न किए जाएंगे। इन प्रायोगिक कार्यकलापों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर दसवीं योजनावधि के दौरान इस कार्यक्रम का और आगे विस्तार करने पर विचार किया जाएगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : उपाध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 339 (अ) जो 26 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जून 7, 2000 की अधिसूचना संख्या 556(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5476/2002)

[अनुवाद]

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : महोदय मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:

(1) (एक) इन्स्टिट्यूट आफ इकनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्स्टिट्यूट आफ इकनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5477/2002)

(3) (एक) इन्स्टिट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्स्टिट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5478/2002)

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :

(1) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अंतर्गत पेट्रोलियम नियम, 2002 जो 13 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 204 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5479/2002)

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5480/2002)

(ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक– महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5481/2002)

(4) भारतीय गैस प्राधिकरण तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गये। देखिए संख्या एल.टी. 5482/2002)

(5) दसवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की–गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

दसवीं लोक सभा

(1)	विवरण संख्या 24	पन्द्रहवां सत्र	1995	(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5483/2002)

बारहवीं लोक सभा

(2)	विवरण संख्या 23	दूसरा सत्र	1998	(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5484/2002)
(3)	विवरण संख्या 18	तीसरा सत्र	1999	(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5485/2002)
(4)	विवरण संख्या 18	चौथा सत्र	1999	(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5486/2002)

तेरहवीं लोक सभा

(5)	विवरण संख्या 16	दूसरा सत्र	1999	(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5487/2002)
(6)	विवरण संख्या 15	तीसरा सत्र	2000	(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5488/2002)
(7)	विवरण संख्या 11	चौथा सत्र	2000	(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5489/2002)
(8)	विवरण संख्या 9	पांचवां सत्र	2000	(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5490/2002)
(9)	विवरण संख्या 8	छठा सत्र	2001	(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5491/2002)
(10)	विवरण संख्या 5	सातवां सत्र	2001	(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5492/2002)
(11)	विवरण संख्या 3	आठवां सत्र	2001	(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5493/2002)
(12)	विवरण संख्या 1	नौवां सत्र	2002	(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5494/2002)

[अनुवाद]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:–

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. संख्या 72 (अ) जो 31 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. संख्या 73(अ) जो 31 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (निवास अधियोग का आबंटन) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. संख्या 180(अ) जो 8 मार्च, 2002 के भारत के राजस्व में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5495/2002)

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 181 (अ) जो 8 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 24 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 289 (अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल.टी. 5496/2002)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:–

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 2002 जो 4 अप्रैल, 2002 के भारत के राजस्व में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 251 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5497/2002)

(2) (एक) नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली का वर्ष 1998–1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा–परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998–1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5498/2002)

(4) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन यूनानी मेडिसन, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपुर्यक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5499/2002)

(6) (एक) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चडीगढ़ के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5500/2002)

(8) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन योगा एण्ड नेच्चुरोपैथी, नई दिल्ली का वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन योगा एण्ड नेच्युरोपैथी, नई दिल्ली का वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपुर्यक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5501/2002)

(10) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट आफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट आफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष

1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5502/2002)

(12) (एक) इंस्टिट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट टिचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट टिचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट टिचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।–

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5503/2002)

(14) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2002 जो 4 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 249 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 4 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 250 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5504/2002)

अपराह्न 12.02 बजे

लोक लेखा समिति

चौंतीसवां, पैंतीसवां, छत्तीसवां और सैंतीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2001–2002) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) "निर्यात प्रोत्साहन तथा निर्यात कारबार के लिये रखे गये लाभ के संबंध में कटौती" संबंधी चौंतीसवा प्रतिवेदन।

(2) "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (1997–98) से अधिक व्यय" के बारे में लोक लेखा समिति के छटे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही संबंधी पैंतीसवां प्रतिवेदन।

(3) एवायडेबल इम्पोर्ट आफ हाई कैपेसिटी डीजल पावरड ब्रेकडाउन क्रेन्स" संबंधी छत्तीसवां प्रतिवेदन।

(4) "सर्किल स्टैम्प डिपो के कार्यकरण" के बारे में लोक लेखा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही संबंधी सैंतीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.2½ बजे

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2002–03) के बारे में पेट्रोलियम और रसायन सम्बन्धी स्थायी समिति का सत्ताइसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री एम. ओ. एच. फारूक (पांडिचेरी) : महोदय, मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

[हिन्दी]

शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

बत्तीसवां, तैतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2002–03) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्ररतुत करता हूं:

(1) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2002–03) के बारे में बत्तीसवां प्रतिवेदन।

(2) भू–संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000–03) के बारे में तैंतीसवां प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदान की मांगों (2002–03) के बारे में चौंतीसवां प्रतिवेदन।

(4) शहरी विकास विभाग (शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय) की अनुदान की मांगों (2002–03) के बारे में पैंतीसवां प्रतिवेदन।

(5) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग (शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, की अनुदानों के बारे में छत्तीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि यह सभा 23 अप्रैल, 2002 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के पैतीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 23 अप्रैल, 2002 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष जी, मैंने नियम 222 के अधीन नोटिस दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन का अपमान किया है...*(व्यवधान)* श्री चन्द्रशेखर जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि अगर गोधरा घटना की निन्दा हो जाती तो यह झगड़ा नहीं होता ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शुरूआत में, मैंने आपको यह बात बतायी थी। यह कोई तरीका नहीं है। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आरंभ में ही मैंने आपको बताया था कि जब आपका नोटिस आयेगा, मैं उस पर विचार करूंगा। यह मामला विचाराधीन है। जब मैं यह कहता हूं कि यह मामला विचाराधीन है, तो इसका अर्थ यह होता है कि हम यह सत्यापित करेंगे कि यह कथन

सत्य है अथवा नहीं। इसके पश्चात् इस पर विचार करने के लिए सभा है। इस प्रकार, यह मामला जारी रहेगा। यह ठीक नहीं कि आप खड़े हो जायें और कुछ कहना आरंभ कर दें। यह उचित तरीका नहीं है। अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा आरंभ करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : मैं एक अत्यन्त गंभीर मामला उठाना चाहता हूं। यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : कल मैंने कार्यमंत्रणा समिति का एक प्रतिवेदन सम्मानीय सभा में प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्न काल के तुरंत बाद....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, वे व्यवस्था सबंधी प्रश्न उठाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह हमारा सदन में अधिकार है...*(व्यवधान)* यह हमारा विशेषाधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : सभा ने अभी–अभी इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया है। अब, सभा ने प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है। यह मेरा प्रतिवेदन नहीं है। यह संसदीय कार्य मंत्री का भी प्रतिवेदन नहीं है। वह व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। सभा ने प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है और सभा से मैं आग्रह करता हूं कि हमने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है इसलिए हमें प्रतिवेदन और उनमें अंतर्विष्ट निर्णय के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम इससे सहमत नहीं है। सदन में जीरो ऑवर कैसे खत्म किया जा सकता है, यह हमारा विशेषाधिकार है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और सभा ने इसे स्वीकार कर लिया है।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारा अधिकार खत्म नहीं हो सकता। यह कौन होते हैं हमारा अधिकार खत्म करने वाले। कल की घटना है अहमदाबाद के शाहपुर, खानपुर आदि मौहल्लों में मार–काट जारी है। ...*(व्यवधान)* वहां हिंसा रूक नहीं रही है। इस पर हमारा एडजर्नमैन्ट नोटिस है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : जब हमने प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है तो हमें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, मैं आपको अनुमति दूंगा। अब, मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ। कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएँ।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तात में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब 'जैसा कि कार्यमंत्रणा समिति पहले ही यह निर्णय ले चुकी है कि कोई' 'शून्य काल' नहीं होगा और न ही मध्याह्न भोजनावकाश होगा। इन दोनों को ही स्थगित कर दिया गया है। अब मैं नियम 377 के अधीन नोटिस देने वाले 15 माननीय सदस्यों को बुलाऊंगा और तत्पश्चात् सभा सीधे ही कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा आरंभ करेगी।

---

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.09 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर राप्ती नदी पर पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गोरखपुर (उ.प्र.) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 के कि.मी. 262 पर राप्ती नदी के ऊपर पुल निर्माण तथा 20 कि.मी. लम्बाई के एक बाईपास निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार ने प्रदान की है। प्रस्तावित चार लेन का नया पुल तथा 20 कि.मी. लम्बाई के बाईपास की व्यावहारिक उपयोगिता अधिक से अधिक जनहित में तभी हो सकती है जबकि नया प्रस्तावित सेतु वर्तमान सेतु के आधा कि.मी. के अंदर ही बने तथा बाईपास का निर्माण दोनों सेतुओं को मिलाते हुए देवरिया बाईपास से मिला दिया जाए।

अतः अनुरोध है कि अविलम्ब उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए नये सेतु तथा बाईपास का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

[अनुवाद]

(दो) खपरैल पर उत्पाद शुल्क वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : महोदय, माननीय वित्तमंत्री ने कर–राजस्व बढ़ाने की हडबड़ी में खपरैल पर 4 प्रतिशत उत्पाद–शुल्क लगा दिया है। इस खपरैल को दक्षिण में, विशेषकर मेरे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों द्वारा अपने घरों की छत आदि बनाने के लिए काम में लाया जाता है।

खपरैल – उद्योग एक लघु, ग्राम – आधारित तथा श्रमोन्मुखी उद्योग है। इसमें ईंधन की कीमत में वृद्धि मजदूरी और सामग्री आदि से सम्बन्धित अनेक समस्याएं पहले से ही विद्यमान हैं।

उत्पाद–शुल्क लगा देने से खपरैल–उद्योग न सिर्फ पंगु हो जायेगा, बल्कि इसका ग्रामीण क्षेत्र के उन गरीब लोगों पर भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो अपने मकानों की मरम्मत करने के लिए खपरैल पर ही आश्रित रहते हैं।

अतः, मैं माननीय वित्तमंत्री से खपरैल पर लगाए गए शुल्क को वापिस लेने की मांग करता हूं।

(तीन) विदेशी मत्स्यन नौकाओं पर प्रतिबंध लगाकर स्थानीय मछुआरों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै) : महोदय, हमारे क्षेत्रवर्ती समुद्र में विदेशी नवी मत्स्यन–नौकाएँ (ट्रावलरस) सक्रिय हैं, उनके पास नवीनतम साधन है और वे आसानी से भारी संख्या में सभी प्रकार की मछलियों का शिकार करती हैं।

ये मत्स्यन नौकाएँ तथा यंत्रचालित नावें कई प्रजातियों की मछलियों, उनके अण्डों, छोटी मछलियों को विनिष्ट कर रही हैं और इस तरह से समुद्री मछलियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, साथ ही, इनसे प्रदूषण फैल रहा है और पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है।

"चूंकि मछुआरों के लिए अब मत्स्यन कार्य लाभप्रद नहीं रहा; अतः उनमें से अनेक ने समुद्र में जाना ही छोड़ दिया है। इस समय, उनसे कहा गया है कि अब से 45 दिनों तक समुद्र में न जाएँ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करे कि समुद्री –सम्पदा के अंधाधुंध दोहन पर रोक लगाई जाए और समुद्री मछलियों तथा पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाए। अंत में, मछुआरों के समुचित जीविकोपार्जन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और उन्हें मत्स्यन कार्य से अवकाश के दौरान थोड़ी–बहुत राहत देने पर भी विचार किया जाए।

[हिन्दी]

(चार) उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, आज के वातावरण में विकास के लिए बिजली की अहम् भूमिका है। उत्तर प्रदेश में 2,600 मैगावाट की बिजली की जरूरत है। जिसे हाइडल, थर्मल और नैशनल पॉवर ग्रिड से खरीद कर पूरी की जाती है, किन्तु आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1,800 मैगावाट बिजली कम आपूर्ति हो रही है। जिसका परिणाम है कि

प्रदेश के अलग–अलग भागों में चार घंटे तक बिजली कटौती जारी है। एम.टी.पी.सी. का 4000 करोड़ रुपया बकाया है जिसकी अदायगी न करने के कारण एन.टी.पी.सी ने बिजली की सप्लाई न करने का फैसला किया है। दरअसल बिजली की समस्या कीमतें बढ़ाकर अधिक राजस्व प्राप्त करने से हल होने वाली नहीं हैं वरन् जो चोरी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन तथा ट्रांसमीशन में हानि होती है उसे रोकने की जरूरत है। अतः मेरा सुझाव है कि राज्य विद्युत बोर्ड की कार्य–कुशलता को बढ़ाया जाए और वर्तमान बिजली के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करनी होगी वहीं दूसरी ओर इसकी उत्पादन लागत को भी सस्ता करना होगा।

[अनुवाद]

(पांच) वित्तीय असंतुलन दूर करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए ब्याज की अदायगी स्थगित करने के सुझाव को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : महोदय, उड़ीसा सरकार कठिन वित्तीय संकट से गुजर रही है। राज्य द्वारा अर्जित राजस्व का लगभग 120 प्रतिशत तो ब्याज का भुगतान करने और उडीसा की संचित निधि से प्राप्त राशि का लगभग 180 प्रतिशत कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने में व्यय हो जाता है। राज्य को अपना खर्च चलाने के लिए उच्च ब्याज–दर पर लिये गये बडे–बड़े, ऋणों पर निर्भर रहना पड रहा है। ऐसे में सड़क, रेल, विद्युत, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य–परिचर्या आदि क्षेत्रों की आधारसंरचना का विकास करने के लिए राज्य के पास आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों उपलब्ध कराने की विषम प्रणाली से पिछडे राज्यों को और कई वर्ष पीछे ढकेल दिया है।

योजनागत–सहायता में 70% भाग ऋण राशि तथा 30% भाग अनुदान राशि संबंधी गाडगिल–सूत्र से वित्तीय परेशानियां बढ़ी ही हैं। पांच वर्ष के लिए ब्याज का भुगतान अधिस्थगित कर देने से वित्तीय संतुलन की स्थिति अपनी पटरी पर आ जायेगी और विकास–प्रक्रिया को भी त्वरित करने में सहायता होगी तथा इससे, पूर्वोक्त अवधि के पश्चात, राज्य अपनी समर्थता अनुभव कर सकेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस सुझाव पर अविलम्ब विचार किया जाए।

(छह) नागपुर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, सरकार ने विमानन क्षेत्र में बड़े सुधार करने का निर्णय लिया है, साथ ही, चार महानगरीय विमानपत्तनों की वर्तमान संरचना में सुधार करने, 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने और लघु तथा अर्थक्षमताविहीन ढंग से प्रबंधित विमानपत्तनों के विकास में निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय किया है। इस निर्णय से उपेक्षित रहे आये विमानपत्तनों को समुचित रूप से विकसित करने की ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की स्थिति बनेगी।

नागपुर विमानपत्तन को 'बनाओ' चलाओ और सौंपे' (बी. ओ.टी.) आधार पर एक अंतरराष्ट्रीय बहुविधा सम्पन्न–केन्द्र के रूप में विकसित करने विषयक प्रस्ताव को महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और इसे केंद्र सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा है। अंतराष्ट्रीय विमानमार्ग पर नागपुर बहुत महत्व के स्थान पर व्यवस्थित है। भारतीय उप–महाद्वीप में इसकी यह अनूठी केंद्रीय स्थिति स्वतः ही इसे एक महत्वपूर्ण यात्री और मालवहन–केन्द्र बना देती है। देश भर में यह 100 से अधिक नगरों से जुड़ा है और वायुमार्ग से यहां एक से डेढ़ घण्टे में पहुंचा जा सकता है। यहां का पर्यटन उद्योग भी बडी संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की अच्छी क्षमता रखता है।

अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि नागपुर विमान–पत्तन को–यात्री यातायात का मालवहन, दोनों के लिए ही–अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में घोषित किया जाए और यहाँ से अंतराष्ट्रीय विमानों के उतरने और उड़ान भरने के सभी आवश्यक प्रबंध किये जायें। विदर्भ क्षेत्र की जनता को हर्ष होगा यदि प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय बहुविधासम्पन्न विमानपत्तन को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की स्मृति को समर्पित करके इसका नाम "दीक्षाभूमि अंतरराष्ट्रीय नाभिक विमानपत्तन" रखा जाये।

(सात) मुम्बई विमानपत्तन, कुर्ला के समीप गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, नागर विमानन मंत्रालय का ध्यान मुंबई विमानपत्तन, कुर्ला के समीप रहने वाले 1,450 झुग्गीवासियों के पुनर्वास में हो रहे विलम्ब की

ओर आकृष्ट करना है। इन परियोजनाओं की वजह से विस्थापित हो रहे व्यक्ति पुनर्वास के लिए तैयार हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी से यह समस्या उत्पन्न हो रही है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इससे पूर्व कि मानसून की वर्षा आरंभ हो जाए, इन्हें पुनर्वासित करने के लिए कदम उठाये जायें।

अपराह्न 12.20 बजे

[हिन्दी]

सामान्य बजट, 2002-2003–अनुदानों की मांगें

(एक) कृषि मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कृषि मंत्रालय से संबंधित माँग सं. 1 से 3 पर चर्चा और मतदान करेगी। सभा में उपस्थित जो–जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव रखना चाहें। वे पटल तक 15 मिनट के भीतर, अपने कटौती प्रस्ताव के क्रमांक को दर्शाते हुए, पर्चियां भेज दें। इनको प्रस्तुत माना जायेगा। इन तीनों मांगों, अर्थात्, मांग सं. 1 से 3, पर सायं 6 बजे तक चर्चा होगी। माननीय सदस्यों को पता ही है कि सायं 6 बजे गिलोटिन होना है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 3 के सामने दिखाये गये मांग–शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 दिखाई गई राजस्व–लेखा तथा पूंजी–लेखा संबंधी राशियों से अनधिक, सम्बंधित राशियाँ भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए वर्ष 2002–2003 के लिए
कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	दिनांक 20 मार्च, 2002 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांगों की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
		रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	539,76,00,000	36,16,00,000	1553,61,00,000	150,27,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	249,80,00,000	–	1249,00,00,000	–
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	71,70,00,000	3,89,00,000	358,52,00,000	19,44,00,000

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं आपकी एक टिप्पणी चाहता हूं। महोदय, इससे हमें सहायता मिलेगी। कल हमने चर्चा की और सभी इस बात से सहमत हुए कि निर्धारित समय पर हम गिलोटिन करेंगे। महोदय, कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान–मांगों पर होने वाली चर्चा में हिस्सा लेने के लिए प्रत्येक दल से अनेक वक्ता हैं। यदि सभा की सहमति हो, तो हम चर्चा अभी शुरु कर दें और भोजनावकाश न करें ताकि बकाया मांगों को गिलोटिन करने से पूर्व कुछ और वक्ताओं को मौका मिल सके। अन्यथा, यदि भोजनावकाश होगा तो कुछ लोग अपनी बात कहने से वंचित रह जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने कार्य मंत्रणा समिति में यह

निर्णय लिया है और सभा ने इसे समर्थन दिया है। अतएव, आज हम भोजनावकाश नहीं रखेंगे। भोजन तो करेंगे, लेकिन भोजनावकाश नहीं कर रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे कह दिया कि लंच ऑवर खत्म किया जाये। संसदीय कार्य मंत्री ने कल एक कागज पढ़ा, लेकिन सदन को जानकारी नहीं हुई, लेकिन उसको सदन की सहमति मान ली गयी। यह प्रक्रिया ठीक नहीं है। जीरो ऑवर भी खत्म और लंच ऑवर भी खत्म, हम लोगों के अधिकार खत्म तो फिर क्या बचा?... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अधिकार बचाने के लिए ही इधर हैं, खत्म करने के लिए नहीं हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज नहीं आनी चाहिए। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। सदन के अधिकार और सदस्यों के अधिकार अनजाने में खत्म..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का अधिकार बरकरार रखना हमारा कर्त्तव्य है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप आये थे या नहीं, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसमें से हमारा नाम जान बूझकर काट दिया है। इसलिए हम अपनी ताकत का प्रयोग इस सदन में करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय किया गया है कि आज न तो जीरो ऑवर होगा और न ही लंच ऑवर होगा। लंच तो होगा लेकिन लंच ऑवर नहीं होगा।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम इनके खिलाफ बोला करते थे, इसलिए हमारा नाम काट दिया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे हमारा नाम इस सदन से कैसे काटेंगे?...*(व्यवधान)* हमारा फर्ज बनता है कि हम सदन के सदस्यों के गौरव के लिए और जनता के करोड़ों सवालों के लिए इस सदन में लड़ते रहेंगे, मजा चखाते रहेंगे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने शुरूआत करने के लिए श्री शिवराज वि. पाटील का नाम बुलाया है।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम कृषि पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ–साथ हमें एनीमल हस्बैंड्री, फिशरीज और हार्टिकल्चर पर भी विचार करना जरूरी है। हमने कृषि और दुग्ध व्यवसाय में प्रगति की है लेकिन मत्स्य व्यवसाय और फल उत्पादन में प्रगति नहीं की है। इसके ऊपर यदि सदन में पूरी तरह से विचार नहीं होगा तो यह चर्चा अधूरी रह जायेगी। सरकार ने कृषि नीति बनाई है। ऐसा कहा गया कि पहली बार कृषि नीति बनाई गई है, यह बात सही नहीं है। स्वर्गीय श्री राजीव जी के जमाने में कृषि नीति बनाई गई थी जो इस सदन में पेश की गई थी। उसके पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जमाने में कृषि नीति बनाई गई थी जिसकी वजह से हमारे यहां अन्न का उत्पादन बढ़ा था। उसके पहले स्वर्गीय श्री नेहरू जी के जमाने में कृषि नीति बनाई गई थी जिसकी वजह से जो जमीन कुछ लोगो के हाथ में थी, वह सब लोगों में बांटी गई। उसकी वजह से हमारा उत्पादन बढ़ा। जो चाहे आप कह सकते हैं लेकिन जो कृषि नीति आई है, मेरी दृष्टि में उसका विचार स्टैंडिंग कमेटी में किया गया है। स्टैंडिंग कमेटी ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि आपने नीति बनाई है उसके अंदर कुछ कमियां भी हैं। मगर स्टैंडिंग कमेटी ने एक अहम बात यह कही है कि एक्शन प्लान बनाइए। कृषि नीति पर अमल करने के लिए आप एक प्लान बनाइए और जो प्लान बनाएंगे, वह केवल यहां की सरकार नहीं बनाए बल्कि प्रान्तों की सरकारों के साथ बात करके वह एक्शन प्लान बनाना चाहिए। अगर इस प्रकार का एक्शन प्लान नहीं बनता तो कृषि पर अमल करने का काम राज्य सरकारों को करना पड़ता है और अगर उसमें राज्य सरकारों के विचार नहीं पाए गए तो यह मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सदन में कहना चाहेंगे कि जो नीति बनाई गई है, वह कागज पर नहीं रहनी चाहिए, उस पर अमल करना जरूरी है।

यहां स्टैंडिंग कमेटी की बहुत सारी रिपोर्ट हैं। समय की कमी की वजह से हम सारे मुद्दों पर यहां चर्चा नहीं कर सक रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट एग्रीकल्चर, एनीमल हस्बैंड्री, फिशरीज़, हार्टीकल्चर और मिल्क प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री के बारे में भी है। रिपोर्ट में जो रिकमैंडेशन्स की गई हैं, वह बहुत अच्छी हैं, ऐसा मुझे लगता है। हमारी यह अपेक्षा है कि इसके ऊपर सरकार की ओर से अमल हो। अगर इन रिकमैंडेशन्स पर पूरी तरह से अमल हो तो मैं समझता हूं कि हम इन क्षेत्रों में काफी प्रगति कर सकते हैं।

एक बहुत आम बात रिपोर्ट में यह बताई गई है कि कृषि को जितना पैसा देना चाहिए, उतना नहीं दिया गया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ओर से जितने पैसे की मांग की गई थी, उनको फाइनैंस मिनिस्ट्री से उतना पैसा नहीं मिला। स्टैंडिंग कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं दिया जाएगा तो दस साल के अंदर अनाज और दूसरी चीजों का उत्पादन दुगना करने का आपका जो लक्ष्य है, उसे आप पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पैसा देना चाहिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां खड़े होकर यह नहीं कह सकेंगे कि फाइनैंस मिनिस्टर ने मुझे पैसा नहीं दिया है क्योंकि यह बात वे कैबिनेट में चर्चा करके कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ज्यादा पैसा मांग रहे हैं तो हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए जितना पैसा दिया गया है, वह कम है, उससे ज्यादा पैसा देना चाहिए। पैसा कितना कम होता गया, कितनी मात्रा में कम होता गया, यह भी हमको लग रहा है। कृषि की उपज बढाने के लिए कुछ चीजें करना बहुत जरूरी हैं जिनमें सिंचन, नए बीज, खेती के लिए नए प्रकार के औजार, खाद और कर्ज देना है। इरीगेशन की व्यवस्था, बीज, औजार और खाद के बारे में यहां हमेशा चर्चा होती आई है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इरीगेशन पर, खास कर नेहरू जी और इंदिरा जी के जमाने में जितना पैसा खर्च किया जाता था, उतना आज नहीं हो रहा है जिसका कारण यह है कि हमारी कृषि का उत्पादन जिस मात्रा में आगे जाना चाहिए, वह नहीं जा रहा है। उसमें हमको रेट ऑफ ग्रोथ कम नजर आती है। यदि ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों बाद हमारा एग्रीकल्चर का रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगा और उस पर ध्यान देना पड़ेगा।

सबसे अहम बात कर्जे की है। आज जो कर्जा दिया जा रहा है, बैंक नैशनलाइजेशन से पहले 200 करोड़ रुपये दिया जाता था लेकिन नैशनलाइजेशन के बाद कर्जे की रकम बढ़ कर सड़सठ हजार करोड़ रुपये (67,000) खेती के लिए कर्जे के रूप में हम दे रहे हैं। लेकिन जब हम सड़सठ हजार करोड़ रुपये के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ी रकम है। क्या सही मायने में यह बड़ी रकम है। अगर 5, 10, 12 लाख करोड़ रुपये दूसरे काम के लिए दिए जाते हैं और सड़सठ हजार करोड़ रुपये का कर्जा कृषि के लिए दिया जाता है। कृषि पर 75 प्रतिशत लोग जीते हैं और 100 प्रतिशत लोगों को अनाज दिया जाता है, तो क्या यह 67 हजार करोड रुपया जो कर्ज के रूप में दिया जा रहा है, वह काफी नहीं है, इस पर सोचना चाहिए। पहले की सरकारों ने और इस सरकार ने भी कई नियम बनाए हैं। पहले की सरकार ने नियम बनाया था कि 18 प्रतिशत कर्ज खेती में दिया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि बैंकों की तरफ से यह नहीं दिया जा रहा है और छः या सात प्रतिशत कर्ज भी कुछ बैकों ने नहीं दिया है। इसको देखकर ऐसा नियम बनाया गया कि नाबार्ड को बैंकों की तरफ से यह पैसा दिया जाए। अगर किसी बैंक ने कर्ज के रूप में किसान को पैसा नहीं दिया है तो वह नाबार्ड को दिया जाए और उसकी तरफ से वह पैसा कर्ज के रूप में काश्तकारों को दिया जाए। लेकिन दुख की बात है कि नियम बनाने के बाद भी नाबार्ड की तरफ से भी यह पैसा किसानों को नहीं दिया जा रहा है। क्या आपके अपने बनाए हुए नियम पर अमल नही हो रहा है, क्या सरकार इसकी ओर नहीं देखेगी, अगर नहीं देख रही है और अपने आदेशों पर अमल नहीं कर रही है और उसके लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है तो क्या इस सरकार को अच्छा कहा जा सकता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। मेरी दृष्टि में कर्ज के मामले में बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। 67 हजार करोड़ रुपया शायद ज्यादा लगता होगा, लेकिन कृषि के लिए वह काफी नहीं है। अगर हम पांच साल में दो लाख करोड़ रुपया भी दें तो वह ज्यादा नहीं होगा।

किसानों को माफिक भाव नहीं मिल रहा है, इस पर काफी चर्चा होती है। अनाज किसान पैदा करता है। जब वह अपना माल बाजार में ले जाता है तो उसका भाव गिर जाता है। जब काश्तकार के हाथ से माल बाजार में चला जाता है और खाने वाले लोग उसे खरीदते हैं तो उसका भाव बढ जाता है। इसका क्या मतलब है, यह हम सभी जानते हैं। जो उत्पादन करता है, उसको भी उचित भाव नहीं मिलता और जो उपभोक्ता खरीदता है, उसको भी सस्ते भाव पर नही मिलता, बीच का आदमी सिर्फ दुकान में बैठकर यह सब कर रहा है। इसको कैसे रोका जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है।

[श्री शिवराज वि. पाटिल]

कुछ राज्य सरकारों ने प्रोक्योरमेंट स्कीम बनाई है। वे काश्तकारों से एक भाव पर माल लेती हैं और दूसरे भाव पर उपभोक्ता को माल बेचती हैं। अगर किसान को पैसा कम मिल रहा है तो वह उसे कम देकर उपभोक्ता को भी उसी भाव पर माल देती हैं। अगर काश्तकार को लाभ होता है, तो वह उसका रेशा निकाल कर उपभोक्ता को वह माल देती हैं। महाराष्ट्र में प्रोक्योरमेंट स्कीम चल रही है, केरल में भी थी और कुछ अन्य जगह भी है। मगर इस स्कीम को पूरी तरह से अमल में नहीं लाया जा रहा है। उसकी वजह से यह हालत हो गई है कि प्रोक्योरमेंट स्कीम ही नष्ट हो रही है। काश्तकार बहुत पैसा मांग रहा है, सरकार बहुत पैसा दे देती है। उसका बोझ सरकार पर पड़ता है। जब सरकार पर बोझ पड़ता है तो वह कहती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इस योजना को स्क्रैप कर देंगे। ज्यों ही स्कीम स्क्रैप होगी, तो बाजार में दाम घटेंगे और काश्तकार किसी के पास भी जाकर पैसा नहीं ले सकेगा। मैं कहता हूं कि देश के स्तर पर एक प्रोक्योरमेंट स्कीम बनाए जाने की जरूरत है। हर राज्य में इसको लागू करने की जरूरत है। लागू करते समय माफिक भाव किसान को दिया जाए और खाने वाले को भी सही भाव पर माल मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रोक्योरमेंट स्कीम नष्ट हो जाएगी और इससे किसान को नुकसान होगा।

मैं एक उदाहरण के रूप में सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर सही मायनों में आप चाहते हैं कि काश्तकार को माफिक दाम मिले और खाने वाले को भी माफिक दाम पर माल मिले तो प्रोक्योरमेंट स्कीम अमल में लाई जाए। इससे सरकार पर भी बोझ नहीं पडेगा और काश्तकार तथा उपभोक्ता को भी फायदा होगा इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है।

यहां पर कहा जा रहा है कि अनाज के भाव कम हो रहे हैं। आसानी से कह दिया जाता है कि विश्व व्यापार संगठन की वजह से ऐसा हो रहा है। यह बात सही है कि बाहर से जब अनाज आएगा और कास्ट आफ प्रोडक्शन बाहर के माल की कम होगी तो उसका थोड़ा असर यहां पड़ेगा। लेकिन इसको इस ढंग से नहीं देखना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन का जो एग्रीमेंट है, उसका पूरा अध्ययन करके देखना चाहिए कि जो किसान हैं, उनको किस प्रकार से संरक्षण हम दे सकते हैं। कामर्स मिनिस्टर ने एक योजना बनाई है, परसों ही दी है। यह समझा जा रहा है कि कामर्स मिनिस्टर की स्कीम से यहां के माल को निर्यात कर सकेंगे। यह कह रहे हैं कि हमने आपको इजाजत दे दी है और एक्सपोर्ट बाद में हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, क्योंकि जो काश्तकार है, वह छोटा है। 50 एकड़ से ज्यादा किसी के पास आजकल जमीन नहीं है तो वह पचास एकड़ का मालिक अपना माल बाहर देश में ले जाकर नहीं बेच सकेगा। अगर बेचना है तो को–आपरेटिव सोसायटीज के द्वारा बेचना पड़ेगा या सरकार के द्वारा बेचना पड़ेगा या ट्रेडर को उसके अंदर हस्तक्षेप करके माल खरीदना पड़ेगा। अगर सही मायनों में माल बाहर देशों में भेजना है तो काश्तकार के माफिक दर देनी है तो सिर्फ यह कहना कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं, काफी नहीं है। उसके लिए उसको कर्जा देना, उसका अच्छा माल बनाना, वह माल ले जाना और वहां पर एक्सपोर्ट, सी–पोर्ट पर ट्रांसपोर्ट करके दूसरे देशों में कहां भेजा जा सकता है, वहां पर ले जाकर बेचना, वह आया हुआ पैसा काश्तकार को देना, उसकी पूरी योजना बनाना जरूरी है। मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की योजना 1983 में जब मैं फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री में था, हमने बनाई थी। आज भी वह रिकार्ड पर है। उसके ऊपर आप अमल करेंगे तो अच्छा रहेगा।

यह आपका उद्देश्य है कि कृषि से निकला हुआ माल बाहर देशों को भेजना होगा। उसका फायदा आपको भी और दूसरों को भी हो सकेगा। ऐसा करना जरूरी है। अब यहां पर आजकल बीटी काटन की चर्चा चल रही है और सरकार ने कहा है कि कुछ जगहों पर बीटी कॉटन का उपयोग किया जा सकता है। हमने देखा है कि जब कॉटन की उपज कम हो जाती है और खर्च बहुत बढ़ जाता है तो कुछ काश्तकारों ने आत्महत्या भी की है। हमारी नेता ने खासकर कर्नाटक में जाकर देखा है कि क्या तकलीफ हो रही है और हमने सोचा है कि क्या करना चाहिए। अब बीटी कॉटन के बारे में लोग अलग–अलग ढंग से अपने– अपने विचार यहां रख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह अच्छा है और दूसरे लोग कहते हैं कि भयानक है मगर जब नई चीजें यहां करने की कोशिश की जाती है। तो लोग भयानक बताते हैं। अगर कोई भयानकता या उसमें नुकसान देने वाली कोई चीज है तो उसको समझना चाहिए और वह नुकसान न हो, उसके लिए कदम उठाना जरूरी है। इसलिए बीटी कॉटन का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और हम करेंगे। उसके साथ–साथ कृषि का उत्पादन सही मायनों में बढ़ाना है तो हमें देखना होगा कि कृषि में जो औजार उपयोग में लाये जाते हैं, वे मैकेनिकल ईक्विपमेंट्स देना जरूरी है। यहां बहुत जगह चर्चा होती है कि इम्पलीमेंट्स

आने से क्या एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा? यह चर्चा शुरू हो जाती है कि मौडरनाइजेशन और मैकेनाइजेशन से एम्प्लायमेंट पोटेंशियल कम हो जाएंगे, इस प्रकार की चर्चा होती है मगर मैं बडे अदब से कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता। जब इम्पलीमेंटेस लाते हैं, उनका उपयोग होता है और एम्पलॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए होता है। पंजाब के अंदर ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। अगर ट्रैक्टर नहीं होता तो पंजाब का किसान साल में तीन फसल नहीं उगा सकता था क्योंकि जमीन जोत नहीं सकता था, बीज बो नहीं सकता था और फसल काट नहीं सकता था। तीन महीने में काम पूरा नहीं हो सकता था, साल में तीन फसलें नहीं ले सकता था। लेकिन आज पंजाब के अंदर यह हो रहा है। इसका मतलब एक से दो पर और दो से तीन क्रॉप पर हम जाएंगे तो एम्पलॉयमेंट जरूर बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखकर हमें मौडरनाइजेशन और मैकेनाइजेशन करना बहुत जरूरी है। जैनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में सारे संसार के अंदर चर्चा चल रही है और यह बड़ी खुशी की बात है कि जैनेटिक वेल्थ हमारे पास बहुत है और इस जैनेटिक वैल्थ का उपयोग हम कृषि को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, दवाइयां बनाने के लिए कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर भी उसके रोग को कम करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जैनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर जितना खर्चा होना चाहिए, इतना नहीं हो रहा है। राजीव जी के जमाने में जैनेटिक इंजीनियरिंग का विभाग यहां पर बना है, उस विभाग का काम चल रहा है। कुछ काम उन्होंने किया है और कुछ काम वह नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा मगर जो पैसा दिया जा रहा है, जिस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। इसलिए एक क्षेत्र में जिस तेजी से बढना चाहिए, नहीं बढ रहे हैं। इलैक्ट्रोनिक और जैनेटिक–दो क्षेत्र ऐसे हैं, जिनके रिसोर्सेस हमारे देश में बहुत हैं। जैनेटिक मेटिरियल हमारे देश में बहुत है। हिमालय में है, वैस्टर्न घाट में है और ईस्टर्न घाट में है और देश के दूसरे हिस्सों में है। अगर इस नैसर्गिक सम्पदा का अच्छी तरह से उपयोग नहीं करेंगे, तो इसका दोष भी हमें ही लगेगा। इसलिए जैनेटिक के ऊपर ज्यादा विचार करने की जरूरत है।

अंत में, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। अन्य चीजों के बारे में अन्य माननीय सदस्य अपनी बात कहेंगे। अगर हमें कृषि पर विचार करना है, तो हमें आज की कृषि पर विचार करना पड़ेगा। दस साल आगे आने वाली और पचास साल के बाद की स्थिति पर विचार करना पड़ेगा। अगर हमने इस पर विचार नहीं किया, तो इसका बुरा असर होगा और इसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर होगी। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन की फर्टिलिटी यानि ताकत कम हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, सरकार के बीच में या बाहर, कि इस पर विचार नहीं हो रहा है कि इस समस्या को कैसे देखा जाए। जमीन की ताकत जिस प्रकार से कम हो रही है, इस पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पानी की समस्या भी एक अहम सवाल है। आज हम अनाज दे सकें हैं, लेकिन पीने का पानी नहीं दे सके हैं। अगर पीने का पानी नहीं दे सके, तो कृषि के लिए पानी कैसे देंगे। अधिक से अधिक पानी का उपयोग जिस तरह से दूसरे देशों में किया जा रहा है, एक–एक बूंद पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। जिस तरह से आदमी को इन्जैक्शन दिया जाता है, उसी तरह से पानी का इन्जैक्शन पर विचार किया जाए, लेकिन उस हद तक हम नहीं जायेंगे। यह सोचने की जरूरत है कि पानी का उपयोग कैसे किया जाए।

तीसरा बिन्दु, जो कृषि से संबंधित है, वह है साइंटिफिक नालेज और टैक्नीकल नालेज। इन नालेज को एग्रीकल्चर के लिए बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा देना बहुत जरूरी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आईसीएआर में लोग काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मगर उनकी अड़चन यह है कि जितना पैसा उनको मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता है। जिस प्रकार के साधन उनको मिलने चाहिए, वे नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार की दिशा उनको मिलनी चाहिए, वह दिशा उनको नहीं मिलती है। इस वजह से जो महत्वपूर्ण काम वे करना चाहते हैं, वह नहीं हो पाता है और उसका असर एग्रीकल्चर पर होता है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जितना कि दूसरी तरफ दिया जा रहा है। इसका असर आज नहीं तो कल हमें देखने को मिलेगा। इन्डस्ट्रीज बढ़नी चाहिए, ट्रेड बढ़ना चाहिए, साइंस एंड टैक्नोलाजी, रिसर्च एंड डेवलमेंट होना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर को नैगलैक्ट करके देश के लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं। इसलिए एक सर्वांगीण विकास की कृषि नीति बनाकर ईमानदारी से उस पर अमल करना चाहिए। आपने जो नीति बनाई है, वह परिपूर्ण नहीं है। उसमें खामियां हैं। यदि आप कृषि के क्षेत्र में मदद करेंगे, तो अपने देश की मदद होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

कटौती प्रस्ताव

नीति निरनुमोदन

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये :

घरेलू कृषि उत्पाद पर आयात के विपरीत प्रभाव को रोके जाने में असफलता। (1)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये :

कृषि के बुनियादी ढांचे में सुधार करने में असफलता। (2)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये :

ग्राम स्तर पर किसानों के लिए विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में असफलता। (3)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये :

देश में किसानों के लाभ के लिए एक ठोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम बनाने में असफलता। (4)

कि कृषि मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके, 1 रुपया किया जाए :

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में गिरावट को रोके जाने में असफलता। (32)

कि कृषि अनुसंधान और शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये :

फसलों की लाभप्रद किस्मों के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने में असफलता। (45)

कि पशुपालन और डेरी कार्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये :

चारा और पशु खाद्य के उत्पादन का विकास और उसमें वृद्धि किए जाने में असफलता। (48)

नीति निरनुमोदन

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

छोटे स्तर पर कृषि को लाभप्रद बनाने में असफलता। (5)

देश में भूमिहीन कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने में असफलता। (6)

नीति निरनुमोदन

श्री शमशेर सिंह दूलो : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अतर्गत माग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

कृषि क्षेत्र की लक्षित वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफलता (7)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

उर्वरकों और अन्य निवेशों की कीमतों में तीव्र वृद्धि को रोकने में असफलता, जिसके कारण कृषि कार्य अत्यधिक अलाभप्रद हो गया है। (8)

नीति निरनुमोदन

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अतर्गत माग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

किसानों द्वारा उत्पादों की मजबूरन सस्ते दरों पर बिक्री रोकने में असफलता। (9)

कृषकों को पर्याप्त और समय से ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने में असफलता। (10)

नीति निरनुमोदन

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

खाद्यान्न के भण्डारण के लिए कृषकों को ऋण/प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाने में असफलता। (11)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

जैव उर्वरकों के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने में असफलता। (12)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

वर्षा आधारित कृषि के लिए राष्ट्रीय जलसंभरण विकास कार्यक्रम को मजबूत बनाए जाने में असफलता। (13)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

देश में सहकारिता आन्दोलन को मजबूत बनाये जाने में असफलता। (14)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजसहायता जारी रखने में असफलता। (15)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

ऋण ग्रस्त कृषकों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने में असफलता। (16)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

जूट उत्पादकों से लाभकारी मूल्य पर जूट की खरीद के लिए आवश्यक संरचना/प्रणाली उपलब्ध कराये जाने में असफलता। (17)

नीति निरनुमोदन

श्री बलबीर सिंह (जालंधर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति को जारी रखने में असफलता। (19)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने में असफलता। (20)

नीति निरनुमोदन

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

कृषि को उद्योग के रूप में घोषित किये जाने में असफलता (21)

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

नारियल पेड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारियों, जिससे पूरे देश के, विशेषकर केरल के नारियल उत्पादकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, के लिए प्रभावी उपाय विकसित किए जाने में विफलता। (26)

सांकेतिक

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु. कम किए जाए।

किसानों द्वारा कृषि उत्पाद की मजबूरन सस्ती दरों पर बिक्री रोके जाने की आवश्यकता। (22)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु. कम किए जाएं।

कृषि उत्पादों के मूल्यों पर विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के प्रभावों को रोके जाने की आवश्यकता। (23)

नीति निरनुमोदन

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि कृषि मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए : –

किसानों के अनुकूल ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने में असफलता। (33)

कि कृषि मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को तत्काल और समय से भुगतान सुनिश्चित किए जाने में असफलता। (34)

कि कृषि मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

सरकारी और निजी क्षेत्रों में खाद्यान्नों के लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध कराए जाने में असफलता। (35)

कि कृषि मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

बदलती हुई आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप फसल में परिवर्तन करने तथा उनमें विविधता लाने के लिए किसानों को दिशानिर्देश दिए जाने में असफलता। (36)

कि कृषि मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के अंतर्गत आयातित कृषि उत्पादो की भरमार से किसानों को बचाने में असफलता। (37)

कि कृषि मत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए

किसानों द्वारा अपने उत्पाद को मजबूरन सस्ती दरों पर बेचे जाने से रोकने में अफसलता। (38)

सांकेतिक

कि कृषि मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग 100 रुपये कम किये जाए :

किसानो के अनुकूल ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने और ऋणग्रस्त किसानों द्वारा आत्महत्याओं को रोके जाने की आवश्यकता। (39)

कि कृषि मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग 100 रुपये कम किये जाए .

जैव उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (40)

कि कृषि मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग 100 रुपये कम किये जाए :

किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (41)

कि कृषि मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग 100 रुपये कम किये जाए :

सचल बैंकिंग द्वारा किसानों को उनके घर पर ही ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (42)

कि कृषि मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग 100 रुपये कम किये जाए :

दालों और खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाए जाने की आवश्यकता। (43)

कि कृषि मंत्रालय शीर्ष के अतर्गत मांग 100 रुपये कम किये जाए :

चना सहित मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (44)

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

किसानों को विशेषकर जैव विविधता के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान में सहज पहुंच उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (46)

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

कृषि उत्पाद के भंडारण हेतु प्रदीपन तकनीक को बढावा दिए जाने की आवश्यकता। (47)

नीति निरनुमोदन

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

प्राकृतिक विपदाओं और राष्ट्रीय आपदाओं के विरुद्ध किसानों की रक्षा में विफलता। (57)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए :

व्यापक फसल बीमा योजना उपलब्ध कराए जाने में असफलता। (58)

सांकेतिक

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

कोवरी डेल्टा, जहां भारी बेमौसमी वर्षा ने कटे हुए और पके हुए धान और अन्य फसलों को बर्बाद कर दिया है, में किसानों के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता पहुंचाये जाने की आवश्यकता। (59)

सांकेतिक

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

सहकारी प्राथमिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (81)

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

शिवगंगा में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्कता। (82)

कि पशुपालन और डेरी कार्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग 100 रुपये कम किए जाएं।

किसानों की सहायता के लिए शिवगंगा में पशुपालन और डेरी कार्य अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (83)

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कृषि की अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है। सारा देश जानता है और वास्तविकता यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है । इस देश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुडी हुई है। खेती पर, चाहें किसी की भी सरकार रही हो, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। 1951 में उद्योग नीति बनी थी, लेकिन उसके 51 साल के बाद, पिछले साल कृषि नीति बनी। यदि 1951 में उद्योग नीति के साथ कृषि नीति बन जाती तो आज किसानों की यह हालत न होती, जो आज हो रही है। मैं इस सरकार को इस बात के लिए जरूर बधाई देना चाहता हूं, 51 साल के बाद ही सही, किसानों के लिए कृषि नीति तो बनी।

आप जानते हैं कि किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। हर वर्ष किसी न किसी रूप में सदन में इस पर बहस होती है, बहुत से अच्छे सुझाव भी आते हैं, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकलते। आज 54 साल की आजादी के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई ज्यादा सुधार नहीं आया है, क्योंकि हमारे देश की जियोग्राफीकल स्थिति ऐसी है कि कहीं बाढ़ है, और कहीं सूखा है, कहीं फसलों पर बीमारी लग जाती है, कोई न कोई कारण जरूर रहता है कि हमारे देश के किसी न किसी प्रदेश के किसान भुखमरी के शिकार होते हैं। यदि लगातार 50–51 साल से इस पर कोई योजना बनाई जाती, जिन इलाकों में फ्लड आता है, वहां के पानी को सूखे इलाकों में भेज देते तो इस समस्या का हल हो सकता था। लेकिन यहा हर मामला राजनैतिक बन जाता है। स्टेट टू स्टेट झगडे चल रहे हैं। यह बहुत भयंकर मामला है, इसके लिए कोई ठोस नीति बननी चाहिए, जो इलाके सूखे हैं उन्हें पानी मिले और जहा फ्लड से फसलें बर्बाद होती हैं, उन्हें रोकने का प्रबंध हो। इस तरफ सरकार को ठोस ध्यान देना चाहिए।

दूसरी प्रोबलम बाजार की है। अनाज गोदामों में भरा पड़ा है, लेकिन किसान को उसका ठीक भाव नहीं मिल रहा है। अब तो यह स्थिति बन गई है कि उनके स्टोरेज की जगह भी कहीं नहीं है। आप हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में देखिए, वहां खेतों में अनाज भरा पड़ा है, उन्हें रखने की कोई जगह नहीं है। इसके लिए भी हमें कोई न कोई इंतजाम करना चाहिए। अजीत सिंह जी यहां पर बैठे हैं। ये किसान परिवार से हैं और किसानों के नेता भी हैं, इन्हें मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अगर इन्हें किसान का भला करना है तो किसान की फसल बोने से पहले उसके भाव तय हो जाए तो किसान अपनी मर्जी की फसल बो सकता है। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ तय कर देती है, फसल मंडी में आ जाती है, लेकिन मंडी में उसे खरीदने वाला नहीं मिलता। इसलिए पहले भाव तय करने चाहिए। अगर ऐसा

[श्री किशन सिंह सांगवान]

सिस्टम बना लें तो सारे देश के किसान अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार अपनी फसल बो सकें।

देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। होर्डिंग बहुत छोटी हो गई हैं। छोटे–छोटे किसान रह गए हैं, लोगों के पास जमीन नहीं रही। 22 प्रतिशत किसान एक एकड जमीन के मालिक हैं। 59.4 प्रतिशत किसान केवल ढाई एकड जमीन के मालिक हैं और 18.6 प्रतिशत केवल पांच एकड़ के मालिक हैं। इतनी छोटी होर्डिंग हो गई है, गुजारा करना मुश्किल है। इसलिए आबादी भी एक समस्या बन गई है। इसके लिए भी कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए। यह मामला बड़ा भयंकर है। गांवों में खेती के अलावा पशुधन भी बहुत बड़ी प्रोपर्टी है। खेती के साथ–साथ लोग अपने पशु भी पालते हैं। उनसे दूध एवं खाद भी मिलती है, लेकिन पशुधन की भी अनदेखी हो रही है। हम गांव के रहने वाले हैं, अब पशुधन की संख्या भी बहुत घट गई है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सन् 1952 के आंकड़ों के मुताबिक एक हजार आदमियों पर उस समय हमारा पशुधन 452 होता था लेकिन 1992 में, 40 साल के बाद, वह पशुधन केवल 232 रह गया है और उसके बाद के आंकडे आये नहीं हैं। हमारा पशुधन इतना नीचे जा रहा है, कम होता जा रहा है कि आने वाले समय में न तो हमें दूध मिलेगा और न ही चारा। किसान की इससे जो अतिरिक्त आमदनी थी वह भी खत्म होती जा रही है। इसलिए पशुधन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

खाद और डीजल पर सब्सिडी दी जा रही है पर उससे किसान संतुष्ट नहीं है। किसान की सब्सिडी घट रही है और उसके द्वारा उत्पादित चीजों के भाव भी घट रहे हैं। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का हमारे किसान के लिए बहुत महत्व है। भारत सरकार कई हजार करोड रुपये फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दे रही है। लेकिन वह जा कहां रही है, वह इंडस्ट्री में जा रही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो एफआईसीसी फर्टिलाइजर के प्राइस तय करता है उसको कंट्रोल करके जो सब्सिडी कारखानों को दी जा रही है उसकी आधी सब्सिडी भी अगर किसान को सीधे–तौर पर आप देंगे तो किसान का फायदा होगा। जो बिचौलिये हैं जो किसान के नाम पर सब्सिडी खा रहे हैं वे भी कम हो जाएंगे और किसान को खाद भी सस्ती मिलेगी।

आज कर्जे के नीचे किसान दबा जा रहा है। कई जगहों पर किसान भुखमरी और कर्जे की वजह से आत्महत्या कर रहा है। पंजाब और हरियाणा को तो खुशहाल प्रदेश माना जाता है लेकिन वहां भी 7600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान पर कर्जा है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के आंकड़े हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे प्रदेशों के किसानों का क्या हाल होगा? मेरा अनुरोध है कि किसान को सस्ती दर पर कर्जा मिलना चाहिए और दूसरी जगहों पर जो सब्सिडी दी जा रही है उस पर रोक लगनी चाहिए।

सरकार ने किसान के लिए क्रैडिट कार्ड बनाए हैं, लेकिन बैंक की कार्य–प्रणाली इतनी उलझन भरी है कि बैंक से साधारण किसान फायदा नहीं उठा पा रहा हैं। उसे कर्जा लेने के लिए सौ तरह की फोर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं और किसान बैंकों के धक्के खा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि किसान को सस्ती दर पर कर्जा मिले, इसके लिए बैंकों के सिस्टम में भी सुधार करने की आवश्यकता है।

आज बाजार में आप चले जाएं तो एक घंटे में आपको कार लोन पर मिल जाएगी लेकिन किसान के ट्रैक्टर के लिए बड़ी फार्मेलिटीज हैं और उन्हें पूरा करने में किसान को एक महीना लग जाता है। किसान को अपनी जमीन को प्लैज्ड करना पड़ेगा और दूसरी फार्मेलिटीज होने के बाद उसको कर्जा मिलता है। साथ ही उसको आम रेट से ज्यादा ब्याज पर कर्जा मिलता है। इस समस्या पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

कृषि अनुसंधान परिषद किसान की समस्याओं को सुधारने के लिए बनाई गयी थी लेकिन यह तो केवल एक ऑफिस बनकर रह गयी है। इसके काम के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। इसका जो उद्देश्य था उसे प्राप्त करने की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

माननीय अजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, किसान के बेटे हैं, सुलझे हुए आदमी हैं और किसान की समस्याओं को जानते हैं। इनको भगवान ने मौका दिया है कि ये किसानों के लिए कुछ करके दिखाएं। पानी–बिजली का मामला बहुत महत्व का मामला है। एसवाईएल नहर के ऊपर पंजाब और हरियाणा में जो डिस्प्यूट था वह सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया है लेकिन इसको इम्पलीमेंट करने की आज आवश्यकता है। बिजली–पानी के बंटवारे के ऊपर अगर राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफोर्मिटी हो जाए तो अच्छा रहेगा।

माननीय मंत्री जी को सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, इसलिए वह किसानों की समस्याओं के निदान के लिए कुछ करके दिखाएं–खाली कृषि–मंत्री बनकर न रहें बल्कि किसानों

के प्रतिनिधि बनकर रहें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री महबूब जहेदी (कटवा) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे इस सब्जैक्ट पर बोलने का मौका दिया। कृषि के बारे में बाहर और अंदर सब जगह बातें हो रही हैं कि किसानों के लिये एक ऑल इंडिया कृषि पालिसी पास हो गई है और इसमें चर्चा करके एग्रीकल्चर के लिये कुछ काम भी हो रहे हैं। यदि आप गौर फरमायेंगे तो मालूम होगा कि गरीब किसानों की कई समस्यायें इससे जुड़ी हुई हैं। यहां कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि कृषि में बहुत तरह की मिलावट हो गई है। मैं 4–5 बातें इस सदन के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं।

अभी श्री पाटिल जी ने बताया था कि बजटीय एलोकेशन बहुत कम हो रहा है और उसकी क्या हालत है? प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि दस साल में दो गुना कर देंगे। आप पानी, बिजली के बारे में बोलिये, नेशन के बारे में क्या बोलेंगे? एजुकेशन में आप दो गुना कर देंगे। कमीशन के सामने और सरकार के सामने नवें प्लान में 1000 करोड़ रुपये की मांग की गई है। आंकड़ों के मुताबिक 1997–98 में 531 करोड़ 1998–99 में 712 करोड़ लेकिन उनमें क्रमशः 445 करोड़ रुपया कट कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां क्या मिला? नवें प्लान के मुताबिक 323 करोड़ और 427 करोड़ रुपया मिला। हमने फिर मांग की है कि इस बार 1082 करोड़ मिलना चाहिए। यह एक बहुत मुश्किल काम है। कृषि के बारे में चारों तरफ बातें हो रही हैं। हम लोग तो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक्सचैकर में 26.8 प्रतिशत जी.डी.पी. में दे रहे हैं मगर उनको क्या मिला और क्या मिल रहा है? बजट एलोकेशन टू एग्रीकल्चर लौ प्रायरिटी में है। हर चीज में कम दिया जा रहा है। अगर हम रिसर्च में देखेंगे तो आई.सी.ए. आर. को कम मिल रहा है। जी.डी.पी. के हिसाब से 26.8 प्रतिशत हिस्सा दिया है लेकिन उन्हें क्या मिल रहा है। केवल 0.16 से 0.27 प्रतिशत दिया जा रहा है और यह प्राइसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हिसाब से दिया जा रहा है। इसलिये हम सरकार से कहते हैं और प्लानिंग कमीशन से हमारी मांग है कि यह एलोकेशन बढ़ाया जाये।

[अनुवाद]

मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति में था और मैं अभी भी उस समिति में कार्य कर रहा हूँ। सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि हमने कई बार कहा है कि हमें कृषि क्षेत्र के लिये सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत की आवश्यकता है।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

परंतु नहीं मिल रहा है। आज चारों तरफ आवाज उठ रही है। एनीमल हैज्बैन्डरी को लीजिए, उसमें दो–चार चीजें बहुत जरूरी हैं। 300 करोड़ रुपया एनीमल हज्बैन्डरी में देते हैं और हम जो देते हैं वर्ष 1999–2000 में 207 करोड़ रुपये, उसके बाद 213 करोड़ रुपये और उसके बाद 240 करोड रुपये दिये हैं। मैं श्री अजित सिंह जी से बोलता हूं, यह मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि इजराइल जैसा छोटा सा देश दूध उत्पादन में सबसे ऊपर है। जब इजराइल जैसा छोटा देश एनीमल हज्बैन्डरी में प्राणीपालन में डेवलप कर सकता है। प्राणीपालन गरीब लोगों का काम है। चाहे मुर्गीपालन हो, बकरी पालन हो, उनके लिए वही सब कुछ है। लेकिन इसमें आप लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण यह एकदम नीचे गिरा हुआ है। लेकिन हम प्राणीपालन में क्या खर्च कर रहे हैं। माननीय अजित सिंह जी सदन के 101 माननीय सदस्यों और चार भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों ने हस्ताक्षर करके कहा था कि आप आई.सी.वी.आर. कर दो। एंडरसन और सिक्का को आई.सी.वी. आर. में कर दो। वैटरिनरी रिसर्च सैन्टर बना दो, यह सब जरूरी हो गया है। क्योंकि आजकल पशुओं में नई–नई बीमारियां हो रही हैं। इसलिए आप आई.सी.वी.आर. बना दो। हम बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं। अपने संसदीय जीवन में मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

प्रत्येक राज्य में एक अलग पशुपालन विभाग है लेकिन केन्द्र सरकार में आपके पास पशुपालन संबंधी कोई अलग अनुसंधान संस्थान नहीं है।

[हिन्दी]

दवाइयों में ह्यूमैन हैल्थ में यूनानी, एलोपैथी और होम्योपैथी का प्रत्येक राज्य में अलग सिस्टम कर दिया है। कहते हैं पैसा नहीं है, आप एनीमल हज्बैन्डरी को पैसा दीजिए। आज रघुवंश प्रसाद सिंह जी नहीं हैं। जब वह कुछ समय के लिए मिनिस्टर

थे तो वह आगे बढ़े थे। जब चेन्नई यूनिवर्सिटी बनी थी तो उसके खिलाफ बोलते थे। लेकिन अब सिद्ध हो चुका है, अब यह एग्रीकल्चर और एनीमल हज्बैन्डरी में एक मिसाल बन चुका है। इस मामले में चेन्नई यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर है। बंगाल में जब मैं मिनिस्टर था तब एनीमल हज्बैन्डरी पर काम किया था, वह आज आगे बढ़ रहा है। मैं श्री अजित सिंह जी से विनती करूंगा कि आप खाली मिनिस्टर नहीं है।

[अनुवाद]

आप भूमि मंत्री भी हैं।

[हिन्दी]

आप भूमि के साथ जुड़े हुए हैं, आप किसान के लड़के हैं। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा।

[अनुवाद]

क्या ऐसे अधिकारियों जिनके पास कृषि क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, वे आपका मार्गदर्शन करेंगे अथवा आप उनका मार्गदर्शन करेंगे?

[हिन्दी]

एनीमल और फिशरीज में आई.सी.वी.आर. के लिए जोर देना चाहिए और इसे डेवलप करना चाहिए। हमने प्रधान मंत्री जी को बोला था, तब उन्होंने कहा था

[अनुवाद]

यह इससे मिलता जुलता प्रश्न है।

[हिन्दी]

अमरीका और फ्रांस ने भी बोला था।

[अनुवाद]

यह इससे मिलता जुलता प्रश्न नहीं है। पशुपालन और मात्स्यिकी दूसरा प्रश्न है।

[हिन्दी]

हमारा कितना लम्बा कोस्टल एरिया है।

[अनुवाद]

हम क्या कर सकते हैं, बाहर से धनराशि कैसे मिल सकती है?

[हिन्दी]

इसलिए आप जरा सोचिये। मैं प्रधान मंत्री जी से बहुत खुश हूं, मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने यह सोचते हुए कि यह इन्टीग्रेशन है, यू.पी. के इलैक्शन के पहले वह मिथिला जाकर एनीमल हज्बैन्डरी कॉलेज बना आये और वह अभी रिकगनाइज होने वाला है। मैंने भी दरख्वास्त दी है, आप उसे भी रिकगनाइज कीजिए। पंजाब के कॉलेज में बन गया, मिथिला में बन गया, पूना में बना हुआ है। इसलिए आई.सी.वी.आर. बनाकर एनीमल हज्बैन्डरी को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि हम दूध उत्पादन में काफी ऊपर हैं। दूध के उत्पादन में हम ऊपर जरूर हैं लेकिन 40 फीसदी लोग दूध पीते नहीं हैं। गरीब आदमी क्या दूध पियेगा? दूसरी चीज में हम आगे जा रहे हैं और फूड प्रोसैसिंग भी यहां हो रही है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अभी एस ए सी एच आई के बारे में बात चल रही थी। इसकी जो योजना चल रही है उसमें 300 करोड़ रुपया अभी तक लगेगा मगर असली हालत क्या है, कितना पैसा आपने सैची कर दिया है। हमने 1062 करोड़ की मांग की थी और अप्रूव भी हुआ था।

[अनुवाद]

लेकिन अंतिम मंजूरी 550 करोड़ रुपये की है।

[हिन्दी]

550 करोड़ का आज चल रहा है, वहीं इस साल ठीक किया है कि

[अनुवाद]

नई योजना और पुरानी योजना पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिये गवर्नमेंट ने ठीक किया है सैची में

[अनुवाद]

नई योजना और पुरानी योजना पर प्रतिबंध होगा

[हिन्दी]

होगा तब हम कैसे आगे बढ़ेगे, कैसे दुगना करेंगे।

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हम आगे बढ़े हुए हैं, यह हम दावा करते हैं। मगर असली चेहरा क्या है। उसमें डिक्लाइन आया है। 0.91 प्रतिशत से निकलकर 0.42 प्रतिशत में आ गया है। एक बार कुछ रिपोर्ट आई मगर होता यह है कि हम जानते हैं कि

[अनुवाद]

यह राज्य का प्रश्न है।

[हिन्दी]

मगर हमने पहले बोला था कि जो अपनी मेहनत देकर जमीन में अनाज पैदा करते हैं उनको एक टुकड़ा जमीन दे दो। पश्चिम बंगाल में यह करके हमें फायदा मिला है। हमने कहा कि भूमि सुधार करो और भूमि सुधार करके कम से कम गरीब के लिए, एग्रीकल्चर लेबर को एक टुकड़ा जमीन दे दो और उसको कहो कि एक टुकड़ा जमीन ले लो और इसमें उपजाकर दिखा दो तो आप देखेंगे कि उसका पसीना और जमीन मिलकर क्या कुछ जमीन में पैदा कर सकती है।

सभापति जी, हमने मार्केट के बारे में कहा था। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गया उसने बरबाद कर दिया। तेल के बारे में बरबाद कर दिया, दूसरी चीजों में बरबाद कर दिया। पहले ही कहा था कि मार्केट खत्म हो गया।

[अनुवाद]

आप विकासात्मक विज्ञान के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दरवाजा खोल रहे हैं।

[हिन्दी]

विज्ञान के क्षेत्र में आप डोर ओपन कर रहे हैं, मगर इससे बहुत नुकसान होगा। पहले से ही यह क्षेत्र बरबाद चल रहा है। अभी तक बरबादी ही हुई है। मुम्बई में प्याज की हालत बहुत खराब है, दूसरी जगह खराब है। यहां आत्महत्याओं का इतिहास किसान की जिन्दगी का हिस्सा बन गया है। आपकी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन्स तो हैं ही मगर उससे क्या हालत बन गई, बाजार की क्या हालत है वह देखिये। कल एक माननीय सदस्या मीटिंग में कह रही थीं कि

[अनुवाद]

पंजाब में उपजी फसल का मूल्य इस तरह गिर रहा है।

[हिन्दी]

आपने भी शायद वही बात कही कि नीचे जा रहा है। खरीदने वाले तो एफ.सी.आई. हैं। कहां उनकी दुकान खुली है, कहां पैसा दिया है?

[अनुवाद]

क्या आपने उन्हें खरीद के लिए कोई धनराशि प्रदान की है?

[हिन्दी]

और क्या वे मोहल्ले–मोहल्ले, मंडी–मंडी में बैठे हैं कि खरीद कर लें? वे नहीं देंगे तो कौन खरीदेगा? मगर बोलते हैं कि जय किसान जय किसान।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चूंकि आपकी पार्टी के दूसरे वक्ता हैं। इसलिए अब आप भाषण समाप्त करें।

श्री महबूब जहेदी : मैं आदर के साथ आपसे पांच और मिनट की अनुमति के लिए अनुरोध करता है तब मैं समाप्त करूंगा।

[हिन्दी]

बाहर वाले भेज रहे हैं। वहां के किसान कम दाम में भेज रहे हैं। हमने सदन में एक दिन मजाक में कहा था कि मुर्गी की टांग जो अमरीका से आ रही हैं, उन्हें हमारे यहां लोग खाएंगे जिन्हें अमेरिका में कुत्ते भी नहीं खाते हैं। वे लोग यहां भेज रहे हैं और हम खरीद रहे हैं। हमारे किसान का क्या हाल है, यहां मार्केट नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है, एफ.सी. आई. उसके माल को खरीदने के लिए मार्केट में नहीं उतरी है, उसके पास रुपया नहीं है।

बीटी कॉटन सीड को जर्मीनेट करने की बात है। लेकिन आप देखिए सीड जर्मीनेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी सीड फार्मों में कितनी जमीन सरकार ने घेर रखी है।

[अनुवाद]

यदि आप मेरे साथ आएं तब मैं आपको कम से कम पश्चिम बंगाल में दिखाऊंगा कि किस तरह अनेक बीज फार्म खाली पड़े हैं।

[हिन्दी]

फार्मों में बहुत सारी जगह एकदम खाली पड़ी है। हम सीड क्यों नहीं बनाते हैं?

[अनुवाद]

इसकी सही ढंग से अवश्य जांच होनी चाहिए।

[हिन्दी]

हम उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। वे क्या दे रहे हैं। जरमिनेटेड दे रहे हैं। वे बीटी दे रहे हैं। कल पंजाब की एक बहन ने भी कहा है कि बीटी ने काटन को खत्म कर दिया है। इस काम को ठीक से करना है।

कोओपरेटिव का मतलब सहयोग से काम करना है।

[अनुवाद]

निगम के समाहर्ता अब बदल रहे हैं।

[हिन्दी]

आप जानते हैं, सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि आप एक कंपनी एमेंडमेंट बिल ला रहे हैं।

[अनुवाद]

कोई पार्षद आ सकता है और एक कंपनी बना सकता है।

[हिन्दी]

सहयोगी और सहकारिता के माध्यम से काम होना चाहिए। कोआपरेटिव में कैपिटेलाइजेशन नहीं है। एक कंपनी बनाकर नफा लेते हैं। यह कोआपरेटिव नहीं हो सकती। कोआपरेटिव किसान की सहयोगी होगी। जो आप अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। उसमें काम होने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

मैं आपसे इस प्रश्न को दबाने का अनुरोध कर रहा हूं। कृषि संबंधी स्थायी समिति के सभापति यहां उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

मुझे डी.एम.के. पार्टी के सांसद और कृषि मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति के चेयरमैन की बात यहां नहीं कहनी चाहिए। उसे इस कमेटी को दे दीजिए, इसमें चर्चा हो, यह सबसे बड़ी बात होगी। आप कोआपरेटिव को खत्म करने का बंदोबस्त कर रहे हैं।

एग्रीकल्चर वर्कर्स की क्या हालत है वह आप देखिए। आज एग्रीकल्चर वर्कर्स बर्बाद हो रहे हैं। वे नीचे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में बोलता हूं।

[अनुवाद]

श्रमिक बर्बाद हो रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रॉवीडेंट फंड की योजना बंगाल से आई। वहां एक मजदूर को यदि पांच रुपए मिलते हैं, तो सरकार पांच रुपये उसे प्रावीडेंड फंड में देती है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में भविष्य निधि प्रणाली शुरू हुई है।

[हिन्दी]

जो लोग यहां इस बारे में कह रहे हैं, क्या हम उस बारे में नहीं सोच सकते हैं।

[अनुवाद]

हम इसके बारे में नहीं सोच सकते। मैं अब समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

रवीन्द्र नाथ टैगोर की बांगला में एक कविता है–

"हेथाए वृथा कांदा
देओयालेते पेये बाधा
कांदोंने फिरे आशे
आपोन काछे।"

मेरे दर्द भरे आंसू बेदर्दी से दीवाल से टकरा कर मेरे पास वापस न चले आएं। मैं अपनी तरफ से नहीं हिन्दुस्तान के किसान की तरफ से अर्ज करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर में ज्यादा रुपया दिया जाए। मैं फायनेंस मिनिस्टर साहब से भी अर्ज करूंगा कि किसान का तमाशा न बने, किसान का भला हो, ऐसा काम करें। इतना ही कह कर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू) : सभापति महोदय, प्रारंभ में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा देश मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है और कृषि इस देश की रीढ़ है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि हमारे लिए इस देश की अर्थव्यवस्था को कायम रखने, विकास और वृद्धि के लिए मुख्य कारक है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी मुद्रा स्फीति नियंत्रण अथवा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि मुख्य रूप से कृषि उत्पादन के कारण है। हमारे सत्तर प्रतिशत से ज्यादा लोग भी कृषि पर निर्भर हैं। जहां तक इस देश का सवाल है तो यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं आश्वस्त हूं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम होगा। हमें इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम इसे कैसे सहायता प्रदान करें और इसे आगे बढ़ाएं।

कृषि क्षेत्र को बहुत अधिक बुनियादी जरूरतों की आवश्यकता होती है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जल, बीज, औजार, और नवीनतम औद्योगिकी की आवश्यकता होती है। आज जहां तक कृषि का संबंध है तो इस समय हमारे देश में फालतू खाद्यान्न भंडार है। गेहूँ अथवा चीनी का मूल्य कम है। लेकिन इस समय हम खाद्य तेल और दाल जैसी कुछ वस्तुओं की कमी का सामना कर रहे हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक संतुलित योजना बनाएं। हमें उन्हें यह इस तरह से तैयार करना चाहिए कि हमारी आवश्यकता पहले पूरी हो। मैं जानता हूँ कि कृषि वस्तुओं का हमारा आयात निश्चित रूप से कम हुआ है। अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां हम कुछ वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। जब हम निर्यात करने की स्थिति में पहुँच चुके हैं तो इस क्षेत्र को एक विशेष प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता है। हमें ऐसा करना होगा क्योंकि हमें अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। चीन और अन्य देश भी भारत से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए हमें उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए कृषि क्षेत्र को अधिक उत्पादक बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान कार्य में सुधार होने चाहिएं। किसानों को बेहतर प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

हम अब चावल, गेहूं तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। अपना अस्तित्व बनाए रखने ओर अपने उत्पादों की उचित कीमत प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। दूसरी और भारतीय खाद्य निगम का कुछ और ही विचार है। यह धीरे-धीरे खरीद प्रक्रिया से हटना चाहता है और यह खरीद की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को देना चाहता है। मुझे विश्वास है कि इससे और समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। हमारे यहां विभिन्न प्रकार की आपदाएं हैं। सूखा, बाढ़, चक्रवात तथा विभिन्न अन्य बातें हैं। समग्रतः भारत सरकार को यह जानना चाहिए कि चीजों को कैसे वितरित किया जाए; कहां अधिक आवश्यकता है, आदि। इसलिए, भारतीय खाद्य निगम को और खरीद करनी चाहिए और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को उचित कीमत दी जानी चाहिए।

इस प्रक्रिया में हमने पाया कि हमारे भांडागारों की क्षमता पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूं कि इन्होंने उत्पादन के लिए अधिक प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा माल के भंडारण के लिए भांडागार क्षमता में वृद्धि करने हेतु अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। शीतागार क्षमता की भी आवश्यकता है। कुछ वस्तुओं यथा टमाटर, सब्जियों और फलों का भंडारण किया जाना चाहिए। जब इन वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन होता है तो कीमतें कम हो जाती हैं। पुनः कुछ ही माह में कीमतें चढ़ जाती हैं। इसका अर्थ है कि बहुत नुकसान होता है। हमें इस देश में उत्पादन किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की हानि को रोकना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए कृषि को सहायता दी जानी चाहिए। एक समिति ने इसके लिए वित्तीय आवश्यकता की सिफारिश भी की है। नौवीं योजना में उन्हें 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की आवश्यकता थी परन्तु योजना आयोग ने केवल 7,800 करोड़ रुपए दिए थे। दसवीं योजना में उन्हें 25,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी परन्तु योजना आयोग ने केवल 13,200 करोड, रुपए दिए थे। इसलिए, सभी कृषि क्रियाकलापों का वित्त पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना किसान अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकते।

इस प्रक्रिया में, एक बहुत महत्वपूर्ण मद है बीमा। बहुत से किसानों का नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्हें बीमा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जो बीमा नीति हमने तैयार की है वह किसी भी उद्देश्य के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। प्रीमियम इतना अधिक है कि किसानों को इसे अपनाने में कठिनाई होती है। मुझे विश्वास है कि नई बीमा नीति जो विचाराधीन है शीघ्र ही तैयार हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि यह गांवों को आधार मानकर तैयार की जाएगी न कि मंडल अथवा समिति को आधार मानकर जो कि देश के प्रत्येक भाग में काफी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं।

[श्री बी. बी. रमैया]

एक और महत्वपूर्ण पक्ष है। यह माल की आवाजाही के बारे में है। मुझे लगता है कि कृषि उत्पादों की स्वतंत्र आवाजाही हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि किसानों को वास्तव में लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ व्यापारियों को मिलता है। व्यापारी लाभ उठा रहे हैं और वे इससे पैसा बना रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया है कि जब हमारे पास निर्यातोन्मुखी वस्तुएं हैं तो निर्यात राजसहायता बहुत महत्वपूर्ण है।

विकसित देश कृषि के लिए बहुत राजसहायता दे रहे हैं जबकि हम उतना अधिक करने की स्थिति में नहीं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान पर्याप्त निर्यात करने की स्थिति में हों, हमें कम से कम कुछ सहायता देनी चाहिए। अन्यथा, हमें अधिक मुश्किल होगी।

जब हम कृषि की बात करते हैं तो सिंचाई महत्वपूर्ण हैं। सिंचाई के लिए बजट भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भयंकर चक्रवात अथवा बाढ़ आती है जिसके परिणामस्वरूप बहुत हानि होती है और पानी समुद्र में चला जाता है। हमें वर्षा जल को रोकने और इसका कृषि तथा पेयजल संसाधनों के लिए उपयोग करने के लिए अधिक तथा सिंचाई परियोजना का निर्माण करना पड़ेगा। अन्य बातों के साथ यह वास्तव में महत्वपूर्ण है।

आज हमारे पास केवल लघु सिंचित क्षेत्र हैं, जिनके विस्तार और विकास की आवश्यकता है। हमें इस संबंध में किसानों को सहायता देनी पड़ेगी। किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में सहायता देना भी महत्वपूर्ण है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हमें पनधारा (वाटरशेड) परियोजनाओं की आवश्यकता है। वर्षा का जल समुद्र में चला जाता है और एक या दो माह के पश्चात हम देखते हैं कि पानी की कमी हो गई। आज जहां भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है वहां लोगों ने पनधारा (वाटरशेड) प्रबंध करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में पंप सेट लगाना उपयोगी नहीं होता। अतः हमें पनधारा (वाटरशेड) प्रबंधन की आवश्यकता है।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : इसे जनांदोलन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

डा. बी.बी. रमैया : हां, यही मैंने कहा है। हमें किसानों को सहायता देनी पडेगी क्योंकि यह कृषि से जुड़ी है और यह एक दूसरे पर निर्भर है। मुझे लगता है कि हमें पनधारा (वाटरशेड) परियोजनाओं पर भी विचार करना चाहिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं।

कुछ फसलें हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमारे पास वितरण की अच्छी विधि होनी चाहिए। नारियल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और इस क्षेत्र के किसानों को कायम रहने में कठिनाई हो रही है। गारंटीशुदा कीमतें नहीं हैं। पूरी चीज कृषि पर निर्भर करती है। सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग हेतु कपास की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार चीनी के लिए गन्ने की आवश्यकता होती है। चावल के मामले में बहुत सारी भूसी और पांच से छः लाख टन तक चोकर तथा चोकर का तेल प्राप्त होता है। ये सब परस्पर निर्भर रहते हैं। माननीय कृषि मंत्री को इस पर ध्यान देना पड़ेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण चीज है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। जैसा मैंने पहले कहा, हम अधिक फल, सब्जियां, तथा विभिन्न यह अन्य वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम ज्यादा उत्पादन कर सकें। हमें उसका इस देश में संरक्षण और उपयोग करना पड़ेगा। यही क्षेत्र है जिसमें हमें बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता है। वस्तुतः कुछ फलों तथा सब्जियों के निर्यात के मामले में भी हम किसी प्रकार का कीटनाशक प्रयोग नहीं कर सकते। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हमें किसानों को प्रौद्योगिकी देनी चाहिए। किसान बहुत अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं जिससे बहुत समस्याएं सामने आ रही हैं। किसानों को शिक्षित किया जाना चाहिए कि वे इतनी अधिक खाद प्रयोग न करें। जिसकी आवश्यकता नहीं होती। नाइट्रोजन के प्रयोग में वृद्धि के साथ कीटनाशकों के प्रयोग में भी वृद्धि हो रही है। वास्तव में आवश्यकता इसकी है कि हमें उत्पादकता को अधिकतम करना पड़ेगा। किसानों को इस संबंध में शिक्षित किया जाना चाहिए। हमें कीटनाशकों की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। इन कीटनाशकों की कीमतें कम की जानी चाहिए। उर्वरकों, जो हम किसानों को दें रहे हैं, की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। किसान कार्बनिक खाद का उपयोग करना भूल गए हैं। सरकार उन लोगों को प्रोत्साहन दे सके जो कार्बनिक खाद का उत्पादन कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि भूमि की अवस्था भी प्रभावित न हो। उन्हें बेहतर उत्पादकता देने के लिए अधिक समय तक कायम रहना चाहिए।

जब हम कृषि की बात करते हैं तो एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है, कि किसान मुर्गी–पालन, मत्स्ययन और डेयरी पर अधिक आश्रित रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। परन्तु विकसित देशों में हम देखते हैं कि वे इस क्षेत्र में 60–70 प्रतिशत राजसहायता देते हैं। पड़ौसी तथा खाड़ी देश

उस सीमा तक राजसहायता नहीं दे पाते। यदि हम अधिक राजसहायता दे सकते हैं तो हम इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। पनीर, मक्खन और अन्य उत्पादों के साथ डेयरी उत्पादन के मामले में उत्पादन में वृद्धि हुई है।

जब हम कृषि की बात करते हैं जैसा मैंने पहले कहा है कम ब्याज दर पर धन देना बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों का अब उन लोगों द्वारा शोषण और उत्पीड़न किया जाता है जो अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देते तो किसान जीवित नहीं रह पाएंगे। वे बिचौलियों के साथ सट्टेबाजी नहीं कर सकते और वे बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड जो हाल में शुरू किया गया था के संबंध में जो मैं कहना चाहता हूं कि यह किसानों को बहुत अच्छी सहायता दे रहा है। हमें इस योजना का विस्तार करना चाहिए जिससे अधिक किसानों को लाभ प्राप्त हो सके।

अनुसंधान के मामले में भी हमें और विकास करना चाहिए ताकि किसानों को इससे लाभ हो सके। किसान इसे स्वयं नहीं कर पाएंगे। वे परिश्रमी लोग हैं। कठिन परिस्थितियों तथा जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद भी हम इस देश में किसानों के कठिन परिश्रम से आवश्यकता से अधिक प्राप्त कर पाए हैं। यदि आप उन्हें बहुत सहायता दे सकें तो वे उत्पादन और बढा सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को कायम रखने तथा मुद्रा स्फीति को न्यूनतम करने के लिए कृषि उत्पादन में चार से पां प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। इस सकल प्रकार घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो सकेगी।

मुझे आशा है कि कृषि मंत्री इन बातों में और रुचि लेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि अन्य मंत्रियों को भी इसका विकास करने में उचित सहयोग देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति जी, आज हम कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। कृषि भारतीय जीवन का प्राण है। जैसा कि हमारे लायक दोस्तों ने कहा कि 70 से लेकर 75 प्रतिशत तक लोग खेती पर निर्भर करते हैं। आज जब हमारे परम्परागत उद्योग बंद हो रहे हैं, कुटीर उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, सरकारी उपक्रमों का हम विनिवेश कर रहे हैं, उसके चलते रोजगार के अवसर कम होंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में लगता है कि खेती ही एकमात्र सहारा है जो हिन्दुस्तान के अर्थतंत्र को पटरी पर ला सकता है। पिछली बार जितने धन की व्यवस्था कृषि के लिए बजट में की गई थी, उससे मामूली बढ़ोत्तरी इस वर्ष के बजट में कृषि के लिए की गई है। खेती को सशक्त बनाने के लिए जो गंभीर प्रयास होने चाहिए, वे सार्थक प्रयास नहीं हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कितना गलत है या सही है, थोड़े दिन पहले अखबारों में छपा था कि कृषि मंत्री वित्त मंत्री से लड़ाई के मूड में। लड़ जाते तो अच्छा था। मैं जानता हूं कि कृषि मंत्री जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के सपूत हैं। वे निश्चितरूप से किसानों के बारे में बेहतर जानते हैं। वे न कहें अलग बात है, लेकिन वे खुद स्वीकार करते हैं कि कृषि को बजट में जो संरक्षण मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में 27 परियोजनाएं चल रही हैं। देखने में आता है कि राज्य सरकारों को जो धन दिया जाता है, उसका सही प्रयोग नहीं होता। मैं इस अवसर पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की ओर से जो राज्य सरकारों को पैसा भेजा जाता है, उसका सही इस्तेमाल हो, इसको देखने का काम भी भारत सरकार को करना चाहिए।

सभापति जी, प्रधान मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी के थोड़े दिन पहले बहुत लम्बे–चौड़े इश्तहार छपे थे। कहा गया था कि भारत अनाज के मामले में एक प्रमुख निर्यातक देश हो गया है। लेकिन पिछले तीन वर्षों के जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, उससे लगता है उपज दर घटी है। 1999–2000 में गेहूं की उपज दर प्रति हेक्टेयर 2778 किलोग्राम थी और 2000–01 में 2743 किलोग्राम थी। इसी तरह धान की उपज दर 1999–2000 में 2978 किलोग्राम थी और 2000–01 में 2871 किलोग्राम थी। सन् 1999–2000 में तिलहन की उपज दर 853 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और 2001–2002 में 791 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। पैसा कपास इत्यादि का भी है। उपज दर नहीं बढ़ी। आज सवाल यह है कि हमारे देश में उत्पादन लागत बहुत तेजी से बढ़ी है और यही कारण है कि विश्व के बाजार में हमारा किसान बुरी तरह से पिट रहा है। यह बात सही है कि हमारे देश में पिछली बार अन्न का काफी भंडार रहा लेकिन यह बात भी सही है कि जहां एक ओर अन्न का भंडार था, वहां

[श्री रामजी लाल सुमन]

कुछ लोग आम की गुठलियां खाने के लिए मजबूर हुए। लोगों ने भूख से दम तोड़ा। यह कहना कि हमने अनाज का निर्यात किया है और पिछले दस वर्षों में जितना अनाज का निर्यात नहीं हुआ, उतना निर्यात पिछले एक वर्ष में हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि इसमें लाभ कितना हुआ है। वह अनाज का निर्यात सब्सिडी देकर किया था। आज स्थिति यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम कम हैं और भारत में खाद के दाम ज्यादा हैं और जो किसान के नाम पर सब्सिडी मिलती है, वह सब्सिडी बिचौलिये खा जाते हैं। आज आवश्यकता है कि सब्सिडी का सीधा लाभ किसान को मिलना चाहिए। जिस तेजी के साथ उत्पादन लागत बढ़ी है, उसके चलते कृषि का संरक्षण नहीं हो सकता। सिंचाई खेती का प्राण है और सिंचाई संबंधी तमाम परियोजनाएं अभी भी लंबित हैं जिन्हें पूरा नहीं किया गया है। हमारे देश में सिर्फ 38 प्रतिशत सिंचित जमीन है। इस बारे में कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये कि सिंचाई की समुचित व्यवस्था हमारे देश में हो। हमने विकास का आधारभूत ढांचा तैयार किया है। उसमें सिंचाई का कहीं उल्लेख नही है। जब तक हमारे देश में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नही होगी, तब तक हम खेती को नहीं बचा सकते हैं, ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में जो शोध–कार्य हो रहे हैं, लगता है कि वे शोध–कार्य प्रयोगशालाओं तक सीमित हैं। किसानों को उसकी जानकारी हो, किसान उसका लाभ उठाएं, सरकार को इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि जिनको लाभ होने वाला हो, वे किसान उस नई तकनीक को सीखें। उन शोध–कार्यों से जितना लाभ किसान को होना चाहिए, उतना लाभ नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि ये शोध–कार्य प्रयोगशालाओं से निकलकर आगे जाएं। मुझे ज्यादा निवेदन नहीं करना है लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पहले तो एक ही विभाग कृषि मंत्रालय हुआ करता था और उसके साथ खाद्य मंत्रालय होता था। खाद्य मंत्री यहां नहीं हैं। सरकार ने कहा कि एक अप्रैल से गेहूं की खरीद का काम शुरू करेंगे। पंजाब और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य है जहां आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न होता है। सरकार ने कहा है कि एक अप्रैल से किसानों के गेहूं की खरीद के लिए काम शुरू कर देंगे। यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इस बार गेहूं का न्यूनतम मूल्य दस रुपए बढ़ा दिया गया है, 610 रुपए से 620 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। उ. प्र. सरकार को 25 लाख मिट्रिक टन गेहूं खरीदना था। यह लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था और गेहूं की खरीद के लिए सात एजेंसियों द्वारा 4400 केन्द्र स्थापित करने थे, लेकिन दस अप्रैल तक एक भी केन्द्र स्थापित नहीं किया गया। अगर कहीं केन्द्र स्थापित किए भी गए हैं, तो उनमें गेहूं की खरीद का काम नहीं हो रहा है। इस वजह से मजबूरी में किसानों को अपना गेहूं 450–500 रुपए प्रति क्विंटल व्यापारियों को बेचना पड़ रहा है। कारण यह है कि इसी महीने किसानों को अपना लेन–देन पूरा करना होता है और परिवार में शादी–संबंधों का भी निर्वहन करना होता है। किसानों की इतनी दुर्दशा है। दूसरी तरफ, सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 25 लाख मिट्रिक टन गेहूं का भण्डारण करेगी, लेकिन राज्य सरकार की भण्डारण क्षमता केवल 7 लाख मीट्रिक टन की है। आर्थिक सुधार के नाम पर सरकार ने अनाज के व्यापार पर से प्रतिबंध हटा लिया है और अब कहीं कोई अंकुश नहीं है। भारतीय खाद निगम ने गेहूँ की खरीद के लिए अगर कहीं पर केन्द्र खोले भी हैं, तो वे निष्प्रभावी हैं। मैं चाहूंगा, कृषि मंत्री जी आप खाद्य मंत्री जी से इस बारे में जरूर बात करें।

जहां तक बाढ़ और सूखे का प्रश्न है, हर बार हम लोक सभा में अपने धर्म का निर्वहन कर देते हैं और सदन में चर्चा शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको कोई स्थायी निदान करना होगा। इसके अलावा आजकल जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो देखते हैं कि खड़ी फसल में आग लग जाती है और किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में इमदाद करने के जो मानक हैं, वे ब्रिटिश समय के बने हुए हैं। किसानों का गल्ला चार–पांच लाख का होता है, जो जल कर नष्ट हो जाता है। तहसीलदार से रिपोर्ट मिलने के बाद जब मजिस्ट्रेट मदद करता है तो उसको 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक ही दिए जाते हैं। इमदाद का यह मानक सबसे पुराना है। मैं समझता हूं कि इस बदलते हुए परिवेश में जो इमदाद का मानक है, उसमें तबदीली करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है।

मुझे विश्वास है कि माननीय कृषि मंत्री जी अपनी तरफ से सार्थक प्रयास करके, हमारे जीवन का जो ताना–बाना है, जिसका सहारा कृषि है, उसको और सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे आपके माध्यम से केवल इतना ही निवेदन करना था।

श्री अनंत गुढे (अमरावती) : सभापति महोदय, सारी दुनिया की नजर हिन्दुस्तान की कृषि पर लगी है। एक जमाना था, जब हमारे देश में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए भारी

प्रयास किए थे। हमारे किसानों की भारी मेहनत और लगन से कृषि का उत्पादन बढ़ा। आज हमारा देश कृषि उत्पाद के मामले में दुनिया में तीसरी क्रांति के लिए खड़ा है। कृषि उत्पाद के मामले में हमारे देश ने एक अच्छा दर्जा प्राप्त किया है। आज हिन्दुस्तान का नाम बड़ी ऊचाइयों से लिया जाता है। उपाध्यक्ष जी, जिस प्रयास से अनाज का उत्पादन किया गया है, उसे हम पूरी तरह से सुरक्षित रखने में, उपयोग में लाने में सफल नहीं हुए हैं। आज हर साल 9000 करोड़ रुपए का अनाज गोदामों में पड़ा हुआ सड़ रहा है, पूरा बेकार हो जाता है। गोदामों में पड़े हुए इस अनाज में कीड़े पड़ते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इसी अनाज को अगर हम पैक कर लें, आज कई वस्तुएं ऐसी हैं, जो एयर पैक करके रखी जाती हैं और वे वस्तुएं काफी दिनों तक ठीक रहती हैं। ऐसे कई कृषि उत्पाद हैं, जो विदेशों से हिन्दुस्तान में आते हैं और हिन्दुस्तान के नागरिक उसका अच्छी तरह उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसी अनाज को इस प्रकार से अगर रखें और जनता एक पहुंचाएं तो जो नुकसान हो रहा है, वह नहीं होगा, जो अनाज सड़ रहा है, वह लोगों तक पहुंच सकता है। हमारे देश में कई बेरोजगारों को इसमें अच्छा काम और रोजगार मिल सकता है। हमारे सांसद, श्री प्रकाश जी परांजपे ने इस योजना को सरकार के सामने रखा है। कृषि और वाणिज्य मंत्री जी को भी इस योजना के बारे में बताया है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर इस तरफ ध्यान दिया गया तो जो अनाज बेकार हो रहा है, उसे हम बडी मात्रा में बचा सकते हैं।

महोदय, मैं विदर्भ से आता हूं। वह एक ऐसा प्रदेश है जहां सारी कृषि फसलें होती हैं। वहां गेहूं, चावल, दालें, औरेंज होता है, जो सारी दुनिया में जाता है। इसकी सारी दुनिया में मांग है। विदर्भ, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि ऐसे राज्य हैं, जो भारी मात्रा में कपास का उत्पादन करते हैं, लेकिन कपास को हमने अनावश्यक वस्तु में डाल दिया है। इसके निर्यात की हमें परमीशन नहीं मिलती। कपास की बाहर के देशों में बड़ी मात्रा में मांग है, उस कपास को हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी परमीशन नहीं मिलती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का कपास खरीदने के बाद भी एक्सपोर्ट की परमीशन नहीं मिली। आज करोड़ों रुपया किसानों का देना बाकी है। महाराष्ट्र का सारा किसान इस वजह से मुश्किल में पड़ा हुआ है।

मेरी कृषि मंत्री जी से मांग है कि जो जरूरी चीजें हैं– जैसे प्याज, कपास आदि है, इसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है और एक्सपोर्ट की परमीशन मिलना भी जरूरी है, क्योंकि सारी दुनियां में हिन्दुस्तान के कपास की मांग है। अगर इस देश के किसानों के सही और सुखी बनाना है, विदर्भ की कृषि को सही बनाना है तो विदर्भ में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन बनाना बहुत जरूरी है। मंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा है कि कृषि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में जोन को बढ़ावा दे रहे हैं, जोन तो खोले जा रहे हैं। ऐसे 15 जोन्स को मंजूरी दी जा चुकी है, यह भी आपने कहा है। विदर्भ में नेशनल कोर सेंटर शुरू हो रहा है और उसका काम बड़े जोरों से चल रहा है। मेरा अनुरोध है कि विदर्भ में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन बनाया जाए जिससे विदर्भ का किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके और वह सुखी हो सके।

दूसरी बात हमारे कई सांसदों ने भी कही है और वह यह है कि जो किसान बैंक से लोन लेता है उसको कृषि बीमा लेना जरूरी हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो कृषि बीमा निकला है वह बीमा–कंपनियों के फायदे के लिए निकला है या किसानों के फायदे के लिए निकला है। जहां–जहां किसान बाढ़ के पानी से या दूसरी तरह से बर्बाद हुए हैं वहां बीमे से कितना फायदा किसान को हुआ है यह हम जानना चाहते हैं। आज बीमे से किसान को लाभ नहीं मिलता है। मान लो कि एक गांव में एक किसान की फसल बेकार हो जाती है और दूसरे गांव में एक किसान की फसल अच्छी हो जाती है तो उसे बीमें का लाभ नहीं मिलता है। जब सारे जोन में किसान इस समस्या में फंस जाएगा तभी उसे इस बीमे का लाभ मिलेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सारे किसानों के सामने रखकर ही यह बीमा होना चाहिए। अब बरसात में फसल अच्छी हो जाती है लेकिन दो–चार किसान बर्बाद हो जाते हैं और उन्होंने बैंक से लोन लिया होता है तो उन्हें उस बर्बाद हुई फसल का बीमा मिलता नहीं है। इसलिए गांव के किसान को सामने रखकर ही इस बीमा की योजना को बनाना चाहिए। यह मेरी मांग है क्योंकि इस बीमा से किसान को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जो किसान बैंक से कर्जा लेता है। वह वापस नहीं कर पाता है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति जी, महाराष्ट्र में दूध का काफी उत्पादन होता है जो दूध के व्यवसायी हैं वे कृषि से जुड़े हुए व्यवसायी हैं। आप जानते हैं कि हर किसान के घर में पशु रहते हैं और दूध से जुड़े हुए व्यवसायी होने के बाद भी आज दूध के पाउडर का भारी मात्रा में आयात हो रहा है। दूध के पाउडर के ऊपर आज

[श्री अनंत गुढे]

जीरो–परसेंट इम्पोर्ट–ड्यूटी लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ हमारा दूध बेकार जा रहा है और दूसरी तरफ बाहर से आने वाले दूध के पाउडर पर जीरो–परसेंट ड्यूटी है। सभापति जी, दूध से बनने वाली जो दूसरी वस्तुएं हैं उन पर इम्पोर्ट–ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। उन पर कम से कम 15 से 20 परसेंट इम्पोर्ट–डयूटी होनी चाहिए जिससे हमारे किसानों को संरक्षण मिल सके। यह भी बहुत जरूरी बात है।

सभापति जी, कृषि से जुड़ा हुआ एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वह है कैमिकल–फर्टिलाइजर। उसके ऊपर इम्पोर्ट–ड्यूटी को कम करने की आवश्यकता है। हमारे देश में कैमिकल–फर्टिलाइजर नहीं होता है। इसलिए बाहर से बड़ी मात्रा में कैमिकल–फर्टिलाइजर आता है और यह किसान की जान है क्योंकि उसके बगैर उसकी फसल नहीं होती है। इसलिए इसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको कम करना चाहिए।

मैं मांग करता हूं कि पूरी ड्यूटी बंद करके किसानों तक भारत सरकार कैसे पहुंचे, इसे सोचने की जरूरत है। ऐसा कहा जाता है कि जो कृषि नीति बनाई जाती है, वह किसानों को फायदा देने के लिये बनाई जाती है लेकिन जब हम बजटीय आंकडे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो मदद सरकार द्वारा उन्हें दी जाती है, वह वहां तक जाती ही नहीं। एक साधारण बात है कि सहकारी बैंक किसानों को ऋण देते हैं, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। हां, बड़े–बड़े लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से मदद मिलती है। सहकारी बैंकों को जो घाटा या नुकसान होता है, उसे पूरा करने के लिये उन्हें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं दी जाती। हमारे बजट में राष्ट्रीयकृत बैंकों को मदद के रूप में 60 हजार करोड़ रुपया दिया गया है। जबकि सहकारी बैंकों को केवल 200 करोड रुपया मदद के तौर पर दिया गया है। यह सब क्या हो रहा है?

सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को किसानों के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल है लेकिन कभी कभी उनकी किसी समस्या की तरफ उसका ध्यान नहीं गया होगा। जो मदद राष्ट्रीयकृत बैंकों को दी जाती है, यदि वह सहकारी बैंकों को दी जाती तो किसानों को अच्छी मदद मिल सकती है। यदि किसान को ऋण नहीं मिलेगा तो वह आगे नहीं बढ सकेगा। इसलिये मेरी मांग है कि सहकारी बैंको को बजट से ज्यादा मदद की जरूरत है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिये।

सभापति महोदय, आज देश में पानी का परसेंटेज दिनोंदिन घटता जा रहा है। इसमें न सरकार और न हम कुछ कर पा रहे हैं। जब पीने के लिये पानी कम पड़ रहा है तो किसानों को कृषि के लिये पानी कहां से दे पायेंगे? जब कृषि ही सूख जायेगी तो उत्पादन भी कम हो जायेगा इसलिये पानी की अत्यंत आवश्यकता है। अगर इसी ढंग से पानी मिलता रहा तो आगे क्या होने वाला है, आप समझ सकते हैं। इसके लिये ड्रिप इरिगेशन की जाती है और सरकार सबसिडी देती है। इस सबसिडी को 100 प्रतिशत कर दिया जाये। जिन किसानों के पास पानी की उपलब्धता है, उन्हें ड्रिप इरिगेशन में 100 प्रतिशत सबसिडी दी जाये। यह किसानों के लिये एक अच्छी बात होगी। मैं समझता हूं कि इससे पानी की अच्छी बचत भी हो सकती है।

सभापति महोदय, किसानों की और भी कई समस्यायें हैं इनमें खेत में बीज लगाने की बात आती है। सीड पैदा करने वाली जितनी कम्पनियां हैं, वे किसानों को ऊंचे दामों पर बीज देती हैं। जब उन्हें लगाया जाता है तो ज्वार गेहूं, कपास की फसल बहुत कम होती है। बीज देने के लिये बहुत बडे पैकेज निकाले जाते हैं लेकिन 100 प्रतिशत तो क्या, 50 प्रतिशत बीज अच्छे नहीं निकलते। क्या इन बीज कम्पनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि किसानों के पास सही मात्रा में बीज जाता है या नहीं? सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि किसानों को सही मात्रा में बीज मिल सके और उससे किसानों को कोई नुकसान न हो।

सभापति महोदय, सोयाबीन का तेल बाहर से आयात हो रहा है। हमारी सरकार ने बाहर से आयात किये जाने वाले खाद्यान्न तेलों पर 75 से 95 प्रतिशत तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है लेकिन इसके बावजूद वहां के रेट्स कम करके खाद्यान्न तेल बाहर से आ रहा है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऑयलसीड और सोयाबीन की खरीद पूरे देश में नाफेड के द्वारा हो। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में सोयाबीन निकलता है, इसके कारण किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाजार में इसका भाव नहीं है और हमारे देश की तेल कंपनियां बद हो रही हैं, तेल उत्पादक सैक्टर बंद हो रहा है। इसलिए बाहर से आये हुए तेल की जगह हमारे यहां के किसानों को सब्सिडी दी जाए। विदेशों में किसानों को 100 से 140 प्रतिशत

तक सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन हमारे यहां सब्सिडी कम होती जा रही है। वैसे हम किसानों की तरफ ध्यान देने की बात करते हैं। इसलिए उनकी सब्सिडी बढ़ाने की बहुत जरूरत है। मुझे आशा है कि इन सारे मसलों पर सरकार पूरी तरह से ध्यान देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : सभापति महोदय, यहाँ, हमारे समक्ष जो मुख्य प्रश्न हैं। उन पर आने से पहले मैं अपने चुनाव क्षेत्र के मुद्दे को उठाना चाहूंगा। महोदय, मेरा संकेत मेरे कटौती प्रस्ताव सं. 59 की ओर है जो कावेरी डेल्टा के किसानों के लिए आवश्यक सहायता के विषय में है, जो फरवरी 2002 के आरंभ में आई बेमौसम की भारी बरसात के कारण बुरी तरह दुष्प्रभावित हुए हैं जिसने न केवल जो खरीद के लिए तैयार फसल बल्कि खेत में कटने के लिए खड़ी फसल को भी बड़े पैमाने पर नष्ट किया। वस्तुतः तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा इन किसानों या प्रभावित खेत मजदूरों को कोई सहायता नहीं दी गयी है। इसका कारण यह हैं कि स्पष्टतः राज्य सरकार के पास संसाधन नहीं हैं। और केन्द्र सरकार ने इन किसानों और खेत मजदूरों में इस कारण कोई रुचि नहीं दिखायी है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की गयी है।

दूसरी तरफ महोदय, हमने तमिलनाडु राज्य सरकार के एक जिम्मेदार सदस्य द्वारा दिए गए प्रेस वक्तव्य को प्राप्त किया और देखा है जिसके अनुसार, वास्तव में, उन्होंने फरवरी 2002 की बेमौसम बरसात के कारण कावेरी डेल्टा के किसानों और खेत मजदूरों की समस्याओं को केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया था।

अपराह्न 1.58 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस चर्चा का उत्तर देते समय माननीय कृषि मंत्री श्री अजित सिंह निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में स्पष्टीकरण दें। पहला, क्या तमिलनाडु राज्य सरकार कावेरी डेल्टा के किसानों की समस्या को केन्द्र सरकार के ध्यान में लाई है या नहीं? दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए राज्य सरकार को उपलब्ध धनराशि के संबंध में क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने उन्हें केन्द्र सरकार से पहले से प्राप्त इस प्रकार की धनराशि के उपयोग का प्रमाण पत्र भेजा है या नहीं? तीसरा, यदि वास्तव में ये उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं तो क्या केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उन किसानों की सहायता करे जो बिना किसी गलती के इस प्राकृतिक आपदा के कारण अत्यंत कठिनाई का सामना कर रहे हैं? इस मुद्दे पर मैं कृषि मंत्री से स्पष्टीकरण चाहूंगा क्योंकि हमें संसद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केन्द्र सरकार से और प्रेस तथा अन्य स्थान पर राज्य सरकार के संबद्ध मंत्रियों के वक्तव्यों से विरोधी रिपोर्ट मिल रहे हैं। अतः कृपया स्थिति हमारे सामने स्पष्ट करें। दूसरी बात यह है कि मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस तथ्य को मानें कि केवल उनका हरित प्रदेश ही देश में कृषि का केन्द्र नहीं है, गत 2000 वर्षों से कावेरी डेल्टा भारत के लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। कावेरी पर पहला बाँध बनाया गया था वह एक हजार वर्ष से भी अधिक समय पूर्व राजा राजेन्द्र चोला के समय में बनाया गया था।

अपराह्न 2.00 बजे

ये कृषि मंत्री दिल्ली और लखनऊ, लखनऊ और दिल्ली तक सीमित रहे हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारे देश के एक बड़े हिस्से पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इसमें कावेरी डेल्टा भी शामिल है जिसने भारत के लोगों को दो हजार वर्षों से अधिक समय तक खाद्यान्न उपलब्ध करा के एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं केवल अनुरोध ही नहीं कर रहा, महोदय, मैं मांग करता हूं कि केन्द्रीय कृषि मंत्री, कावेरी डेल्टा जो तमिलनाडु के तीन जिलों–तंजावूर, तिरूवरूर और नागापट्टीनम में पड़ता है का शीघ्र दौरा करें।

यह एक सुखद संयोग है कि कृषि संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष तंजावूर के कावेरी डेल्टा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं; मैं स्वयं भी अधिकांश बार नागापट्टीनम निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूँ, और डीएमके के मेरे सहकर्मी नागापट्टीनम जिले के प्रतिनिधि हैं। हम तीनों ही बिना दलगत भेदभाव के केन्द्रीय मंत्री का कावेरी डेल्टा में अत्यन्त गर्मजोशी से स्वागत का आश्वासन देते हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि वे कम से कम कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को बन्द करें और अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी पर ध्यान दें, कावेरी डेल्टा का दौरा करें और कावेरी न्यायाधिकरण के अन्तरिम अवार्ड के अनुरूप ऊपरी क्षेत्र से कावेरी नदी में जलापूर्ति न होने के कारण बनी समस्या का निराकरण करें। यह विषय न्यायाधीन है। प्रधानमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है

[श्री मणि शंकर अय्यर]

जिसकी इस तथ्य के बावजूद कभी बैठक नहीं होती कि साल दर साल मेत्तूर बाँध के आगे जलापूर्ति अन्तरिम अवार्ड से भी लगातार बहुत कम रही है।

इन परिस्थितियों में, यद्यपि यह निर्वाचन क्षेत्र का मामला है, कावेरी डेल्टा के भारतीय कृषि में, विशेषतः देश के खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में महत्व को पहचानते हुए मैं आशा करता हूँ कि केन्द्रीय कृषि मंत्री हमारे पास आने का समय निकालेंगे और हमारे लोगों के साथ कावेरी के किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं पर विस्तारपूर्वक विचार–विमर्श करेंगे, जो न केवल पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं बल्कि कावेरी नदी में जल की कमी के कारण जिनकी गर्मियों की कुरुवई फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है और, इस बार साम्बा फसलों को इस भारी बेमौसमी बरसात ने इन लोगों जो इस देश के कल्याण और विकास के लिए समर्पित हैं, के पूरे साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया है।

ये कहने के पश्चात् अब मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज की चर्चा करता हू जो कृषि और इसकी समस्याओं पर सरकार की प्रतिक्रिया की जानकारी देता है। यह राष्ट्रीय कृषि नीति है जिसे राज्य सभा में 28 जुलाई, 2000 को और उसके पश्चात इस समय में प्रस्तुत किया गया था। यह दो वर्ष पुराना दस्तावेज है और इसलिए इस वाद–विवाद के द्वारा हमारे पास अवसर है कि अब इसका पता लगा सकें कि क्या सरकार अपनी ही राष्ट्रीय कृषि नीति को गंभीरता से लेती है या नहीं।

राष्ट्रीय कृषि नीति के पैरा 5 में दो लक्ष्य रखे गये हैं। एक यह है कि कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिक वृद्धि दर होनी चाहिए। रिकार्ड के अनुसार पूरी नौवीं योजना के दौरान इस अवधि में संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारों के समय कृषि वृद्धि दर राष्ट्रीय कृषि नीति में उनके द्वारा निर्धारित दर से आधी रही है, जो 2.1 प्रतिशत है।

इन्होंने पैरा 5 में यह भी कहा था कि इनका एक मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन है। वास्तविकता क्या रही है? 1983 से 1993 के दशक में ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर 1.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। 1993 और 2000 के बीच यह कितनी थी? यह घटकर आधा प्रतिशत प्रतिवर्ष रह गई। ये कहते हैं कि कृषि वृद्धि दर को बढ़ाकर चार प्रतिशत करेंगे, इनका कार्यनिष्पादन इसका भी आधा है। ये कहते हैं कि ग्रामीण रोजगार बढ़ाएंगे लेकिन इनका कार्यनिष्पादन इस राष्ट्रीय कृषि नीति लागू होने से पहले की स्थिति से भी एक–तिहाई से भी कम है। 1993 से 2000 तक सुधारों की अवधि के दौरान ग्रामीण और गैर–कृषि रोजगार की स्थिति के विषय में यह जानना अत्यंत दुखद है कि ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में रोजगार की वृद्धि दर सुधार पूर्व अवधि की तुलना में कम रही है। पूर्वी एशिया के अनुभव की तुलना में भारत में ग्रामीण गैर कृषि रोजगार की वृद्धि उनसे काफी कम रही है। ये इन नीतियों को लेकर क्यों आते हैं, यदि इन्हें लागू करने का इनका कोई इरादा नहीं है? आपकी वृद्धि दर जितनी आप चाहते हैं उससे आधी है। आपकी रोजगार वृद्धि दर इस नीति के आने से पूर्व की स्थिति से एक–तिहाई है। इसका स्पष्टीकरण, मेरे विचार से कृषि संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश संख्या एक में पाया जा सकता है। जहां इसका उल्लेख किया गया है कि कृषि पर नौवीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय कृषि मंत्रालय द्वारा लंबित राशि से आधा था और वर्ष 2002–03 के इस बजट में भी जितना कृषि मंत्रालय ने मांगा है उसके लगभग आधा परिव्यय दसवीं पंचवर्षीय योजना के लि, किया गया है, जितना इन्होंने स्वयं मांगा उसका आधा कृषि के लिए दिया गया।

महोदय, कृषि मंत्रालय भारत सरकार का एक हिस्सा मात्र है। लेकिन इस नीति में भारत सरकार ने कहा है कि, यह निरपवाद है कि "देश के योजनाबद्ध सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सभी रणनीतियों का केन्द्र कृषि है।" यह राष्ट्रीय कृषि नीति के पहले पैरा में उल्लिखित है। कहने को सरकार कहती है कि कृषि केन्द्र है किन्तु जब धनराशि देने की बात आती है, जब कृषि के लिए क्या किया जाना आवश्यक है इसकी बात आती है तब वह जितने की आवश्यकता होती है उसे घटाकर आधा कर देते हैं और स्वाभाविक रूप से इसका परिणाम यह होता है कि वृद्धि दर जितनी ये बताते हैं उसका आधा होती है। आप उत्पादन या रोजगार में वृद्धि राष्ट्रीय कृषि नीति में अच्छी अंग्रेजी लिख कर नहीं प्राप्त कर सकते। आपको इसके लिए वित्त मंत्रालय, योजना मंत्रालय और प्रधान मंत्री कार्यालय से यह मानते हुए सहायता लेनी पड़ेगी कि यदि सरकार कृषि को केन्द्र बताती है तो परिव्यय भी सरकार के कुल परिव्यय का बड़ा भाग होना चाहिए। हमें ऐसा देखने को मिला है।

महोदय, इस राष्ट्रीय कृषि नीति के पैरा 29 में कृषि में सरकारी निवेश के महत्व को बहुत स्पष्ट तौर पर पहचाना गया है। पैरा 29 में यह कहा गया है :

"कृषि क्षेत्र में पूंजी की कमी है। कृषि क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के निवेश में कमी आयी है। सरकारी निवेश को बढ़ाया जाएगा।"

सरकार अपनी राष्ट्रीय कृषि नीति के पैरा 29 में ऐसा कहती है। वास्तव में, हमें देखने को क्या मिलता है? मैं अब 'द इकानॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली' में एक विशेषज्ञ श्री एस. महेन्द्र देव के छपे लेख से उल्लेख करुंगा। मैं ये शब्द गढ़ नहीं रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि ये विपक्ष की बात नहीं भी सुनें तो कम से कम एक विशेषज्ञ की बात अवश्य सुनेंगे। उन्होंने कहा:

"वर्ष 2000–01 में कृषि में सरकारी निवेश 4007 करोड़ रु. था। यह वर्ष 1999–2000 की तुलना में कम था। कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 1990 के पूरे दशक में सरकारी निवेश केवल सात से आठ प्रतिशत के बीच है।"

यदि कृषि में सरकारी निवेश इनकी अपनी राष्ट्रीय कृषि नीति के अनुरूप नहीं होता है तो कौन आकर निवेश करेगा? क्या छोटे किसान आएँगे? हां जो वह कर सकते हैं कर रहे हैं। परन्तु क्योंकि सरकार जानती है कि कृषि में निवेश करने के लिए एक छोटा किसान जो योगदान कर सकता है वह जरूरत का केवल एक छोटा सा अंश मात्र है और क्योंकि सरकार की कृषि में सार्वजनिक निवेश करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति अथवा प्राथमिकता अथवा यहां तक कि मंशा भी नहीं है। अब तो ये भारत में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र को कृषि में प्रवेश कराने का प्रयास कर रहे हैं और इसके द्वारा एक ऐसे देश में, जहां के अधिकांश किसान लघु और सीमान्त किसान हैं, करोड़ों किसानों की जीविका को संकट में डाल रहे हैं। यह राष्ट्रीय कृषि नीति को लागू करने का कोई तरीका नहीं है। जो ये कर रहे हैं उसमें विश्वसनीयता का पूरी तरह अभाव है।

मैं अब विशेष मामलों की बात करता हूँ। इसे राष्ट्रीय कृषि नीति के पैराग्राफ 13 पर स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं इसे पढ़ता हूँ :

> "निर्बाध जनसांख्यिकीय दबाव द्वारा उत्पन्न खाद्य की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।"

राष्ट्रीय कृषि नीति में यह स्वीकार किया गया है कि निर्बाध जनसांख्यिकीय दबाव है।

अपराह्न 2.11 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*)

इसमें विश्वास दिलाया गया है कि यह खाद्य उत्पादन में वृद्धि करेगी। उसी सरकार, जिसने हमें यह राष्ट्रीय कृषि नीति दी है, के प्रधानमंत्री पंजाब जाते हैं और वहां खाद्यान्न उत्पादकों से खाद्यान्नों का उत्पादन रोकने और फसलों में विविधता लाने के लिए कहते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कहते हैं, "हमारे पास अपने भा.खा.नि. के गोदामों में इतना अधिक भंडार है कि यदि आप खाद्यान्न पैदा करते चले जाएंगे तो हम इसे खरीद नहीं सकते।" परन्तु वहां भंडार क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि खाद्य मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ा दी हैं यद्यपि हमने विपक्ष की ओर से बार–बार उन्हें चेतावनी दी थी कि आप इसकी कीमत गरीबी रेखा से नीचे वाले उपभोक्ताओं के लिए बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं परन्तु उन्होंने नहीं सुना। और परिणाम यह हुआ कि हमारे पास भारी भंडार हो गए। परन्तु देश में कुपोषण बढ रहा है। गरीब अभी भी गरीब है। खाद्यान्नों की भारी माग है और खाद्यान्न उत्पादन इस मांग को बिल्कुल पूरा नही कर पा रहा है।

1980 के दशक में, जो समाजवाद का अंतिम दशक था, हमने भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन 36 प्रतिशत बढ़ाया। गत दशक में वृद्धि 18 प्रतिशत हुई। इसकी आधी! हमारी खाद्यान्न उत्पादन की विकास दर इतनी कम है जो कि जनसंख्या की विकास दर के लगभग बराबर है। यदि यही विद्यमान रहती है तो हमने खाद्यान्नों में जो आत्मनिर्भरता बहुत मुश्किल से प्राप्त की है वह गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। वस्तुतः गत पांच वर्षों में, मैं सम्पूर्ण पंचाब्द को ले रहा हूं, हमारे खाद्यान्न उत्पादन में केवल 9 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो कि 1980 और 1990 के बीच की अवधि में खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई वृद्धि दर का एक–चौथाई है। हम खाद्य में आत्मनिर्भर कैसे बने रह सकते हैं? क्या आप हमें 60 के मध्य की स्थिति में वापस भेजना चाहते हैं जब हमें प्रत्येक अनाज के लिए अमरीकियों से भीख मांगनी पड़ती थी?

मैं चाहता हूँ कि कृषि मंत्री स्पष्टीकरण दें। क्या वह बढे हुए खाद्यान्न उत्पादन में विश्वास करते हैं अथवा नहीं? क्या वह भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने वाले भाग को अथवा उत्पादन कम करना चाहिए? यदि हां, तो वह क्या समझते हैं कि इसकी भरपाई कहां से की जाएगी? हमें यह

[श्री मणि शंकर अय्यर]

जानने की आवश्यकता है कि क्या कृषि नीति भारत के कृषि मंत्री द्वारा चलाई जा रही है अथवा भारत के प्रधान मंत्री द्वारा। निश्चित ही दोनों नीतियां एक जैसी नहीं हैं। हमें ऐसी सरकार की आवश्यकता नहीं जिस पर सभा में इतना मतभेद है वह भी है ऐसे मामले पर जो हमारी जनता के जीवन का केंद्र है। हमारी ऐसी स्थिति है जहां प्रधानमंत्री चाहते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन कम किया जाए और राष्ट्रीय कृषि नीति में कहा गया है कि हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए।

हम तिलहनों और बागवानी के संबंध में भी यही स्थिति देखते हैं। मैं इन दोनों को इसीलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि इन्होंने स्वयं राष्ट्रीय कृषि नीति में इन दोनों को जोड़ा गया है। तिलहनों के संबंध में, तिलहनों का उत्पादन दुगना अर्थात लगभग नौ मिलियन टन से 18 मिलियन टन हो गया है। सम्पूर्ण दशक के अंत में हमारा तिलहनों का उत्पादन दस वर्ष पूर्व के उत्पादन की तुलना में कम हो गया है।

ये किस प्रकार की नीति चला रहे हैं? 1980 के दशक में हमने खाद्य तेल का आयात 850 मिलियन डालर से घटाकर 152 मिलियन डालर का कर दिया है। 90 के दशक में आप कितनी शानदार कृषि नीति चला रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. जसवन्तसिंह यादव (अलवर) : समापति महोदय, ये किसानों के बारे में बात कर रहे हैं या हिन्दुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

डा. जसवन्तसिंह यादव : ये किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल पाए कि किसानों को क्या चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : गजब की बात है कि हमारे मित्र, जो मैं कह रहा हूं, वह नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हीं की भाषा में मैं जो कह रहा था, वह कहने का प्रयास करूंगा। मैं कह रहा था कि तिलहन के सिलसिले में जहां हमारा उत्पादन 80 के दशक में दुगना हो गया था, 90 के दशक में हमारा उत्पादन आज 1990 से कम है।

डा. जसवन्तसिंह यादव : किसानों की क्या कठिनाई है, वह बताइए। उत्पादन कम क्यों है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मुझे लगता है कि यह समझ नहीं पा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

किसानों के लिए सबसे अफसोस की बात है आपकी सरकार जो एक चीज कहती है और दूसरी चीज करती है। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह सरकार किसान विरोधी है तो तिलहन घटेगा, अनाज घटेगा। किसान विरोधी सरकार के चलते किसानों का नाश हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं कह रहा था कि 80 के दशक के दौरान जहां हमारा खाद्य तेल का आयात 850 मिलियन डालर से घटकर लगभग 150 मिलियन डालर का हो गया था, वहीं 90 के दशक में तिलहनों जो कि राष्ट्रीय कृषि नीति में प्रमुख क्षेत्र बताया गया है, के संबंध में इनकी उपलब्धियों का परिणाम यह रहा कि यह बढ़कर 1500 मिलियन डालर तक पहुंच गया। और सत्ता पक्ष द्वारा मुझसे पूछा जा रहा है कि किसान को क्या करना चाहिए।

जब पूरी तरह किसान विरोधी सरकार यहां बैठी हो तो किसान कैसे कुछ कर सकता है? मुझे यह कहते हुए आश्चर्य नहीं हो रहा है कि जब मैं इस बारे में बात कर रहा था तो कृषि मंत्री के रूप में यहां बैठे हुए सज्जन सो गए थे। और यदि श्री राम विलास पासवान नहीं आते और उन्हें नहीं जगाते तो ये हमें अभी तक खर्राटे भरते हुए मिलते। अब मंत्री जी अनुपस्थित हैं क्योंकि ये जाकर कुछ खाना चाहते हैं जबकि भारत में गरीबों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है।

परन्तु मुझे बोलने दीजिए। महोदय, इस देश में कृषि की इतनी दुखद स्थिति है कि 1995–2001 के पंचाब्द में 80 के दशक के दौरान चीनी का उत्पादन 60 प्रतिशत तक बढ़ा था वहीं पचांब्द के अंत में उत्पादन इसके प्रारम्भ के उत्पादन की

तुलना में 6.5 प्रतिशत कम था। हम न केवल उन्नति नहीं कर रहे हैं अपितु हम अवनति की ओर जा रहे हैं।

कपास में भी यही स्थिति है। 2001–02 में उत्पादन पांच वर्ष पूर्व के उत्पादन से एक मिलियन टन कम था। और ये हमें यह राष्ट्रीय कृषि नीति हजम करने के लिए दे रहे हैं। हम ऐसी सरकार पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जो अपने पैसे को सही ढंग से उपयोग नहीं कर सकती, जो अपनी नीति में बड़ी–बड़ी बातें करती है परन्तु जिसकी उपलब्धियां चिरस्मरणीय हैं जो न तो किसानों की आय में वृद्धि कर पाई और न ही उसे आवश्यक रोजगार दे सकी?

मैं अब एक अन्य संबंधित प्रश्न पर बात करता हूं। वह इस सरकार में एक अन्य मतभेद के बारे में है। यह कृषि मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री के बीच का मतभेद है। वाणिज्य मंत्री ने दोहा विश्व व्यापार संगठन की वार्ता के पश्चात इस सभा के पटल पर रखे गए एक औपचारिक लिखित वक्तव्य में बताया थाः "कृषि में भारत की प्रमुख चिंताओं का इस घोषणा में पर्याप्त बचाव किया गया है।"

महोदय, मैं इसे दोहराना चाहता हूं ताकि प्रत्येक शब्द श्री अजित सिंह और उनके सहयोगियों के दिल में घर कर जाए। श्री मुरासोली मारन ने यहां बताया था : "कृषि में भारत की प्रमुख चिंताओं का इस घोषणा में पर्याप्त बचाव किया गया है।"

क्या श्री अजित सिंह सहमत हैं? क्या केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री अजित सिंह केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री से सहमत हैं कि कृषि में भारत की प्रमुख चिंताओं का इस घोषणा में पर्याप्त रूप से बचाव किया गया है?

मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। क्योंकि हम इस राक्षस रूपी सरकार को बनाये नहीं रख सकते। जहां ये दोहा में किए गए घोटाले से अपने को बचाने के लिए यहां पर अलग दावा करते हैं। वहीं पूरे देश में जाकर कहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन तथा मराकेश में कांग्रेस शासन के दौरान किए गए हस्ताक्षर इस देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। इस आडम्बर का अंत होना चाहिए। मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री से जवाब चाहता हूं कि क्या ये केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री के आकलन से सहमत हैं?

दोहा में पहुंचने के बाद केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में तीन प्रमुख मांगें रखीं जिनसे मुझे लगता है कि केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री अजित सिंह की सही स्थिति प्रतिबिम्बित होती है। उन्होंने निम्नलिखित मांगें रखीं और सभी तीन वाक्य उद्धारण रूप में नीचे दिए गए हैं।

"1. कृषि पर बड़े पैमाने पर दी जा रही घरेलू सहायता को समाप्त करना।

2. व्यापार को विकृत करने वाली अन्य राजसहायताओं को समाप्त करना है और

3. विकासशील देशों के कृषि निर्यातों के सामने आने वाली सभी अनुचित बाधाओं को हटाना।"

दोहा में कृषि मंत्री की तरफ से केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री द्वारा तीन मांगें रखी गई थीं। इसके अंत में इन्होंने कहा था और इन्होंने भी कहा – कि "हम अनुचित मांगों के सामने नहीं झुक सकते।" श्री मारन ने यही कहा। तीन दिन बाद दोहा में इसका समापन किया और इस सभा में आए तथा हमें बताया कि हमारी सभी प्रमुख चिंताओं का पर्याप्त बचाव किया गया है।

क्या विकसित देशों में कृषि पर घरेलू राजसहायता समाप्त कर दी गई है? क्या ऐसा करने का कोई वायदा भी लिया गया है? क्या कृषि मंत्री को इस बात की जानकारी है कि ओ ई सी डी देशों में जो कि सबसे धनी विकसित देश हैं, कितनी घरेलू राजसहायता है? उनकी घरेलू राजसहायता 326 मिलियन डालर प्रतिवर्ष है जो एक बिलियन डालर प्रति दिन की सहायता के बराबर है। विकसित देशों में घरेलू राजसहायता कृषि को दी जा रही है। यह व्यवसाय सकल घरेलू उत्पाद के बस 2 या 3 प्रतिशत के लिए ही उत्तरदायी है और यह सकल रोजगार के 4 या 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है। लेकिन वह वापस आकर कह रहे हैं कि इन्हें संतुष्टि है! उन लोगों ने घरेलू राजसहायता के बारे में कोई वायदा नहीं किया है। उन्होंने बस इतना किया है कि वार्ता के इस नये पैकेज के परिणामतः वे लोग एक निर्धारित समयावधि के भीतर निर्यातगत राजसहायता को चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर देंगे। लेकिन निर्यातगत राजसहायता तो कुल राजसहायता का एक छोटा सा हिस्सा भर है। जब विकसित देशों के लोग ही कृषि पर इतनी राजसहायता देने लगेंगे, तो हम मात्र निर्यात करके उनसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर पायेंगे? और फिर, भारत में हम लोग विकसित देशों से इन भारी रियायती कृषि उत्पादों का इतना भारी आयात कैसे झेलेंगे?

मैं मानता हूँ कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ कि रा.ज.ग. सहयोगियों के द्वारा किये गये सब प्रकार के

[श्री मणि शंकर अय्यर]

प्रचार-प्रसार के बावजूद, भारतीय कृषि को अभी तक भारी आयात ने तबाह नहीं किया है! लेकिन हमने खाद्य तेल के मामले में ऐसा होता देखा है, दूध के मामले में ऐसा होता देखा है। यह सब हो क्या रहा है? और, अब आप हमसे कह रहे हैं कि हम यह बात मान लें कि दोहा में हमारे सारे हित सुरक्षित रहे हैं!

मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री से जानना चाहूँगा कि 'गैट' समझौते के तहत बंधित-शुल्क बढ़ाने के लिए दिसम्बर, 1999 में हुई वार्ता में, उन्होंने सोयाबीन तेल का बंधित-शुल्क हटाने की बात क्यों नहीं की, जबकि सरसों के तेल के मामले में उन्होंने ऐसा किया था? उन्होंने ऐसा क्यों, किया? उन्होंने दूध और मलाईयुक्त दूध पाउडर पर बंधित-शुल्क बढ़ाया। अच्छी बात है। लेकिन सोयाबीन तेल के लिए उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आप मलेशिया में पामोलीन तेल का इतना भारी मात्रा में आयात क्यों करवा रहे हैं, नारियल तेल का इतना आयात क्यों करवा रहे हैं? इस सभा में सत्तापक्ष की ओर से दिए गए एक उत्तर के अनुसार, इससे मध्यप्रदेश में-जो कि सोयाबीन के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है-आधे से अधिक सोयाबीन-तेल कारखाने बंद हो गये हैं।

आप कृषि क्षेत्र को इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हैं? विश्व व्यापार संगठन अथवा किसी समझौते, जिस पर क्या हमने हस्ताक्षर किये हैं, कुछ भी गलत नहीं है। यदि कोई गलती हुई है तो वह यह हुई है कि यह समझने की बजाय काफी लम्बा रास्ता तय करना बाकी है, दोहा में निर्धारित किया गया लक्ष्य उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है-लोग सभी को भरमाकर यह जताना चाह रहे हैं कि लोग इन्हें महान् राजनयिक के साथ-साथ भारतीय कृषि का मसीहा भी समझें। हमें इतनी गहरी चोट लगी है कि, मैं समझता हूँ कि, हमें इस सरकार से यह जानने का अधिकार है कि क्या कृषि मंत्री जी वाणिज्य मंत्री से सहमति रखते हैं?

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, जितनी जल्दी हो सकेगी मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात और है। हमें, भारत में, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत, बाहरी आयात के प्रति हमारी शुल्कगत तथा गैर शुल्क गत संरक्षक-संरचना को विभंजित करने की प्रक्रिया शुरू करने पर बाध्य किया गया है। जो कदम हमारी राजनयिकता ने नहीं उठाया है, वह यह है कि इसने शुल्क संरचना अथवा व्यापार-अवरोधक विभंजित करने की प्रक्रिया को, विकसित पश्चिमी देशों की घरेलू राजसहायता में कमी के साथ संयोजित नहीं किया है। यदि वे देश अपनी राज-सहायता कम कर दें, तो हम जिस 60 मिलियन टन खाद्यान्न-भण्डार के अधिशेष होने का दावा करते हैं-वह कल बिक जाय! वह इसीलिए नहीं बिक रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों में राजसहायता बडे पैमाने पर जारी है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र से बड़ी मात्रा में बागवानी-उत्पादों का विक्रय कर सकते हैं। पर यह नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि यह हो सकता है-क्योंकि पश्चिमी देशों में बागवानी पर भारी राजसहायता प्रदान की जाती है जब तक भारतीय राजनय हमारे व्यापार-अवरोधकों को कम करने की प्रक्रिया को पश्चिम देशों की घरेलू राजसहायता को कम करने की प्रक्रिया के सापेक्ष नहीं रखता, तब तक हम भारतीय कृषि के संरक्षण तथा संवर्धन की उपलब्धि करने में सफल नहीं हो सकेंगे। वाणिज्य मंत्री जी के कथन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उस वायदे से मेल खाता हो जो कि उन्होंने इस दस्तावेज-राष्ट्रीय वृद्धि नीति-में किया है कि वे वास्तव में इस ओर सावधान रहेंगे। मैं मंत्रीजी का ध्यान राष्ट्रीय कृषि नीति के पैरा 3 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया है :

"कृषि अब अपेक्षतया एक अलाभकारी व्यवसाय हो चला है। और, वैश्विक व्यवस्था में कृषि-व्यापार के समावेश के परिप्रेक्ष्य में यदि तत्काल निवारक उपाय नहीं किये जाते। तो यह स्थिति संभवतया आगे और भी कटुतर होगी।"

केन्द्रीय कृषि मंत्री या केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने हमारे किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या निवारक उपाय किये हैं? इस बात को हमें निश्चय ही जानने का अधिकार है।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं यह भी देख रहा हूँ कि श्री अजित सिंह की बिल्कुल सही समय पर मनचाहा काम कर लेने की जो अदा है, जिसके द्वारा वे पसंदीदा अवसर पर एक तरफ से दूसरी तरफ भी हो जाते हैं-वे बड़ी सावधानी बरतते हुए उस समय सदन से चले गए जब मैंने बोलना शुरू किया; और अब जबकि मैं समाप्त कर रहा हूं-वे वापस आ गए हैं! मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मैंने अपने भाषण में जिन बिन्दुओं को उठाया, उस बारे में कृपया वे अपने अधिकारियों से जानकारी लें और जब अपनी बात कहें, तो हमें इन सबका उत्तर दें, विशेषकर कावेरी डेल्टा-क्षेत्र के किसानों के बारे में स्थिति क्या है-इस बारे में बताएँ। मैंने इस सम्बन्ध में काफी प्रश्न पूछे हैं। मुझे उनसे उत्तर चाहिए।

दूसरे, मैंने उन्हें कावेरी डेल्टा क्षेत्र का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं चाहूँगा कि उत्तर देते समय वे इस बारे में भी अपना मत जाहिर करें। मैंने उनसे पूछा है कि वह कृषि हेतु वित्त–सम्बन्धी अपनी माँगों तथा इस हेतु योजना आयोग व वित्त मंत्रालय से मिल रहे आवंटन के बीच का वैषम्य भी स्पष्ट करें। मैंने उनसे पूछा है कि वे और अधिक खाद्यान्न–उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति में की गई मांग और प्रधानमंत्री के उस कथन, जिसमें उन्होंने पंजाब के किसानों से खाद्यान्न–उत्पादन कम करने की बात की है–के बीच की विरुद्धता को स्पष्ट करें। मैंने उनसे पूछा है कि वे उन काफी सारी असंगतियों को स्पष्ट करें जो उनके और केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री–माननीय श्री मारन–के कथनों से साफ झलकती हैं; विशेषकर, उनका वह दावा, जो उन्होंने यहां किया है। मैं देख रहा हूं कि मंत्रीजी की दृष्टि कुछ वक्र हो रही है; दोहा से लौटने के बाद सभापटल पर रखे गए एक लिखित वक्तव्य में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि घोषणा–पत्र में भारत के कृषि–विषयक प्रमुख सरोकारों की यथेष्ट रूप से रक्षा की गई है। क्या आप वाकई समझते हैं कि भारतीय कृषि के प्रमुख सरोकारों की दोहा घोषणा–पत्र में यथेष्ट रूप से रक्षा की गई है?

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : सभापति महोदय, मैं कृषि अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं एक वाक्य से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। जब समाज की आधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो उसकी मुश्किलें दुगनी हो जाती हैं। आजादी के इतने सालों के बाद भी एक परम्परा सी बन गई है कि हम कृषि पर चर्चा करने के आदी हो गए हैं। किसानों के साथ जब कोई घटना घट जाती है, तो सरकार के खिलाफ बोलने का एक माध्यम बन जाता है।

महोदय, हम वर्तमान बजट पर बात कहने के लिए खड़े हुए हैं। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं सत्ता पक्ष से खड़े हो कर बोल रहा हूं। बल्कि मैं निश्चित रूप से किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां 48 फीसदी क्षेत्र इरिगेटेड है और उस क्षेत्र के भूगोल का 52 फीसदी वन है। मैं जहां रहता हूं, वह जिला दूसरा है और जिस जिले को मैं स्प्रिजेंट करता हूं, वह अलग है। जहां एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि नरसिंहपुर जिले में है। मैं ऊंचे स्तर पर अपनी बात नहीं कहूंगा। जो किसान एक्सपोर्ट की बात कहते हैं, उनके बारे में हमारे विद्वान मित्र कह चुके हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से बुनियादी बात कहूंगा और किसान के हित में बात कहूंगा। जिसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए, उसके बारे में मै अपनी बात कहूंगा। गांवों का विकास हो, या कृषि का विकास हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार ने 60 फीसदी ग्रामीण विकास के लिए धन दिया है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन उसका नियोजन और खर्च कैसे हो, इस पर विचार करना चाहिए। इसमें हमें दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। आज कृषि जिस विकास के रास्ते पर है, उसमें अगर कृषि मंत्रालय यह सोचे कि वह किसानों का भला कर सकता है, तो संभव नहीं है। आज हम देखते हैं कि ऊर्जा, जल–संसाधन और रसायन मंत्रालय का आपस में समन्वय नहीं है। अगर यह समन्वय नहीं है, तो आप चाह कर भी किसानों का भला नहीं कर सकते हैं। मैंने जब अपने जिले का उल्लेख किया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि वहां जलस्तर पहले आठ फीट पर था, जो अब 90 फीट तक चला गया है। ऐसी स्थिति में किसान लाभ की खेती नहीं कर पा रहा है। मैं नहीं जानता, शायद अन्य प्रदेशों में भी यही स्थिति होगी और ऐसी स्थिति में किसान लाभ की खेती कैसे कर सकता है? अगर किसान के पास बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो आप किसानों को चाहे कितनी ही अच्छी तकनीक उपलब्ध करवा दें, किसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। मेरे विचार से कदापि नहीं कर सकता। आज किसान अधिक उत्पादन के कारणों से ग्रसित है। हमने जितनी लागत लगाई, उस लागत के आधार पर उत्पादन का लाभ मिले, लेकिन नहीं मिलता है। आज मध्य प्रदेश के किसान को लहसुन उत्पादन पर अच्छा रेट मिला है। लेकिन अगले साल लहसुन उत्पादन करने वाले अन्य क्षेत्र भी जुड़ जायेंगे और परिणाम यह होगा कि लहसुन का कोई खरीदार नहीं होगा। इस बातों को कौन रोकेगा? मैंने पिछली बार भी कृषि नीति पर बोलते हुए कहा था कि सरकार बधाई की पात्र है कि वह कृषि नीति लाई है। प्लान्ट वैरायटी कानून जो 20 साल पहले बनना चाहिए था, वह हाल ही में बना है। इसके न बनने से सबसे ज्यादा भुक्तभोगी किसान रहे हैं और किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। रिसर्च करने वाला किसी मल्टीनेशनल कम्पनी के साथ हो जाता है और अपना पूरा स्वामित्व दिखाता है, लेकिन किसान को कोई हक नहीं मिलता है। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस पर विचार नहीं किया। यह जो कानून बना है, अगर वह बीस साल पहले बनता, तो किसानों का संरक्षण होता।

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र मैंने कृषि नीति पर बोलते हुए भी किया था और वह बात है–राष्ट्रीय कृषि चैनल। क्या इस देश में कोई राष्ट्रीय कृषि चैनल नहीं हो सकता है? आईसीएआरके अधिकारी बैठे हुए हैं, सरकार का इसमें कुछ नहीं लगने वाला है। किसान नीति के तहत राष्ट्रीय चैनल चल सकता है। इसकी जरूरत इसलिए है कि फसल चक्र पर जब तक सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा, किसान को लाभ की खेती नहीं मिल सकती है। अगर किसान को कृषि उत्पादन का लाभ दिलवाना है, तो उसको निर्देश देने होंगे। यह देश ऐसा नहीं है, जहां पूरे देश में एक ही किस्म की उपज होती हो या पूरे देश में गेहूं और चना पैदा होता हो। सब तरफ एक उपज नहीं है। फसल की विभिन्नतायें हैं, लेकिन किसान अगर गेहूं बोना चाहता है, तो गेहूं बोता है। परिणाम हमारे सामने हैं। हमारे गोदाम भरे पड़े हैं। आज नया गेहूं गोदामों के बाहर खुले में पड़ा है, वहीं पुराने गेहूं के बारे में हम फैसला करने में हिचकिचाते हैं, यदि हम ऐसे कोई कदम उठाएंगे तो आलोचना होना स्वाभाविक है। क्यों हम फैसला नहीं कर सकते कि हमारा गेहूं खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती है। आप कितना ही अच्छा अनुरक्षण करें, लेकिन इसे दो या तीन साल से ज्यादा नही बचाया जा सकता। क्या उस गेहूं को किसान को पशु आहार के रूप में नहीं दे सकते। इस सरकार ने देने की कोशिश की है, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसी नीति होनी चाहिए कि जो भी गोदाम हैं, जहां दो–तीन वर्ष पुराना गेहूं पड़ा हुआ है उसे पशु आहार के रूप में किसानों को दिया जाए। ताकि वे उसका लाभ उठा सकें। आपको गोदाम खाली करने होंगे। इस विषय पर कोई सोचने और कहने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय कृषि चैनल की इन बातों के लिए आवश्यकता है सरकार किसानों से बात करे। यह चैनल प्रसार भारती की स्वायत्तता के चक्कर में न पड़ जाए। यह पूरी तरह सरकारी होना चाहिए। सरकार अपनी बात, अपनी नीतिया, सीधे संवाद के रूप में, उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में किसानों तक जब तक नहीं पहुंचाएगी तब तक किसानों का भला नहीं हो पाएगा।

सरकार एक और मामले में बधाई की पात्र है। हमारी लघु सिंचाई योजनाएं हैं, हमें उन पर विचार करना पड़ेगा। लघु सिंचाई या बड़ी सिंचाई योजनाएं हों, इस पर मतभेद हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि छोटी सिंचाई परियोजनाएं होनी चाहिए। दीर्घकालिक रणनीति बना कर जो योजनाएं बनी हैं, वे इस देश में सफल नहीं हुई हैं। हम उसके शिकार हुए हैं। नर्मदा घाटी में रानी अवंती सागर जो पुराना बांध है, वह 1982 में पूरा होने वाला बांध था परन्तु 2002 में उसकी दूसरी राइट बैंक केनाल प्रारम्भ नहीं हो सकी। उसके दुष्परिणाम देखिये। एक तरफ एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि अधिगृहित कर लेते हैं, हम से 20–25 वर्ष पहले जमीन अधिगृहीत कर ली गई। हम वहां ट्यूबवैल नहीं खोद सकते। हमें 20 साल पहले मुआवजा दे दिया गया। इतने साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहां पानी आयेगा। हम कुएं नहीं खोद सकते। ट्यूबवैल खोदेंगे तो मुआवजा नहीं मिलेगा। आप कल्पना कीजिए कि किसान किस हालत में जीयेगा। आवश्यकता इस बात की है कि लघु सिंचाई योजनाओं को जो 70 से लेकर 90 वर्ष पुरानी है, उनका जीर्णोद्धार किया जाये। मैंने अपने क्षेत्र का एक विषय सदन में रखा था कि 90 साल पुरानी जो योजना है, उसका लक्ष्य 5000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई करने का था लेकिन 90 वर्ष बाद भी वह 6000 हेक्टेयर सिंचाई कर रहा है। योजनाकारों ने जो योजना बनाई होगी, वह अधिकतम सफल है। राज्य सरकारें आईं और चली गईं। आपने मध्य प्रदेश का उल्लेख किया है। वह बांध अपनी औसत से ज्यादा सिंचाई कर रहा है। उसकी उम्र खत्म हो गई और वह टूटने के कगार पर आ गया। कोई अधिकारी इसलिए उसमें पैसा नहीं लगाता क्योंकि वह अपनी लागत से ज्यादा सिंचाई कर रहा है। मेरे एक मित्र ने कहा कि जिसे हम प्रगति कहते हैं, वह एक बेहूदगी की जगह दूसरी बेहूदगी है। इन लघु सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार की बातें सिर्फ केन्द्र सरकार करेगी। राज्य सरकारों की तरफ से उसमें कितना तालमेल है, मैं मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि यहां जो प्रोजैक्ट आने चाहिए, वे नहीं आये। क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए? जब वे टूट जायेंगे तो दोबारा नहीं बन सकते। उन पर कौन विचार करेगा? किसान के बारे में यहां पर बात करें। मुझे लगता है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कृषक हैं और कृषकों की लड़ाई में रुचि रखते हैं। रुचि रखने वाले बाकी जन–प्रतिनिधि भी हैं। मेरी सदन के माध्यम से प्रार्थना है कि कहीं न कहीं हमें इस बारे में गंभीर होना पड़ेगा क्योंकि किसान संगठित नहीं है। इसलिए उसकी आवाज शायद इतनी ताकतवर ढंग से यहां नहीं रखी जाती है। हम इसकी यहां चर्चा करते हैं। हर व्यक्ति वोट के लिए तो कहता है कि हम किसान के साथ हैं लेकिन चर्चा में क्या हम बिन्दुवार समयबद्ध और चरणबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए कभी यहां तैयार हुए। इस

बजट के बाद भी यहां बजट आयेगा। इसके बाद हम किस सीढ़ी पर पैर रखेंगे, इसका सुझाव आना चाहिए। आलोचना से तकलीफ होनी चाहिए मगर अगर मुझे लगेगा कि कहीं पर कमजोरी है तो सत्ता पक्ष का होने के बाद भी मुझे सुझाव देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम उससे आगे ही बढ़ना न चाहें तो मुझे लगता है कि यह बडा कठिन रास्ता होगा। आज किसान के बारे में सोचने की आवश्यकता है तो चरणबद्ध समयबद्ध योजना के साथ उसको सूचनाएं पहुंचाना जिसकी आज मैं पुरजोर मांग मंत्री जी से करना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें सरकार का पैसा न लगे और यह चैनल शुरू हो सके तो मैं समझता हूं कि यह सबसे न्यायकारी कदम आपकी तरफ से होगा।

दूसरी बात मैं बीमा के बारे में कहना चाहता हूं। हम सब दलीय–भाषा बोलने के आदी हो गये हैं। मध्य प्रदेश में मैंने इस बात को रखा। प्रदेश सरकारें बीमा की अपनी योजनाएं चलाती हैं और केन्द्र सरकार अपनी चलाती है। क्या राज्य सरकारों ने उन्हें लागू किया। सभापति महोदय, मध्य प्रदेश सरकार ने उसे लागू नहीं किया। उसमें साफ है कि जो केन्द्रीय बीमा योजना है उसको तीन साल का रिकार्ड चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार ने तीन साल अनावारी का रिकार्ड नहीं बनाया, इसलिए राष्ट्रीय कृषि बीमा लागू नहीं हो सकती। इसलिए किसी किसान को उसका लाभ नहीं हो सकता है। इसमें गुनहागार कौन है? इस पर विचार करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। राज्य, सरकारों की इन भूलों ने कहीं न कहीं दलीय राजनीति का शिकार बनाया है। एक–दूसरे पर आक्षेप करने के चक्कर में हम इतने बडे वर्ग को प्रभावित करते हैं जिसका दलीय राजनीति से कोई लेना–देना नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो किसी पार्टी का कोई क्षेत्र उसकी मार से नहीं बचता है। प्राकृतिक आपदाएं सभी का नुकसान करती हैं। लेकिन आज भी किसान के खेत में अनावृष्टि, अतिवृष्टि या ओलावृष्टि हो जाए तो उसके नुकसान को तय करने का पैमाना 1937 का है जिसे अनावारी कहते हैं। मैंने एक बार प्रश्न लगाया तो लिखकर पहुंच गया कि अनावारी किसे कहते हैं।

मैं जिसे जिले से आता हूं उसमें एक एकड़ में 15 क्विंटल चना पैदा होता है, हेक्टेयर में हिसाब लगाएंगे तो 35 क्विंटल के आस पास पैदा हो जाता है और जो अनावारी की रिपोर्ट है उसमें तो एक एकड़ में ढाई बौरा (क्विंटल) पैदा होता था। क्या किसी किसान को इंसाफ मिल सकता है। यदि नुकसान 36 फीसदी से ज्यादा नहीं हुआ तो उसको चार आने नहीं मिलेंगे। आरबीसी का मापदंड अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। आज तक इस सदन ने उसको रिव्यू करने की कोशिश नहीं की। क्या किसान को इसमें फायदा होगा। हम ओले से पिट जाएं, हम अतिवृष्टि से प्रभावित हो जाएं, हमको हक नहीं मिल सकता है क्योंकि जो पैमाने बने हुए हैं उससे किसान को फायदा नहीं हो सकता है। सदन को इस पर विचार करना पड़ेगा कि इन पैमानों में कहीं तो फर्क आना चाहिए। अगर कहीं उपज हमने बढ़ाई है तो नुकसान की सीमा भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर किसान का फायदा हमें देखना है तो कृषि बीमा योजना में राज्यों और केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण में एकरूपता लाने की आवश्यकता है। अगर आप क्षतिपूर्ति देना चाहते हैं तो कृषि मंत्रालय की सीधे जिम्मेदारी है कि उन पैमानों को बदलना होगा जो नुकसान के पैमाने हैं जिन्हें अनावारी कहते हैं, जिन्हें नुकसान देने के प्रयास कहते हैं उन मापदंडों को बदलना होगा और उसकी शुरूआत माननीय मंत्री जी आपको करनी चाहिए।

सभापति जी, किसानों के हितों की बातें बहुत सारी हुई हैं, निर्यात की बातें हुई हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि कृषि में इनपुट की समस्या है और इस बात को हर व्यक्ति स्वीकार करेगा। अगर मैं किसान के परिवार में पैदा हो गया हूं तो मैं चाह कर भी दूसरा धंधा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं है। मैं चाहकर भी, पढ़–लिखकर उसी हालत में जीने के लिए मजबूर हूं क्योंकि बगैर पूंजी के मैं कोई धंधा नहीं कर सकता हूं।

सरकार ने दो करोड किसानों को जो क्रेडिट कार्ड दिये हैं उसमें लगभग 55 हजार करोड़ रुपया ऋण के रूप में बांटा गया है। हमारे शिव–सेना के मित्र सहकारी बैंक के बारे में कह रहे थे। मैं भी कहना चाहता हूं कि सहकारी बैंकों को भी मजबूत करने की जरूरत है और वही सीधे तौर पर किसानों के प्रति जवाबदेह हैं। सरकार ने जो कृषि नीति और अन्य कानून बनाए हैं मैं उनकी सराहना करता हूं, और कुछ सुझाव जो मैंने दिये हैं उनके प्रति सरकार आगे बढ़ेगी और किसानों का मार्ग प्रशस्त करेगी। आलोचना करने से पहले इस बात का विचार अवश्य करें कि कहीं हमारी आलोचना से कृषि के क्षेत्र में जो असंगठित किसान हैं जिसकी आवाज कहीं पर नहीं है कम से कम यह सदन उसकी आवाज अवश्य बने। बाकी मंच कब

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

बनेंगे, मैं नहीं जानता। नारियल के किसान अपना अलग संगठन बनाएंगे, हम तिलहन और दलहन के अलग बनाएंगे, गेहूं की पैदावार करने वाला अलग बनाएंगा और निर्यात करने वाले कल अलग संगठन बनाएंगे लेकिन यह सदन ऐसा मंच हो सकता है जहां से किसान की संयुक्त आवाज निकलेगी। इसी निवेदन के साथ मैं पुनः इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : सभापति महोदय, इस वर्ष भी कृषि संबंधी अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम कृषि एवं कृषकों के बारे में विचार–विमर्श करते रहे हैं। परन्तु लंबे विचार–विमर्श के बाद भी आज तक कृषकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। हम सभी जानते हैं कि भारत पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है। हमारे द्वारा यह विशिष्टता प्राप्त करने के बावजूद कृषकों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया गया है और तो और इन्हें अपनी अजीविका से भी वंचित कर दिया गया है। कृषि भारतीय अर्थ–व्यवस्था का मेरुदण्ड है। तथापि प्रचुर उत्पादन एवं विभिन्न गोदामों में बड़ी मात्रा में भंडारण के कारण उत्पादकों, कृषकों को हानि हुई है परन्तु इससे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। जब उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया जाता है तो इससे उत्पादक प्रभावित होते हैं। कृषक और उत्पादक स्वयं अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ हैं। उनके उत्पादों की दर का निर्धारण बिचौलियों द्वारा किया जाता है। कुछ डाक्टर, वकील और कुछ संसद और मंत्री यह कहते हैं कि वे कृषक हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। कृषक वह है जो खेत जोतता है। अन्यथा वह भू–स्वामी है। भूस्वामी कृषक नहीं है। उनके पास भू–जोत है। बहुत पहले ही पचासवें दशक में हमारे दिवंगत नेता, अरिंगर अन्ना ने मांग की थी कि भूमि की जुताई करने वाले किसान को स्वामित्व मिलना चाहिए। इसका समर्थन मेरे दिवंगत नेता, ए.एम.जी.आर–पुराची थालैवर ने किया था कि भूमि की जुताई करने वाले कृषक को स्वामित्व मिलना चाहिए।

अपराह्न 2.48 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

तमिलनाडु में, हमने कृषकों के लाभार्थ अधिनियम में बहुत सारे कृषि संबंधी परिवर्तन किए हैं। इस वर्ष, वर्तमान मुख्य मंत्री डा. पुराची थालैवी द्वारा पचास लाख एकड़ बंजर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसे खेती योग्य बनाया जाना चाहिए। वह 3,000 करोड़ रुपए के पैकेज उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार को अनुरोध–पत्र लिखती रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निवर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों पर व्यय किए जाने के कारण कोष खाली हो गया है। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए हमें करोड़ों रुपए की आवश्यकता है। तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कृषकों को निःशुल्क बिजली प्रदान करते हैं। हमने इसे वापस नहीं लिया है। राज्य सरकार इसका भुगतान करती है और सभी कृषकों को मुफ्त बिजली मिलती है। हमें इस अग्रगामी कार्य की अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए। क्या इसका अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा किया गया है? किसान किसान ही होता है, चाहे वह कन्याकुमारी का हो अथवा कश्मीर का हो। किसानों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नही है। वे सभी खाद्य उत्पादक हैं।

इसलिए मैं कहूंगा कि केन्द्र सरकार को कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए, कृषि क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भागीदारी होनी चाहिए। गत पिछले वर्षों में केन्द्र सरकार की कितनी भागीदारी रही है? कभी कभी, कुछ वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की गई थी और तत्पश्चात् फिर इस वृद्धि को वापस लिया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर किसान असंगठित हैं। वे पिछड़े वर्ग में आते हैं। खेत जोतने वाले सच्चे किसान समाज के पिछड़े वर्गों से आते हैं। इसलिए, सरकार को पिछड़े वर्गों के कृषि संबंधी कार्यकलापों के लिए जारी रखने के लिए अवश्य प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि हमारे कृषि कार्यकलापों थम जाएं, तो फिर हम खाद्य पदार्थों के लिए कहा जाएंगे? अब हमारे पास निर्यात करने हेतु पर्याप्त खाद्यान्न है। परन्तु फिर भी, हम चावल, दुग्ध उत्पाद एवं बहुत सारे कृषि उत्पादों का आयात कर रहे हैं। 1992 में किए गए विश्व व्यापार संगठन समझौते के कारण हमारे कृषक बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। यहां, मैं दुग्ध उत्पाद आयात आदेश, 1992 का उदाहरण देता हूं। पिछले वर्ष भी, मैंने इस बात पर जोर दिया कि इस आदेश ने हमारे कृषि उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है। दुग्ध उत्पाद आयात आदेश, 1992, को लागू करने के बाद मक्खन, पनीर और आइसक्रीम का भी आयात किया जा सकेगा। इसलिए केन्द्र सरकार को विश्व व्यापार समझौते के खंडों में संशोधन करते हुए कृषि क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

यह मांग की जा रही थी कि कृषि को उद्योग माना जाना चाहिए। औद्योगिक कामगारों के साथ अलग सरकार का बर्ताव किया जाता है। किसान श्रमिक हैं। वास्तविक रूप से खेती करने वाले श्रमिक ही होते हैं। भूस्वामी मालिक होते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि कृषि क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए उस पर व्यापक ध्यान दे। कृषि क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाना चाहिए।

जल कृषि के लिए आवश्यक वस्तु है। बहुत अधिक जल बेकार होकर समुद्र में चला जाता है। नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां तमिलनाडु के दक्षिणी भाग से होकर समुद्र में मिलती हैं। पर एक अनूठा उदाहरण है। हम जल को क्यों बरबाद होने दें? यदि नदी के जल को समुद्र में जाने से रोकने के लिए बांध बना दिया जाए जो हम हजारों एकड़ भूमि पर खेती कर सकते हैं। हम बंजर भूमि को उर्वर बना सकते हैं। हम गरीब किसानों को धनी बना सकते हैं। मैंने देखा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में खेती करता है, धनी नहीं हुआ है। मैं यह देखता रहा हूं। गत तीस वर्षों में कोई भी वास्तविक किसान धनी नहीं हुआ है। जमीन जोतने वाला धनी नहीं बना है। भूस्वामी धनी हुए हैं। वास्तविक किसानों का खून चूसा जा रहा है। कुछ परजीवी व्यक्ति इन गरीब किसानों का खून चूस रहे हैं। अतः किसानों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। कृषि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? प्रत्येक वर्ष हम इस विषय पर परम्परागत रूप से विचार–विमर्श करते हैं। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में हम दावा करते हैं कि विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। अतः किसानों को पुरस्कृत किया जाना आवश्यक है। इसका उत्पादन सरकार ने नहीं किया है। गरीब किसानों ने खाद्यान्न का उत्पादन किया है। अतः मेरा कहना है कि किसानों के साथ बेहतर बर्ताव किया जाना चाहिए। सरकार को किसानों को सहारा प्रदान करना चाहिए।

सरकार को उन्हें सहारा देना चाहिए। मेरा कहना है कि सरकार को उनके साथ दत्तक संतान की तरह व्यवहार करना चाहिए। वास्तविक किसानों के साथ सरकार को दत्तक संतान की तरह व्यवहार करना चाहिए। अनेक ऐसे मामले हैं जिनसे किसान भयभीत हैं। मैं यह कहूंगा कि ऋण प्राप्त करने की कामना करने वाले किसान के लिए ऋण प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होता है। वह आसानी से ऋण नहीं प्राप्त कर सकता। हम कार खरीदने के लिए शून्य प्रतिशत की दर पर आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वह पम्पसेट या अन्य कोई कृषि का उपकरण टैक्टर या मोटर खरीदने के लिए शून्य प्रतिशत पर ऋण नहीं प्राप्त कर सकता। मेरा कहना है कि सरकार को किसानों की सहायता प्रदान करने में उदार होना चाहिए क्योंकि इस कृषि संबंधी मांग पर हम केवल किसानों के बारे में बात कर सकते हैं। उपभोक्ताओं के बारे में नहीं। उपभोक्ता आराम फरमा रहे हैं। वे खाद्यान्न उत्पादकों पर निर्भर हैं। अतः पूरी सभा को वास्तविक कृषकों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

यदि सभी राज्य सरकारों ने किसानों के स्वास्थ्य, उनके बच्चों की शिक्षा एवं उनकी सामाजिक सुरक्षा के उपाय किए होते तो उनका विकास हो गया होता। किसी भी किसान के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है कि वह किसी अस्पताल में जाकर यह कहे कि वह किसान है और उसका विशेष इलाज किया जाना चाहिए। नहीं वह ऐसा नहीं कर सकता। उस सामान्य व्यक्ति को भी जिस पर किसी अपराध का आरोप है मुफ्त इलाज मिलता है क्योंकि वह पुलिस हिरासत में है जबकि अनेकों किसानों की सुरक्षा नहीं की जा रही है जो कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में देश को विश्व में दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता कर रहे हैं। अतः मेरा कहना है कि उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए।

आंकड़ों के बारे में यह दिखाने के लिए कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चार प्रतिशत थी, मैं एक या दो संख्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा। हमें दसवीं योजना में 7,36,570 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। गत योजना में यह 6,15,250 करोड रुपये था। इस वृद्धि के पीछे कोई तर्क होना चाहिए। यह राशि गत योजना के 2,29,750 करोड़ रुपये के अनुमान की तीन गुनी है। गणित की दृष्टि से हर पूर्णतः भिन्न है। लेकिन मैं इस सभा को सूचित करना चाहता हूं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक तीन वर्षों में 1,16,800 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 1,13,428 करोड़ रुपये के ऋण प्रवाह का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका। वर्ष 2001–02 के दौरान 52,108 करोड़ रुपये के ऋण प्रवाह का अनुमान था तथा 65,000 करोड़ रुपये के ऋण प्रवाह का लक्ष्य नौवी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में प्राप्त किए जाने के लिए शेष छोड़ दिया गया था जबकि 60,840 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

[श्री पी. एच. पांडियन]

आकडों से यह स्पष्ट है कि हम उत्पादकों, वास्तविक कृषि श्रमिकों पर निर्भर करते हैं। मैं केवल वास्तविक कृषि श्रमिकों, वास्तविक कृषकों की बात करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्री किसान आन्दोलन का नेतृत्व करते हैं। उनके पिता ने किसान आंदोलन चलाया था। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार से कृषि क्षेत्र के लिए अधिक निधियां मांगी जाएं जिसे राज्यों को बराबर बराबर बांटा जाए ताकि किसानों को वित्तीय सहायता या जो भी आवश्यकता हो, मिल सके। यदि वे मकान बनाना चाहें तो उन्हें ऋण दिया जाना चाहिए और यदि वे ट्रैक्टर खरीदना चाहें तो उन्हें बिना ब्याज के ऋण दिया जाना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

माननीय मंत्री जी को चाहिए कि उपर्युक्त प्रकार से आने वाले वर्षों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और कदम उठाएं। गत तीन वर्षों से आप इस विषय पर बोलते रहे हैं लेकिन किसानों की दुर्दशा में सुधार नहीं हुआ है।

मैं कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार कृषि क्षेत्र में अग्रणी रही है। किसानों को मुफ्त बिजली सप्लाई दिए जाने की चुनौती थी। डा. पुराची थैलेवी ने राज्य विधान सभा में बताया है कि मुफ्त बिजली बन्द नहीं किया जायेगा। किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। इस मामले में आपको किसानों के लिए त्याग करना चाहिए। आपको गरीब किसानों के लिए त्याग करना चाहिए। सभी राज्य सरकारों को इस पद्धति का अनुकरण करना चाहिए।

इस प्रकार मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। इसी के साथ में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि भारत के किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक धनराशि प्राप्त करके राज्य सरकारों को बांटी जाए।

***श्री ए. के. एस. विजयन (नागापट्टिनम)** : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मैं कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर डीएमके की तरफ से बहस में भाग ले रहा हूं। कुल कृषि उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। फिर यह हमारी लगातार बढ़ रही जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन की दृष्टि से हमारा देश अन्य देशों की तुलना में पीछे है। मैं महान तमिल संत तिरूवल्लुवर का एक दोहा उद्धृत कर रहा हूं। जिसमें उन्होने किसानों की स्तुति की है।

"उझुथन्डु वेझवारे वेझवार मेत्रेलामु
थोझुन्डु पीन सेलपवार"

जिसका अर्थ है कि अन्य सभी व्यवसायों का स्थान कृषि के बाद आता है क्योंकि केवल वही जीने के लिए आधार प्रदान करता है। लेकिन हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार है। लेकिन हमारे किसानों की दुर्दशा का बहुत बखान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यदि लागत एवं उत्पादन पर विचार किया जाए तो कुछ भी बचत नहीं होगी। और यह सच है। सरकारें आती-जाती रहती हैं। हम में से प्रत्येक कहता है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। लेकिन हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि क्या हमने कोई दीर्घकालिक संदर्शी योजना बनाकर किसानों को प्रतिफल प्राप्त होने की गारंटी सुनिश्चित की है।

कृषि में प्रयोग होने वाले यूरिया जैसे उर्वरकों पर राजसहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। यदि हम कृषक समुदाय को सतत लाभ प्रदान करने वाला व्यवसाय प्रदान नही कर सकते तो हमें उनकी जीविका चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। हमें उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में उनका सहयोग करना चाहिए।

जब हमारे नेता डा. कलैनार करूणानिधि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कावेरी जल के उचित बंटवारे के मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी.सिंह के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार से बातचीत की थी। हम इस पर अंतिम निर्णय हेतु दबाव डाल रहे थे। जिसके परिणामस्वरूप अधिकरण की स्थापना हुई। हमें अन्तरिम रूप से 250 टीएमसी जल प्राप्त करने पंचाट प्रचार मिला। लेकिन प्रत्येक वर्ष जब पानी छोड़े जाने की आवश्यकता होती है तो उसमें हमेशा बाधा आ जाती है। प्रत्येक वर्ष 12 जून को जब पानी छोड़ना होता है तो कावेरी नदी के डेल्टा के किसानों को समस्या का सामना करना पडता है। यह गंभीर समस्या गत वर्ष भी आई थी। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि 12 जून से पहले कावेरी नदी के जल के बंटवारे संबंधी पैनल की बैठक बुलाई जाए।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इसका कारण यह है कि इस बीमा को शुरू करने हेतु केवल ब्लॉक प्रशासन को इकाई के रूप में माना जाता है। इसे

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पंचायत के स्तर पर लाया जाना चाहिए और बीमा योजना के दायरे में लाने के लिए प्रत्येक गांव को एक इकाई बनाया जाना चाहिए। अब जबकि केन्द्र सरकार ने एक अलग कृषि बीमा निगम की स्थापना की है तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक किसान को कम से कम आपदा की स्थिति में निश्चित प्रतिफल प्राप्त करने हेतु बीमा की गारंटी प्राप्त हो। हम इस वर्ष के बजट में इस संबंध में की गई घोषणा का स्वागत करते हैं।

पूरे देश में खाद्यान्नों की खरीद के संबंध में एक समान नीति होनी चाहिए। इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करना सुनिश्चित होगा। गत वर्ष जब कटाई के समय फसल वर्षा से बरबाद हो गई तो किसानों के सामने समस्या पैदा हो गई तो तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्य मंत्री हमारे नेता डा. के. करूणानिधि ने 25 प्रतिशत की आर्द्रता वाले धान को खरीदने के आदेश जारी किए। इस प्रकार तत्कालीन डीएमके सरकार किसानों के बचाव के लिए आगे आई जिनके समक्ष अपनी फसल को बेचने की समस्या थी। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि पूरे देश में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए खरीद सुनिश्चित करने हेतु एक समान नीति बनाई जाए। केन्द्र सरकार को सीधे किसानों के खेत से ही धान की खरीददारी करने के लिए आगे आना चाहिए।

हाल ही में, चालू वर्ष के लिए आयात–निर्यात नीति की घोषणा की गई। हमारे केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री मुरासोली मारन द्वारा दिया गया वक्तव्य उत्साहवर्धक था और इससे कृषि क्षेत्र द्वारा कृषि उत्पादों के उदार निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। इस आयात–निर्यात नीति की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है। क्योंकि इससे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के विचार से कि हमारे घरेलू कृषि–उत्पाद के लिए बाजार संरक्षित रहे, रबड़ जैसे कतिपय कृषि–उत्पादों पर आयात–शुल्क में बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव किया है।

किसानों को अनुसंधान और विकास के द्वारा हो रही प्रौद्योगिकीय उन्नति का लाभ मिलना ही चाहिए। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को एक सुसमन्वित दृष्टिकोण रखकर इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए।

नारियल की खेती के संबंध में अनुसंधान करके जो तकनीकी और प्रौद्योगिकीय ज्ञान अर्जित किया जा सकता था और उसकी सहायता ली जा सकती थी उस के अभाव में नारियल की खेती करने वाले किसान अपनी फसल तथा उत्पादन को नुकसान पहुंचा रहे कीटों की समस्या से बुरी तरह परेशान हैं। नारियल–उत्पादक राज्यों, जो अधिकतः प्रायःद्वीपीय भारतीय क्षेत्र में स्थित है, के किसानों को गहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि देश के नारियल की खेती करने वाले किसानों को राहत और समाधान प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

माननीय रेल मंत्री ने हाल ही में कहा है कि रेलवे का, रेल मार्ग द्वारा पारगमित किये जाने वाले कृषि–उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य को पारगमनीय अवस्था में सुरक्षित रखने के लिए भण्डारण –गोदाम बनाने का विचार है। कृषि विभाग को यह अवसर चूकना नहीं चाहिए और कृषि उत्पादों को परिरक्षित रखने के लिए तथा फल व खाद्यान्न जैसे कृषि उत्पाद को जाया होने से बचाने के लिए, मिलकर प्रयास करना चाहिए।

किसानों तक संकरित बीजों, मृदा–परीक्षण सुविधाओं और बेहतर जल–प्रबंधन सम्बन्धी तकनीकों की जानकारी को पहुंचाया जाना चाहिए और उन्हें कृषि मंत्रालय द्वारा प्रचालित की जा रही गतिविधियों का भी लाभ दिया जाना चाहिए। फसल–प्रबंधन विषयक तकनीकी ज्ञान से किसानों को परिचित कराया जाना चाहिए। अतएव, देशभर में कृषि–गतिविधियों पर एक सविशेष सर्वसम्मति की आवश्यकता है। हमारे कृषि–वैज्ञानिकों के श्रम के फल का आस्वादन देश के किसानों को अवश्य करना चाहिए। केवल इसी से दीर्घकालीन तथा सतत कृषि–विकास और उत्पादन में बढोत्तरी को सुनिश्चित किया जा सकेगा। तमिलनाडु में हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नेता डा. कलैनार करूणानिधि ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का विचार रखा था। चूंकि इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा, अतः कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली की आपूर्ति जारी रखी जानी चाहिए। बल्कि ऐसी व्यवस्था को देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए। केवल तभी हम निर्बाध रूप से उत्पादन बढ़ाने में किसानों की सहायता कर पायेंगे। इन अनुदान–मांगों को अपना समर्थन व्यक्त करते हुए और मुझे इस अवसर पर अपनी बात कहने का मौका देने के लिए अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करते हुए, मैं समाप्त करता हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : कावेरी डेल्टा–क्षेत्र के किसानों के बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा! मैंने केन्द्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध किया है वह तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा–क्षेत्र

के इलाकों का दौरा करें। कृपया मेरे अनुरोध पर अपना समर्थन प्रकट करें।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैंने केन्द्रीय मंत्री जी से जो अनुरोध किया है कि वे हमारे क्षेत्र का दौरा करें और कावेरी डेल्टा–क्षेत्र में रह रहे हमारे किसानों की दुर्दशा देखें–कृपया आप उस पर अपना समर्थन प्रकट करें।

श्री ए. के. एस. विजयन : निस्संदेह, मैंने कावेरी डेल्टा–क्षेत्र की बुरी दशा और वहाँ के किसानों की समस्याओं का उल्लेख किया है। माननीय सदस्य द्वारा किए गए अनुरोध का समर्थन करने में मुझे कोई हिचक नहीं है।

सभापति महोदय : श्री रामप्रसाद सिंह।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। आज हम .कृषि की अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। कृषि हमारे भारत देश का आधार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यह चिंतन था कि भारत कृषि प्रधान देश है और वह गांवों में बसता है। यदि गांव में रहने वाले लोग खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमने गांधी जी के नाम का उपयोग तो किया लेकिन उनके कर्मों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती हैं, खेत खलिहानों से होकर गुजरती है, गांव की गलियों से होकर गुजरती हैं। यह उनका चिंतन था जिसको हम राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। आज किसानों की हालत इतनी खराब है कि वे कृषि करना ही नहीं चाहते। वे निराश हैं, उदास हैं। उनकी आशायें धूमिल हो चुकी हैं। वे गांवों में खेती करना छोडकर शहरों की ओर भाग रहे हैं। अगर समय के रहते नहीं चेता गया तो अच्छा नहीं होगा।

माननीय कृषि मंत्री जी किसान के बेटे हैं। वे अमरीका से शिक्षा प्राप्त करके आये हैं। उनके पिताजी को यह विश्वास नहीं था कि वे किसानों के कल्याण की बात करेंगे जैसा कि कृषि में है। यहां पर हमारे कृषि राज्य मंत्री श्री हुकमदेव नारायण जी बैठे हुए हैं। वे आज वहां चले गये हैं, उस सरकार में चले गये हैं जो खुद खेती को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अभी तक इस देश में, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में 33 से 34 प्रतिशत तक जमीनों की सिंचाई की व्यवस्था की गई है। हर साल हम डिबेट करते हैं। चर्चा करते हैं लेकिन सिंचाई के साधन हम अभी तक बढ़ा नहीं पाये। गांव में बिजली चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था के साधन तो हैं लेकिन वहां बिजली नहीं है। किसान बिजली से कुएं बनाकर, छोटी–छोटी बोरिंग लगाकर पटवन देना चाहता है लेकिन दे नहीं पाता क्योंकि बिजली की हालत खराब है। किसान उत्पादन करता है। जब सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है तो सरकार कहती है कि प्राकृतिक आपदा है लेकिन जब किसान अपनी मेहनत से, अपनी तकनीक से, अपने को खपाकर काफी उत्पादन कर देता है तो हमारी सरकार कहती है कि इस साल 50 लाख टन कम अनाज पैदा किया गया है लेकिन आने वाले दिनों में हम 22 करोड टन अनाज पैदा करेंगे। लेकिन इसमें किसानों को क्या मिलता है। खेतों में दवा और खाद डाली जाती है। हम जिस ट्रैक्टर का उपयोग खेती में करते हैं, उसके कलपुर्जों के दाम काफी बढ रहे हैं। किसानों की फसल की कीमत गिर रही है, आप उसे कैसे बचाएंगे। क्या कारण है कि आज कपास की खेती करने वाले, गन्ने की खेती करने वाले किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह सरकार बेदर्द है, इसे चिन्ता नहीं है कि किसान मर रहा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। आपने कोई कमेटी बना कर इस बारे में सर्वे नहीं करवाया। आपने सन् 2000–2001 में राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। उसका क्या हुआ? चौधरी साहब ने कहा था कि हम फसल बीमा करेंगे। जब हम 1989 में आए थे तो यह हुआ था कि 23 दिसम्बर, 1990 को चौधरी जी के जन्म दिन पर कृषि बीमा लागू करेंगे लेकिन वह लागू नहीं हुआ। आप किसानों के बारे में कहां सोचते हैं। किसान हर साल रोता है। यदि किसान अपने गहने बेच कर बच्चों को पढ़ा–लिखा भी देता है तो उसके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। किसान उदास है।

प्रधान मंत्री जी की ग्रामीण सड़क योजना है। यह एक अच्छी योजना है लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप किसान को उसके अनाज का मूल्य दीजिए। जब किसान सुखी हो जाएगा तो अपने आप पक्का मकान, गली आदि बनवा लेगा, उसे सरकार के पैसे की जरूरत नहीं होगी। आप बिहार में चले जाइए। मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां सोन कैनाल सिस्टम है। बिहार के उत्तरी हिस्से में कोसी प्रोजेक्ट है जहां से पटवन होता है। लेकिन वहां बाढ़, सुखाड़ की समस्या परमानैंट बन गई है। देश को आजाद हुए 52 वर्ष हो गए हैं। अब तक हम न बाढ़ का निदान कर सकें हैं न सुखाड़ का निदान कर सके हैं।

अभी मणि शंकर अय्यर जी तमिलनाडु की चर्चा कर रहे थे। जब आंध्र, उड़ीसा में तूफान आया था तो किसानों के खेत बर्बाद हो गए थे, किसान अपने को बचा नहीं पाए और आप उनकी फसल का बीमा नहीं करते। सदन में बहस करवाने, अफसरों की राय लेने से किसानों की भलाई नहीं होगी। जहां इतने गरीब लोग होंगे वहां आप भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते। कहा गया है– विभुक्षतम् किम् न करोति पापम् । जब किसान की आत्मा जल रही है तो क्या आप देश में सुख–चैन से रह सकेंगे। आज किसान खेती से निराश होकर शहरों की तरफ भाग रहा है, यहां भी भीड़–भाड़ हो गई है। इसका क्या कारण है? अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? आप जानते हैं कि आजकल आर्थिक अपराध बढ़ रहे है। मैं मानता हूं कि आज हत्या आदि के जो अपराध हो रहे हैं, वे आर्थिक अपराध हैं, उनकी जड़ में गरीबी और अमीरी है। जहां एक तरफ बड़े उद्योगपतियों की पूंजी बढ़ी हैं, वही किसानों की पूंजी घटी है। किसान पहले की अपेक्षा और गरीब हुआ है। हम यह नहीं मानते कि पिछले 52 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है, हुआ है, यह हम इसलिए मानते हैं कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि किसी भी देश के रहन–सहन से उस देश की आर्थिक स्थिति को आंक सकते हैं। हमारे देश में भी रहस–सहन का स्तर बढ़ा है। आज देश में बड़ी–बड़ी अट्टालिकाएं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन आज सारा विश्व भूमंडलीकरण की ओर से जा रहा है, हम भी जा रहे हैं। लेकिन हम उसमें भी पीछे हैं। चीन 1949 में आजाद हुआ था। आज वहां 40 करोड़ टन गल्ला प्रतिवर्ष पैदा होता है, जबकि हमारे यहां आजादी के समय साढ़े पांच करोड़ टन गल्ला पैदा होता था, अब 20–22 करोड़ टन के करीब पैदा हो रहा है। हमारे देश की आबादी भी काफी बढ़ रही है। यह ठीक है कि हमारे पास सरप्लस अनाज है, लेकिन सरकार उसे गरीबों में वितरित कराने की व्यवस्था नहीं करा पाई है। कृषि से जुड़े हार्टिकल्चर, डेयरी, मछली पालन, सुअर पालन जैसे कई कार्य हैं। लेकिन हम उनकी ओर भी समुचित ध्यान नहीं दे पाए। जब हम ग्लोबलाइजेशन की चर्चा कर रहे थे, तो कहा जा रहा था कि बड़े देशों में, विकसित देशों में काफी सब्सिडी दी जाती है। फिर भी वहां काफी विकास हो रहा है। हमारे देश में कर्जा बढ़ा दिया गया और सब्सिडी को घटाया जा रहा है, फिर भी हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह कैसे हम विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, यह ध्यान देने की बात है।

सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनीज और बड़े–बड़े उद्योगपतियों के सामने घुटने टेक दिए हैं और किसानों को भी घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है। इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आपका बहुमत है, आप अपने हिसाब से चलेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे। हम चाहते हैं कि बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का स्थाई रूप से हल निकाला जाए। हमारे बिहार में दरभंगा में मखाना बहुत होता है। उस पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा हम हार्टिकल्चर को बढावा दें। हम शाक–सब्जियों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आज हिन्दुस्तान दूध के मामले में दुनियां में नम्बर एक पर हैं और सब्जियों के मामले में नम्बर दो पर हैं। अगर हम यहां पर सब्जियों को कार्गों से खाड़ी के देशों में भेजने की व्यवस्था करें तो किसान ज्यादा सब्जियां पैदा करके अपना और देश का विकास कर सकता है, क्योंकि यह कैश क्रॉप है। गन्ना भी कैश क्रॉप है, लेकिन आज उसकी हालत ठीक नहीं है। जूट भी कैश क्रॉप में आती है, उससे पटसन का काम होता था, वह भी खत्म हो रहा है। मंत्री जी किसान के बेटे हैं, हुकुम देव नारायण जी भी किसान हैं, आप लोग किसानों के हित की बात करते हैं। लेकिन वास्तव में किसान का हित करने की दिशा में कदम उठाएं। किसान चाहेगा तो आप यहां आएंगे, केवल राम भक्ति से ही नहीं आ पाएंगे। जो बोनाफाई लोग हैं, मेहनतकश और मशक्कत करने वाले लोग हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाए, तो वे देश को खुशहाली की ओर ले जा सकते हैं। इससे अपराधों को भी हम रोक सकते हैं।

मैं चाहूंगा कि बिहार को बाढ़, सूखे और प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता दे। झारखंड हमसे अलग होकर नया प्रदेश बन गया है। हमारे सारे उद्योग वहां चले गए हैं। बिहार के सभी सांसदों ने मांग की थी कि बिहार को स्पेशल पैकेज के रूप में 30,000 करोड़ रुपए दिए जाएं। लेकिन हमें एक कौड़ी भी नही दी गई। कहा गया कि जो ऋण सरकार का बिहार पर है, उस पैसे की इसमें से वसूली कर ली गई है। बिहार में देश की आबादी का दसवां हिस्सा है। वहां की प्राचीन गौरवमय गाथा है। वहां समाज सेवा सेवा वाले लोग, टेलेंटेड लोग और बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। गौतम बुद्ध ने चुना, जैन धर्म वालों ने चुना, विनोबा भावे जी ने चुना, सब लोगों ने बिहार को चुना और फिर भी बिहार की उपेक्षा की जा रही है। बिहार की उपेक्षा क्यों की जा रही है? हमने वर्षों से मांग की कि सोन कैनाल सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जाये लेकिन नहीं किया जा रहा है जो कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई योजना है और जिससे 40 लाख हैक्टेअर जमीन पटती है। जिस तरह से पंजाब में

[श्री राम प्रसाद सिंह]

धान का भंडार है, मेरा दावा है कि भोजपुर, औरंगाबाद, आरा, बक्सर और रोहतास जिलों में धान का भंडार है और वहां किसानों के लिए एक आप प्रिजर्वेशन सेंटर नहीं खुलवा सके हैं। मैंने इस बारे में प्रश्न किया था तो जवाब आया था मात्र 40000 टन है जबकि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने और मुख्य मंत्री राबडी जी ने कहा था कि दो लाख टन हम आपको दे रहे हैं, आप व्यवस्था तो करिए। लेकिन जब किसान का अनाज नहीं बिकेगा तो वह कहां से करेगा? सब्सिडी हटा दी गई और उनके दाम बढ गये और आधे दाम जो 500 रुपये प्रति क्विंटल बिकता था, आज 300 रुपये क्विंटल पर बेच रहे हैं। किसान को उसकी लागत तक नहीं आ रही है। वह अपने बच्चों को पढा नहीं पाता है और उन्हें कपडा तक नहीं दे पाता है। किसान की ऐसी हालत है। आप वास्तव में अगर किसान की हालत में सुधार लाना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष पैकेज बनाएं, सिंचाई को बढ़ावा दें। बाढ और प्राकृतिक आपदाओं के लिए विशेष पैकेज दें। सोन नहर के आधुनिकीकरण के लिए पैसा दें। बिहार में तटबंध जलाशय योजना जो वर्षों से लम्बित है, जिसका शिलान्यास बाबू जगजीवन राम ने 1974 में किया था, वह अभी तक लम्बित है, वह पूरी नहीं हो पाई है। उसके लिए 65 करोड रुपए का बजट था। आज उसकी लागत बढ़ गई है। कृषि और सिंचाई दोनों एक–दूसरे के पूरक है। आप उस योजना को पूरा करवाइए।

विश्व व्यापार संगठन के मानकों को लागू करने के लिए किसानों के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उनका सामना मिल–जुलकर करें और किसान को खराब आर्थिक स्थिति से बचाने के लिए उसे सस्ते दर पर कर्ज दिया जाये। जिस प्रकार से व्यवसायी के सामान को रखकर आप पैसा–रुपया देते हैं, वैसे ही किसानों के लिए व्यवस्था करें कि जब खाद्यान्न पैदा होता है, मार्केट नही होता और आप व्यवसायी को 75 प्रतिशत देते हैं लेकिन किसानों को भी आप दें। आपके पिताजी की जो सोच कृषि बीमा के बारे में थी, आप उसे लागू करवाएं। बिजली जिससे खेती होती है, उसकी भी व्यवस्था करें और मैं चाहूंगा कि कृषि के सम्पूर्ण विकास के लिए, कृषि को बढावा देने के लिए और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, देश में खुशहाली लाने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए कृषि को भरपूर सहयोग दें।

डा. जसवन्तसिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के बारे में कुछ करने की शुरूआत तो की। कृषि नीति बनी, किसान क्रैडिट कार्ड बना, फसल बीमा योजना की शुरूआत हुई। आज कृषि मंत्री जी ने समर्थन मूल्य बढ़ाया तथा किसानों के बारे में प्रधान मंत्री जी ने गांव के विकास के लिए ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की। यह पहली बार शुरूआत नहीं हो रही है बल्कि बहुत लम्बे समय से, जब से सरकारें आ रही हैं, हमेशा ही किसानों के बारे में चर्चाएं होती रहती हैं। मेरे से पूर्ववक्ता जितने बोले हैं, उनके मन में पीड़ा है, दर्द है और सभी चिन्ता कर रहे हैं कि किसान का बचाव होना चाहिए, कृषि का बचाव होना चाहिए। कृषि का उत्पादन बढ़ना चाहिए। पूरे सदन में सभी सांसद चिन्ता कर रहे हैं कि कृषि का विकास हो।

जहां क्रैडिट कार्ड की बात है, उसकी अभी शुरूआत हुई है और यह एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन क्रैडिट कार्ड का जो मूल्यांकन होता है, वह किसानों के हित में नहीं है। किसान को क्रैडिट फसल के मूल्य के हिसाब से मिलता है, जबकि किसान की जमीन उसमें जुड़ी हुई होती है। इसमें परिवर्तन की जरूरत है। जब जमीन का मूल्य जुड़ा हुआ होता है, तो किसान को उसकी जमीन के हिसाब से क्रैडिट कार्ड में लोन लेने की सुविधा मिलनी चाहिए। मेरे से पूर्ववक्ता कह रहे थे कि किसान ट्रैक्टर या पम्प सैट नहीं खरीद सकता है। अगर किसान को क्रैडिट कार्ड के अन्दर जमीन की वैल्यु के अनुसार सुविधा मिले, तो किसान जो चाहें खरीद सकता है और उसको किसी पर मुहताज रहने की जरूरत नहीं पडेगी। जिस प्रकार उद्योग में ऋण प्राप्त करने की सुविधा है, उसी हिसाब से किसानों को भी सुविधा मिलनी चाहिए। किसान की जमीन मोर्टगेज़ होने पर भी उसका एक – चौथाई ही ऋण प्राप्त होता है, जबकि उद्योगों में ऐसी स्थिति नहीं है। यह अन्याय किसानों के साथ ही होता है, उद्योगपतियों के साथ नहीं होता है।

इसी तरह से फसल बीमा योजना है, इस योजना का भी लाभ कितने प्रतिशत किसानों को मिल रहा है। इस योजना का प्रचार–प्रसार ही नहीं है। गांव में छोटे किसान बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि फसल बीमा योजना क्या चीज हैं जब उनको पता ही नहीं, तो वे किस तरह से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मेरे विचार से 90 प्रतिशत किसानों को इस योजना के बारे में पता नहीं है, अगर किसी को पता है, तो बडे किसानों को हो सकता है। इसी तरह उत्पादन लागत मूल्य तय करने की बात है। बड़े उद्योग तो अपने उत्पादित मूल्य का दाम

खुद तय करते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग या कोई अन्य उद्योग, लेकिन किसान की खेती ऐसी है, जिसका मूल्य निर्धारण सरकार करती है। यहां चर्चा होती है, सब्सिडी और समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाए। जमीन में जल स्तर भी नीचे चला गया है, दस फीट से पांच सौ फीट तक चला गया है, ऐसी स्थिति में पानी निकालने के लिए पम्प सैट के द्वारा तेल की खपत भी बढ़ जाती है। लेकिन इसका आंकलन नहीं किया जाता है। आज हम समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं, लेकिन 78 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास दो हैक्टेयर के नीचे भूमि है और तन पर कपडा नहीं है। वे अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते हैं। अगर बच्चों को दवा की जरूरत हो तो वे ले नहीं सकते, वे तडपते रहते हैं। वे बदहाली में जी रहे हैं। उनके पास किसी चीज की ठीक से व्यवस्था नहीं है। ये सब चीजें हम सब को मालूम हैं। हम चिन्ता और दर्द में हैं, हम क्यों नहीं प्रचार–प्रसार करते, हर चीज का प्रचार होता है, लेकिन कभी किसी ने इनके बारे में प्रचार करने की कोशिश नहीं की। पिछली बार राजस्थान में बाजरा पैदा हुआ। चाहें राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, किसान को कह सकते थे कि आप बाजरा मत उगाइए, इसकी आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे हम आगे खरीद नहीं पाएंगे, राजस्थान सरकार नहीं खरीद पाएगी। अगर उसके भंडारण की क्षमता नहीं है तो शायद किसान इसे न उगाता। किसान को इस तरह से ध्यान कराना चाहिए। कृषि मंत्रालय की तरफ से विज्ञापन जाना चाहिए कि आगे आने वाले समय में इस चीज की फसल उगानी चाहिए, देश में इस चीज की जरुरत है और इसे विदेशों में भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका आपको मूल्य अधिक मिल सकता है, परन्तु कभी इस तरह का प्रयास नहीं होता। हम लोग 21वीं सदी की बात करते रहते हैं, परन्तु इनकी तरफ कभी ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता। आज से 20 साल पहले जो ट्रेक्टर था, वही आज है। आज भी उतना ही कंजम्शन है। अन्य चीजों की तरफ ध्यान दिया गया, लेकिन इस तरफ कृषि मंत्रालय की तरफ से कभी जोर नहीं दिया गया कि नये कल्टीवेशन के लिए नया ट्रेक्टर आ रहा है। नये पंपिंग सेट आ रहे हैं तो अब इसके अंदर इतना कंजम्पशन हो जाएगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। आज भी उसी से कटाई करते हैं, जिससे पहले करते थे, जो आज से दस साल पहले था। आज भी उनके पास वही औजार हैं, जो 500 साल पहले था, उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके लिए नयी टैक्नोलॉजी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब तक हकीकत के अंदर किसान को संरक्षण नहीं देंगे तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता, उनका उत्पादन नहीं बढ़ सकता। अगर किसान अपनी मेहनत से अपनी उपज बढ़ाता है तो उसे लाभ नहीं मिलता। आज कितने गांव ऐसे हैं, यहां कृषि मंत्री जी बैठे हैं, वे सर्वे करा लें। अगर किसी को प्याज, टमाटर और आलू नहीं बेचना है तो उनके भंडारण के लिए जगह नहीं है, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है और अगर कहीं है तो शायद डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर है। सरकार की तरफ से पंचायत, तहसील हैड क्वार्टर पर बन जाए। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तहसील हैड क्वार्टर पर वे मनमाना लेते हैं। इसलिए आप भंडारण क्षमता के लिए गोदाम बना दीजिए, किसान जब चाहे अपनी फसल को बेच सके, जितने दिन चाहें, सुरक्षित रख सके, ऐसा अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। पहला प्रयास प्रधानमंत्री जी ने यह सोच कर किया कि जब सडक देंगे तो लोग अपनी उपज को, सब्जी को आरंभ से ले जा सकते हैं, इससे लोगों को फायदा मिला है। इससे निश्चित रूप से उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी।

महोदय, मुझे अन्य राज्यों के बारे में नहीं पता। अभी हमारे उधर के मित्र कह रहे थे, उनकी सरकारें भी कई स्टेटों में है। बिजली के बारे में राजस्थान के अंदर अगर किसान बिजली लेना चाहे, उसका पढ़ा–लिखा बच्चा चाहें कि मैं मार्डर्न तरीके से अपनी खेती करूं तो उसे आठ से 12 साल पहले बिजली नहीं मिल सकती। आठ से 12 साल तक आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को यह कह कर देखिए कि आप फैक्ट्री लगा लीजिए, हम आपको दस साल बाद बिजली देंगे तो देखिए, वह कितनी फैक्ट्रियां लगा पाएगा, कितना आगे बढ़ पाएगा। किसान की हिम्मत है, वह पैसा, सिक्योरिटी भर देता है। मेरे राजस्थान में 12 साल के बाद बिजली का कनेक्शन मिल सकता है। हम यहां किसान की चर्चा करते हैं। सभी एक–दूसरे को कोस रहे हैं। हम जब तक अपने विचार सार्थक नहीं बनाएंगे, खाली यह कहेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैं दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं कि यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है। आपकी सरकारें भी बहुत से राज्यों में हैं, आप वहां कुछ करके दिखाइए। वहां आप उन्हें जल्दी बिजली दिलवा दें। अगर आप किसानों के इतने ही शुभ चिन्तक हैं तो इतना कर दीजिए कि जिस समय वह बिजली की मांग करता है उस समय उसे बिजली का कनेक्शन मिल जाए, जिससे कि वह आगे बढ सके।

आज सम्माननीय कृषि मंत्री जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि वे किसानों के लिए एक पैकेज की घोषणा करें

[डा. जसवन्तसिंह यादव]

कि जो कृषि स्नातक हैं उनको डाक्टरों, इंजीनियरों की तरह कम ब्याज पर ऋण दिया जाए, अगर वे अपनी कृषि को आधुनिक बनाना चाहें तो उनको विशेष छूट, विशेष पैकेज दिया जाए। जब ऐसा होता तो जो पढ़े–लिखे बच्चे हैं वे इस बारे में सोचेंगे।

आज दुनियां भर में हर्बल मैडिसन का व्यापार हो रहा है। हर तरीके से हम डॉलर कमाना चाहते हैं। किसान आपको इतना डॉलर कमा कर दे सकते है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हर्बल मैडिसन का आज दुनियां भर में प्रचार हो रहा है और हमारे देश की जलवायु हर्बल मैडिसन के अनुकूल है। आप उनको बताएं कि बाजरा और गेहूं बोने के बजाए आप सफेद मूसली अपने खेत में लगाएं या और कोई हर्बल मैडिसल लगाएं तो उससे किसान और सरकार दोनों का फायदा होगा और डॉलर भी किसान को और को मिलेंगे। हम रेडियो, फ्रिज, टीवी का प्रचार तो करते हैं लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि जो किसान देश को जिंदा रखता है, मेहनत करता है उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसे बताएं कि वह खेत में क्या बोए जिससे उसका फायदा हो। आज हर्बल मैडिसन किसान कैसे अपने खेत में लगाएं इसके प्रचार की आवश्यकता है।

चाहें राज्य सरकारों से या केन्द्रों से संबंधित प्रचार को हम रोज अखबारों में देखते हैं। लेकिन आज सबसे कम प्रचार कृषि मंत्रालय का होता है। शायद कृषि मंत्री जी को अखबारों में अपना फोटो छपवाने का शौक नहीं है, नहीं तो अपने मंत्रालय से संबंधित दुनिया भर की स्कीमें वे अखबारों में दे सकते हैं। गांव–गांव में आज अखबार जा रहा है तो प्रचार से किसान को और सरकार को भी फायदा होगा। आपके कृषि पर्यवेक्षक हैडक्वार्टर में ही बैठे रहते हैं, गांव में जाने का उनका मन नहीं होता है।

आज गैट और डब्ल्यूटीओ की बात होती है और कहा जाता है कि हमारे किसान विदेशों का मुकाबला नहीं कर पाए हैं। आज सारा सदन मान रहा है कि हमारे 78 प्रतिशत किसान एक या दो हैक्टेयर जमीन के मालिक हैं और विदेशों में जहां एक आदमी के पास सौ–सौ हैक्टेयर जमीन है तो हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। हमारे पास न सिंचाई के लिए पानी है न किसान को देने के लिए पूरे समय बिजली है न दूसरे साधन हैं। मैं अपने अलवर जिले की बात करता हूं। जिसे डार्क–जोन घोषित किया जा चुका है। आज आवश्यकता इस बात की है कि वहां जो किसान बैठे हुए हैं उन्हें कोई नयी तकनीक, नयी फसल बोने की जानकारी दी जाए जिससे वे ऐसी फसल उगाना शुरु करें जिससे उनका भी भला हो और देश का भी भला हो। लेकिन हमारे क्षेत्र में आज सिंचाई के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है। जब वे इलाके खाली हो जाएंगे क्या तब सरकार उनके बारे में सोचेगी?

सीड की बात कही जाती है और हम विदेशों से बढ़िया सीड मंगवा रहे हैं। आज कृषि मंत्रालय के अधीन दुनियां भर के अनुसंधान केन्द्र आते हैं और उनके पास लाखों हैक्टेयर जमीन पड़ी हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनका बजट बढ़ाया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए जिससे वे नये सीड तैयार करें। आज किसान को अगर गलत सीड दे दिया जाता है तो उसकी फसल नहीं होती है और उसका मुआवजा भी उसको नहीं मिलता है। यह बात प्रमाणित होने चाहिए कि जो बीज किसान को दिया जा रहा है वह सही है और किसी प्रकार का धोखा उसके साथ नहीं किया जा रहा है। जो हमारी तकनीक है, हिंदुस्तानी तकनीक है, उसे जितना आप आगे बढ़ाएंगे उतना ही किसान आगे बढ़ेगा। चाहें फसल रबी की हो या खरीफ की, किसान को पूरा–पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किन–किन चीजों से उसका फायदा होगा।

माननीय कृषि मंत्री जी, सारा सदन एक बात में आपसे सहमत है कि आप किसान के बेटे हैं। इस बात पर सदन की एक राय है कि आपके पिता जी ने किसानों के लिये लड़ाई लड़ी। आपने भी इस काम को करने के लिये कोई अड़चन नहीं की लेकिन एक चीज को बर्दाश्त करें और कम से कम खरीफ फसल बोने से पहले उस फसल का समर्थन मूल्य किसानों को बता दीजिये कि अमुक फसल का यह रेट होगा ताकि वह उस फसल को बोये या न बोये। जब किसान को फसल का रेट पहले मालूम हो जायेगा तो उसी हिसाब से फसल बोयगा। इसी प्रकार रबी फसल की बुवाई से पहले घोषणा हो जानी चाहियें। परन्तु होता यह है कि व्यापारी लोग किसानों की फसल बाजार आने से पहले औने–पौने दामों पर उठा लेते हैं। किसान को उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलता और वह पहले ही लुट–पुट जाता है। उसका खून चूस लिया जाता है। यही कारण है कि किसान गरीब रहता है और उसे अपनी फसल का सही लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार को इस बात की व्यवस्था जरूर करनी चाहियें। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि खरीफ और रबी में कौन–कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। पहले इस

बात का प्रचार–प्रचार करा दीजिये कि किस फसल का क्या रेट होगा।

सभापति महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड खूब प्रचार किया गया है और मैंने अपने क्षेत्र में किसानों को खूब लाभ करवाया है। मेरा निवेदन है कि इसका लाभ उसे फसल के स्थान पर भूमि से मिलना चाहिये। इससे किसान को ऋण लेने में आसानी होगी। उसे अपनी दुर्दशा ठीक करने में सहायता मिल सकती है। इस सदन को किसानों की हालत पर संजीदगी से विचार करना चाहिये और माननीय मंत्री जी थोड़ा हिम्मत करके किसानों के लिये कुछ नया कर दिखायें, मैं उनसे यही मांग करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय कृषि मंत्री यहां बैठे हुए हैं। मैं केरल राज्य से हूं। पता नहीं, माननीय मंत्री ऐसे किसी राज्य के नाम पर परिचित हैं भी अथवा नहीं! यह देश के धुर दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है।

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : यह मेरा सबसे प्रिय राज्य है।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, वह आपका प्रिय राज्य हो या न हो, लेकिन आप वहां कभी गए नहीं। हमारा मानना है कि 'केरल' शब्द संस्कृत से निकला है। 'केरा' शब्द का अर्थ है–नारियल और 'केरलम्' का अर्थ है – नारियल का भण्डारगृह। अतः, वहां हमारी अर्थव्यवस्था का आधार नारियल ही है। नारियल–कृषि हमारे राज्य की आजीविका का प्रमुख स्त्रोत है। लेकिन, वर्तमान में स्थिति यह है कि नारियल की कोई कीमत ही नहीं रह गयी। पिछले चार वर्षों से नारियल की फसल एक बहुत गंभीर रोग से ग्रस्त है। सरकार ने इस रोग के कारक रोगाणु (माइट) का पता लगाने और इसका निवारण करने के लिए कुछ नहीं किया है।

महोदय, वस्तुतः, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कृषि संबंधी स्थायी समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन, जिसे अप्रैल मास में सभा में प्रस्तुत किया गया, में कहा है:

> "समिति केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु राज्यों में माइट के रोग के कारण नारियल फसलों के व्यापक नुकसान को गंभीर चिंता के साथ नोट करती हैं। समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि जो रोग 1998 में पहली बार जानकारी में आया, उसे 4 वर्षों के बाद भी अभी तक नियंत्रित नहीं किया गया है। आशंका है कि यदि रोग पर नियंत्रण नहीं किया जाता तो संपूर्ण दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और कपास के किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटना नारियल के किसानों तक भी पहुंच जाएगी।"

किसानों द्वारा आत्महत्या करने का प्रघटन नया नहीं है। इस वर्ष में ही 32 से अधिक परिवारों ने आत्महत्या की है। अतएव, नारियल–कृषकों की स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। इस वर्ष के बजट में, केरल में नारियल की खेती के लिए कोई प्रोत्साहन देने का विचार किया गया हो–ऐसा मुझे नहीं लगता।

जवाहर लाल नहेरू ने अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इण्डिया' में कुछ ऐसे व्यक्तियों की चर्चा की है जिन्हें 'पश्चिमी देशों ने स्वयं से विलग कर दिया' और 'पूर्व के देशों ने मान नहीं दिया'। हमारी स्थिति की ठीक वैसी ही है। वाणिज्य मंत्रालय ने हमारी उपेक्षा की है और कृषि मंत्रालय ने हमें त्याग दिया है। हमारे सभी कृषि उत्पाद–नारियल, रबड़, इलायची और अन्य सभी कृषि उत्पाद नकदी फसल की श्रेणी में आते हैं। हमें यह पता नहीं है कि हम किस मंत्रालय से संपर्क करें। हमारे नारियल उत्पादक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। रबड़ किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही है। इलायची उचित रूप से उगायी नहीं जा सकती। ये सभी नकदी फसलें हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा नारियल उत्पादकों की सभी समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा।

प्रधानमंत्री ने गत वर्ष केरल में जब अपनी छुट्टियाँ बितायी थीं तो उन्होंने अपने चिंन्तन लिखे थे। उसमें नारियल मिशन का कुछ उल्लेख किया गया था। हमारे यहां एक बहुत बड़ा नारियल बोर्ड है। लेकिन इसके द्वारा नारियल उत्पादकों के उत्थान के लिए बहुत कम काम किया जाता है। रबड़ के मामले में भी ऐसा ही है। रबड़ को अब भी कृषि उत्पाद नहीं माना जाता है। मेरा माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वे रबड़ को कपास के साथ–साथ कृषि पण्य की श्रेणी में रखें। इसे धरती पर उगायी जाती है। यह कही और तैयार नहीं किया जाता। कपास भी खाद्य उत्पाद नहीं है। रबड़ को कृषि उत्पाद नहीं माना जाता और इसके परिणाम स्वरूप, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसे कृषि मंत्रालय द्वारा विलगकर दिया गया है और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इसकी उपेक्षा की जाती है।

[श्री ए. सी. जोस]

वस्तुतः केरल के सभी उत्पाद वाणिज्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्य मंत्रालय का कृषि के साथ कुछ लेना देना नहीं है। हमारे सभी उत्पाद विभिन्न बोर्डों के बीच बंटे हुए हैं। इसके परिणास्वरूप इनकी जरा भी देखभाल नहीं होती। रबड़ उत्पादकों को उनकी कीमत नहीं मिल रही है। इलायची उत्पादकों को उनकी कीमत नही मिल रही है। हम किसके पास जाएँ? जब हम कृषि मंत्रालय के पास जाते हैं तब वे कहते हैं कि यह विषय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है। जब हम वाणिज्य मंत्रालय के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि ये सभी वस्तुएँ कृषि उत्पाद पर आधारित हैं। रबड़ को कृषि उत्पाद क्यों नहीं माना जा सकता और इसका ध्यान कृषि मंत्री द्वारा क्यों नहीं रखा जा सकता? यह अत्यंत भाग्यशाली देश हैं। हमारी 51 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है जबकि इस संबंध में विश्व औसत 11 प्रतिशत है। पूरे देश में समूचे वर्ष वर्षा होती है। हालाँकि, हमारा पूरा जल नदियों और नदिकाओं में बह जाता है। कृषि मंत्रालय के पूरे बजट में जल संचयन का कोई प्रावधान नहीं है। यह वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हुआ है। कि यदि हम वर्षा के जल का मात्र 10 प्रतिशत भी संचयित करें तो यह स्वाभाविक रूप से हमारे लिए काफी सहायक होगा। हमारे पास जल संचयन के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। जिसके परिणामतः हम न केवल भू–जल बल्कि भूमिगत जल भण्डार भी खो रहे हैं।

पूरे मुद्दे का सबसे दुःखद पहलू यह है कि कृषि राज्य का विषय है। यह देश के लोगों का मुख्य रोजगार है। केन्द्र सरकार का कृषि क्षेत्रों पर उचित नियंत्रण नहीं है। मैं सुझाव देता हूं, और श्री पांडियन ने भी इसका उल्लेख किया है, कि केन्द्र सरकार की कृषि क्षेत्र में अधिक सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। केवल तभी सामान्य नीतियाँ बनायी और लागू की जा सकती हैं। एक विषय जल संचयन का है। जल संचयन से हमारी भूमिगत जलापूर्ति बेहतर हो सकेगी और हमारी अनेक समस्याएं हल हो सकती हैं। इस देश में हमारे पास 37 मिलियन हेक्टेयर, कृषियोग्य बंजर भूमि है। जापान और हमारे तीन पडौसी देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के कृषि योग्य भूमि को मिलाकर जितनी भूमि होती है, यह भूमि उससे अधिक है।

इन चारों देशों के पास कुल मिलाकर 400 मिलियन लोगों के जीवनयापन हेतु 37 मिलियन हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि हेतु उपलब्ध है। जबकि हमारे पास कृषि योग्य बंजर पड़ी भूमि के अलावा 37 मिलियन हेक्टयर कृषि योगय भूमि है।

महोदय, एक समय यह कहा गया था कि एक वेस्ट लैण्ड कारपोरेशन या एक प्राधिकरण बनाया जाएगा। उसका क्या हुआ? कृषि योग्य समूचे 37 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर कृषि करने से इन्हें कौन रोकता है; अन्यथा हमारी समस्याएँ हल हो सकती हैं?

आजादी के ठीक बाद का परिदृश्य क्या था? जब भी हमारे प्रधानमंत्री विदेशी दौरों पर गए तब के विपक्षी दलों ने शोर मचाना शुरु कर दिया कि प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमरीका से गेहूँ और चावल लेने के लिए भीख मांगने वाला कटोरा लेकर जाते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न हैं। बल्कि स्थिति ऐसी है कि हमारे पास अतिरेक खाद्यान्नों के भंडारण की समस्या है। उनके भंडारण के लिए हमारे पास पर्याप्त भंडारण सुविधा नहीं है। खाद्यान्नों की प्रचुरता है। यह सब पूर्व कांग्रेसी सरकारों की दूरदर्शी नीतियों के कारण ही संभव हो सका है।

हमारे यहां हरित क्रांति की शुरुआत तीन दशक पूर्व हुई थी। उस हरित क्रांति से हमने उच्च उत्पादकता वाले बीजों, सिंचाई की सुविधाएं आदि प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप देश में 190 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ।

अब, जैसा कि माननीय मंत्री श्री शान्ता कुमार जी इस सभा में एक समस्या का उल्लेख बार–बार कर रहे हैं, वह यह है कि सारे खाद्यान्नों का भंडारण करना भारतीय खाद्य निगम के लिए कठिन है।

लेकिन इतना होने पर भी समस्या है। यद्यपि खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में है, कुछ समय बाद यह पर्याप्त नहीं भी हो सकता है। वर्तमान प्रवृति यह है कि उच्च वर्ग के लोग अधिक दूध, दुग्ध उत्पादों, अंडे, मांस आदि का उपयोग कर रहे हैं। अब उनके द्वारा पैदा किया गया खाद्यान्न का उपयोग पशुओं के भोजन के लिए किया जाता है। इस तरह से, तीन चार वर्षों बाद खाद्यान्न पर्याप्त नहीं भी हो सकते हैं। योजना आयोग ने भी इस बात का उल्लेख किया था। अनुमान यह है कि कृषि उत्पादों के विकास के लिए जितनी धनराशि निवेश करने की आवश्यकता है हम उतना निवेश नहीं कर रहे हैं।

पहली पंचवर्षीय योजना में, हमने केवल कृषि पर कुल निवेश 37 प्रतिशत किया था। लेकिन कांग्रेसी सरकार के बाद, नौवीं योजना के दौरान, संयुक्त मोर्चा सरकार और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकारों द्वारा कृषि पर कुल निवेश केवल 20 प्रतिशत किया गया। यह पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे द्वारा किए गए कुल निवेश से 17 प्रतिशत कम है।

महोदय, इस सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय कृषि नीति, दो वर्ष पूर्व बनाई गई थी, वह बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। सरकार का अति महत्वपूर्ण कार्य है, कृषि पर अधिक से अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। लेकिन जो राशि नौवीं योजना के दौरान आबंटित की गई थी वह पहली पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस सरकार द्वारा आबंटित राशि से 17 प्रतिशत कम थी। वे क्या कर रहे हैं? कृषि क्षेत्र पर उन्होंने कितना निवेश किया है? उन्होंने कृषि क्षेत्र में फिलहाल कोई निवेश नहीं किया है।

महोदय, हरित क्रांति के दौरान कृषि क्षेत्र में विकास दर 3.12 प्रतिशत प्रति वर्ष था। लेकिन अभी यह केवल 1.06 प्रतिशत है। हमें करीब 247 मिलीयन टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। हम इसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं। यदि हमारी जनसंख्या वृद्धि अधिक है और हमारे खाद्यान्न उत्पादन के समानुपातिक नहीं है, तो इसका परिणाम यह होगा कि कुपोषण एवं भुखमरी होगी, यदि हम सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 4.5 प्रतिशत तक प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा राष्ट्रीय कृषि नीति में बताया गया है तो दसवीं योजना में हमें करीब 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना होगा।

लेकिन वर्तमान प्रवृत्ति क्या है? दसवीं योजना का दृष्टिकोण पत्र जोकि हमारे समक्ष हैं, इससे इस बात का संदेह होता है कि इतनी धनराशि का निवेश कृषि क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है। वर्ष 1995 के बाद, उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण कृषि क्षेत्र में अधिक धनराशि का निवेश किया गया था, वह क्षेत्र जो अधिक रोजगार प्रदान करता है या जो हमारे जनसंख्या के 70 प्रतिशत भाग को जीविकोपार्जन का साधान है, लेकिन सरकार कुछ भी निवेश नहीं कर रही है। अधिक निवेश करने की बजाय कृषि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान होना चाहिए।

मुख्य समस्या सिंचाई का अभाव है। हमारे पास जो भी सिंचाई योजनाएं हैं। काफी पहले ही शुरू कर दी गई थीं। अब रख–रखाव की कमी है और सरकार की नीति भी ढुलमुल है। इसलिए, सिंचाई नहरें काफी पहले ही शुरू कर दिए जाने के कारण पुरानी हो गई और अब उनमें रिसाव शुरू हो गया है; उनका उचित रखाव भी नहीं किया जा रहा है।

दूसरी बात है, भूमि सुधार का अभाव। ऐसी अवधारणा है कि छोटी जोत व्यवहार्य नहीं है। लेकिन यह साबित हो गया है कि छोटी जोत अधिक लचीले और अधिक उत्पादक हैं। व्यापक पैमाने पर कृषि का निगमीकरण घातक साबित होगा; हमें चीन, जापान, और दक्षिण कोरिया जैसे छोटे पैमाने पर अति उच्च उत्पादकता वाला उदाहरण अपनाना चाहिए, अमरीका की तरह नहीं।

दूसरी चीज खेती के यंत्रीकरण के बारे में है मेरे मित्र इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि हमें सिर्फ मोटरसाइकिलों और विभिन्न तरह के कारों की चिंता है। हम छोटे ट्रैक्टरों पर कोई महत्व नहीं देते हैं। जिसे कृषि के लिए उपयोग किया जा सकेगा। मेरी बहन श्रीमती रेणूका चौधरी ट्रक्टरों के मामले में विशेषज्ञ हैं....*(व्यवधान)* वह ट्रैक्टर चला सकती हैं; एक बार वह इस स्थान तक ट्रैक्टर चलाकर आई थीं। क्या ऐसी बात नहीं है?...*(व्यवधान)*

हमें छोटे ट्रैक्टरों की आवश्यकता है। हम सब उपकरणों का आयात कर रहे हैं। क्या कृषि मंत्रालय बहुत अच्छी जोत वाले ट्रैक्टरों के आयात की पहल करेगा ताकि इन्हें किसानों तक आपूर्ति की जा सके? हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए, जोताई को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। क्या हम ट्रैक्टरों, जोताई, जोताई की मशीने, बीज बोने की मशीनें, फसल काटने की मशीनें सूखाने वाली मशीनें (डायर्स), आदि को राजसहायता नहीं दे सकते? ये सभी उपकरण हम छोटे किसानों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, जो कि हम नहीं कर रहे हैं?

मैंने पूरे बजट को देखा है और उसमें कृषि क्षेत्र के यंत्रीकरण की कोई चर्चा नहीं है। इसमें पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में उल्लेख है। प्रत्येक गांव में पर्याप्त यंत्रीकरण होना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। यह नीतिगत बात है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। केन्द्र सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही है।

सरकार के अनेक कार्यक्रम हैं। लेकिन इनका लाभ वास्तविक किसानों तक नहीं पहुच रहा है। विभाग को रोगों के बारे में अच्छी तरह से पता है, इसने कृषि क्षेत्र के रोग का निदान कर

[श्री ए. सी. जोस]

लिया है। विभाग का कहना है कि पूंजी की अपर्याप्ता, अवसंरचनात्मक समर्थन का अभाव, मांग संबंधी अवरोधों जैसे आंदोलनों पर नियंत्रण, कृषि उत्पादों का भंडारण आदि से कृषि क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता को लगातार प्रभावित किया है। आखिर सरकार क्या कर रही है। सरकार जानती है कि रोग क्या है। जो किया जा सकता था, उसका इसने निदान कर लिया है। स्थिति को सुधारने या दुखस्त करने के लिए इसने क्या महत्वपूर्ण पहल की है?

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की बात करती है। यह बहुत ही रोचक पहलू है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने के लिए सरकार वर्ष 1970 के सूचकांक पर विचार करती है। उसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। किसान वर्ष 2002 के मौजूदा मूल्य पर ही समानों की खरीद कर रहे हैं, लेकिन सरकार वर्ष 1970 के थोक बिक्री मूल्य सूचकांक पर अपनी गणना का आधार बना रही है।

अपराह्न 4.00 बजे

वर्ष 2002 में किसानों द्वारा खरीद की जाती है, इसलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, पूर्णतः अनावश्यक हो गया, सरकार ने सिर्फ पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के कृषकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। जोकि मात्र 24.75 प्रतिशत खाद्यान्न का ही उत्पादन कर रहे हैं और शेष 75 प्रतिशत खाद्यान्नों का उत्पादन उन किसानों द्वारा किया जाता है जो अन्य राज्यों में रहते हैं, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलता क्योंकि वहां खरीद नहीं है। इसका परिणाम यह है कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में जो भी राशि की घोषणा की है, वह केवल तीन राज्यों के किसानों को ही चला जाता है। मैं इन तीन राज्यों के किसानों के विरूद्ध नहीं हूं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : यह न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बल्कि अधिकतम उत्पीड़क मूल्य है।

श्री ए. सी. जोस : यह ठीक है। यह उत्पीड़न मूल्य है।

खाद्य मंत्री यहां बैठे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि सरकार विपणन समर्थन प्रदान करने हेतु क्या कर रही है। किसान खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि बाजार में उसे कैसे ले जाया जाए। उनके पास विपणन संबंधी कोई विधि नहीं है। विपणन के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। लेकिन सबकुछ सही दिशा में नहीं जा रहा है, इसलिए किसानों को एक प्रभावी विपणन प्रणाली उपलब्ध करानी होगी।

सातवें और आठवें दशक के दौरान कृषि क्षेत्र में हमारे देश में बहुत अच्छा अनुसंधान हुआ लेकिन इसके बाद कोई पहल नहीं की गई। पांचवें वेतन आयोग के कारण, यह अवरोधक है या बुरी तरह प्रभावित हुई है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान धीमा कर दिया है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अधिक राशि उपलब्ध–करानी होगी।

मैं पुनः विपणन प्रणाली पर जोर देना चाहूंगा। जब तक आपके पास उत्पाद के लिए पूरी विपणन समर्थन प्रणाली नहीं होगी, तब तक हमें परेशानी होती रहेगी। भारतीय खाद्य निगम अब बोझ बनता जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कुछ और सामग्री देने के क्रम में, आप कितना व्यय कर रहे हैं? हम इस पर कितना घाटा उठा रहे हैं? हम भारतीय खाद्य निगम और इसके कार्यकरण पर पुनः दृष्टि क्यों नहीं डाल रहे हैं? जैसा कि श्री मणि शंकर अय्यर ने उल्लेख किया है, भारत की मुख्य गतिविधि कृषि ही है। यहां तक कि आज भी हम अन्य सभी मंत्रालयों की मांगों को बिना बहस के ही पारित कर रहे हैं। क्यों? ऐसा इसलिए कि हम इसे बहुत महत्व दे रहे हैं। लेकिन मैं बहुत खेद के साथ कह रहा हूँ कि कृषि मंत्रालय इसे इतना महत्व नहीं दे रही है। जितना इसे यह सभा महत्व दे रही है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय के बजट प्रस्तावों के संबंध में मुझे अपने विचार प्रकट करने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। हरित क्रांति के लगभग तीन दशक पश्चात हमारे देश की भौगोलिक स्थिति विशेषकर जहाज से मुहाने तक जैसी स्थिति से परिवर्तित कर दिया है। पुनः कृषि केन्द्रीय स्थान पर आ गई है। इस बार खाद्य की भयानक कमी का मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि अन्य कारणों से जो कि कम महत्वपूर्ण नहीं हैं विशेषकर अतिरिक्त खाद्यान्नों का प्रबंध करने सतत ग्रामीण आय विकास को सुनिश्चित करने; खाद्य राजसहायता के भार को नियंत्रित रखने और कृषि को सस्ता बनाने के लिए ताकि बाहरी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला किया जा सके। दस वर्षों से हमने आर्थिक उदारीकरण देखा है।

कृषि, जो कि निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी आर्थिक कार्यकलाप

है और सकल घरेलू उत्पाद का एक तिहाई और एक चौथाई के बीच है, में बहुत कम गतिवाद देखा गया है। इस तथ्य के बावजूद कि लगभग 70 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका कृषि और इसकी संबद्ध गतिविधियों से चलती है कृषि क्षेत्र को बहुत कम मिला है।

अपराह्न 4.06 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

मुझे पचास वर्ष पूर्व इस सभा में सरदार पटेल द्वारा की गई बहुत प्रेरणादायक टिप्पणी याद आती है। जब बहुत से लोग इस सभा में बोल रहे थे कि प्रधान मंत्री कितने सुसंस्कृत हैं, सरदार पटेल खड़े हुए और टिप्पणी की कि मैं केवल एक संस्कृति जानता हूं। मेरे नेता प्रधान मंत्री भारतीय संस्कृति और इस ब्रहमाण्ड की बहुत सी संस्कृतियों पर घंटों तक बोल सकते हैं। परन्तु मैं केवल एक संस्कृति जानता हूं और वह है कृषि। इसमें आगे जोड़ते हुए उन्होंने बताया था कि सभी संस्कृतियां कृषि से ही निकलती हैं। भारत को विश्व के 2.4 प्रतिशत क्षेत्र से विश्व की 17 प्रतिशत जनसंख्या की सहायता करनी पड़ती है।

हमने हरित क्रांति जो लगभग साढ़े तीन दशक पूर्व साठ के अंतिम भाग और सत्तर की शुरूआत के दौरान हुई थी, पर चर्चा की है। उसका लाभ सत्तर के प्रथम भाग में प्रकट हुआ था। स्वतंत्रता के बाद से खाद्यान्न उत्पादन तीन गुना हो गया है और आयतित अनाज पर निर्भरता में भारी गिरावट आई है। परन्तु हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग चिरकालिक कुपोषण का सामना कर रहे हैं और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। यह एक द्विभाजन है जो आज हमारे सामने है और जो इस देश के प्रत्येक विचारक के सामने चुनौती है। जैसा कि बताया गया है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है और विश्व में प्रथम स्थान पर होने की सम्भावना है। इसके लिए, मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की सफलता के लिए कोई भी दल श्रेय लेने का दावा नहीं कर सकता। हमने सत्तर के शुरुआत अथवा साठ के प्रारंभ में और अस्सी के दशक के शुरूआत में भी समाचार पत्रों में पढ़ा कि जब श्रीमती गांधी राष्ट्र को संबोधित करती थीं तो वह पहले देश के किसानों को बधाई देती थीं। ऐसे ही श्री सी. सुब्रमण्यन थे जो हरित क्रांति के पथप्रदर्शक थे। परन्तु कुछ ऐसे लोग है। जो यह श्रेय लेते हैं कि उनके कारण हरित क्रांति कामयाब हुई। परंतु मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि श्रेय केवल उन्हीं किसानों को जाता है। जिन्होंने इसे सफल बनाया था। इस बजट में जब हम कृषि में तीसरी क्रांति के बारे में सोच रहे हैं, जिसे वित्त मंत्री द्वारा 'किसान की आजादी' अथवा 'किसानों की आजादी' बताया गया है, हमें यह सुनिश्चित करना और चर्चा करनी पड़ेगी कि हम उस दिशा में कहां तक जा सकते हैं।

इस बजट में आज किसान की आजादी के उद्देश्य के लिए राज्यों और निगमित क्षेत्र को और जिम्मेदारी देने पर जोर दिया गया है। कृषि की तीसरी क्रांति, जिसका देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25 प्रतिशत योगदान होता है, में इस क्षेत्र की विशेषकर उपज के पश्चात और विपणन गतिविधियों को मजबूत बनाने तथा आधुनिक बनाने का उद्देश्य है।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृषि राज्य का विषय है। मैं ऐसे राज्य का हूं जहां धन की कमी के कारण कृषि पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता जैसा कि अन्य राज्यों के मामले में भी है। लोगों ने सुना होगा कि योजना आयोग ने कल मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उड़ीसा में अभी भी 47 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। नौ योजनाओं के पश्चात और राष्ट्रीय विकास में किए गए इन सभी निवेशों के पश्चात यह स्थिति है।

मैंने वर्तमान कृषि मंत्री और उनके पूर्ववर्ती कृषिमंत्रियों का ध्यान बार बार इस ओर आकर्षित किया है कि हमें देश के दूसरे हिस्सों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री मणिशंकर अय्यर ने अपने भाषण को मुख्यतः कावेरी पट्टी तक ही सीमित रखा। किन्तु मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि हरित क्रांति और आजादी हासिल करने से पूर्व पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर यह भारत का पूर्वी हिस्सा था। जो परम्परागत कृषि प्रणाली, वर्षा आधारित कृषि प्रणाली पर निर्भर था और जो देश को खाद्यान्न उपलब्ध कराता था। आज के सन्दर्भ में इन पांच राज्यों में आप छत्तीसगढ़ और झारखण्ड को भी शामिल कर सकते हैं।

आज भी आधुनिक बीज और कृषि पद्धति होने पर, पश्चिम बंगाल सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य है। लेकिन जैसा कि आपने अभी सुना, केवल तीन राज्यों – हरियाणा, पंजाब और कुछ हद तक आन्ध्र प्रदेश–को बाजार मिलता है जहां किसान अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को पंजाब,

[श्री भर्तृहरि महताब]

हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से धान भेजा जाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ झारखण्ड, बिहार और पश्चिम बंगाल से नहीं। यह पंजाब और हरियाणा से क्यों भेजा जाता है और क्यों भारतीय खाद्य निगम केवल इन तीन राज्यों में से ही थोक में खरीदता है अन्य राज्यों से नहीं?

इस वर्ष उड़ीसा में बहुत अधिक फसल हुई है। हमें कम दामों में भी बेचना पड़ा है। धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 530रु. प्रति क्विंटल तय हुआ है जबकि मैं एक किसान के रूप में 230 रु. प्रति क्विंटल पर बेचने को बाध्य हूं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य किसानों के साथ क्या होता है और उन्हें क्या कीमत मिल रही है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से इस क्षेत्र पर ध्यान देने का बार बार अनुरोध कर रहा हूं।

एक बार जब हमने बाजार खोल दिए है तो प्रतियोगिता से सब कुछ तय होगा। उत्तरी भारत के किसान विशेषतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान अनुभवी हैं। मैं सोचता हूं कि किसानों की तीसरी पीढ़ी अब आ गयी है। ये प्रगतिशील किसान है। ये विश्व बाजार में सफल हो सकते हैं। सभी प्रावधान किए जाने चाहिए और उनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जिससे वे खाद्यान्न का निर्यात कर सकें। लेकिन पूर्वी भारत के किसान विश्व बाजार में प्रतियोगिता करने की स्थिति में नही हैं। वाणिज्य मंत्रालय से पूर्वी भारत के बाजार की जांच करने को कहा जा सकता है और हम अतिरिक्त भण्डार को उन क्षेत्रों को उपलब्ध करा सकते हैं। जिन्हें अन्य भागों से खाद्य भंडार उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मैं सदन का ध्यान स्थायी समिति की एक रिपोर्ट की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। श्री सोमनाथ चटर्जी समिति में सूचना प्रौद्योगिकी पर शिकायत किया करते थे और सदन में भी उन्होंने कई बार इसका उल्लेख किया है कि स्थायी समिति की रिपोर्टों को बहुत कम पढ़ा जाता है। किंतु मैं आपका ध्यान सदन में हाल ही में रखी कृषि और सहकारिता से संबंधित एक रिपोर्ट की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। हम लोग यहां पर कृषि से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। कृषि संबंधी स्थायी समिति की 30 वीं रिपोर्ट में जो पहली सिफारिश और टिप्पणी की गयी हैं वह विभाग में कम आबंटन के संबंध में हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में, हालांकि कृषि और सहकारिता विभाग ने लगभग 18,253 करोड़ रु. की मांग की थी किन्तु केवल 7813.69 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे। यह संशोधित अनुमान है जो प्रस्तावित राशि का मात्र 43 प्रतिशत बनता है। पुनः दसवीं योजना में, विभाग ने योजना आयोग से 25,000 करोड़ रु. की मांग की थी लेकिन केवल 13,200 करोड़ रु. ही स्वीकृत हुए हैं जो मात्र 52.8 प्रतिशत है। 2002-03 में परिलक्षित मांग 5164.41 करोड़ रु. था जिसमें से 2167 करोड़ रु. प्रस्तावित हुए हैं जो 41.96 प्रतिशत है। ऐसा क्यों हैं?

माननीय सदस्य यहां कह रहे हैं कि कृषि मुख्य क्षेत्र है जो, यदि ज्यादा निवेश इसमें हो तो, न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपितु पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकता है और हम कृषि में निवेश करके 4 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा कर रहे हैं। और यह आबंटन किया गया है। मैं समझता हूं कि अधिक धन की आवश्यकता है। इस बजट में यह स्वप्न देखा गया है कि सरकार दस वर्षों में कृषि उत्पादन को दोगुना करने का प्रस्ताव करती है। हम ऐसा प्रस्ताव कर रहे हैं। हम उत्पादन को दोगुना करना चाहते हैं।

मैंने केवल कृषि संबंधी पहलू का ही उल्लेख किया है। अब मैं डेयरी और अन्य पहलुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। इसलिए, यह अपेक्षाएं हैं और ऐसा आबंटन है। मेरे विचार से इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और भविष्य में, और धन दिया जाना चाहिए।

कृषि का मुख्य पहलू जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वह ऋण है। जैसा कि हम जानते हैं, कृषक गरीब है और वे अपने जीवन यापन के लिए खेत में मेहनत कर रहे हैं। यह कहा गया है कि कृषि के लिए आबंटन 64,000 करोड़ रु. से बढ़ाकर 75,000 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह 17 प्रतिशत की वृद्धि है। किन्तु मैं जानना चाहूंगा कि इस धन में से कितनी धनराशि सहकारी क्षेत्र को दी गई है। यह एक पहलू है। इस धनराशि से जो धन सहकारी क्षेत्र के पास है उसमें से कितनी राशि उन सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में है, बांटी गयी है? निःसन्देह नाबार्ड हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि संबंधी स्थायी समिति की इस 30वीं रिपोर्ट में कृषि संबंधी ऋण पर भी एक टिप्पणी है।

> "भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को कुल ऋण में से न्यूनतम 18 प्रतिशत ऋण कृषि के प्रदान करना होता है। जैसाकि साक्ष्य के दौरान चेयरमैन द्वारा स्थायी समिति को सूचित किया गया

है कि बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को औसतन 14 से 15 प्रतिशत के बीच ऋण दिया जाता है।"

यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है। आगे कहा गया है;

"नाबार्ड के मामले में, समिति नोट करती है कि नाबार्ड की स्थापना मुख्यतः कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण करने के लिए हुई थी। नाबार्ड किसानों को दिए जाने वाले अंशकालिक ऋणों के लिए 5.5 प्रतिशत से लेकर 5.7 प्रतिशत तक ब्याज दरों पर वाणिज्यिक बैंकों, आर.आर.बी. तथा सहकारी बैंकों को पुनः वित्त उपलब्ध करा रहा है। वाणिज्यिक बैंक काफी ऊंची ब्याज दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। सहकारी बैंकों के संबंध में, किसानों को ऋण त्रिस्तरीय प्रणाली के माध्यम से प्रदान किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर लेन देन संबंधी लागत जोड़ा जाता है तथा अंत में किसानों को 13–17 प्रतिशत तक अधिक ब्याज दर पर ऋण मिलता है।"

अतः किसान को फायदा कैसे होता है? धन विषिष्ट उद्देश्य के लिये दिया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने इस विषय संबंधी परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करने की कृपा की थी ...*(व्यवधान)*

मैं अध्यक्ष पीठ और सभा का ध्यान इस बात की और दिलाना चाहता हूँ कि सरकार को इस ऋण–प्रणाली पर और ध्यान दिये जाने की जरूरत है। त्रिस्तरीय प्रणाली क्यों, जब हर स्तर पर ब्याज जुड़ जाता है और किसानों को 17 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है? यह प्रणाली क्यों जब नाबार्ड 5.5 प्रतिशत से 5.7 प्रतिशत की ब्याज दर से धन देता है? हम दो प्रतिशत और जोड दें। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त होगा।

गत पांच दशकों के अनुसार जब भी कृषि पर चर्चा होती है तो मेरे समेत, सभी लोग अपने भाषण की शुरूआत यह कहकर करते हैं कि किसान पिछड़े हैं। वे पिछड़े क्यों हैं? स्वतंत्रता के बाद गत पचपन वर्षों में केन्द्र की अधिकांश सरकारें कृषकों और गैर–कृषकों के लिये अलग–अलग मानदण्ड लागू करती रही हैं। जैसा कि जिक्र किया गया है...*(व्यवधान)*

जब हम उत्पाद विशेषकर औद्योगिक उत्पाद का मूल्य निर्धारित करते हैं तो उसमें कुछ लाभ निर्धारित किया जाता है। लेकिन किसानों के उत्पाद का कोई निश्चित मूल्य नहीं होता है. ...*(व्यवधान)* जब औद्योगिक उत्पाद का निर्धारित मूल्य होता है, तो कृषि उत्पाद का क्यों नहीं। लाभ को ध्यान में रखते हुये आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जैसा कि अभी ज़िक्र किया गया है न्यूनतम दबाव मूल्य निर्धारित कीजिए। आज भी किसानों को अपने उत्पाद के निर्यात की अनुमति नहीं है। ये दो ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में सरकार अगर ठोस फैसला ले, तो क्रांति हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय शुरू में मैं कहना चाहता हूं कि लगभग सभी और महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर मुझसे पहले के माननीय सदस्य बोल चुके हैं मैं अपना भाषण वहां से शुरू करना चाहता हूं। जहाँ पर मेरे सम्मानित मित्र श्री ए.सी.जोस. ने अपनी बात समाप्त की थी। मुझे कुछ कृषि उत्पादों के मूल्य से संबंधित आकड़ों को तुलनात्मक तरीके से उद्धृत करने दीजिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि तीन वर्ष पूर्व क्या मूल्य थे और आज क्या मूल्य है। मैं विभिन्न उत्पादों का प्रति किलोग्राम मूल्य उद्धृत करूंगा। सर्वप्रथम, चार साल पहले रबर 69 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा जाता था। लेकिन आज बाजार में यह 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। चार साल पहले नारियल गोला 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता था, अब इसकी कीमत 17 रुपये प्रति किलोग्राम है। चार साल पहले सुपारी की कीमत 165 रुपये प्रति किलोग्राम थी, लेकिन आज बाजार में यह 30 रुपये प्रति किलोग्राम है चार वर्ष पूर्व काली मिर्च 240 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती थी लेकिन आज बाजार में इसकी कीमत 70 रुपये प्रति किलोग्राम है। तीन साल पहले कॉफी 90 रुपये प्रति किलोग्राम थी लेकिन आज बाजार में इसकी कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। चार वर्ष पूर्व इलायची 800 रुपये प्रति किलोग्राम थी लेकिन आज बाजार में यह 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है। कोको 45 रुपये प्रति किलो था आज यह 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। मैं केरल के बाजार मूल्य उद्घृत कर रहा हूं। जो कि मेरी जानकारी के अनुसार हैं। दुग्ध विक्रेता 11 रुपये लीटर के हिसाब से दूध बेचता था अब दूध की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर है। पिछले वर्ष तक दूध की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर थीं लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार मूल्य बढ़ रहे हैं। यह स्थिति है। जब हम अपने देश के कृषि क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं हमें इस बारे में भी सोचना

[श्री एन. एन. कृष्णदास]

चाहिए कि अपने देश के कृषक समुदाय की रक्षा कैसे हो। इस मामले पर चर्चा करने से पूर्व हमारे सम्मुख यही मुख्य प्रश्न है।

अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट रणनीति पर चर्चा की थी। मैं इसको उद्धृत नहीं कर रहा हूं। क्योंकि इसे यहां प्रस्तुत किया गया है। पैरा 6 में उन्होंने बजट की व्यापक रणनीति के बारे में कहा है। पहली रणनीति यह है कि कृषि और खाद्य अर्थव्यवस्था सुधार पर जोर देना जारी रखा जाए. नौवें पैरा में उन्होंने कहा कि देश अब कृषि विविधिकरण और खाद्य प्रसंस्करण की अपनी तीसरी क्रांति के लिए तैयार है। अंतिम पंक्ति में. उन्होंने कहा कि "किसान की आजादी", हमारी नीति का न हासिल किए जाने वाला लक्ष्य है। इस सरकार का यही दृष्टिकोण है। सरकार केवल बयानबाजी करती है. आज क्या हो रहा है. 'किसान की आजादी' से क्या तात्पर्य है? क्या आत्महत्या करना है? क्या उन्हें केवल आत्महत्या करने की आजादी है जब भी हम सभा में इस मामले पर चर्चा करते हैं. आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़ जाती है। सरकार इस बात का डीग हांकती है कि उसके गोदाम खाद्यान्नों से भरे पड़े हैं। एक ओर जहां सरकार गोदामों के खाद्यान्नों से भरे होने का डींग हांकती है. भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब भी हम किसानों की आजादी के बारे में चर्चा करते हैं. आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़ जाती है। यही वास्तविकता है. हमारे देश में यही कुछ हो रहा है।

हमारे देश में यही वास्तविकता है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि इन सबका कारण क्या है। हमारे देश के कृषि क्षेत्र में यह सब क्यों हो रहा है। सरकार को इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए समय निकालना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

अब मैं रबर की बात करता हूँ। सभी जानते हैं कि रबर वाणिज्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। यह कृषि उत्पाद नहीं है। मैं इसके लिए मंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं। लेकिन कृषि मंत्री को इस मामले को संबंधित मंच पर उठाना चाहिए। यही कारण है कि हम इसकी बार–बार मांग कर रहे हैं। सिर्फ मंत्री को ही नहीं बल्कि पूरी सरकार को रबर को कृषि उत्पाद के रुप में मान्यता दिलाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के समक्ष उठाना चाहिए।

बजट प्रस्तुत करने के बाद, प्रेस को संबोधित करते समय, कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री और पूरी सरकार यह कहती थी कि सरकार आयात शुल्क बढ़ाने जा रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है? हाल ही में, सरकार ने 20,000 टन पाम आयल के आयात की स्वीकृति दी है। सरकार ने ऐसा क्यों किया? सभी जानते हैं कि कृषक समुदाय दयनीय स्थिति में है, यही समस्या है, सभी जानते हैं, कि विश्व व्यापार संगठन की सीमाओं के भीतर हम 300 प्रतिशत तक आयात शुल्क बढ़ा सकते हैं। इसीलिए, हमारी मांग है कि हमें विश्व व्यापार संगठन के इस प्रावधान का उपयोग करना चाहिए और आयात शुल्क 300 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए। हमे यह नहीं समझ सकते कि ऐसा करने में आखिर परेशानी क्या है।

26 अप्रैल को, यानि परसों, केरल कृषक समुदाय संयुक्त किसान संगठन और कृषि कामगार संगठन के अखिल भारतीय नेतृत्व में पूरे दिन की हड़ताल करने की घोषणा की है। वे सभी सरकारी कार्यालयों को एक दिन के लिए बंद कर देंगे। इस तरह के प्रदर्शन हमारे देश में सब जगह हो रहे हैं। लेकिन सरकार सब चीजों की उपेक्षा कर रही है और सरकार देश के कृषक समुदाय की भावनाओं का ख्याल नहीं रख रही है। हमारे देश में यही स्थिति है।

श्री ए. सी. जोस सहित कई सदस्यों ने इस बात का उल्लेख यहां पहले भी कई बार किया है। डेढ़ साल पहले, हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने केरल में छुट्टी बिताई थी। हमें इस पर गर्व है। उस समय, उन्होंने केरल के लिए "कुमारग्राम" नाम के एक पैकेज की घोषणा की थी। इसकी घोषणा डेढ़ वर्ष पहले की गई थी। अब तक एक कदम भी नहीं उठाया गया है। देश के कृषक समुदाय के प्रति सरकार का यही रवैया है। हम अपने देश के कृषक समुदाय के कल्याण के लिए बार-बार चर्चा करते रहे हैं।

कृषि मंत्री स्वयं एक जाने–माने इंजीनियर रहे हैं. इसलिए, मैं उनसे केरल आने और आकर स्वयं देखने का निवेदन करूंगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : पहले उन्हें तमिलनाडु और फिर केरल जाना चाहिए।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, वह तमिलनाडु से होकर ही केरल जा सकते हैं...*(व्यवधान)* उन्हें इन सब मामलों पर विचार करना चाहिए। सभी नकदी फसलों के मूल्य गिर रहे हैं। हम कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। जैसा कि यहां पहले कहा गया है, हम नारियल गरी के लिए

न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब कर रहे हैं? हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा उपयुक्त समय पर नहीं कर रहे हैं। केवल किसानों ने बल्कि इस सभा के बहुसंख्य सदस्यों ने चाहें वे किसी भी दल से संबद्ध हो–इसकी घोषणा उपयुक्त समय पर करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है। अन्यथा, यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा समय से नहीं करेगी तो इससे देश के कृषक समुदाय को कोई राहत नहीं मिलेगी। लेकिन हो क्या रहा है? जैसा कि पहले कहा गया है, यह 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' देश के किसानों के विरूद्ध 'अधिकतम दमन मूल्य' बन जाता है। अतः सरकार को चाहिए कि अपने देश के कृषक समुदाय के कल्याण उच्च अन्य प्राथमिकता के आधार पर विचार करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समय बहुत थोड़ा है और इस विषय को 5.30 बजे तक पूरा करना है। बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या 15 है और इनमें भी जो अनुपस्थित होंगे, वे नहीं बोल पायेंगे। अगर समय का ध्यान रखा जायेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि अधिक से अधिक सदस्य बोल पायें। डा. राम कृष्ण कुसमरिया।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, मैं जब कालेज में प्रथम वर्ष पढ़ने गया तो उस समय भारतीय किसानों के विषय में यह पढ़ा "भारतीय किसान ऋण में पैदा होता है, ऋण में ही जीवन यापन करता है और ऋण में ही मर जाता है।" यह कहावत उस समय लागू थी और आज भी उसी तरह से लागू चली आ रही है। इसमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे राज्य मध्य प्रदेश में आत्महत्या की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुलताई में जब किसानों ने आन्दोलन किया तो मुख्यमंत्री ने उन्हें गोली से मरवा दिया। कई जगह आत्महत्यायें हो रही हैं। उसका कारण किसान की दो प्रकार की मुसीबतें हैं – एक आसमानी और दूसरी सुलतानी। आसमानी मुसीबतों में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, सुखाड़ आदि से जो नुकसान होता है, उसका मुआवजा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं फिर भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता क्योंकि उन्होंने फसल बीमा योजना लागू करके इस समस्या का निदान करने की कोशिश की है। इसमें दिक्कत यह है कि केन्द्र द्वारा यह योजना लागू किये जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में पिछले तीन साल से इसे लागू नहीं किया गया है। वहीं के मुख्य मंत्री इसे लागू नहीं कर रहे हैं। जैसे इन्द्र भगवान ऊपर से बरसात करते हैं तो बीच में भाप बनने के बाद जमीन पर नहीं आता है, उसी प्रकार केन्द्र की योजना होती है, राज्य सरकार के कारण यह किसानों तक नहीं जा रही है। वहां बिजली की कमी के कारण किसानों की लाखों एकड़ वाली खड़ी फसल सूख गई जिसे पानी नहीं मिला। जैसे कोई प्यासा तड़पता हुआ आदमी अपने आप मर जाए, इसी तरह से वहां फसलें चौपट हो गई हैं इस परेशानी का निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। राज्य सरकारें केन्द्र के नाम पर बहाना बनायें, यह नहीं चलेगा। इसके कारण आज हमारा किसान फंसा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि यदि हमने पानी और बिजली का इंतजाम किया होता, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया होता तो किसानों को आज आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। किसान की माली हालत में सुधार आता। इसके अलावा वर्तमान समय में हम डब्ल्यू. टी.ओ. के कम्पिटीशन के युग में पहुंच गये हैं। कोई ऐसा पहलवान जो अच्छा खाया–पीया हो, उसके साथ किसी भूखे आदमी का युद्ध करा दिया जाए, वह हालत आज हमारे किसान की है। तमाम विकासशील देश अपने किसानों को खूब सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप अपनी सब्सिडी खत्म करो। मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने पहलवान बनाइये, उन्हें लड़ने के लायक बनाइये। मैं कहना चाहता हूं कि आज खेती में फर्टिलाइजर की डोड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके कारण जमीन खराब हो रही है। इससे जो पैदावार होती है, जो अन्न पैदा होता है, उसमें उतने न्यूट्रीशनल तत्व नहीं होते हैं और उससे अनेके बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। मैंने अपने खेत पर जैविक खाद तैयार की है। यह खाद मैंने गौ–मूत्र से तैयार की और दोनों में कम्पैरीजन किया तो पाया कि इसका यील्ड बहुत अच्छा है, उसमें पैदावार अच्छी आई, इसका खाद्यान्न ज्यादा चमकदार, वजनदार और ताकतवार है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अब हमें अपनी पद्धति को बदलने की आवश्यकता है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह इस दिशा में अनुसंधान करायें और किसानों को इस विषय में ज्यादा से ज्यादा साहूलियत दें, ताकि वे अपने खेतों को अन्न की फसल के लिए इस तरीके से तैयार कर उसका ज्यादा से

[श्री रामकृष्ण कुसमरिया]

ज्यादा उपयोग करें। आपने जो कुछ प्रयास किसानों के लिए किये हैं, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर उन्हें बहुत राहत दी है। आपने उनके सम्मान को बढ़ाया है और उन्हें यह स्वतंत्रता दी है कि वे खेती से संबंधित जो भी मनचाही चीजें खरीदना चाहें, खुले बाजार में कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन हम आपसे यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप इसे और सरलीकृत कर दें।

दूसरी बात यह है कि जो फसल बीमा योजना है, इसे आप अनिवार्य रूप से सारे प्रदेशों में लागू करें। इसे प्रदेश की कृपा पर न छोडा जाए। इसके लिए आप ऊपर से ही कोई ऐसी व्यवस्था बनायें, ताकि सब किसान इससे लाभान्वित हो सकें। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि गेहूं, ज्वार, कुटकी, कोदो आदि तमाम प्रकार की फसलों को जिस पुरानी पद्धति से उगाया जाता था, जो सिस्टम काफी पुराने समय से चला आ रहा है, आज उसे बदलने की आवश्यकता है, जैसे मैडिसिनल प्लान्ट्स की खेती है, हॉर्टीकल्चर है। इसके अलावा हमारी खेती से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ उद्योग डेरी उद्योग है। आज उसके संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। किंतु हमें ऐसा लग रहा है डब्ल्यू टी. ओ. की वजह से और विदेशी दबाव के कारण हम अपने किसानों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने दुग्ध उद्योग की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय में हमें विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसान के पास गल्ला है और आपने जो इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की है ग्रामीण सड़कों द्वारा इसके लिए भी मैं आपको बधाई दूंगा। आपने सड़कों के लिए प्रावधान किया है। मुझे मालूम है जब सड़कें नहीं थी तो अपना गल्ला पैदा करके हम गांव में रखते थे, लेकिन उसको बाजार तक ले जाने के लिए हमें चार महीने रूकना पड़ता था, जब बरसात का मौसम निकल जाता था। उसके बाद भी सड़क न होने के कारण टट्टुओं पर लादकर उसे ले जाना पड़ता था। आज जो सडकों का इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा गांव–गांव में सड़क बनाने की योजना लागू की गई है, इससे निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। उनको तत्काल अपने माल को बाजार में ले जाने में सहूलियत मिलेगी। इसी तरह से आपने जो वेयरहाउसिंग और शीतगृह के लिए प्रावधान किये हैं, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से किसानों का बहुत लाभ करते हैं। वे अपनी फसल को उसमें रख सकते हैं। जब उचित मूल्य मिले तो उसे बेचकर लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे।

कई वर्षों से नैचुरल कैलेमिटीज के कारण जो किसान अपना कर्ज़ नहीं चुका पा रहे थे, उनके लिए समझौता योजना लागू करके आपने उनके ब्याज में सहूलियत दी है, एकमुश्त समझौता करके उनका जो अधिक ऋण है, उसके मूलधन में समझौता करके जो राहत दी है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका पुरजोर समर्थन करते हुए, इस प्रार्थना के साथ कि जो सुलतानी मुसीबतें हैं, इनको कम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा किसान खुशहाल बनेगा, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं समय के अभाव से अवगत हूं। लेकिन मुझे बहुत कुछ कहना है। मैं सभापति महोदय से अनुरोध करता हूं कि मुझे पर्याप्त समय दें ताकि यहां मैं सभी बातों को व्यक्त कर सकूं।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अनेक बातें बतायीं। इस बात की आशंका थी कि यह बजट आशंका किसान विरोधी है, इससे कृषक समुदाय के हितों को चोट पहुंच रही थी। माननीय कृषि मंत्री ने भी यहां अनुदानों की मांगों को रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि यह केन्द्र सरकार के किसान विरोधी बजट का ही अनुकरण है। अब इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि हमारा देश अधिकांशतः कृषि पर निर्भर है। सत्तर प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर लगी हुई है। अब यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि किसानों में अधिकतर गरीब; सीमान्त किसान एवं खेतिहर मजदूर हैं हमारी सरकार विश्व बाजार में अन्य देशों के किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मुझे यह पता नहीं कि वे गरीब किसानों, कृषि मजदूरों और सीमान्त किसानों के उत्थान के लिए सोच रहे हैं।

सर्वप्रथम मैं कृषि मंत्रालय द्वारा परिशिष्ट–।।। में प्रस्तुत किए गए क्षेत्रवार बजट आबंटन पर बात करूंगा ऐसा प्रतीत होता है कि बीज विकास, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, छोटे किसानों के कृषि व्यापार संबंधी सहायता संघों और भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी आबंटन कम कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि आपको गरीब लोगों और गरीब किसानों के उत्थान की चिन्ता नहीं है।

अनेक मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। मेरा कहना है और यह सच भी है कि हमारी कृषि में एक ठहराव आ गया है। बल्कि, इसमें गिरावट ही आई है। अतः गरीब लोगों के उत्थान के लिए क्या करना आवश्यक है? सबसे प्रमुख बात भूमि सुधार की समस्या है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिकांश राज्यों में भूमि सुधार कार्यक्रम पहले ही अस्वीकार कर दिया गया है। मैं कृषि मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उनका विचार पूरे देश में भूमि सुधार कार्यक्रम की निगरानी एवं आकलन के लिए किसी आयोग की स्थापना करने का है? बिना भूमि सुधार किए आप यह कैसे आशा कर सकते हैं कि गरीब लोगों का उत्थान संभव है?

कृषि राज्य का विषय है लेकिन इसके बावजूद केन्द्र सरकार कृषि संबंधी अनेक पहलुओं पर कार्य करती है। वे विश्व व्यापार संगठन संबंधी कार्य देख रहे हैं और राष्ट्रीय कृषि नीति भी लागू करने जा रहे हैं। मुझे पता नहीं कि राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है या नहीं।

भूमि सुधारों पर ध्यान देने के बाद भूमि की उत्पादकता एवं कृषि की उपज की बात उठाई जानी चाहिए। इसके बाद ऋण का प्रश्न उठता है। माननीय कृषि मंत्री को यह ज्ञात है कि कृषि में ऋण प्रवाह की दर 15 प्रतिशत से कम है। यह इतना कम क्यों है? भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों के अनुसार यह कम से कम 18 प्रतिशत होनी चाहिए। यह अपेक्षा थी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी जमा का 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे केवल 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक ही निवेश कर रहे हैं। क्या ऋण के मामले में केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों पर निगरानी रखने का है?

फसल बीमा योजना बहुत अच्छी है। लेकिन मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह गांव को एक इकाई मानें। जब तक गांव को इकाई नही माना जाएगा, किसानों को कोई लाभ नही होगा। अतः जहां तक फसल बीमा योजना का संबंध है, कृपया गांव को एक इकाई मानें। जहां तक प्रौद्योगिकी की बात है हमारे किसानों को उसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

और अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए तथा और अधिक कृषि महाविद्यालय खोले जाने चाहिए। कृषि पर आधारित प्रत्येक जिले में कम से कम एक कृषि महाविद्यालय होना चाहिए, वहां जैव–प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जानी चाहिए और वहां जनेटिक इंजीनियरिंग कालेज होने चाहिए। इन क्षेत्रों पर बल दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से युवा एवं शासित लोग हैं। उनके पास रोजगार नहीं हैं। वे बेरोजगार युवक हैं। हमारी सरकार उन्हें "ग्रीन डॉक्टर्स" (कृषि विशेषज्ञ) के रुप में नियुक्त कर सकती है। ऐसा किया जा सकता है।

अब मैं राजसहायता की बात करूंगा। उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता में कटौती से किसानों को मदद नहीं मिलती है। इसका उल्लेख अनेकों बार किया जा चुका है और मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। कृपया उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता में कटौती न करें एवं कृषि में काम आने वाली वस्तुओं पर और अधिक राजसहायता दी जाए।

अब मैं, कृषि मजदूरों की बात करूंगा। कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए एक व्यापक कानून होना चाहिए। करोड़ों की संख्या में कृषि मजदूर हैं। वे खेतों में लगे हुए हैं। लेकिन कृषि मजदूरों के लिए कोई व्यापक कानून नहीं है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। हमारी सरकार को कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए कोई कानून बनाना चाहिए।

अब, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की बात करूंगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रत्येक राज्य में हर जगह मुफ्त में विद्युतीकरण किया जाए। यह सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ताकि गरीब लोग, सीमान्त किसान एवं छोटे किसान सस्ती दर पर विद्युतीकरण का उपयोग कर सके।

अब, मैं सिंचाई की बात करूंगा। सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार क्या कर रही है। मैं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की बात कर रहा हूं। यह राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता ही है। समुद्र से होने वालों कटाव जारी है, नदी से होने वाला कटाव जारी है। इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है? यदि हम सिंचाई से संबंधित बड़ी परियोजनाओं की बात करें तो इस सबंध में केन्द्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। केन्द्रीय सहायता की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की नहीं है। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अतः केन्द्र सरकार को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि, जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, गरीब लोगों को लाभ प्राप्त हो सके।

जहां तक बाजार का संबंध है उसमें खरीद होनी चाहिए। एफसीआई खरीद नहीं कर रही है। लेकिन खरीद ही नहीं होगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कैसे दी जा सकती है?

[श्री प्रबोध पण्डा]

यदि जेसी आई को विद्यटित किया जाना है, यदि वह प्रभावी नहीं रहेगी तो जूट उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा?

अब मैं अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल की बात करूंगा। धान की कीमत 350 रुपये प्रति क्विंटल से कम है लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य 530 रुपये प्रति क्विंटल है। इस समय अधिक उपज देने वाले धान की कटाई चल रही है और कटाई के बाद स्थिति और अधिक गंभीर हो जाएगी। अतः, खरीद अनिवार्य है और खरीद प्रणाली को मजबूत बनाए बगैर आप किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दे सकते। यही मेरी साधारण सी बात है।

अन्त में महोदय, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि गरीब लोगों के उत्थान के लिए केवल कृषि मंत्रालय ही पर्याप्त नहीं है। सरकार के अनेक विभाग हैं। उनमें तालमेल होना चाहिए और गरीब लोगों के उत्थान के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। यही मेरी राय है।

सभापति महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

महोदय, इन्हीं चन्द शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं)*

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र) : माननीय सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार की रीढ़ की हड्डी है। इस क्षेत्र को नजरअंदाज करने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आजादी के 55 वर्ष बाद भी कृषि क्षेत्र को किसी भी सरकार ने कोई कारगार और ठोस नीति नहीं दी है। इस क्षेत्र को लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा है और जो कुछ भी थोड़ा–बहुत किसी सरकार ने इस क्षेत्र के लिए करने की कोशिश की तो तत्कालीन सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में उसका लाभ इस क्षेत्र को नहीं मिल सका।

आप सब जानते हैं कि पहले हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। हमें विदेशों से अन्न की भीख मांगनी पड़ती थी। लेकिन भारत के किसानों, विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने जी–तोड़ मेहनत करके और मामूली से सरकारी सहयोग से इतना अन्न पैदा कर दिया कि आज लाखों टन अनाज देश के पास बफर स्टॉक के रूप में मौजूद है और देश के सामने अन्न भंडारण की समस्या पैदा हो गई हैं। अन्न भंडारण की समस्या से निपटने के लिए प्राइवेट और सरकारी सैक्टर में ज्यादा से ज्यादा गोदाम बनाने के लिए सरकार को धन का प्रावधान करना चाहिए और करना होगा। कृषि के लिए अन्न उत्पादन के बाद किसानों के आगे कृषि पर आने वाली लागत की समस्या आई।

कृषि के लिए सबसे जरूरी चीज पानी है। उसके बाद दवाईयां, उर्वरक और कृषि यंत्र है। कृषि के क्षेत्र में भूमिगत पानी का इतना अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अनेक राज्यों में वाटर लैवल काफी गहरा चला गया। वहां कृषि क्षेत्र तो क्या बल्कि पीने के पानी की भी भयानक समस्या पैदा हो गई। पहले किसान जो मोटर पांच हार्स पावर की चलाता था, अब वहां पच्चीस हार्स पावर की चलती है। बिजली की खपत बढ गई, बिजली महंगी हो गई और किसान भारी भरकम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकता। जोत छोटे हो जाने के कारण किसान गहरे नलकूपों का बोझ भी नहीं उठा सकता। आज भी किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी फसल पर लागत ज्यादा आती है लेकिन उसे उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। यदि वाटर कमीशन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस समस्या का हल करना चाहे तो कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि हमारे देश के पास किसी भी देश से ज्यादा प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, लेकिन हम उनका पूरी तन्मयता के साथ दोहन नहीं कर रहे हैं। अकेले हिमाचल प्रदेश से हम 25,000 मेगावाट पनबिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन अकेला राज्य इतनी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने का खर्चा नहीं उठा सकता। लिहाजा सरकार को इस प्रकार की बड़ी परियोजनाएं, जो वर्षों से लंबित पड़ी हैं, उनको पूरा करने के लिए धन का प्रावधान करना चाहिए ताकि किसान को सस्ती और ज्यादा बिजली दी जा सके और 80 प्रतिशत आबादी की परचेजिंग पावर बढ़ाई जा सके तथा छोटे और मझले उद्योग–धंधों को फेल होने से बचाया जा सके। मैं कहना चाहूंगी कि अकेले पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बरसाती पानी काफी वेस्ट चला जाता है। यदि राजस्थान में कृत्रिम झील बनाकर, नदियों

पर तट बांध और बैराज बना कर बरसाती पानी को रोका जाए तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा और भी एक दो राज्यों की प्यास बुझाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है।

हमारे सामने और एक विकल्प वाटर रीचार्जिंग का है। जिन क्षेत्रों में वाटर लैवल गहरा चला गया है, वहां बरसात के दिनों में बोरिंग करके जमीन के वाटर लैवल को ऊपर उठा सकते हैं ताकि सूखे के मौसम में उस पानी का प्रयोग किया जा सकें। लेकिन ऐसा तभी हो सकेगा जब हम अपने पूरे पनबिजली स्त्रोतों का पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दोहन करें और झीलों, नदियों और तालाबों में बेकार बहने से बरसाती पानी को रोक सकें। जिस प्रकार बिजली का नेशनल ग्रिड बनाया गया है, वाटर का भी एक नेशनल ग्रिड बनाया जाए ताकि झीलों, तालाबों और नदियों के पानी का समुचित प्रयोग किया जा सके। आप देखिए, सरदार सरोवर और भाखड़ा डैम के बाद ऐसी कोई लाभकारी परियोजना कृषि क्षेत्र को किसी भी सरकार ने आज तक नही दी। कहां दी गई है? भाखड़ा बांध परियोजना जब तैयार हो रही थी, उसके मुहूर्त पर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि यह परियोजना भारत के विकास का मंदिर है। इस परियोजना ने अपने नाम के अनुरूप भारत में बिजली और अन्न का उत्पादन करके भारत की कायाकल्प कर दी। आज योजना आयोग को इसी प्रकार की योजनाओं की जरूरत है। इसी तरह से शाहपर–कंडी परियोजना, टिहरी गढ़वाल बांध जैसी परियोजनाएं जो बरसों से फाइलों में धूल चाट रही हैं, उनको नौकरशाही के मकड़जाल से निकाल कर समुचित धन का प्रावधान करके पूरा किया जाना चाहिए। इस प्रकार की परियोजनाएं पूरी करने से हमें उत्पादन लाभ त्वरित प्राप्त होता है और करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। किसान को सस्ती और ज्यादा बिजली भी मिल सकती है। इससे किसान की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो हमारे उद्योग–धंधे फलेंगे–फूलेंगे।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा लम्बी–चौड़ी बात न करते हुए सरकार से पुरजोर आग्रह करूंगी कि किसान को बिजली सस्ती और ज्यादा दी जाए। यदि प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसको लागत मूल्य समेत लाभकारी मूल्य दिया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना पूरी तरह से लागू की जानी चाहिए। किसान जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, यह भारत माता के माथे पर आजादी के 55 वर्ष बाद भी कलंक है। इस कलंक को धोने के लिए सरकार को महती प्रयत्न करने होंगे, अपनी सुप्त इच्छाशक्ति को जगाना होगा। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमें आज विश्व बैक की तरफ नहीं, अपने देश की टकसाल की तरफ देखना होगा। जब हमारे किसान ने अन्न पैदा करके देश को आत्मनिर्भर बना दिया, तो सरकार को भी देखना चाहिए इस 80 प्रतिशत आबादी को कि हम पूंजी के मामले में भी आत्मनिर्भर हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदया, अपने देश में किसानों के महत्व को देखते हुए कृषि विभाग की मांगों पर इस सदन में बहस हो रही है। यह निर्णय सचमुच किसानों के महत्व को देखकर ही लिया गया है। किसानों के साथ कृषि विभाग की अहम भूमिका है। वैसे तो सरकार के 14 विभागों से किसानों का मतलब हैं, लेकिन कृषि विभाग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आज देश में किसानों की दुर्दशा है। सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुए इस बारे में जो विचार प्रकट किए, उससे यह साबित होता है। केरल के नारियल किसान भी पीडित हैं, उनकी फसल को प्राकृतिक बीमारी से हानि हो रही है। इसी तरह से देश के अन्य हिस्सों में भी किसान की फसल नष्ट हो रही है। इसको रोकने के लिए क्या अनुसंधान हो रहे हैं, यह हमें पता नहीं है। बिहार के शीशम के पेड़ सूख गए हैं। अब इस बारे में आई.सी.ए.आर. क्या कर रहा है, लेबोरेट्री द लैंड वाला फार्मूला कहां चला गया, कोई अनुंसधान हो रहा है या नहीं और उसको जमीन पर लाया जा रहा है या नहीं, यह हमें पता नहीं है। किसानों को नई तकनीक की जानकारी दी जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढे, उसका ज्ञान कराया जाए। आज चाहे गन्ना बोने वाला किसान हो, फल और सब्जी बोने वाला किसान हो, सोयाबीन पैदा करने वाला किसान हो, जूट पैदा करने वाला किसान हो, आलू पैदा करने वाला किसान हो, धान पैदा करने वाला किसान हो या दूध पैदा करने वाला हो, सबकी हालत खराब है। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उसकी लागत बढ़ रही है और दाम पूरा नहीं मिल रहा है। वह अपनी फसल को आधे दाम पर बेचने को मजबूर है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार को कामन सेंस अथवा सेंस आफ प्रपोर्शन है या नहीं। अभी जब अन्न से गोदाम भर गए, तो प्रधान मंत्री जी का बयान आया कि अनाज का उत्पादन कम करो। जब सरकार आई थी तो उसने कहा था कि हम दस बरस में अनाज के उत्पादन को दोगुना कर देंगे। अगर एक वर्ष में दस प्रतिशत की वृद्धि होगी, तभी दस वर्षों में दोगुना होगा। लेकिन अब अन्न कम उत्पादन करने की बात कही जा रही है। जो पिछले दो तीन साल में 170 लाख टन

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

के करीब उत्पादन हो गया था, उसमें थोड़ी कमी आई है। अब दो–तीन प्रतिशत की उसमें वृद्धि हो रही है, तो कैसे आप दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम बराबर कहते हैं कि यह किसान विरोधी सरकार है। चूंकि किसानों की लॉबी नहीं है। किसानों की चर्चा सीआईआई की मीटिंग में भी हुई थी और प्रधान मंत्री जी भी जिसमें आए थे। किसान तो देश भर की आम जनता के भोजन का इंतजाम करता है लेकिन उनकी कोई लॉबी नहीं है। हमने सवाल उठाया था कि किसानों के लिए एक अलग से स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाये और सभी दलों के लोगों ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की थी लेकिन स्वार्थी तत्वों और ब्लेक मार्केटियर्स का आजकल बोलबाला है। किसानों के लिए कोई कमेटी नहीं बन रही है। इसका क्या कारण है? चूंकि किसानों की समस्याओं का संबंध 14 विभागों से होता है, इसलिए हमारी मांग है कि किसानों के सवाल पर एक स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए जिसमें सभी विभागों से जानकारी मिल सके।

खाद पर से सब्सिडी घटाई जा रही है और लग्जूरियस आईटम्स पर दी जा रही है। यह बजट पॉलिसी क्या है? इस पर हम लोग खबर लेंगे लेकिन नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, उसमें लगभग 5000 करोड़ रुपया देश भर के सभी राज्यों में खर्च किया गया। लगभग 800–900 और 1000 करोड़ रुपया ओनेपोने में खर्च किया गया। हमने सवाल पूछा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में पिछले चार वर्षों में बिहार को 3–4 या ढ़ाई करोड़ रुपया ही मिला। बिहार हिन्दुस्तान का दसवां हिस्सा है। 5000 करोड़ रुपये में हमारा 500 करोड़ हिस्सा होना चाहिए। लेकिन चार वर्षों में 2 करोड़ या तीन करोड़ मिलता है। उस समय नीतीश कुमार जी मंत्री थे। उस पर काफी कहासुनी भी हुई थी। 2001–2002 में 41 करोड़ रुपया पहली बार हुआ है। वह भी हमें सौ करोड़ रुपया मिलना चाहिए था, आधे से कम मिला है और यह भी इतनी देर से पैसा मिलता है कि राज्य सरकार इस पैसे को खर्च करने की तैयारी नहीं कर पाती और सही इस्तेमाल नहीं कर पाती। दसवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम में लगभग 5000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, उसमें बिहार का कितना हिस्सा होगा और बाकी राज्यों का कितना हिस्सा होगा? यदि इसकी सूचना पहले से दे दी जाये तो उस पैसे को खर्च करने की तैयारी राज्य सरकार कर लगी। अंत में पैसा मिलता है तो सैन्ट्रली स्पांसर्ड स्कीम में उस पैसे का कोई मतलब नहीं रहता। हरेक राज्य में किसानों की समस्या है। उनको क्या मदद चाहिए, इस पर राज्य सरकार से सलाह–मशविरा करना चाहिए। यहां बैठकर तय कर लेते हैं और वहां के किसानों की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा जाता और पैसे का सही उपयोग नहीं हो पाता।

खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी में घोटाला हुआ। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस मामले की जांच–पड़ताल की है। मैं नहीं चाहता कि वह रिपोर्ट इन लोगों ने मंगाई है या नहीं मंगाई है। मंगाकर देखिए कि 20,000 करोड़ रुपये की खाद पर सब्सिडी मिली है जिससे खाद उत्पादन करने वाली जो फैक्टरियां हैं, उनको लाभ हुआ है लेकिन किसानों को सब्सिडी नहीं मिली है। किसानों के नाम पर 20,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, इसकी जांच–पड़ताल होनी चाहिए। सरकार को इसकी जानकारी है कि नहीं है लेकिन यह खाद सब्सिडी का घोटाला सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर हुआ है जिसमें खाद आपूर्ति करने वालों ने घोटाला किया है और किसानों को लाभ नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में, रामकृष्ण कुसमारिया जी कह रहे थे कि किसानों पर दो तरह के संकट आते हैं। एक तो आसमानी और दूसरे सुलतानी संकट है। आसमानी प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सुखाड़, साइक्लोन आदि है। इसके अलावा कीड़ों की भरमार है। कपास में कीड़ा लग जाता है। नारियल की फसल बरबाद हो जाती है। दसवें वित्त आयोग ने बिहार में आई प्राकृतिक आपदाओं के लिए एक पैसा भी नहीं दिया, जबकि तीन हिस्सा केन्द्रीय सरकार को देना चाहिए था। लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया गया है। नवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष में भी नहीं दिया गया, जबकि अलग से पैसा देना चाहिए था।

महोदय, आईसीएआर में भी पशुपालन की उपेक्षा हो रही है। इसमें चर्चा चली थी कि इंडियन काउन्सिल फार वैटरनरी रिसर्च के लिए अलग से व्यवस्था की जाएं बिहार में एनीमल हसबैन्ड्री, पशुपालन कृषि के मूल आधार हैं। लेकिन इसकी भी उपेक्षा और शोषण होता है। इसी प्रकार भारत सरकार ने टैक्नोलाजी मिशन आन डेयरी सैन्टर बिहार में चलाने के लिए फैसला हुआ था। लेकिन वह भी बन्द हो गया। एग्रीकल्चर के साथ–साथ पशुपालन की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी बढ़े, पशुपालन की उपेक्षा न हो और किसानों की मदद हो तथा इन पर विचार करने के लिए अलग से एक कमेटी बनें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम) : मैडम, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

"उझथन्डु वझवटे वझवर मात्रेल्लम,
थोझुन्डु पिन सेलनवर।"

एक अन्य दोहा है :

"सुझन्द्रम ऐरप्पीन्नथु उलेगम अथनल,
उझन्दम अझावे थलाई।"

इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति कृषि पर निर्भर है। लोग मशीनरी और धन नहीं खा सकते। जीवन–निर्वाह के लिए उन्हें खाद्यानों की आवश्यकता तो होगी ही।

महोदय, वर्तमान कृषि मंत्री के प्रतिष्ठित पिता जी एक किसान नेता थे, और वह उस परिवार से हैं। तो वह किसानों की समस्याओं को तो समझेंगे ही।

महोदय, हम कृषि को अपनी अर्थव्यवस्था का मेरूदंड मानते हैं। लेकिन किसानों के कल्याण के लिए क्या किया है? ठीक आरंभ से ही, किसान बीज, पानी, उर्वरक और अपनी पैदावार को बेचने के लिए मूल्य निर्धारण जैसी समस्याओं का सामना करते आ रहे हैं। खरीद मूल्य एक समान नहीं है और इस प्रकार से किसानों को विशेषकर तमिलनाडु के किसानों को बहुत–सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र चिदम्बरम के एक हिस्से में अनाज से भरी बोरी सड़क के किनारे डाली हुई देख सकता हूं। क्योंकि सरकार अनाज खरीदने में असमर्थ है तो निसन्देह, सरकार ने बिचौलियों और निजी व्यापारियों सहित प्रतिबन्ध हटाने की घोषणा की है। लेकिन फिर भी किसान प्रभावित हो रहे हैं, और मेरे निर्वाचन क्षेत्र चिदरुबरम के अंतर्गत कडलोर जिले में किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वे अपने उत्पाद नहीं बेच पाते हैं। उनका खाद्यान्न सड़क के किनारे पड़ा रहता है क्योंकि सरकार खाद्यान्न नहीं खरीद पाती है।

देश में किसी भी आवश्यक उपभोक्ता वस्तु के मामले में बिक्री मूल्य निर्धारित कर सकता है। यह तो किसान ही है जो अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारण नहीं कर पाता है। पिछले 55 वर्षों से लगातार आने वाली सरकारें किसानों की समस्याओं के संबंध में लगातार और बार–बार केवल बातें बनाती रहीं हैं, लेकिन वे स्थायी रूप से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पायी हैं। यह एक रहस्य भरी बात है बल्कि एक मुसीबत है कि हम अपने किसानों को जीवन निर्वाह करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। सरकार द्वारा उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए बढ़िया से बढ़िया प्रयास करने और कदम उठाने के बावजूद मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि हम उनकी समस्याओं को आज तक बिल्कुल हल नहीं कर पा रहे हैं। आप पानी की समस्या को लें। कावेरी जल विवाद दशकों तक निपटाया नहीं जा सका है। इस पर राजनीति की जा रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

जिस उत्पाद पर किसान निर्भर हैं, को एक समान मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए। हमारे देश में, अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। कुछ समय पहले जब मैं माननीय कृषि मंत्री जी से मिला था तो मैंने यह पाया था कि उनके अपने राज्य में किसानों को प्रति क्विंटल गन्ने का 800 रुपये से अधिक मूल्य मिल रहा था जबकि अन्य राज्यों में यह मूल्य कम है। इसी प्रकार, तमिलनाडु में 450 रुपये प्रति क्विंटल खाद्यान्न के मुकाबले बिचौलियों और व्यापारी 180 रुपये से 200 रुपये तक का भुगतान करते है। ये किसान अपने ही उस उत्पाद से वंचित हो जाते है जो उनकी एकमात्र सम्पति है। अपनी दो जून की रोटी कमाने के लिए अपने भरसक प्रयासों के बावजूद, वे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। इस वर्ष हमने 210 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन की सीमा को भी पार कर लिया है। इसके बावजूद, हम अपने किसानों की इस स्थिति से उबारने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से किसानों को उनके कष्टों से उबारने में उनकी मदद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करूंगा। किसानों की समस्याओं को समझने में हम सभी एक साथ हैं। लेकिन उनका संतोषजनक रूप से समाधान करने में हम कहीं–न–कहीं विफल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ठीक ढंग से और दक्षतापूर्वक कार्य करने की अपेक्षा दोष निकालना बहुत सरल है। मैं सरकार की समस्याओं को समझता हूं। अकेली सरकार समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। अन्य लोगों को भी इसमें सहयोग करना होगा।

किसानों की एक मूलभूत समस्या जिसे पूरा किये जाने की आवश्यकता है वह यह है कि पानी के लिए झीलों से गाद–निकाली जाए और उन्हें गहरा किया जाए जिससे विशेषकर

तमिलनाडु में कुरूवाई फसल के पानी से वांचित रहने की और डेल्टा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा अपनी खेती बाड़ी को बचाने जाने की समस्याएं सुलझ जायेंगी। उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें कुछ बेहतर कार्य करना होगा।

हम उन किसानों की आकांक्षाओं पर खरे उतर सकें। जो ग्रामीण समुदाय का मेरूदंड है यह अपेक्षा करता है कि हम उनकी आकांक्षाओं को संवेदना के साथ पूरा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी किसानों को उनकी समस्याओं से उबारने में उनकी मदद करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर : क्या मैं श्री पोन्नुस्वामी जी से अपनी इस मांग का समर्थन करने का अनुरोध कर सकता हूं कि कृषि मंत्री अति शीघ्र तमिलनाडु जायें?

श्री ई. पोन्नुस्वामी : मैं श्री मणि शंकर अय्यर की मांग का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अपने निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु का दौरा करने का पहले ही अनुरोध कर चुका हूं। ताकि वे स्थिति का सही जायजा ले सकें।

श्री ए. सी. जोस : मंत्री जी को केरल का भी दौरा करना चाहिए।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : मुझे विश्वास है कि मंत्री जी केरल भी जायेंगे।

[हिन्दी]

चौधरी तालिब हुसैन (जम्मू) : ऑनरेबल चेयरपर्सन, एग्रीकल्चर हमारे देश की इकोनोमी का सबसे अहम और जरूरी सैक्टर है और हमारी इकोनामी का सारा दारोमदार ज़रात पर है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो फंड या रिसोर्सेज इस सैक्टर को देने चाहिए थे वे अब के बजट में नहीं दिये गये हैं। मैं कृषि मिनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस सैक्टर की ओर सबसे ज्यादा तवज्जोह दी जाए क्योंकि हमारा देश अगर माजी से सोने की चिडिया कहलाता था तो ज़रात और कृषि की वजह से ही कहलाता था। उस समय हमारे देश के अंदर बहुत बडी इंडस्ट्री नहीं और न ही तिज़ारत का इतना बड़ा इंतजाम था। जो लोग आज यह समझते हैं कि हमारे देश की इंडस्ट्री और तिज़ारत इस देश को महान बनाएगी तो वे बड़े अंधेरे में हैं। फिर से हमें यह देखना होगा कि ज़रात की तरफ हमारा ध्यान जाए क्योंकि कृषि की वजह से ही हमारा देश महान बन सकता है। यही हमें इश्योर भी कर सकता है और जमानत भी दे सकता है। लेकिन बदकिस्मती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हम सरप्लस फूडग्रेन पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी खबरें अखबारों में छपती रहती हैं कि हमारा किसान फाकाकशी की जिंदगी बसर कर रहा है और कभी –कभी फाकाकशी के कारण कुछ किसान मर भी जाते हैं। इसकी तरफ हमें तवज्जोह देनी चाहिए। हमारे जो रिंग फलसफी शायर थे उन्होंने हमारे देश को जन्नत–निशान कहा था और जन्नत–निशान इसलिए कहा था कि यहां की सब्जवारी की वजह से, यहां के ग्रीन–रैवोल्यूशन की वजह से, यहां के पानी की फ़रामी की वजह से, यहां की मिट्टी की ज़रखेजी की वजह से इसका जन्नत–निशान कहा था। लेकिन उन्होंने इसके साथ यह भी कहा था कि

"जिस खेत से दहकान को मयस्सर न हो रोज़ी,
उस खेत के हर गोशाए गंदूम को जला दो,
तंग आ गया हूं, मैं उन मर–मर की शिलों से,
मेरे लिए मिट्टी का हरम कोई और बना दो।"

आज किसान की हालत यह है कि वह दूध पैदा करता है लेकिन उसके बच्चे दूघ के बगैर स्कूल जाते हैं। इसी तरह से कृषि के दूसरे सैक्टर सरकार के मौहताज़ बनें हुए हैं। ये मामूली सेक्टर नहीं हैं लेकिन इनके दरमियान कोआर्डिनेशन नहीं है। मैं वज़ीर ज़रात चौधरी अजीत सिंह जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आपके पास डिपार्टमेंट नहीं है, रूरल डैवलपमेंट का डिपार्टमेंट नही है लेकिन ये कृषि को बढाने के लिए इंसैपरेबल चीजें हैं। जब तक सही ढंग से इर्रिगेशन डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा, वाटर–रिसोर्सेज को इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा, तब तक हमारी पैदावार में इज़ाफा नहीं होगा। यह कोआर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टरी में पैदा होना चाहिए। हमारे जो कावेरी जैसे डिस्प्यूट्स हैं इनको आज हल करने की जरूरत है। मैं रियासत जम्मू–कश्मीर के एक–दो सैक्टर्स की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारी रियासत बागवानी के एतबार से जानी जाती है लेकिन फंड की कमी है। हमारे सेब, चैरी और दूसरे जो फल हैं उनकी सेहत के लिए जो इंतजामात हम कर सकते हैं इतने थोड़े फंड से वे नहीं किये जा सकते हैं। सैफरन में ऐसी बीमारी लग गयी है जिसकी वजह से वह फसल भी मुतासिर हुई है। अगर यह सफैरन की फसल हिंदुस्तान के एक कोने से मर जाती है तो

यह एक बदकिस्मती की बात होगी। मैं जनाब ज़राअत मिनिस्टर से दरख्वास्त करता हूं कि रियासते जम्मू कश्मीर में एक एक्सपर्ट कमेटी भेजी जाये जो देखे कि वहां किस किस्म का सीड दरयाफ्त करना चाहिये, उसकी बीमारी का इलाज करने के लिये कौन सी दवायें या इनसैक्टीसाइड्स का इस्तेमाल किया जाये, वह मशविरा दे ताकि सैफर्न की फसल को बचाया जा सके।

चेयरमैन साहब, हमारे यहां आमतौर पर देखा गया है कि इंडस्ट्रीज के कर्जे मुआफ कर दिये जाते हैं जिससे अमीर गरीब का गैप बढ़ जाता है। अमीर और गरीब के चलते इंडस्ट्रीज और तिजारत में एक बहुत बड़ी दीवार है। यह इनसान को इनसान से जुदा भी करती है, उनमें फर्क पैदा करती है और अमीर को अमीर बनाती है और गरीब को गरीब बनाती है लेकिन जराअत ऐसी है जो इकौनोमिक इक्वैलिटी लाती है। बदकिस्मती से हम देखते हैं कि आज का हिन्दुस्तान इस की तरफ तवज्जह नहीं दे रहा है। किसानों की हालत दिन–ब–दिन बिगड़ती जा रही है। यहां पर फूड स्टोरेज में अनाज इतना उमड़ कर आ गया है कि उसे रखने की जगह नहीं लेकिन दो वक्त की रोटी के लिये हिन्दुस्तान के कुछ इलाके मोहताज हैं। इसलिये आज हमें ऐसी इकौनोमिक पॉलिसी बनानी होगी जो लोगों की तमाम मुश्किलात की तरफ तवज्जह दे सके।

चेयरमैन साहब, जनाब एग्रीकल्चर मिनिस्टरी साहब रिहैब्लिटेशन के लिये जिम्मेदार हैं और जहां सूखा पड़ जाता है, उसकी तरफ देखभाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में जहां सूखे की वजह से पिछले चार सालों में फसल मुतास्सर हो रही है, उन किसानों के कर्जे माफ करने के लिये बार–बार दुहाई दी गई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अकसर वैली के टूअर पर जाते रहते हैं और वे एश्योरेंस देते रहे हैं लेकिन आज तक उनका कमिटमेट सिर्फ कमिटमेंट की हैसियत से रहा है।

मेरी मिनिस्टर साहब से अर्ज है और उन पर फख भी है कि वे अजीम रहनुमा के घर से हैं, अगर वे गरीब किसान का कर्जा मुआफ कर देंगे तो अच्छा होगा। अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज का कर्जा मुआफ कर सकते हैं तो गरीब किसान का कर्जा क्यों नहीं मुआफ कर सकते?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि कम–अज–कम सैफर्न की फसल के लिये और हार्टीकल्चर की रकूमात में इजाफा कर सकें तो बेहतर होगा।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : धन्यवाद, मैडम। वास्तविक समस्या वस्तुतः भारत में जिसे है वह है किसान और उसकी कई जरूरतें हैं। कुछ मुख्य जरूरतें जिन पर विचार किया जाना है, वे हैं–गुणवत्ता वाला बीज, पौध, पर्याप्त आदान, पर्याप्त अवसंरचना और नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी। किसानों की ऐसी कुछ आवश्यकताएँ हैं।

वह कठोर श्रम करने को तत्पर रहता है। लेकिन वह जो कठिन श्रम करता है उसे उसका साल के अंत तक कोई उचित लाभ नहीं मिलता। आज सम्पूर्ण कृषि परिदृश्य में हमें यही सब देखने को मिलता है। लगभग प्रत्येक कृषि उत्पाद कम मूल्य की समस्या का सामना कर रहा है। प्रत्येक किसान भारत के प्रत्येक कृषि उत्पाद के लिए उत्पदन की उच्च लागत की समस्या का सामना कर रहा है। अपूर्व प्राकृतिक आपदाएं समय–समय पर आ धमकती हैं। हमने बिहार में बाढ़ का सामना किया, केरल जैसे राज्य में भी अन्य प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, जहां पर कि हम उनकी प्रायः अपेक्षा नहीं करते हैं।

किन्तु एक साथ यदि केरल में प्राकृतिक आपदायें आ जायें तो एक सैकिंड के भीतर, रबड़ की 30 सालों की फसल, 20 सालों की सुपारी की फसल, और 30 सालों की नारियल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। किसान बहुत दुखवस्था में है। और किसानों को इन प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए भी कुछ नहीं है।

नीति में परिवर्तन के कारण किसान स्वयं को खतरनाक स्थितियों में पाता है। स्वयं को इनके अनुकूल ढालना किसानों के लिए बहुत कठिन होता है। किसानों को इनके अनुकूल बनाने के लिए सरकार ही कुछ कर सकती है। मैं समझता हूं कि सरकार को किसानों की रक्षा करने के लिए अपना दायित्व निभाना चाहिए।

यह माना जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के कारण, वैश्वीकरण अथवा नयी वैश्विक स्थिति के कारण, राजसहायता में वृद्धि नहीं की जा सकती है। जहां तक विश्व व्यापार संगठन का संबंध है भारतीय किसान की प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है कि विश्व व्यापार संगठन के अनुबंधों के अनुसार हम प्रत्येक उत्पाद पर वर्तमान राजसहायता को बढ़ा सकते हैं, ताकि कृषक समुदाय लाभान्वित हो सके। अनुसंधान और विकास, बीमा और अन्य ऐसे बीमा मामलों के क्षेत्र में सरकार को कुछ करना

[श्री पी. सी. थामस]

चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन सभी बातों की पूर्ण समीक्षा के पश्चात् ही सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं लेकिन इस संबंध में अभी बहुत दूर जाना है।

हाल ही में किसान बड़े कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, और ऋण राहत एक ऐसी चीज है जो उन्हें इस दशा में दी जा सकती है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इस बजट में छोटी जोत वाली भूमि के लिए 25,000 रुपये तक के ऋण पर ब्याज को समाप्त कर दिया गया है। यदि इसे नाबार्ड के द्वारा और सहकारी समितियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के द्वारा किया जाए तो किसानों को अधिक लाभ होगा।

समयाभाव के कारण मैं अन्य और विस्तार में नहीं जाऊँगा। फिर भी, मैं अपने राज्य की बात करना चाहता हूं। जहां विशिष्ट समस्याएं हैं।

सभापति महोदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी. सी. थामस : मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा।

कृषि – निर्यात जोन एक ऐसी चीज है जिसकी घोषणा बजट में की गयी थी। केरल राज्य में कोई कृषि निर्यात जोन नहीं है। संभवतः केरल राज्य सरकार को कुछ करना होगा। यदि वह मामला यह है तो हम राज्य सरकार को कुछ करने के लिए दबाव डालूंगा। लेकिन केन्द्र सरकार को कुछ सकारात्मक करना चाहिए ताकि हमारे अन्नानास, नारियल और अन्य उत्पादों का उपयोग किया जा सके।

कुमारकोम पैकेज के संबंध में, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, मुझे प्रसन्नता है कि हम कोकोनट मिशन आरंभ कर रहे हैं और इस संबंध में बजट में भी कुछ आया है। मैं यह कहूंगा कि जहां तक नारियल कृषकों का संबंध है माननीय मंत्री जी इस पर एक प्राथमिक आवश्यकता के रूप में विचार करेंगे। इस पैकेज का वास्तविक लाभ किसानों को मिलना चाहिए क्योंकि किसानों को कई घोषित की गयी परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

यद्यपि रबर कृषि के अन्तर्गत नहीं आती – तो भी हम इसके विषय को अन्यत्र नहीं उठा सकते – हम यह कहेंगे कि कृषि के अन्तर्गत न आने वाले कई उत्पादों जैसे रबड़ के सन्दर्भ में सरकार को तत्काल कुछ करना चाहिए। मंत्री जी को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। क्योंकि रबड़ के मामले में इसका मूल्य 69 रुपये से घटकर 30 रुपये हो गया है; कॉफी का मूल्य लगभग एक तिहाई कम हो गया है, सुपारी मंगलौर में भी है। इसका मूल्य 170 रु. से गिरकर 30 रुपये पर आ गयी है। काली मिर्च, कॉफी, इलायची, नारियल, जैसे अन्य उत्पादों के मूल्य में भारी गिरावट आई है। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय कृषि मंत्री इस संबंध में कुछ करें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो तालुकाओं में बहुत तबाही हुई है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। अन्यथा, मंत्री महोदय, के उत्तर के लिए समय नहीं बचेगा। छह बजे गिलोटिन किया जाना है। मंत्री महोदय क्या उत्तर दे पाएंगे?

श्री पी. सी. थामस : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कंजीरापल्ली और मीनाचिल नामक दो तालुकाओं में कृषकों द्वारा लगाए गए सभी पौधे और पेड़ तबाह हो गए हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री केरल के लिए कुछ करेंगे। बाढ़ राहत के लिए हमें निधियां नहीं दी गई हैं; हो सकता है कि ज्ञापन में कुछ कमियां हो या कोई अन्य कारण हों। मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि प्राकृतिक आपदा से जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनको मदद सुनिश्चित करें।

सभापति महोदय : अब, मंत्री जी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : इसमें मेरा नाम भी है।

सभापति महोदय : मैं नहीं बुला सकती हूँ। छह बजे गिलोटिन है।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, सभा का समय बढ़ाया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : छह बजे गिलोटिन की घोषणा की गई है। इसलिए, मंत्री महोदय को उत्तर के लिए कम से कम 15 मिनट का समय तो मिलना ही चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ?

...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : महोदय, छह बजे गिलोटिन हैं और इसका समय नहीं बढ़ाया जा सकता। ....*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदया, छह बजे गिलोटिन है और इसका समय कभी नहीं बढ़ाया जाता। क्या आप नहीं चाहते कि उत्तर दिया जाए? ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : आप आसानी से सभा का समय बढ़ा सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : मैं तो सभा का समय एक महीने बढ़ा दूं लेकिन प्रश्न यह है कि छह बजे गिलोटिन है और यह हमेशा छह बजे ही होता है। यह समय कभी नहीं बढ़ाया जाता। कृपया, समझने का प्रयास कीजिए। आप वित्त विधेयक पर बोल सकते हैं और अधिक समय भी ले सकते हैं।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अपनी पूर्व व्यस्तताओं के साथ जिनके कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकीं, उन्होंने कृषि मंत्रालय की मांगों के लिए छह घंटे दिए। इससे पता चलता है कि उन्हें कृषि की चिन्ता है। कृषि मंत्रालय एक मात्र मंत्रालय है। जो गिलोटिन से बच गया है। मुझे इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए।

हाल ही में मैंने कृषि के समक्ष आ रही समस्याओं और किसानों की दुर्दशा के बारे में ध्यान दिया है। बहुत से सदस्यों और वास्तव में अधिकतर सदस्य देहाती निर्वाचन क्षेत्रों से आए हैं। वे बहुत लम्बे समय से किसानों की दुर्दशा के बारे में बोलते रहे है। किंतु ऐसा लगता है कि भाषण ही दिए गए और सरकार पर, बजट पर, दूर संचार माध्यमों पर और इस देश के संचालन कर्ताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु हाल ही में इन स्थितियों में परिवर्तन आया है। लोगों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया है और यह बात उनके मन में घर गई है कि कृषि हमारे देश की मेरूदंड है और इसके लिए कुछ किया जाना है। यह भावना बढ़ती जा रही है और यह सच है कि यद्यपि भारतीय उद्योग परिसंघ, "एसोचैम" और फिक्की कुछ अन्य रूचियों का प्रतिनिधित्व करते हैं किंतु वास्तविकता यह है कि पिछले लगभग एक वर्ष से उन्होंने भी कृषि के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। अतः अन्त में जैसा कि मैने कहा देश के संचालन कर्ता और देश के नीति निर्माता इस पर ध्यान दे रहे हैं कि कृषि हमारे देश के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि हमारे देश के सत्तर प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं इसलिए कृषि, उत्पादकता, गुणवत्ता और दुनिया के बाजार शेयर में वृद्धि करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। यही एक मात्र रास्ता है जिसके माध्यम से निर्धन लोगों कि आय बढ़ाई जा सकती है और उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है।

मैं उन सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने दलीय आधारों को छोड़कर कहा है कि कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत सभी विभागों के बजट में वृद्धि की जानी चाहिए। कृषि संबंधी स्थायी समिति भी इसमें अत्यधिक सहायक रही हैं। यद्यपि पिछले वर्ष से बजट में दस प्रतिशत से अधिक वृद्धि की गई है फिर भी प्रत्येक व्यक्ति महसूस करता है कि और अधिक धनराशि की आवश्यकता है। किन्तु हमें उन वित्तीय अड़चनों के भीतर रहना है। जो हमारे सामने हैं, और उन वित्तीय अड़चनों और बजट के भीतर रहना है जो कृषि मंत्रालय को आबंटित किया गया है। मैं समझता हूं कि अभी बहुत कुछ किया जा सकता है।

हम इसका मुकाबला करें। आज कृषि संक्रमण में है। यह सच है कि हमने पिछले पचास वर्षों में कृषि में प्रगति भी की है। हमारे देश में उस समय अनाज की कमी थी। हम अनाज का आयात कर रहे थे, आज हम सफलता से उत्पन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सफलता की अपनी समस्याएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि हमारे पास लाखों टन खाद्यान्न का भंडार हैं और यह बात सच है समस्या यह है कि इस अनाज का क्या करें? भण्डारण की लागत और वितरण की लागत की समस्या है। खाद्य राजसहायता के लिए जो धनराशि दी जाती है उस राजसहायता का एक बड़ा प्रतिशत किसान को दी गई राजसहायता न होकर वास्तव में भंडारण लागत और वितरण लागत होती है। अर्थशास्त्रियों की तरफ से भी एम एस पी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के बारे में बहुत शोर मचाया जाता है कि एम एस पी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बहुत अधिक है और यह अर्थक्षम नहीं है और इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए।

अपराह्न 5.45 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के कुछ राज्यों में किसान कामयाब हैं और देश को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, इस सफलता के लिए उन्हें दण्डित न किया जाए। हां, हमें विविधता की आवश्यकता है, हमें खाद्यान्न की इन

[श्री अजित सिंह]

फसलों से अन्य फसलों की तरफ आना चाहिए। उन्हें दण्डित कर और यह कहकर कि वहां कोई एम एस पी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) नहीं होगा और एम एस पी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। हम यह संकेत न दें कि हम उनकी सफलता पर उनको दंडित कर रहे हैं। वास्तव में पिछले पचास वर्षों से हमारा ध्यान खाद्यान्न बढ़ाने पर रहा है। भंडारण की समस्या को छोड़कर खाद्यान्न में वृद्धि होने से अन्य समस्याएं जैसे भूमि की उर्वरता, जल स्तर आदि की भी समस्याएं हुई हैं। हमें अब इस बात पर ध्यान देना है जिसे मैं कृषि को बनाए रखने योग्य विकास कहूंगा जहां हमें जैव कृषि पर ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त, हमें एकीकृत पेस्ट प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। कीटनाशियों और पेस्टनाशियों पर ही नहीं बल्कि हमें भूमि की उर्वरता पर ध्यान देना होगा और हमें फसल चक्रण पर ध्यान देना होगा।

सदस्यों ने ये अनेक समस्याएं बताई हैं। प्रत्येक क्षेत्र में समस्या है। राजसहायत के बारे में समस्या है, मूल्यों के बारे में समस्या है। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अनेक लोगों को चिन्ता है। बीटी कॉटन में यदि विवाद नहीं तो कम से कम अनेक बातों को जन्म दिया है। कृषि विस्तार सेवाएं भी प्रश्नाधीन हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं। वह वास्तव में किसनों तक पहुंच रहा है अथवा नहीं। इसलिए सभी क्षेत्रों और सभी फसलों में समस्याएं हैं। किंतु आज अनेक समस्याओं को विश्व व्यापार संगठन से जोड़ा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के होने से ही अनेक समस्याएं हैं। जी, हां, विश्व व्यापार संगठन ने कुछ समस्याएं पैदा की हैं किंतु मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि विश्व व्यापार संगठन न हो तो इन समस्याओं में से बहुत सी समस्याएं विद्यमान रहेंगी। क्योंकि दुनिया छोटी होती जा रही है। प्रतिस्पर्धा से बचने का कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है कि यदि आप खाद्यान्न को देखें तो जब तक हम खाद्यान्न का निर्यात नहीं करते और खाद्यान्न की गुणवत्ता नहीं सुधारते तब तक हम स्वयं को प्रतिस्पर्धी नहीं बनाए रख सकते। हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे विश्व व्यापार संगठन की पैदा की हुई नहीं है किंतु अनेक चीजों ने एक साथ समस्याओं को जन्म दिया है।

मैं कहूंगा की आज कृषि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। सबसे बडी चुनौती जिसका सामना हम सरकार के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, कर रहे हैं, वह यह है कि दो हैक्टेयर भूमि वाले किसान की किस प्रकार सहायता की जा सकती है। अनेक व्यक्ति बडे किसानों और भूमि के पुनवितरण के बारे में बात करते हैं। किंतु 80 प्रतिशत जोत दो हेक्टेयर भूमि से कम हैं। स्पष्टतया, बड़े किसान नहीं है। छोटे और सीमांत किसान ही हैं। समस्या यह है कि इन दो हेक्टेयर भूमि वाले किसानों की कैसे सहायता की जाए। सभी प्रौद्यागिकियों जिनका हम विकास कर रहे हैं, सभी जैव प्रौद्योगिकियों, नई सिंचाई विधियां, नए बीज, इस पर ध्यान दे रहे हैं कि दो हेक्टयर भूमि वाले किसान की कैसे सहायता की जाएं। इसी चुनौती का सामना हम कर रहे हैं। हमें यह देखना है कि उन्हें यह सहायता कैसे मिले, और इन सब चीजों का उपयोग करने के लिए उसे कैसे ऋण मिल सकता है। यदि वह इस सब के बारे में अवगत है तो भी चूंकि निवेश लागतों में वृद्धि हो रही है इसलिए हमें यह देखना है कि उसे यह धनराशि कैसे मिल सकती है।

सबसे बड़ी समस्या विपणन की भी है। खाद्यान्न के मामले में भी विपणन कोई समस्या नहीं है? वहां सरकार है और एम एस पी योजना है। लेकिन यदि आप इस क्षेत्र की बागवानी, फलों, सब्जियों और फलों के क्षेत्र में विस्तार करना चाहते हैं तब विपणन एक बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिये हमें सहकारिता की ओर ध्यान देना होगा। सहकारिता क्षेत्र गत 50 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है? विशेषकर कृषि क्षेत्र में 45 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण ऋण सहकारिता क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। 25 प्रतिशत से अधिक उर्वरक का उत्पादन सहकारिता क्षेत्र में होता है। 50 प्रतिशत से अधिक चीनी का उत्पादन सहकारिता क्षेत्र में होता है। आज हम सहकारिता क्षेत्र में भी अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और मुझे यह कहना चाहिए कि सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में सुधार, उदारीकरण हेतु कई कदम उठाए हैं। अनेक राज्यों में सहकारिता क्षेत्र सरकार की कठपुतली बन कर रह गया है। लोगों के बीच सहयोग नहीं है। यही सरकार सहकारिता क्षेत्र चलाती है। इसी उद्देश्य से सरकार बहुराज्यीय सहकारिता विधेयक लाई है। इसे पिछले सत्र में प्रस्तुत किया गया था और इसे यह रोजाना कार्यसूची में होता मैं सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उनकी चिन्ताओं, नियम 377 के अधीन उनके मामलों और 'शून्य काल' के अलावा इस विधेयक को पारित करने के लिए कुछ समय निकालने का अनुरोध करता हूं। यह बहुराज्यीय सहकारिता विधेयक है जिसके द्वारा हम सहकारिता क्षेत्र को सरकार के विनियमन और नियंत्रण से मुक्त करने जा रहे हैं अथवा यदि मैं कहूँ तो सरकार के चुंगल से।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : इस पर कब विचार किया जाएगा?

श्री अजित सिंह : इसे पिछले सत्र में सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन हमें इसे पारित करने के लिए समय निकालना होगा। अतः बहुराज्यीय सहकारिता विधेयक यहां हैं। एन सी डी सी विधेयक संसद के समक्ष हैं। हमें उसके लिए भी समय निकालना होगा। सरकार बीज क्षेत्र में एक विधेयक तैयार कर रही है? वास्तव में यदि आप कृषि पर नजर डालें तो आपके मस्तिष्क में एक गरीब किसान की तस्वीर उभरती है। जो सुदूर क्षेत्रों में दो बैलों अथवा ट्रैक्टर के साथ रहता है। यह तस्वीर आज वहां नहीं है। आज किसानों की रक्षा के लिए अनेक कानून बनाने की आवश्यकता है। उनमें से कुछ विश्व व्यापार संगठन के कारण आवश्यक हैं। पिछले सत्र में हमने पौध संरक्षण किस्म और किसान अधिकार विधेयक (प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी एंड फारमर्स राइट्स बिल) पारित किया था। जैव–विविधिता विधेयक (बायोडाईवर्ससिली बिल) यहां मौजूद हैं। कीटनाशी और कृमिनाशी अधिनियम में परिवर्तन करना होगा। जल कृषि विधेयक (एक्वाकल्चर बिल) को इसी संसद में लाया जाना है।

मैं यह पुनः उल्लेख करना चाहूँगा कि बहुराज्जीय सहकारिता विधेयक सहकारिता क्षेत्र की सफलता करेगी जो एक से अधिक राज्यों में अस्तित्व है। हमे राज्यों को उनके अनेको कानूनों में परिवर्तन करने के लिए सहमत करना होगा, कृषि राज्य का विषय है और अनेक कानूनों जिसे एक समय में किसानों की रक्षा के लिए अधि–नियमित किया था, अब उनसे किसान ही पिस रहे हैं। हमारे देश में उदारीकरण की गलत अवधारणा है। जब हम उदारीकरण की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि कुछ धनी व्यक्ति आ रहे हैं और जमीन छीन रहे हैं और वे अपनी छोटी सी आय और बचत खोने जा रहे हैं। लेकिन कृषि क्षेत्रों में उदारीकरण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा कि अनेक ऐसे कानून हैं जो किसानों की सहायता के बजाय उनका शोषण करते हैं। कृषि उपज विपणन अधिनियम एक समय से जरूरी था लेकिन आज यह किसानों का सबसे बड़ा शोषक बन गया है। यदि किसान अपने उत्पाद की मंडी के बाहर अथवा एक प्रसंस्कृतकर्ताओं को सीधे बेचना चाहता है तो वह इसे नहीं बेच सकता है। यदि एक व्यक्ति विपणन मंडी स्थापित करना चाहता है तो वह इसे स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे कानूनों को भी बदलना होगा।

सहकारिता कानून राज्य का विषय है। कुछ राज्यों में बेहतर सहकारिता कानून है। अनेक राज्यों में सहकारिता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई सहयोग नहीं है। उन कानूनों को भी बदलना होगा। अब मैं ऋण की बात पर आता हूं। जब हम किसानों की आत्महत्या के बारे में बात करते हैं चाहें यह आंध्र प्रदेश के हो अथवा कर्नाटक या पंजाब के किसानों की आत्महत्या का एक बड़ा कारण ऋण की कमी है। आज भी किसानों के लिए ऋण का भाग 60 प्रतिशत संस्थानों से आता है और 40 प्रतिशत ऋणदाताओं से।

श्री के. येरननायडू : यह 60 प्रतिशत नहीं हैं। यदि 60 प्रतिशत संस्थानों से आता है तो यह बहुत अच्छी बात है। मेरे विचार में यह 60 प्रतिशत नहीं है?

श्री अजित सिंह : ठीक है। मेरे आंकड़े कुछ प्रतिशत के अंतर से गलत हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय 6 बजे गिलोटिन टाइम है?

श्री मणि शंकर अय्यर : उन्होंने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। जिन्हें हमने उठाया है। तीन मिनट बचे हैं। मैं उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर देने का अनुरोध करूंगा।

श्री अजित सिंह : मैं तमिलनाडु का किसी भी समय दौरा करना चाहूंगा। पिछली बार जब आपने हमें आमंत्रित किया था वो आप पूर्वोत्तर चले गए।

श्री मणि शंकर अय्यर : आप उत्तर प्रदेश चले गए।

श्री ए. सी. जोस : आपको केरल भी जाना चाहिए।

श्री अजित सिंह : केरल तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। जब मैं तमिलनाडु जाऊंगा तो मैं केरल कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन मुझे एक बात कहनी हैं। यदि मैं, तमिलनाडु और केरल आता हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं है कि श्री अय्यर कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न समस्याऐं सुलझ जाएंगी। वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य को आपदा राहत कोष के अंतर्गत कतिपय धनराशि प्रदान की है। यह तो किश्तों में दी जाती है। राज्य सरकार 25 प्रतिशत प्रदान करती है और केन्द्र सरकार 75 प्रतिशत प्रदान करती है। आपको उस धनराशि को खर्च करना होगा और तब आप हमें एक रिपोर्ट भेजें। तत्पश्चात हम देखने के लिए एक समिति भेजेंगे कि क्या किया गया है और आपने किस प्रकार धनराशि खर्च की है।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं आपसे उसे स्पष्ट करने के लिए अनुरोध करूंगा। इसी के कारण यह एक बड़ा विवाद बन गया है? आप कहते हैं कि आपको यह नहीं मिली है। राज्य के मंत्री महोदय कहते हैं। उन्होंने इसे भेज दिया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि सही स्थिति क्या है?

श्री अजित सिंह : हम इसकी जांच करेंगे। हम इसे आपस में सुलझा लेंगे कोई समस्या नहीं है। हम अधिकारियों की एक टीम वहां स्थिति देखने के लिए भेजेंगे। मैं बस इतना ही कह रहा था कि मेरे वहां जाने से समस्या नहीं सुलझेगी। हम इन मामलों की जांच के लिए अधिकारियों की एक टीम भेजेंगे।

आपने विश्व व्यापार संगठन के बारे में एक प्रश्न उठाया है। आपने कहा कि दोहा में हमारे मामलों को नहीं सुलझाया गया है। मैं समझता हूं कि हमने विश्व व्यापार संगठन पर और दोहा में क्या हुआ इस पर एक पूरी चर्चा की थी। अभी मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि दोहा के सामने मुख्य चिंता कार्यान्वयन को लेकर थी और यूरोपीय समुदाय और धनी देशों के समझौतों पर अमल और यह लागू किये गये हैं या नहीं यह देखना था। लेकिन बड़े स्तर पर इन मामलों को दोहा में सुलझाया गया है और इन मामलों को जून, 2002 की बैठक में उठाया जाएगा। दूसरी बात जो दोहा में उठाई गई, वह विकासशील देशों को विशेष और भिन्न दर्जा दिये जाने की बात थी। हमने कहा कि विकासशील देशों के साथ विकसित देशों की अपेक्षा अलग व्यवहार किया जाना चाहिए? इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा भी स्वीकारा गया है। यह समझौते का एक हिस्सा है?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय, कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री अजित सिंह : मुझे दुख है कि मैं आपकी समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पर सुलझाने में समर्थ नहीं हूं। लेकिन मैं आपके हस्तक्षेप की प्रशंसा करता हूं। किसानों के बारे में आपकी चिंताएं दलगत भावना से ऊपर उठकर हैं चाहें वे इस पक्ष के हों अथवा उस पक्ष के, क्योंकि हमारे देश के सत्तर प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। जैव–प्रौद्योगिकी और अन्य मामलों के बारे में बातें करने का समय नहीं है।

मैं सभी सदस्यों को उनकी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों के लिए अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए हैं। क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए एक साथ रखूँ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए अलग से रखे जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव सं. 22 और 23 को सभा के मतदान हेतु रखूँगा।

श्री बसुदेव आचार्य : अब मुझे मेरे कटौती प्रस्ताव के बारे में कुछ कहने दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब समय नहीं बचा है। 6 बजे हमें गिलोटीन करना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यदि वे मेरे कटौती प्रस्ताव के बारे में जानते हैं तो वे इनका समर्थन करेंगे।

मेरे कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपये कम किए जाएं।

किसानों द्वारा कृषि उत्पादों की मजबूरी में बिक्री पर रोक की आवश्यकता (22)

कृषि उत्पादों के मूल्यों पर विश्व व्यापार समझौते के प्रभाव को रोकने की आवश्यकता (23)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 22 और 23 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य–सूची के स्तम्भ 2 में कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 3 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य–सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सायं 6.30 बजे

[अनुवाद]

(दो) चर्चा और स्वीकृति के लिए शेष सभी अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 14 वर्ष 2002–2003 के सामान्य बजट के संबंध में शेष सभी अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे एक पूर्वोदाहरण नहीं बनना चाहिए कम से कम आपको यह कहना चाहिए कि यह एक पूर्वोदाहरण नहीं बनेगा। यह संपूर्ण गिलोटिन अभूतपूर्व है इस बात को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाए कि यह भविष्य में एक पूर्वोदाहरण नहीं बनेगा....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, मैंने सोचा था कि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : सभी मंत्रालयों/विभागों की मांगों को गिलोटीन किया जा रहा है। इसे एक पूर्वोदाहरण नहीं बनाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप पिछले वर्ष यहां उपस्थित थे?

श्री वरकला राधाकृष्णन : हां, मैं उपस्थित था। पिछले वर्ष सरकारी विभागों के बारे में कुछ चर्चा हई थी....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस सभा की परंपरा रही है कि यदि मांगों पर चर्चा नहीं हो पाती है तो इसी प्रकार गिलोटीन किया जाता है। कृपया अब सभा में व्यवधान न डालें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह व्यवधान नहीं है। इस सभा के एक सदस्य होने के नाते मुझे इसे उठाने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसे उठाने का अधिकार है। मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं।

....(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह एक पूर्वोदाहरण नहीं बनना चाहिए हमें सभी मंत्रालयों/विभागों की लगभग सभी अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने का अधिकार है। यह अधिकार छीन लिया गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्रालयों/विभागों से संबंधित शेष अनुदानों की मांगों को सभा के मतदन के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

'कि कार्य–सूची के स्तंभ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित निम्नलिखित मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तंभ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए:–

(1) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 और 6

(3) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 7

(4) कोयला और खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8 और 9

(5) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 और 11

(6) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 से 14

(7) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 15 से 21

(8) विनिवेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 22

(9) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या 23

(10) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24

(11) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25

(12) वित्त मंत्रालय से संबधित मांग संख्या 26 से 28, 30,31 और 33 से 38

(13) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 39 और 40

(14) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 41

(15) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 42 से 44

(16) गृह मंत्रालय से संबधित मांग संख्या 45 से 49 और 98 से 102

(17) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 50 से 52

(18) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 53 और 54

(19) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 55

(20) श्रम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 56

(21) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57, 58 और 60

(22) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61

(23) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62

(24) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63

(25) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग सख्या 64

(26) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65

(27) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66

(28) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67 से 69

(29) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70 से 72

(30) लघु उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73

(31) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74

(32) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 75

(33) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76

(34) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77

(35) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78

(36) पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 79 से 80

(37) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 81

(38) ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन मत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82 से 85

(39) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86

(40) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87

(41) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 88

(42) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 89 और 90

(43) महासागर विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या 91

(44) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 92

(45) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 94

(46) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 95

(47) उप–राष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग सख्या 97।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2002–2003 के लिए अनुदानों की मांगे (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	दिनांक 20 मार्च, 2002 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4	5	6
	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय				
4.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	110,92,00,000	35,00,000	554,61,00,000	1,75,00,000
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
5.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	8,65,00,000	14,68,00,000	43,26,00,000	73,41,00,000
6.	उर्वरक विभाग	1949,84,00,000	84,,87,00,000	9749,20,00,000	424,33,00,000
	नागर विमानन मंत्रालय				
7.	नागर विमानन मंत्रालय	180,56,00,000	10,79,00,000	53,80,00,000	53,92,00,000
	कोयला और खान मंत्रालय				
8.	कोयला विभाग	77,34,00,000	16,58,00,000	386,70,00,000	82,90,00,000
9.	खान विभाग	177,69,00,000	4,81,00,000	386,70,00,000	24,02,00,000
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय				
10.	वाणिज्य विभाग	221,08,00,000	63,83,00,000	1105,42,00,000	319,17,00,000
11.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	59,46,00,000	–	297,32,00,000	–
	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
12.	डाक विभाग	882,98,00,000	21,43,00,000	4414,91,00,000	107,12,00,000

1	2	3	4	5	6
13.	दूरसंचार विभाग	561,65,00,000	17,00,000	2808,27,00,000	83,00,000
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	100,45,00,000	7,94,00,000	352,27,00,000	39,72,000
रक्षा मंत्रालय					
15.	रक्षा मंत्रालय	778,90,00,000	56,13,00,000	3894,50,00,000	280,64,00,000
16.	रक्षा पेंशन	1783,31,00,000	–	8916,56,00,000	–
17.	रक्षा सेवा–थल सेना	5237,56,00,000	–	26187,79,00,000	–
18.	रक्षा सेवा–नौ सेना	774,69,00,000	–	3873,42,00,000	–
19.	रक्षा सेवा–वायु सेना	1404,18,00,000	–	7020,90,00,000	–
20.	रक्षा आयुध निर्माणियां	1294,50,00,000	–	–	–
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	–	3565,99,00,000	–	17829,96,00,000
विनिवेश मंत्रालय					
22.	विनिवेश मंत्रालय	13,92,00,000	–	12,87,00,000	–
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग					
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	62,31,00,000	13,45,00,000	311,53,00,000	67,25,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय					
24.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	181,38,00,000	3,80,00,000	906,88,00,000	18,99,00,000
विदेश मंत्रालय					
25.	विदेश मंत्रालय	527,57,00,000	69,70,00,000	2292,54,00,000	348,50,00,000
वित्त मंत्रालय					
26.	आर्थिक कार्य विभाग	368,36,00,000	71,93,00,000	1841,82,00,000	359,63,00,000
27.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	149,40,00,000	117,17,00,000	746,98,00,000	585,84,00,000
28.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	338,30,00,000	291,31,00,000	1691,48,00,000	1456,57,00,000
30.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	3514,17,00,000	–	17570,83,00,000	–
31.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	–	133,33,00,000	–	666,67,00,000
33.	व्यय विभाग	20,48,00,000	06,00,000	102,41,00,000	27,00,000
34.	पेंशन	725,88,00,000	–	3629,38,00,000	–

1	2	3	4	5	6
35.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	154,66,00,000	2,00,00,000	773,32,00,000	10,00,00,000
36.	राजस्व विभाग	168,82,00,000	1,36,00,000	220,69,00,000	6,77,00,000
37.	प्रत्यक्ष कर	173,03,00,000	20,83,00,000	865,17,00,000	104,17,00,000
38.	अप्रत्यक्ष कर	178,25,00,000	6,68,00,000	891,26,00,000	33,42,00,000
उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
39.	उपभोक्ता मामले विभाग	34,98,00,000	7,30,00,000	24,88,00,000	47,00,000
40.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	3570,26,00,000	43,45,00,000	17855,69,00,000	217,26,00,000
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय					
41.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	13,50,00,000	–	67,51,00,000	–
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय					
42.	स्वास्थ्य विभाग	417,16,00,000	47,03,00,000	2085,78,00,000	235,17,00,000
43.	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपेथी विभाग	32,23,00,000	1,25,00,000	161,12,00,000	6,26,00,000
44.	परिवार कल्याण विभाग	974,97,00,000	–	4874,86,00,000	–
गृह मंत्रालय					
45.	गृह मंत्रालय	113,07,00,000	4,04,00,000	565,34,00,000	20,21,00,000
46.	मंत्रीमंडल	29,43,00,000	83,00,000	147,12,00,000	4,17,00,000
47.	पुलिस	1576,29,00,000	142,23,00,000	7881,46,00,000	711,16,00,000
48.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	77,83,00,000	–	389,13,00,000	–
49.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	94,15,00,000	62,85,00,000	470,74,00,000	314,26,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
50.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	1194,20,00,000	–	3710,65,00,000	–
51.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	813,10,00,000	1,00,000	4073,75,00,000	–
52.	महिला और बाल विकास विभाग	596,17,00,000	–	1657,47,00,000	–
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय					
53.	सरकारी उद्यम विकास	2,11,00,000	–	10,52,00,000	–

1	2	3	4	5	6
54.	भारी उद्योग विभाग	190,10,00,000	286,80,00,000	–	134,51,00,000*
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय				
55.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	205,76,00,000	49,84,00,000	1028,77,00,000	249,18,00,000
	श्रम मंत्रालय				
56.	श्रम मंत्रालय	163,96,00,000	2,40,00,000	819,78,00,000	11,97,00,000
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय				
57.	विधि और न्याय	78,58,00,000	26,00,000	392,88,00,000	1,29,00,000
58.	निर्वाचन आयोग	1,69,00,000	–	8,43,00,000	–
60.	कम्पनी कार्य विभाग	9,10,00,000	50,00,000	45,52,00,000	2,50,00,000
	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय				
61.	गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय	82,25,00,000	21,68,00,000	417,22,00,000	108,37,00,000
	संसदीय कार्य मंत्रालय				
62.	संसदीय कार्य मंत्रालय	70,00,000	–	3,51,00,000	–
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
63.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	34,26,00,000	2,00,000	171,29,00,000	8,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
64.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1084,91,00,000	–	5424,52,00,000	–
	योजना मंत्रालय				
65.	योजना मंत्रालय	7,69,00,000	1,25,00,000	38,45,00,000	6,25,00,000
	विद्युत मंत्रालय				
66.	विद्युत मत्रालय	304,62,00,000	428,69,00,000	1523,11,00,000	2143,42,00,000
	ग्रामीण विकास मंत्रालय				
67.	ग्रामीण विकास विभाग	4671,57,00,000	25,00,00,000	8067,84,00,000	25,00,00,000
68.	भूमि संसाधन विभाग	167,30,00,000	–	836,51,00,000	–
69.	पेय जलापूर्ति विभाग	921,72,00,000	–	1479,61,00,000	–

1	2	3	4	5	6
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
70.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	161,20,00,000	8,78,00,000	805,97,00,000	43,87,00,000
71.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	172,64,00,000	85,00,000	863,19,00,000	4,25,00,000
72.	जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	39,26,00,000	–	196,32,00,000	–
	लघु उद्योग मंत्रालय				
73.	लघु उद्योग मंत्रालय	66,19,00,000	–	330,92,00,000	–
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
74.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	635,49,00,000	2,72,00,000	1192,84,00,000	26,12,00,000
	इस्पात मंत्रालय				
75.	इस्पात मंत्रालय	11,37,00,000	2,33,00,000	56,82,00,000	11,67,00,000
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
76	सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1029,69,00,000	1518,21,00,000	4746,53,00,000	4613,01,00,000
	नौवहन मंत्रालय				
77.	नौवहन मंत्रालय	69,10,00,000	58,99,00,000	345,48,00,000	294,92,00,000
	कपड़ा मंत्रालय				
78.	कपडा मंत्रालय	164,89,00,000	99,58,00,000	824,43,00,000	497,90,00,000
	पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय				
79.	पर्यटन विभाग	24,12,00,000	18,75,00,000	120,59,00,000	93,75,00,000
80.	संस्कृति विभाग	81,08,00,000	–	405,37,00,000	–
	जनजाति कार्य मंत्रालय				
81.	जनजाति कार्य मंत्रालय	20,99,00,000	5,34,00,000	104,95,00,000	26,67,00,000
	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय				
82.	शहरी विकास विभाग	125,54,00,000	89,16,00,000	627,69,00,000	445,77,00,000
83.	लोक निर्माण कार्य	112,04,00,000	48,52,00,000	560,20,00,000	242,61,00,000
84.	लेखन–सामग्री और मुद्रण	29,82,00,000	4,00,000	149,09,00,000	21,00,000
85.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	70,12,00,000	36,88,00,000	350,60,00,000	184,37,00,000

1	2	3	4	5	6
	जल संसाधन मंत्रालय				
86.	जल संसाधन मंत्रालय	124,25,00,000	8,84,00,000	621,22,00,000	44,20,00,000
	सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय				
87.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	225,92,00,000	18,89,00,000	1129,61,00,000	94,46,000
	युवा मामले और खेल मंत्रालय				
88.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	54,61,00,000	24,00,000	276,52,00,000	8,02,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग				
89.	परमाणु ऊर्जा	297,60,00,000	188,99,00,000	1487,97,00,000	944,92,00,000
90.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	277,60,00,000	265,83,00,000	1388,00,00,000	1329,17,00,000
	महासागर विकास विभाग				
91.	महासागर विकास विभाग	33,05,00,000	17,00,000	165,23,00,000	83,00,000
	अंतरिक्ष विभाग				
92.	अंतरिक्ष विभाग	325,24,00,000	52,16,00,00	1626,17,00,000	260,79,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय				
94.	राज्यसभा	12,49,00,000	–	62,47,00,000	–
95.	लोकसभा	29,83,00,000	–	149,17,00,000	–
97.	उप–राष्ट्रपति का सचिवालय	17,00,000	–	84,00,000	–
	(विधान-मंडल रहित) संघ राज्य क्षेत्र				
98.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	129,76,00,000	32,33,00,000	648,79,00,000	161,62,00,000
99.	चंडीगढ़	127,03,00,000	23,93,00,000	635,17,00,000	119,64,00,000
100.	दादरा और नगर हवेली	63,93,,00,000	6,38,00,000	319,65,00,000	31,88,00,000
101.	दमन और द्वीव	37,78,00,000	5,22,00,000	188,87,00,000	26,12,00,000
102.	लक्षद्वीप	36,59,00,000	9,94,00,000	182,95,00,000	49,71,00,000
*	जोड़ राजस्व/पूंजी	45094,60,00,000	8247,74,00,000	189811,51,00,000	36863,06,00,000

* इसके अलावा, 20 मार्च, 2002 को 'लेखानुदान' में अनुमोदित तथा राजस्व भाग में शामिल किए गए 49,49,00,000 रुपए का पूंजी भाग के लिए उपयोग किया जा सकता है।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : वे किस बात की प्रशंसा कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, कम–से–कम अध्यक्ष पीठ द्वारा इस संबंध में कुछ कहा जाना चाहिए। सम्बंधित मंत्रालयों के मंत्रियों में यहाँ उपस्थित रहने का शिष्टाचार होना चाहिए।....*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, आपका क्या विचार है?...*(व्यवधान)* महोदय, आप इस सभा के संरक्षक हैं। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण बात है...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, सभी मंत्रीगण पीछे बैठे हुए हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यहा सभी मंत्री उपस्थित नहीं हैं। उनमें से कुछ अनुपस्थित हैं...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : महोदय, रक्षा मंत्री कहां हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह पीछे बैठे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें?

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं इसमें सहयोग नहीं कर सकता। मैं विरोध मे सभा से बहिगर्मन करता हूँ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मांगे पहले ही पारित की जा चुकी हैं। आप अब बाहर जा रहे हैं।

सायं 6.12 बजे

(इस समय श्री वरकला राधाकृष्णन सभा–भवन से बाहर चले गये)

सायं 6.12½ बजे

[अनुवाद]

विनियोग (संख्याक 3) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित** करता हूँ।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*** भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–।।, खंड–2, दिनांक 24.4.2002, में प्रकाशित**

**** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।**

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।
अनुसूची विधेयक में जोड दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सायं 6.14 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 26 अप्रैल, 2002/6 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।